सप्तम माला, सोमवार, 28 जनवरी, 1980/माघ, 1901 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(पहला सत्र)

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 6 सोमवार, 28 जनवरी, 1980/8 माघ, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों क मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 2 से 9	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 और 10 16	19—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 28, 28क, 28ख और 28ग	23—46
सभा पटल पर रखे गए पत्र	47—76
राज्य सभा से संदेश	77
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	78—86
कुछ राज्यों में सूखा और अकाल की स्थिति तथा इसका सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दिया जाना	78
श्री विद्याचरण शुक्ल	78
श्री बीरेन्द्र सिंह राव	83
श्री रामस्वरूप राम	83
श्रीमती कृष्णा साही	84
श्री ए०टी० पाटिल	85
नियम 377 के अधीन मामले	86—87
(एक) गुजरात को कोयले की सप्लाई में कमी	
श्री आर० मोतीभाई चौधरी	86
(दो) विरला औद्योगिक और प्रौद्योगिक संग्रहालय, कलकत्ता के बन्द होने का समाचार	
श्री निरेन घोष	86
(तीन) विहार में विजली के संकट का समाचार	
श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा	87

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

	पृष्ठ
29 जनवरी, 1980 के लिए सभा क स्थगन समय के बारे में घोषणा	87
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	87—135
श्री चरण सिंह	90
श्री जनार्दन पुजारी	92
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	95
श्री समर मुखर्जी	98
श्रीमती शीला कौल	102
श्री जगजीवन राम	103
श्री ए० नीललोहीत दासन नाडार	106
श्री अमृत पटेल	108
श्री सी०टी० दण्डापाणि	109
श्री नगीना राय	113
श्री कृष्ण दत्त	115
डा० कर्ण सिंह	116
श्री शिवराज बी० पाटिल	120
श्री महावीर प्रसाद	123
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	126
श्री विरधी चन्द जैन	129
श्री हरीश कुमार गंगवार	133
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	90
मध्याह्न भोजन अवकाश समाप्त किए जाने के बारे में घोषणा	135

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

लोक सभा

सोमवार, 28 जनवरी, 1980/8 माघ, 1901 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय: सचिव शपथ लेने वाले सदस्यों को बुलाएं ।

सचिव : आज शपथ लेने के लिए कोई सदस्य नहीं है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ग्रामीण डायलिंग प्रणाली

*†2. **श्री पी० राजगोपाल नायडू:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की ।

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण डायलिंग प्रणाली प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है ताकि टेलीफोन उपभोक्ताओं को एक्सचेंजों से 20 किलोमीटर की दूरी तक के स्थानों की कालों को एक्सचेंज की स्थानीय काल माने जाने की सुविधा मिल सकें ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली कितने केन्द्रों में शुरू की जाएगी।

संसदीय कार्य एवं संचार मंत्री श्री (भीष्म नारायण सिंह) : (क) जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित दो एक्सचेंजों की पारस्परिक दूरी 20 कि०मी० से कम हो और वे सीधे डायलिंग के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हों तो ऐसी स्थिती में पहले ही यूनिट शुल्क बिना समय काल के आधार पर प्रभार वसूल किया जाता है । फिर भी ऐसे काल ट्रंक काल होंते हैं न कि स्थानीय काल।

(ख) इस समय इस सेवा को चालू करने की कोई विस्तृत योजना नहीं है किन्तु जब कभी लाईन-रूट संभाव्य हो जाता है तो क्षेत्र-यूनिटें इस सेवा को चालू कर देती हैं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू: मुझे भेजे गए लिखित पत्र में मंत्री महोदय ने बताया है कि ग्रामीण डायलिंग प्रणाली जारी की गई है। परन्तु अब भिन्न उत्तर दिया गया है। फिर भी, क्या मैं जान सकता .... (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य: यहां पर ध्वनि व्यवस्था कार्य नहीं कर रही।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही शुरू करने से पहले इसकी जांच की जानी चाहिए।

श्री पी० राजगोपाल नायडू: अध्यक्ष महोदय, मुझे भेजे गए एक पत्र में संचार मंत्री ने बताया है कि ग्रामीण डायलिंग प्रणाली प्रारम्भ कर दी गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण डायलिंग प्रणाली प्रारम्भ कर रही है ताकि 20 किलोमीटर तक की दूरी के टेलीफोनों को स्थानीय टेलीफोन माना जाये जैसा कि नगरों में होता है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी तक डायलिंग सुविधाओं को विस्तृत करने के लिए बड़ी मात्रा में समान एवं वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसके लिए आन्तरिक और बाह्य संयंत्रों की आवश्यकता होगी। इस समय ऐसा करना संभव नहीं है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मेरा दूसरा प्रश्न यह है। क्या ग्रामीण डायलिंग प्रणाली लागू करने के लिए लोहे की छड़ें लगाना संभव है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डायलिंग उपकरणों की स्थापना के लिए लोहे की छड़ों का निर्माण करेगी।

श्री भीष्म नारायण सिंह : यह पूरा मामला माल तथा वित्तीय संसाधनों का है। इसलिए मंत्रालय के सचिव ने इसके लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया है। मुझे उम्मीद है कि अध्ययन दल इस पूरे मामले का अध्ययन करेगा और सरकार को अपना प्रतिवेदन दे देगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको अब सुनायी दे रहा है ?

कई माननीय सदस्य : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व इसकी जांच की जानी चाहिए ।

वर्ष 1982 में आयोजित होने वाले एशियाई खेल-कूद

*3. **श्री अरविन्द नेताम् :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेल-कूद, 1982, नई दिल्ली में आयोजित किये जायेंगे ;

(ख) उन पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) अब तक की गई तैयारियों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) यह मामला विचाराधीन है ।

श्री अरविन्द नेताम् : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह काफी अपर्याप्त है। एशियन गेम्ज 1982 में नई दिल्ली में होने हैं, इसके लिए दो साल का समय रह गया है और इन दो सालों में जितना बड़ा स्पोर्टस-काम्प्लैक्स बनाना है, मैं समझता हूं दो साल पहले से ही उस पर निर्माण कार्य शुरू हो जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में एशियन गेम्स फैडरेशन के प्रेसीडेंट ने आशंका व्यक्त की है कि 1982 में जो एशियन गेम्ज होने हैं, वह मामला अधर में अभी तक लटका हुआ है और अभी पिछले दिनों में इस सदन के माननीय सदस्य श्री बूटा सिंह के नेतृत्व में एक डेलीगेशन माननीय प्रधान मंत्री जी से मिला था और प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 1982 में एशियन गेम्स होंगें। तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 1982 में एशियन गेम्ज होंगे या नहीं, यह कम से कम पहले बता दीजिए ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं खेलों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य की चिन्ता तथा रूचि समझता हूं । यह स्वाभाविक ही है कि इस देश के लोग विशेषतः खिलाड़ी अति उत्सुक हैं कि एशियाई खेल 1982 में भारत में हों, परन्तु माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि यह कहना सरल नहीं हैं कि क्या उक्त खेल भारत में हो सकेंगे अथवा नहीं, क्योंकि इससे बहुत सी बातें संबद्ध हैं । खेलों के लिए भवन-निर्माण, परिसर के निर्माण आदि की लागत बहुत बढ़ गयी है । श्रीमन् हमें इस बात पर ध्यान देना है कि क्या एशियाई खेल कराना

सफल हो सकता है । मात्र किसी बात को शीघ्रता से करने की बात नहीं है । परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि सरकार खेलों की व्यवस्था पर व्यय पर गम्भीरता से विचार कर रही है तथा मामले पर गम्भीरता से विचार हो रहा है ।

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष जी, पिछले दो, तीन सालों में सरकार का जो रवैया रहा है वह वैसा ही था जैसा कि औरंगजेब बादशाह का संगीत के प्रति रहा था । मैं नई सरकार से यह जानना चाहता हूं कि एशियन गेम्स कमेटी जो बनी है, उस को वह बदलने जा रही है और यदि हां, तो कब तक बदलेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : मामला इतना स्पष्ट नहीं है क्योंकि इस बारे में विभिन्न स्तरों पर बहुत सी समितियां हैं अर्थात् संचालन समिति और आर्गेनाइजिंग समिति तथा बहुत सी अन्य तकनीकी समितियां हैं ।

श्री अरविन्द नेताम : मेरा मतलब आर्गेनाइजेशन कमेटी से है ।

श्री बी० शंकरानन्द : आर्गेनाइजिंग कमेटी को बदलना सरकार के हाथ में नहीं है । यह सरकार से स्वतंत्र एक निर्वाचित निकाय है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : श्रीमान् क्या यह सही है कि बहुत साल पहले हमारे देश की ओर से अभिवचन दिया गया था कि एशियाई खेल 1982 में भारत में होंगे । क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि सरकार किस आधार पर इस मामले पर पुनर्विचार कर रही है । मंत्री महोदय ने बताया कि इस मामले पर पुनर्विचार कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा फजूल खर्च इत्यादि के बारे में दिये गये वक्तव्य के कारण क्या इस मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है अथवा इसके लिए कोई अन्य आधार भी है ? मेरा सरकार से आग्रह है कि इस बारे में स्पष्ट घोषणा करे ताकि इस बारे में यथा शीघ्र अनिश्चितता समाप्त हो जाये क्योंकि यह देश की तथा खेल-कूद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है ।

श्री बी० शंकरानन्द : मेरे व्यय के सम्बन्ध में वक्तव्य से यह अभिप्राय नहीं है कि यह फजूल खर्च है । मैंने यह कभी नहीं कहा । इस प्रकार की मेरी विचारधारा नहीं है । हमने यह कभी नहीं कहा ।

माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय खेल-कूद का प्रस्ताव इसी आधार पर किया गया था कि सरकार का खेल-कूद कराये जाने के प्रस्ताव को वापस लेने का अधिकार है । आरम्भ में व्यय का अनुमान 80 करोड़ रुपए किया गया था । परन्तु जब सरकार ने इस पर विचार किया तो सरकार ने व्यय को 40 करोड़ रुपये तक रखने की चेष्टा की । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उस पर विचार हो रहा है ।

श्री बी० शंकरानन्द : बाद में सरकार ने सोचा कि ......

अध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ ऊंचे बोलिए । माननीय सदस्यों के पास श्रव्य-उपकरण नहीं है । आप तो खेल-कूद के मंत्री हैं ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं ऊंचा बोलूंगा । परन्तु मैं चिल्ला नहीं सकता । खेल-कूद का प्रस्ताव रखे जाने के बाद सरकार का व्यय भार वित्तीय अभिवचन दुगुना हो गया है । स्वभावतः सरकार को वित्तीय पहलू पर विचार करना होता है । इस समय मैं सरकार पर इस बारे में वित्तीय भार कितना बता नहीं सकता । यह मामले शीघ्र तय हो जायेंगे ।

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1982 में एशियाई खेल-कूद आयोजित करने का अभिवचन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय है । समूचा विश्व इसे जानता है । तथा एशिया इसे जानता है । इस समय यह कहना कि मामले पर विचार किया जा रहा है सही नहीं है । मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस व्यय को फालतू खर्च न समझें । इससे हम कुछ स्थाई उपयोग का निर्माण करेंगे ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने फजूल खर्च की बात नहीं कही ।

डा० कर्ण सिंह : मैं यह कह रहा था कि सरकार कतिपय ऐसा ढांचा निर्माण करेगी जो कि दिल्ली में स्थाई बन जायेगी और दिल्ली एक महान देश की राजधानी है । यदि इस समय हम अपने वचन से हट जाते हैं तो यह बात ठीक नहीं है । आपको याद होगा कि भूतपूर्व सरकार में भी इस बारे में मत-भेद था तथा हमने स्पष्ट कर दिया था इस समय यदि हम अपने वचन से हटते हैं तो इससे भारत की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा । मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वित्तीय पहलू पर इतनी गंभीरता से विचार न करे । इस खेल-कूद करने सम्बन्धी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिवचन का पालन करना चाहिए।

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे खेद है यदि माननीय सदस्यों को मेरे वक्तव्य से यह आभास मिला है कि हम वचन से हट रहे हैं । सभा में मेरे वक्तव्य से यह प्रकट नहीं होता कि हम वचन से पीछे हट रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : अत्यन्त बेजान वक्तव्य है ।

श्री सहआर्डो फैलीरो : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य बहुत स्पष्ट नहीं है । जैसा कि बताया गया है, मांट्रियल खेलों के बारे में निर्णय भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 1976 से पहले ही निर्णय कर लिया था जब उसकी तिथि निर्धारित की गई थी जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं । मुझे इस बात की हैरानी है कि अब भी भला इस के बारे में पुनः विचार किया जा सकता है । जल्दी से जल्दी हो तो भी एशियाई खेलें भी 1982 में ही होंगी । 1981 में इस बात पर सहमति हुई थी कि पूर्ण-प्रशाक सहित 1981 में इसका पूर्वाभ्यास किया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्टेडियम तथा तैराकी वाले तालाब तथा अन्य खेलों के लिए स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है उनका निर्माण कार्य किस चरण में चल रहा है और क्या 1981 तक वह कार्य पूरा हो जायेगा ।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मांट्रियल में हमने किसी प्रकार का करार नहीं किया था ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री एडआर्डो फैलीरो : इनका निर्माण कार्य किस चरण में चल रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न के बारे में आवाज दे चुका हूं ।

खाद्यान्नों का उत्पादन

***4. श्री मधु दंडवते** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में देश में खाद्यान्नों का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या यह उत्पादन पिछले दो वर्षों के खाद्य उत्पादन से अधिक रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस वृद्धि के प्रमुख कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ग) :—एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) अखिल भारतीय स्तर पर खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 1977-78 के दौरान 1264.1 लाख मीटरी टन और वर्ष 1978-79 में 1313.7 लाख मीटरी टन रहा है ।

(ख) वर्ष 1977-78 में खाद्यान्नों के उत्पादन में वर्ष 1975-76 के स्तर की तुलना में 53.8 लाख मीटरी टन और वर्ष 1976-77 के स्तर की तुलना में 152.4 लाख मीटरी टन की वृद्धि हुई है । वर्ष 1978-79 में खाद्यान्नों के उत्पादन में वर्ष 1976-77 के स्तर की तुलना में 202.0 लाख मीटरी टन और वर्ष 1977-78 के स्तर की तुलना में 49.6 लाख मीटरी टन की वृद्धि हुई है ।

(ग) 1977-78 और 1978-79 में अनुकूल मौसमी परिस्थितियों के अतिरिक्त इन वर्षों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान की गयी जिससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई । अन्य बातों के साथ साथ, वृद्धि के कारणों में अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की अधिक भूमि में बुवाई करना, उर्वरकों का अधिक मात्रा में और संतुलित प्रयोग करना, पौध रक्षण उपायों को बड़े पैमाने पर अपनाना, विस्तार कार्मिकों और कृषकों को गहन प्रशिक्षण देना मिनी-किट कार्यक्रमों को अपनाना और समय पर चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की बुवाई करना व विभिन्न परिस्थितियों के लिए उपयुक्त किस्मों का पता लगाना भी शामिल है ।

प्रो० मधु दंडवते : इससे पूर्व कि मैं अपने अनुपूरक प्रश्न पूछूं, मैं प्रश्न बनाने के बारे में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मैंने कभी भी अपने प्रश्न में यह नहीं कहा कि इससे सम्बन्धित विवरण सदन की मेज पर रखा जाये । यह कोई बहुत बड़ा विवरण नहीं है । वह इसे पढ़ सकते थे । यदि वह इसे पढ़ देते तो मुझे आंकड़े मालूम हो जाते ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने पूरक प्रश्न पूछिये ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह तो आपके विचारार्थ है । आप कृपया इसका ध्यान रखिये ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : यह प्रश्न वैसे ही है जैसे कि हमें यह प्राप्त हुआ था । आप कृपया इसे पढ़िये : विवरण रखिये ।

प्रो० मधु दंडवते : यह वह प्रश्न नहीं है जोकि मैंने दिया था । माननीय मंत्री महोदय को प्रश्न सचिवालय से प्राप्त होता है न कि मेरे से सीधा उन्हें मिलता है । श्रीमान जी यद्यपि 1977-78 में कार्यकरण की असमानता के बारे में बेबुनियाद सी बातें की जाती रही हैं, परन्तु यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आपने यह बात तो स्वीकार कर ली है कि 1977-78 तथा 1978-79 में खाद्यान्न उत्पादन में क्रमशः 15 मिलियन टन तथा 20 मिलियन टन की वृद्धि हुई है । इसके लिए विभिन्न कारणों का उल्लेख भी किया गया है । मैं इसके बारे में एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या यह सच नहीं है कि चूंकि जनता सरकार के पहले ही वर्ष उर्वरकों के मूल्य में 100 रुपये प्रति टन की कमी कर दी गई थी और इसी के परिणामस्वरूप अगले ही वर्ष उर्वरकों की खपत में 28 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली और खाद्यान्न के उत्पादन को 126.6 मिलियन टन को स्तर तक बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : इन वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में विभिन्न कारणों से वृद्धि हुई जिनका उल्लेख मैंने अपने उत्तर में कर दिया है । इनमें से सब से महत्वपूर्ण कारण फसल की बुवाई के समय अनुकूल मौसम था । इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि उर्वरकों की खपत भी बढ़ी ।

इसका भी एक कारण यद्यपि उर्वरकों के मूल्यों में की गई कमी थी, तो दूसरा कारण किसानों की अपनी बुद्धिमतता भी थी, यदि किसान स्वयं अपने उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं, तो उनके इस योगदान की भी अवहेलना नहीं की जा सकती ।

प्रो० मधु दंडवते: इससे पूर्व कि मैं अपना अगला प्रश्न पूछूं, मैं यह कह देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर स्पष्ट नहीं है । मैंने कुछ और पूछा है और वह 1975-76 के अच्छे फसली मौसम की बात करते जा रहे है । वर्षा तो लगभग वैसी ही हुई थी, परन्तु इसके बावजूद भी उत्पादन कम था । पहले मुझे अपने प्रथम प्रश्न का स्पष्ट उत्तर प्राप्त कर लेने दीजिये । उसके पश्चात् मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: मुझे मालूम नहीं कि आपके प्रश्न के कौन से भाग का उत्तर रह गया है ।

प्रो० मधु दंडवते: मैं अपना पहला प्रश्न दोहरा देता हूं । मेरा प्रथम प्रश्न यह था कि अन्य कारणों के अतिरिक्त, एक कारण यह नहीं है कि उर्वरक के मूल्यों में 100 रुपये प्रति टन की कमी की गई जिसके परिणामस्वरूप उर्वरक की खपत बढ़ी तथा उससे खाद्यान्न उत्पादन में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि यह भी एक कारण था । इससे अधिक सदस्य महोदय क्या जानना चाहते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते: मेरा दूसरा प्रश्न है: क्या यह सच नहीं है कि 1977-78 में देश की सिंचाई क्षमता में 2.7 मिलियन हैक्टर की वृद्धि की गई जो कि न केवल भारत के लिए, अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिए एक रिकार्ड था और उत्पादन वृद्धि का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था ?

(ख) क्या यह सच नहीं है कि इसी वृद्धि के परिणामस्वरूप इस पहले वर्ष तथा दूसरे वर्ष अर्थात् 1977-78 और 1978-79 में रूस से ऋण के रूप में लिये गये खाद्यान्न का बड़ा भाग वापिस करने में समर्थ हो सके और इसके साथ ही हमने वियतनाम को भी खाद्यान्न का निर्यात किया ? वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 में जब कि हमने 18.7 मिलियन टन खाद्यान्न का निर्यात 2503 करोड़ रुपये खर्च करके किया था, क्या आप यह नहीं समझते कि पहले के रिकार्ड की तुलना में यह कार्यकरण विशेष रूप से सराहनीय था ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: यह तो केवल सोचने की बात है । माननीय सदस्य महोदय इसके बारे में जो भी विचार बनाना चाहें बना सकते हैं । उन्होंने इस प्रश्न के बारे में मेरे से किसी प्रकार की जानकारी नहीं मांगी है । उन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से अपनी सरकार के कार्यकरण को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है और उसके लिए उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते: सदन की यह परम्परा रही है कि यदि मंत्री महोदय कोई जानकारी नहीं देते हैं, तो फिर माननीय अध्यक्ष महोदय सदस्य के हितों के लिये उसे संरक्षण देते है । मेरा ठोस प्रश्न था . . . .

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं ।

प्रो० मधु दंडवते: उन्होंने उत्तर नहीं दिया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: माननीय सदस्य की जानकारी मेरी जानकारी से अधिक है ।

प्रो० मधु दंडवते: मेरा स्पष्ट प्रश्न है: क्या यह सच नहीं है कि 1977-78 के प्रथम वर्ष में ही सिंचाई क्षमता में 2.7 मिलियन हैक्टर की वृद्धि हुई थी और जोकि एक रिकार्ड है . . . . . .

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: वह कोई भी जानकारी मेरे से नहीं मांग रहे हैं, उनके पास सारी जानकारी है। ......

श्री ज्योतिर्मय वसु: श्रीमान् जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि के क्षेत्र में किये जा रहे आयोजन में अमरीकी लाबी का बोलवाला है और वह खाद्यान्न के उत्पादन मे गंभीर असंतुलन पैदा करने जा रहे हैं जिससे कि एक ओर जहां खाद्यान्नों के क्षेत्र में हमारे पास उत्पादन फालतू है वहां दूसरी ओर तेलों तथा दालों आदि के उत्पादन में भारी कमी हो गई है। वर्ष 1957-58 में देश में प्रति व्यक्ति दालों का उत्पादन 31.2 किलोग्राम था और 1974-75 में यह घटकर 16.7 किलोग्राम रह गया। क्या मंत्री महोदय इसे दृष्टिगत रखते हुये कुछ चुनीदा फसलों, खाद्य तथा बिना खाद्य के फसलों की मिश्रित वृद्धि दर जोकि 1949-50 से 1959-60 तथा जिसके अनुसार दालें 3.10, तथा उनका उपज 3 प्रतिशत भूमि में 0.10 प्रतिशत थी ....

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न बना कर पूछिए।

श्री ज्योतिर्मय वसु: मैं प्रश्न ही बना रहा हूं। प्रश्न पूछने से पहले मैं यह सब कुछ मंत्री महोदय को बताना चाहता था। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि दालों का बहुत अभाव रहा है और हम लगभग 850 करोड़ रुपये के खाद्य तेल का निर्यात करते रहे हैं तो क्या मंत्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि जब से उन्होंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है तब से इसके लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ताकि इस प्रकार की असंगति को दूर किया जा सके तथा खाद्यान्नों, दालों तथा खाद्य तेलों के उत्पादन के बारे में सही आयोजन किया जा सके।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: ऐसा लगता है माननीय सदस्य महोदय के पास बहुत से आंकड़े हैं ? कुछ प्रश्न जोकि उन्होंने पूछे हैं, वह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न ही नहीं होते। जहां तक खाद्य तेलों के निर्यात का प्रश्न है, उसका सम्बन्ध वाणिज्य मंत्रालय से है और उसके बारे में वह अलग प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय वसु: खाद्य तेलों तथा दालों की कमी के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: हम उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय वसु: परन्तु यह दर आये वर्ष कम हो रही है...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया यह बात ध्यान में रखिये कि यह प्रश्न उत्पादन के बारे में एक विशिष्ट रूप से है। आप खाद्य तेलों के बारे में एक अलग प्रश्न पूछ रहे हैं।

ी ज्योतिर्मय वसु: दालें तथा खाद्य तेल भी खाद्यान्नों में ही आते हैं, आप यदि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिवेदन को देखें तो आपको पता लग जायेगा। मंत्री महोदय को हमें यह बताना चाहिये कि दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्यों कम हुई है और इस सम्बन्ध में आपके कार्यभार संभालने के बाद क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: खाद्य तेलों के उत्पादन में हुई कमी पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हम इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठा रहे हैं। इनमें से एक कदम किसानों को मूल्यों के लिए अधिक प्रोत्साहन देना तथा कृषि साधनों के लिए अधिक सुविधायें जुटाना है। हम विदेशी मंडियों से खाद्य तेलों के आयात को घटाने के प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं ताकि घरेलू मंडियों में ही किसानों को खाद्य तेल की उपज के लिए अच्छे मूल्य उपलब्ध हो सकें।

श्री सी० पी० एन सिंह: क्या माननीय मंत्री महोदय सदन को यह बतायेंगे कि देश में खाद्य तेल की कमी का प्रमुख कारण जमाखोरी तथा काला बाजारी ही है ?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न मूल से सम्बद्ध नहीं है।

डा० सुब्रामण्यम स्वामी : श्रीमान जी, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह भी देखिये कि मंत्री महोदय द्वारा अपने मौखिक उत्तर में जो कहा ······ **(व्यवधान)** जाता है वह उनके लिखित उत्तर के अनुरूप ही हो । श्री दण्डवते की टिप्पणी के उत्तर में उन्होंने बताया कि उत्पादन में वृद्धि मुख्यतः अनुकूल मौसमो परिस्थितियों के कारण हुई, परन्तु अपने लिखित उत्तर में उन्होंने बताया:

> "1977-78 और 1978-79 में अनुकूल मौसमी परिस्थितियों के अतिरिक्त इन वर्षों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान की गई जिससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई ।"

यह वक्तव्य बिकुल भिन्न है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह भी एक कारण है, डा० स्वामी ।

डा० सुब्रामण्यम स्वामी : अब मैं अपना प्रश्न पूछूंगा । मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । खाद्यान्न उत्पादन में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये, मैं यह जानना चाहता हूं कि देश के भंडारगारों में खाद्यान्नों का स्टाक कितना है ? ········ **(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मुझे इस प्रश्न के लिए अलग नोटिस चाहिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा गेहूं के मूल्यों की अग्रिम घोषणा करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है क्योंकि मंत्री महोदय यह तो जानते ही हैं कि यदि एक समय विशेष पर मूल्यों की घोषणा कर दी जाये तो उससे उत्पादन वृद्धि के लिए किसानों को काफी प्रोत्साहन मिलता है । भूतपूर्व सरकार ने धान तथा गन्ने के मूल्यों की घोषणा पहले कर दी थी जिसके परिणामस्वरूप किसानों को काफी सहायता मिली । अतः क्या मंत्री महोदय मुख्य खाद्यान्नों के मूल्यों की घोषणा काफी पहले, लगभग बुवाई के समय घोषित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ताकि किसानों को प्रोत्साहन मिल सके और दूसरे क्या मंत्री महोदय मूल्य-समता बनाये रखने के बारे में भी गंभीरता से विचार करेंगे ?

औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में अधिक से अधिक वृद्धि होती है तथा कृषकों की बहुत ही उचित तथा न्यायसंगत मांग होती है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है । क्या मंत्री महोदय मूल्य समानता के बारे में विचार करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि फसल बोने से पहले कृषि उत्पाद के मूल्यों की घोषणा कर देने से कृषक को अपनी भूमि का अच्छी प्रकार से सर्वेक्षण करने में सहायता मिलती है तथा वह यह निश्चित करने में भी समर्थ होता है कि अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये उसे कौन-कौन सी फसल उगानी चाहिये । लेकिन गेहूं को बोने के लिये अभी 9 माह से भी अधिक का समय शेष है । हम काफी अग्रिम रूप से उचित समय पर निश्चित ही एक निर्णय कर लेंगे ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आदरणीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान जनता सरकार आलुओं तथा गन्ने का अधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण उसको संभालने में असमर्थ रही, जिसके परिणामस्वरूप इन वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक कमी हुई तथा कृषकों को भारी हानि हुई है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : यह बात बिल्कुल सत्य है कि पिछली सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य न दिये जाने के कारण गन्ना उत्पादन क्षेत्र में कमी हुई है । यह बात भी सत्य है कि बहुत बड़ी मात्रा में आलू बाजारों में सड़ गया तथा मूल्यों में एक ऐसे स्तर तक गिरावट आई, जिससे कृषकों ने दोबारा आलू बोने का विचार ही छोड़ दिया । लेकिन वर्तमान सरकार में उनका विश्वास होने के कारण बाजार में आलुओं के मूल्यों को स्थिर रखा जा रहा है तथा हम इस ओर ध्यान देंगे कि वे परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न न हों ।

श्री मगनभाई बरोट: मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि उत्पादन में वृद्धि हुई थी। क्या यह भी सत्य है कि उस समय के दौरान उत्पादकों को घाटा हुआ, तथा उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देना पड़ा लेकिन जमाखोरी तथा चोर बाजारी करने वालों को अधिक लाभ पहुंचा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: जी हां, यह बात सत्य है। हम इस ओर ध्यान देंगे कि मध्यस्थ लोगों को अवांछित लाभ न मिले तथा कृषकों को अपने उत्पादों का उचित तथा लाभकारी मूल्य प्राप्त हो।

सूखे से फसलों को क्षति

***5. श्री चित्त बसु:** क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के विभिन्न भागों में पड़े भारी सूखे से फसलों को पिछले कुछ दिनों में बहुत अधिक हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो (राज्यवार) कितनी हानि होने का अनुमान है ;

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को केन्द्र ने (राज्यवार) कितनी सहायता दी है ; और

(घ) सूखे ग्रस्त क्षेत्रों के लिए सरकार का क्या अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्यक्रम करने का प्रस्ताव है

कृषि मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह राव: (क) से (घ) तक एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। गत खरीफ मौसम के दौरान लम्बी अवधि तक पड़े सूखे के कारण 11 राज्य प्रभावित हुए थे।

(ख) तथा (ग)

राज्य	(ख)		(ग)	
	प्रभावित जन-संख्या (लाख)	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (लाख हैक्टार)	काम के बदले अनाज तथा काम के बदले अनाज के विशेष कार्यक्रम के तहत आबंटित किया गया कुल खाद्यान्न (इसमें पिछले वर्ष का बकाया भी शामिल है) (लाख मीटरी टन)	केन्द्रीय सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त व्यय की सीमा (करोड़ रुपए)
आंध्र प्रदेश . . .	125.00	40.00	2.33	22.05
बिहार . . .	473.00	30.00	3.36	11.82
हरियाणा . .	30.00	17.00	0.64	4.50
हिमाचल प्रदेश . .	27.00	4.90	0.20	3.70
मध्य प्रदेश . .	279.00	88.00	3.01	22.80
महाराष्ट्र . .	53.14	10.23	1.41	8.54
उड़ीसा . .	115.00	43.18	2.31	14.05
राजस्थान . .	240.00	30.00	2.80	18.75
जम्मू और कश्मीर .	2.69	2.13	0.45	2.79
उत्तर प्रदेश . .	773.00	105.00	4.93	34.91
पश्चिम बंगाल .	87.00	15.55	2.50	13.04
योग . .	2204.83	385.99	23.94	156.95

अग्रिम योजना सहायता के रूप में निर्मुक्त की जाने वाली वास्तविक केन्द्रीय सहायता राज्य द्वारा उनके पास उपलब्ध सीमान्त धनराशि के अतिरिक्त निर्धारित सीमा तक व्यय की गई धनराशि पर निर्भर करेगा ।

(घ) रबी उत्पादन कार्यक्रम के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों की सहायता कर रही है ताकि कृषक खरीफ तथा खरीफ से पूर्व के मौसम के दौरान हुई क्षति को पूरा कर सकें । सूखे से प्रभावित राज्यों को 49 करोड़ रुपये के मूल बजट प्रावधान के मुकाबले रबी मौसम के दौरान 80 करोड़ रुपए का अल्पावधि ऋण उपलब्ध किया गया है । अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1979 के दौरान डीजल का अतिरिक्त आबंटन किया गया है । जहां फसलों की क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हुई है; वहां लघु एवं सीमान्त कृषकों को नाईट्रोजन-पूरक उर्वरक, बीज तथा कीटनाशी दवाइयों सहित कृषि आदानों के लिए राज सहायता प्रदान की जा रही है । जिन क्षेत्रों में फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, वहां लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा अदा किये जाने वाले ब्याज को माफ किया जाना है, बशर्ते कि मूलधन को पुनः निर्धारित तारीख तक वापस कर दिया जाए । गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं तथा स्कूल न जाने वाले शिशुओं जैसे कमजोर वर्गों के लिए एक पोषक खाद्य कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों के शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को पूर्ण रोज़गार प्रदान करने के लिए चालू काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अतिरिक्त काम के बदले अनाज से सम्बन्धित एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । देश में उपलब्ध सभी रिगों का उपयोग करने तथा विशेषकर सख्त पठारी क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित करने हेतु युद्ध स्तर पर कदम उठाए गए हैं । हवाई छिड़काव आदि वनस्पति रक्षण संबंधी उपायों के लिये वित्तीय प्रावधान में वृद्धि की गई है । इसके अलावा, पशु आहार के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और तिलहनों की खली तथा तेल रहित चावल की भूसी और पशु व कुक्कुट के मिश्रित आहार का निर्यात भी बंद कर दिया गया है । भारतीय खाद्य निगम मानवीय खपत के लिये अनुपयुक्त पाए गए खाद्यान्न को पशु आहार के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध करा रहा है । राहत संबंधी कार्यों की परिवीक्षा करने और उन्हें तेज़ करने के लिए कृषि मंत्रालय में एक अन्तर विभागीय कृतक दल कार्य कर रहा है ।

इन अल्पावधि उपायों के अलावा, भारत सरकार 13 राज्यों के 74 जिलों में "सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम" नामक दीर्घावधि कार्यक्रम चला रही है, जिसका लक्ष्य इन क्षेत्रों में उचित परिस्थितिकीय संतुलन कायम करना, सूखे के अत्यधिक प्रभाव को कम करना और लोगों की, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की आय को स्थिर करना है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के चार वर्षों के दौरान 188.98 करोड़ रुपये खर्च किये गये, जिसमें से 108.41 करोड़ रुपये केन्द्र का अंश था । वर्ष 1978-79, अर्थात् छठी योजना के प्रथम वर्ष के दौरान, लगभग 80.17 करोड़ रुपये खर्च किये गये, जिसमें से 51.18 करोड़ रुपए केन्द्र का अंश था । 1974-79 के दौरान इस कार्यक्रम में लगभग 13 लाख हैक्टर भूमि पर मृदा और नमी संरक्षण कार्यों को कार्यान्वित किया गया, लगभग 2.8 लाख हैक्टार सिंचाई क्षमता को तैयार किया गया, 3.4 लाख हैक्टार वन और चरागाह भूमि को विकसित किया गया और लगभग 43.89 लाख व्यक्तियों, जो अधिकतर कमज़ोर वर्गों से सम्बन्धित थे, को लाभ पहुंचाया गया है । वर्ष 1977-78 से राजस्थान के 11 जिलों में, हरियाणा के 4 जिलों में, गुजरात के 3 जिलों में और जम्मू और कश्मीर के लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीती उप-मंडल के शीत शुष्क क्षेत्रों में एक मरु विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख गतिविधियां में ये शामिल हैं:—वनरोपण, चरागाह विकास, बालू के टिब्बों का स्थिरीकरण, भूमिगत जल विकास, ग्राम विद्युतीकरण, कृषि का विकास, बागवानी और पशुपालन ।

4 हैक्टार तक की जोत वाले कृषकों को सहायता देते हुए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से देश में सतही और भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग

करने के लिए एक राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है । 1-4-1978 तक सृजित 520 लाख हैक्टार की सिंचाई क्षमता में 1978-83 के दौरान 150 लाख हैक्टार अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता को बढाने का प्रस्ताव है, जिसमें लघु सिंचाई योजनाओं का अनुमानित परिव्यय लगभग 3600 करोड़ रुपये और बड़ी और मध्यम सिचाई योजनाओं का लगभग 6700 करोड़ रुपए है ।

श्री चित्त बसु : विवरण में केन्द्रीय सहायता (रु० करोड़ में) के उद्देश्यों के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त व्यय की सीमा को दिखाया गया है । क्या आदरणीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा अब तक सूखा राहत कार्यों के व्यय के लिये राज्य सरकारों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि की सीमा तथा इस दिशा में राज्य सरकारों द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के अन्तर को केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जायेगा ? क्या सरकार इन दोनों के बीच के अन्तर को पूरा करेगी ? दो से तात्पर्य है—पहला वह वास्तविक व्यय जिसे राज्य सरकारों द्वारा खर्च किया गया है तथा दूसरा वह व्यय जिसे इस उद्देश्य के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : किसी भी विशेष राज्य में प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान का पूरी तरह से जायजा लेने के उपरान्त ही अतिरिक्त सीमा को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । किसी निर्णय को करने से पूर्व केन्द्रीय दल भी उन क्षेत्रों का दौरा करता है । एक उच्च स्तरीय समिति की राज्य सरकारों की सिफारिशों पर विचार करती है । लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय की सीमा निर्धारित कर देने के पश्चात् कोई विशेष राज्य उस सीमा से अधिक व्यय खर्च करता है तो केन्द्रीय सरकार का उसके लिये उत्तरदायित्व नहीं है ।

श्री चित्त बसु : विवरण में यह बताया गया है कि वास्तविक केन्द्रीय सहायता को अग्रिम योजना सहायता के रूप में जारी किया जायेगा । इस प्रकार की प्रणाली से राज्यों की विकास की गति में अड़चन आती है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नई सरकार की यह नीति है कि इन अग्रिम योजना सहायताओं को गैर-योजना संदायों में परिवर्तित किया जाये ताकि राज्यों को विकास की गति में तेजी आये क्योंकि अपने राज्य में विकास की गति को जारी रखने के लिये राज्य सरकारों के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : केन्द्रीय सरकार की यह तीव्र इच्छा है कि देश में विकास की गति में वृद्धि की जाये । लेकिन सरकार को कुछ शर्तों के अधीन कार्य करना होता है । जहां तक वित्त-व्यवस्था का सम्बन्ध है निर्णय लेते समय माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री नीरेन घोष :—इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश में सूखे का दौर चल रहा है, इसको रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाये हैं अथवा क्या तत्काल कदम उठाये जा सकते हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में तथा हुई क्षति के बारे में केन्द्रीय सरकार अध्ययन दल द्वारा कोई अनुमान लगाया गया है ? क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को जो सहायता देनी है उसे पूरा दे दिया है ? क्या इस सम्बन्ध में किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई शिकायत की है, यदि ऐसा है तो क्या आपने उनकी मांग पूरी की है, क्या उनकी शिकायत दूर की गई है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : राज्य सरकारों द्वारा की गई मांगों पर विचार किया गया है तथा सूखे से पीड़ित सभी राज्यों का एक केन्द्रीय दल द्वारा दौरा किया गया था । प्राकृतिक विपदाएं चेतावनी देकर नहीं आती हैं और जब भी कोई विपदा आती है तो सरकार उपयुक्त कदम उठाती है । राष्ट्रीय विपदा आने की स्थिति में उसका अच्छी प्रकार से सामना करने की तैयारी के लिए हम भी एक प्रभाव-कारी तंत्र को स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं तथा उन निर्णयों के बारे में बाद में घोषणा की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है और मेरा विचार है कि इस पर उस समय और चर्चा की जायेगी । अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं ।

केन्द्रीय मत्स्य उद्योग निगम लिमिटेड के कर्मचारी संघ का ज्ञापन

***6. श्री समर मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय मत्स्य उद्योग निगम लिमिटेड के कर्मचारी संघ, हावड़ा, से फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों को नौकरी दिए जाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नौकरी दिए जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं ।

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) इस मंत्रालय तथा दूसरे मंत्रालयों के अधीन कार्य करने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों और श्रम मंत्रालय के रोजगार महानिदेशक से केन्द्रीय मात्स्यकी निगम के फालतू घोषित किए गए कर्मचारियों को नौकरी देने के लिए अनुरोध किया गया था । पश्चिम बंगाल सरकार से भी अनुरोध किया गया था कि वह राज्य मात्स्यकी विकास निगम के लिए विक्रय-स्टालों सहित कुछ कर्मचारियों को ले लें परन्तु उसने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट की । जो कर्मचारी अन्य स्थानों में काम करने के इच्छुक हैं उनके आवेदन पत्रों को उपयुक्त सिफारिशों के साथ भेज दिया जाता है ।

(ग) अब तक 71 कर्मचारियों के लिए रोजगार तलाश किया जा चुका है जो निम्नलिखित प्रतिष्ठानों में लिए गए हैं :—

1. भारतीय खाद्य निगम	45
2. केन्द्रीय भांडागार निगम	21
3. इंडियन डेरी कारपोरेशन	4
4. राष्ट्रीय बीज निगम	1

इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम ने 14 कर्मचारियों को और केन्द्रीय भांडागार निगम ने 2 और कर्मचारियों को नौकरी पर रखने का वायदा किया है ।

श्री समर मुखर्जी : प्रश्न केन्द्रीय मात्स्यकी के कर्मचारियों को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में है । केन्द्रीय मात्स्यकी, हावड़ा को परिसमाप्त किया जा रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन को देखें ।

श्री समर मुखर्जी : वहां पर कुल 386 कर्मचारी हैं । जिनमें 236 स्थायी हैं तथा 150 दैनिक वेतन के रूप में कार्य करते हैं । केन्द्रीय मात्स्य पालन निगम के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने 26 अप्रैल, 1979 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । समिति ने यह सिफारिश की थी कि केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम को पुनरुज्जीवित किया जा सकता है अथवा निगम के संगठनात्मक ढांचे, कार्यप्रणाली, नीति तथा कार्य में परिवर्तन करके तथा कुशल प्रबन्ध के द्वारा इसको फिर से पायेदार

बनाया जा सकता है । क्या मंत्री महोदय ने इस सिफारिश पर कोई ध्यान दिया है ? मछली के मूल्य की, विशेषकर पश्चिमी बंगाल में एक गंभीर समस्या है इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार केन्द्रीय मत्स्य निगम को पुनर्गठित करने के लिये तैयार है ? सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सिफारिशें मौजूद हैं । मेरा प्रथम सवाल यही है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : निगम को पुनर्जीवित करने के लिये की गई समिति की सिफारिशों को जनता सरकार द्वारा अस्वीकृत किया गया था । इसको स्वीकार नहीं किया गया था । इसके पश्चात् लोक दल शासन के दौरान इस निगम को समाप्त करने के आदेशों को रोक दिया गया था । इस समय सरकार इस विषय पर विचार कर रही है ।

श्री समर मुखर्जी : यदि इसको पुनर्जीवित किया जाता है तो कर्मचारियों को दूसरी नौकरी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है । हम यह चाहते हैं कि इसको पुनर्जीवित किया जाए । यदि इसको पुनर्जीवित नहीं किया जाता है तो कम से कम कर्मचारियों को नौकरी से नहीं हटाया जाना चाहिये । जब तक अन्तिम रूप से उनको किसी दूसरी जगह नौकरी पर रखा जाता है तब तक इसको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए । क्या मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : लगभग 71 कर्मचारियों को नौकरी पर रख लिया गया है । सरकार अन्य कर्मचारियों को भी नौकरी देने के लिये विचार कर रही है । इसी बीच समाप्त करने के कार्य को रोक दिया गया था । जब भी कोई निर्णय ने लिया जायेगा तब इस बात की ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया जायेगा कि इन कर्मचारियों को किसी दूसरे सरकारी उपक्रमों में रोजगार दिया जाये ।

केरल को चावल का दिया जाना

*7. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान केरल को महीनावार कितना चावल दिया गया; और

(ख) इसी अवधि के दौरान केरल से कितने चावल की मांग की गई थी ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) : केरल की 1979 के दौरान केन्द्रीय पूल से चावल की मासिक मांग और आवंटन

मास	मांगी गई मात्रा	आवंटित की गई मात्रा
जनवरी	1,35,000	1,35,000
फरवरी	1,35,000	1,35,000
मार्च	1,35,000	1,35,000
अप्रैल	1,35,000	1,35,000
मई	1,35,000	1,35,000
जून	1,35,000	1,35,000
जुलाई	1,35,000	1,35,000
अगस्त	1,35,000	1,35,000
सितम्बर	1,35,000	1,35,000
अक्तूबर	1,35,000	1,35,000
नवम्बर	1,35,000	1,35,000
दिसम्बर	1,35,000	1,35,000

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या उनके ध्यान में इस बात को लाया गया है कि केरल को जो चावल सप्लाई किया गया है वह क्षतिग्रस्त तथा खराब है । यदि ऐसा है तो इस सम्बन्ध में उनके द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ताकि केरल को अच्छा चावल सप्लाई किया जा सके ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : हमारे ध्यान में इस बात को नहीं लाया गया है कि केरल को जो चावल सप्लाई किया गया था वह क्षतिग्रस्त था।

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या केरल से कोई शिकायत मिली है कि वहां के लिये जो चावल सप्लाई किया गया है वह क्षतिग्रस्त है ? क्या आप इस सम्बन्ध में जांच करायेंगे ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : एक शिकायत सामने आई थी कि केरल को सेला चावल सप्लाई किया गया था जिसको पकाने में काफी समय लगता है । हमने चावल की उस किस्म को केरल को सप्लाई करने से रोक दिया । यदि केरल के लोग सेला चावल को पसन्द नहीं करते हैं तो हम उनको इसके लिये बाध्य नहीं करेंगे ।

श्री के० ए० राजन : क्या इस सम्बन्ध में केरल की सरकार ने चावल की किसी किस्म के लिये अपनी इच्छा व्यक्त की है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : केरल सरकार ने अपने राज्य की जनता के लिये सेला चावल को सप्लाई करने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन यह भी कहा है कि गत समय में जो चावल सप्लाई किया गया था वह सन्तोषजनक नहीं था । हम चावल की किस्म को सुधारने के लिये सहमत हो गये हैं । हमने इस प्रकार की किस्म के चावल का उत्पादन करने के लिये मिल वालों को मना कर दिया है । हम चावल की किस्म को सुधारेंगे तथा केरल को सन्तोषजनक चावल सप्लाई किया जायेगा ।

डीजल की कमी

*8. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में डीजल की कमी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो यह कमी किस हद तक है और चालू वर्ष के लिए वार्षिक आवश्यकता और उपलब्धता कितनी है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

निर्माण एवं आवास तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) डीजल की सही-सही कमी बताना सम्भव नहीं है क्योंकि यह कई कारणों से उत्पन्न हुई है जिनका सही-सही मात्राकरण करना कठिन है । इन कारणों में मांग में तीव्र वृद्धि सम्मिलित है जो कि सड़क द्वारा माल के परिवहन, बिजली की कमी और देश के कुछ भागों में सूखे की परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है । और असम में अशान्ति की स्थिति के कारण उस राज्य में 3 शोधनशालाएं और बिहार में बरौनी शोधनशाला बन्द हो गई है जिससे प्रतिदिन 5000 मी० टन डीजल तेल के उत्पादन की हानि हो रही है । इसके कारण उन क्षेत्रों में एच०एस०डी० की उपलब्धता पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है जिन्हें इन शोधनशालाओं से सप्लाई प्राप्त होती थी और अन्य साधनों से जिन्हें आसानी से सप्लाई नहीं भेजी जा सकती । जिन क्षेत्रों को परम्परागत तौर पर उत्तर-पूर्वी भारत स्थित शोधनशालाओं और पाइपलाइन द्वारा असम, बिहार और उत्तर प्रदेश से सप्लाई भेजी जाती थी उनकी मांग को यथा सम्भव स्तर तक आयात द्वारा पूरा करने के लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं बशर्ते कि सड़क और रेल द्वारा परिवहन में कोई अपरिहार्य बाधाएं उत्पन्न न हों।

श्री ग्रमर राय प्रधान: मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह बात स्पष्ट है कि देश में डीज़ल की अत्यधिक कमी है। मंत्री महोदय ने उत्पादन तथा वितरण के लिये श्रावश्यक डीज़ल की मात्रा के सम्बन्ध में मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। लेकिन यह एक तथ्य है कि डीज़ल से चलने वाला यातायात विशेषकर उत्तरी बंगाल, उत्तरी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 70 प्रतिशत सड़कों पर चलना बन्द हो गया है। यह भी सच है कि जिन किसानों को पम्प सेटों तथा ट्रेक्टरों को चलाने के लिये डीज़ल मिलता था अब उनको नहीं मिल रहा है। यह भी बात सच है कि उत्तरी बंगाल तथा उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के चाय बागान क्षेत्रों में चाय बागान कारखानों को बन्द करने की स्थिति हो गई है। यह भी एक तथ्य है कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्र में डीज़ल की कमी के कारण खतरा पैदा हो गया है। इन परिस्थितियों में मंत्री महोदय से मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे 25 प्रतिशत डीज़ल के कोटे को पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मामले में पुनः श्रावंटित करना आरम्भ करेंगे जिसे पहली सरकार के शासन के दौरान अर्थात् 5 जनवरी, 1980 को कम कर दिया गया था? क्या मंत्री महोदय डीज़ल की कमी के संकट को दूर करने के लिये पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के लिये विशेष कोटे की व्यवस्था करेंगे?

श्री पी० सी० सेठी: जहां तक इस कटौती का सम्बन्ध है, पहली सरकार द्वारा 5-1-1980 को अर्थात् हमारे द्वारा सत्ता सम्भालने से बहुत पहले 20 से 25 प्रतिशत तक की कटौती को लागू किया गया था। अब यह कहा जा रहा है कि वर्तमान सरकार ने यह कटौती की है जो कि पूर्णतः एक झूठा प्रचार है।

श्री ग्रमर राय प्रधान: क्या आप उसका पुनः आवंटन करेंगे?

श्री पी० सी० सेठी: जहां तक आवंटन का सम्बन्ध है पहली सरकार द्वारा अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर में आवंटनों में वृद्धि की गई थी।

मैं यह बताना चाहता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में सप्लाई सामान्यतः 5 प्रतिशत अधिक थी। इसको 80,000 टन से बढ़ाकर 1 लाख टन कर दिया गया था। शेष राज्यों में इसकी अपेक्षा कोई वृद्धि नहीं की गई। इसीलिए वहां पर कमी है। जैसा कि मैं अपने वक्तव्य में कह चुका हूं विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में असम शोधनशाला तथा बरौनी शोधनशाला के बन्द होने के फलस्वरूप ही कमी है। हम अपनी ओर से इस कमी को दूर करने का पूरा-पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जहां तक देश के अन्य भागों अर्थात् राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल जो कि असम शोधनशालाओं पर निर्भर नहीं हैं, का सम्बन्ध है, पश्चिमी बंगाल में कोई भी कमी नहीं है।..... (व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी: पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग के बारे में आपका क्या ख्याल है?

श्री पी० सी० सेठी: मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि मैं कल मुख्य मंत्रियों मुख्य सचिवों, नागरिक आपूर्ति मंत्रियों तथा नौ राज्यों के सचिवों के साथ बैठक में भाग ले रहा हूं। 1 फरवरी, को मैंने उत्तरी क्षेत्र के राज्यपालों, उपराज्यपालों, मुख्य मंत्रियों तथा सभी सम्बन्धित सचिवों को इस स्थिति पर विचार करने के लिये बुलाया है। कल हमने रेल मंत्री महोदय के कमरे में विस्तार से बातचीत की थी जहां कि गृह मंत्री महोदय भी मौजूद थे तथा हम प्रबन्ध व्यवस्थाओं को और कड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल के बारे में माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बंगाल के कुछ ही भागों में कमी है। अन्यथा कोई कमी नहीं है।

श्री ग्रमर राय प्रधान: उत्तरी बंगाल के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री पी० सी० सेठी : मैं यह बता रहा हूं कि बंगाल के कुछ भाग में कमी है । असम शोधनशाला पर निर्भर रहने वाले बंगाल के कुछ भाग में कमी है । असम में कमी है । उत्तरी-पूर्वी बंगाल के कुछ अन्य भागों में कमी है । ऐसा नहीं है कि वहां पर तेल मौजूद नहीं है, लेकिन तेल के कुओं पर कार्य नहीं होने दिया जा रहा है । वहां पर पम्प के द्वारा तेल निकालने की अनुमति नहीं दी जा रही है । वास्तव में, यह तेल जिसे त्रिपुरा में भेजना था, के सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्यों की सन्तुष्टि के लिये यह बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने मुझसे कल भेंट की थी तथा यह बताया था कि वहां पर 31 तारीख को डीज़ल समाप्त हो जायेगा । उन्होंने टैंकरों को भरने के लिये गोहाटी में किसी स्थान तक भेजा था । उनको तेल से भरा जाना था लेकिन उनको छात्रों द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया । सौभाग्यवश, पुलिस गश्त ने इन टैंकरों को अपने संरक्षण में ले लिया । मुझे इस बारे में माननीय सदस्यों को यह सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि पुलिस संरक्षण के अन्तर्गत टैंकरों में तेल भरा गया तथा उनको ले जाया जा रहा है । दो दिन में त्रिपुरा की आवश्यकताओं के अनुसार डीज़ल मिल जायेगा । जिन्हें गोहाटी से पूरा किया जाना था । तथा त्रिपुरा के मुख्य मंत्री बहुत ही प्रसन्न हैं । इसके साथ ही यह सूचित करते हुए भी मुझे प्रसन्नता हो रही है कि गोहाटी शोधनशाला ने अपना कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है । मुझे इस बात की आशा है कि आसाम की दो अन्य शोधनशालाएं भी अगले दो-तीन दिन में अपना कार्य प्रारम्भ कर देंगी । मुझे यह भी उम्मीद है कि जिस कच्चे तेल को शोधन के लिये बरौनी भेजा जाता था उसे भी अगले एक अथवा दो सप्ताह में भेजना प्रारम्भ कर दिया जायेगा । इसी बीच हमारे पास टैंकरों की भी कमी रही है, विशेषकर सड़क टैंकरों तथा अन्य सभी प्रकार के टैंकरों की । किसी उर्वरक कारखाने के साथ समायोजन करके हम व्यवस्था करने का प्रयन्न कर रहे हैं तथा उर्वरक कारखाने से कुछ टैंकरों को वापस लेने का एक निर्णय ले लिया गया है । मैं इस समय उर्वरक कारखाने का नाम बताना नहीं चाहता हूं लेकिन हमने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं तथा पर्याप्त संरक्षण के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में भी टैंकरों को भेजा जायेगा जहां से उन क्षेत्रों को सप्लाई नहीं किया जा सकता । माननीय सदस्यों को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश तथा विहार राज्यों का सम्बन्ध है जो कि आसाम की सप्लाई पर निर्भर थे, वहां पर कमी है । लेकिन उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में कोई कमी नहीं है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसके आंकड़े भी दे सकता हूं । लेकिन यह पूर्णतः वितरण प्रणाली अच्छी न होने, चोर बाजारी तथा राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चोर बाजारी करने वालों तथा जमाखोरों के खिलाफ कार्यवाही करने में उदासीनता के कारण ही है । इस तथ्य के बावजूद भी कि अध्यादेश ने कानून का रूप ले लिया है इन दोनों राज्य सरकारों ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है । यहां पर कोई भी कमी नहीं है । इसके विपरीत राजस्थान को वास्तविक रूप में 15,619 टन हाई स्पीड डीज़ल का आवंटन किया गया तथा जनवरी के प्रथम पखवाड़े में उनको 19,304 टन की वास्तविक बिक्री की गई जो लगभग 4,000 टन अधिक थी । इसके बावजूद भी यह कोलाहल किया जा रहा है कि वहां पर पेट्रोल पम्प खाली पड़े हुए हैं । यह बात पूर्णतः अनुचित है । राजस्थान के पेट्रोल पम्पों को रात्रि में 12 बजे खोला जाता है तथा अधिमूल्य पर डीज़ल को किसी भी मात्रा में खरीदा जा सकता है । मध्य प्रदेश का भी यही हाल है ।

एक माननीय सदस्य : महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री पी० सी० सेठी : महाराष्ट्र में ऐसी समस्या नहीं है ।

श्री मगनभाई बारोट : गुजरात की क्या स्थिति है ?

श्री पी० सी० सेठी : गुजरात में भी कोई समस्या नहीं है ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई अच्छा तरीका नहीं है । मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये । उनके भाषण में रुकावट न डालिए ।

श्री पी० सी० सेठी : मुझे उनके प्रश्न का उत्तर देने दीजिये । अन्य माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न उठाया है और यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति देते हैं तो....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक विस्तृत विवरण दिया है । क्या इसके बावजूद भी सदस्य चाहते हैं कि और स्पष्टीकरण दिया जाये । **(व्यवधान)**

श्री पी० सी० सेठी : हमारे राज्य में भी यही समस्या है । महोदय अन्त में मैं माननीय सदस्यों से यही आग्रह करता हूं..... **(व्यवधान)** । यदि अध्यक्ष महोदय समय देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं कृपया रुकावट न डालिये ।

श्री पी० सी० सेठी : मैं यह बताना चाहता हूं कि आतंकित होने का कोई कारण ही नहीं है । आप लोगों ने पिछले तीन वर्षों में विशेषकर गत तीन-चार महीनों में सब कुछ बिगाड़कर रख दिया है । आप स्थिति को सुधारने के लिए हमें कम से कम 15 दिन का समय तो दीजिये ही और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि डीज़ल, मिट्टी का तेल, कच्चे तेल की कोई कमी नहीं रहेगी ।

श्री अमर राय प्रधान : मंत्री महोदय के उत्तर से यह बात स्पष्ट है कि उत्तरी बंगाल, उत्तरी बिहार तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में डीजल की तीव्र कमी है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या वे डीजल की कमी से प्रभावित इन क्षेत्रों में पत्तन शोधनशालाओं जैसे उपलब्ध संसाधनों से डीज़ल की सप्लाई करने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री पी० सी० सेठी : क्या माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि किसी अन्य व्यक्ति के भोजन में से उनको भोजन उपलब्ध कराया जाये ?

श्री अजय विश्वास : मंत्री महोदय ने सदन को सूचित किया है कि त्रिपुरा में तीव्र कमी है । आप जानते ही हैं कि आसाम में दंगे के होने के कारण त्रिपुरा को मिट्टी के तेल को ले जाने के कार्य को पूर्णतः बन्द कर दिया गया है । 75 प्रतिशत लारियों ने सड़कों पर चलना बन्द कर दिया है तथा इस समय कार्य करने वाले बेरोज़गार हैं । अतः क्या मंत्री महोदय हमें स्पष्ट रूप से यह बता सकते हैं कि त्रिपुरा को डीज़ल तथा मिट्टी के तेल को भेजने के लिये वे तुरन्त क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री० पी० सी० सेठी : उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये माननीय तथा प्रशासकीय प्रयासों अर्थात् गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सभी प्रकार से प्रयत्न जारी हैं । हम पूर्णतः सुव्यवस्था तथा समन्वय के साथ रात-दिन कार्य कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इससे तो माननीय सदस्य को सन्तुष्टि होनी चाहिये ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सरकार के नोटिस में आई है कि कुछ राज्यों में डीज़ल उपलब्ध नहीं हो रहा है तथा विशेषकर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की मिली भगत पर इसको बहुत ही ऊंची दर पर बेचा जा रहा है । यदि ऐसा है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि दोषी व्यापारियों तथा सरकारों को ऐसा करने से रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री पी० सी० सेठी : जनवरी के प्रथम पखवाड़े में उत्तर प्रदेश को 30,000 टन एच०एस०डी० का वास्तविक कोटा आवंटित किया गया था तथा 15 जनवरी तक उत्तर प्रदेश सरकार 34,472 टन एच० एस० डी० की बिक्री कर चुकी है । इस प्रकार माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि जहां

तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है हमने उन्हें न केवल अपेक्षित आबंटन किया है बल्कि वास्तव में उनको निर्धारित डीज़ल से भी 4,000 टन अधिक डीज़ल दिया है । आवश्यक वस्तु अधिनियम को राज्य सरकारों द्वारा लागू करना चाहिये तथा उचित ढंग से वितरण करने के लिये उनको कदम उठाने चाहियें । मुझे शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश के लिये जो कोटा आवंटित किया गया था उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भेज दिया गया जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा झांसी डिवीज़न में पूर्णतः अभाव रहा । दुर्भाग्यवश इस राज्य की ऐसी हालत है । राज्य के अन्तर्गत नागरिक आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व तथा चोरबाजारी को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । मैंने मुख्य मंत्रियों की उच्च स्पर पर एक बैठक बुलायी है ताकि उनसे यह आग्रह किया जा सके कि यह एक दलगत मामला नहीं है, इस मामले में हमें कोई मतभेद नहीं रखना चाहिए तथा हमें वास्तव में मिलकर कार्य करना चाहिये । मुझे विश्वास है कि वे इसकी ओर ध्यान देंगे ।

श्री बापू साहेब पेरुलेकर : इसी विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने बताया था कि डीज़ल की कमी नहीं है और उन्होंने कहा है कि देश में डीज़ल की बाढ़ आ जायेगी । मुझे विश्वास है कि आज भी वे उसी बात को दोहरा रहे हैं । अपने उत्तर में उन्होंने बताया है कि डीज़ल की मांग को पूरा करने के लिये डीज़ल का आयात करने की व्यवस्था की जा रही है । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि यदि देश में डीज़ल की बाढ़ लाने के लिये पर्याप्त डीज़ल है तो डीज़ल को आयात करने की क्या आवश्यकता है । क्या इसके लिये कोई आर्डर दिया गया है यदि हां, तो किस-किस देश को । तथा आयात किये जाने वाले डीज़ल की मात्रा तथा मूल्य क्या है ?

श्री पी० सी० सेठी : मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य अनभिज्ञ हैं । मैंने कहा था कि देश में डीज़ल की कमी नहीं है, इससे मेरा यह तात्पर्य नहीं था कि भारत कच्चे तेल तथा डीज़ल के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर है । भारत कच्चे तेल, डीज़ल तथा मिट्टी के तेल की अपनी आवश्यकताओं को देशीय उत्पादन तथा आयातों के जरिए पूरा कर रहा है । यदि माननीय सदस्य आयात पर व्यय को जानना चाहते हैं तो उसकी स्थिति यह है कि 'ओपेक' द्वारा मूल्यों में वृद्धि के कारण यह दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है । इसके साथ ही हमारे देश का उत्पादन भी बढ़ रहा है । लेकिन कानून तथा व्यवस्था के कारण ही यह समस्या हो रही है । अन्यथा हमारे देश के उत्पादन में भी कोई कमी नहीं है । जहां तक दूसरे देशों से व्यवस्था करने का सम्बन्ध है, हम इस ओर प्रयास कर रहे हैं । पहली सरकार इसकी व्यवस्था नहीं कर सकी क्योंकि दूसरे देश उनको तेल देने के इच्छुक नहीं थे । लेकिन हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब हमें मित्र देशों से, मध्य-पूर्व के देशों से जो हमारे पुराने मित्र थे और जो अब भी हमारे मित्र हैं, उन्होंने तेल देने की पेशकश की है । मुझे उम्मीद है कि हम उन देशों के साथ तेल को आयात करने की व्यवस्था करने में समर्थ होंगे । देश के हित में उन देशों के नाम बताना ठीक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 9 ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, जिसे स्वीकृत नहीं किया गया है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि······(**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगले प्रश्न को पुकारा है ।

कृषकों को लाभकारी मूल्य

*9. **श्री आर० पी० यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कृषकों को अपनी उपज के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव): (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार भली भांति जानती है कि कृषक की आय को स्थिर करने के लिए इसे लाभकर मूल्य देने की आवश्यकता है ताकि वह कृषि में पूंजी लगाकर कृषि उत्पादन को बढ़ा सकें । इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार, खाद्यान्न तथा वाणिज्यिक फसलों के साहाय्/अधिप्राप्ति मूल्यों को न केवल निर्धारित करती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इनको बढ़ाती भी रहती है ।

श्री आर० पी० यादव: इस देश में किसानों का सबसे अधिक शोषण किया जाता है । उनको लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं होता है । इसी कारण से देश में जूट की खेती दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है । मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि स्वयं मंत्री महोदय को एक किसान होने के नाते भी यह मालूम नहीं है कि किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है । इस सम्बन्ध में क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि एक कृषि उत्पाद के मूल्य को निर्धारित करते समय सरकार किन-किन विशेष बातों को ध्यान में रखती है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: समर्थन मूल्यों को कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है । इसके लिये पूंजी निवेशों, किसान का श्रम, बाजार की परिस्थितियां, किसी विशेष खाद्यान्न अथवा कृषि उत्पाद की कमी आदि सभी तत्वों को ध्यान में रखा जाता है । सरकार हमेशा यह प्रयास करती है कि किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा उसको अधिक उत्पादन के लिये प्रोत्साहित करने के लिये ही समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाये । मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि माननीय सदस्य ने यह कैसे कह दिया है कि मुझे यह पता ही नहीं है कि किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं ।

श्री आर० पी० यादव: प्रश्न के भाग (क) के लिये आपने यही उत्तर दिया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: आपने पूछा था :

"क्या सरकार को पता है कि कृषकों को अपनी उपज के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं ?"

मैंने कहा है कि मुझे पता नहीं है इसका तात्पर्य यह नहीं है मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

*1. **श्री एफ० एच० मोहसिन**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि शासक दल के चुनाव घोषणा-पत्र में दिए गए आश्वासन के अनुसार उसको अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा संशोधन कब तक किया जाएगा ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश करने का इरादा है ।

आदिवासी लोक नृत्यों के चित्र वाली डाक टिकटें जारी करना

*10. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे डाक टिकट जारी करने का निर्णय किया है जिन पर आदिवासी लोक नृत्यों के चित्र हों; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनमें मेघालय के गारों वांगला नृत्य को भी शामिल करने का है ?

संसदीय कार्य एवं संचार मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) भारत के आदिवासियों पर चार डाक-टिकटों की श्रृंखला का डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव है जिसके लिए सामग्री एकत्रित की जा रही है । आदिवासी लोक नृत्यों पर डाक टिकट जारी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

*11. **श्री सी० आर० महाटा** : क्या पट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंधन (पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल आदि) के मूल्यों में गत अगस्त मास से भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अशोधित तेल के आयात मूल्य में वृद्धि इसके लिये कहां तक उत्तरदायी है ?

निर्माण एवं आवास तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के 17-8-1979/11-9-1979 से प्रभावी मूल विक्रय मूल्यों में वृद्धि/कमी को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) अशोधित तेल और तैयार पेट्रोलियम उत्पादों की हमारी मांग का लगभग दो-तिहाई भाग आयात द्वारा पूरा किया जाता है । पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन (ओपेक) द्वारा वर्ष 1979 के लिए अशोधित तेल के मूल्यों में त्रैमासिक रूप से वृद्धियां घोषित की गई थीं, जिनमें बाद में संशोधन किया गया था और उनमें बहुत अधिक वृद्धि की गई जिसके कारण 1100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त भार पड़ा । देश के भीतर लागतों में कुछ वृद्धियां हो जाने के कारण 50 करोड़ रुपये के लगभग अतिरिक्त भार और बढ़ गया । 1150 करोड़ रुपयों में से 280 करोड़ रुपये प्रति वर्ष उत्पाद शुल्क कम करके प्राप्त किया गया और शेष 870 करोड़ रुपये की राशि का भार मूल्यों में वृद्धि करके उपभोक्ताओं पर डाल दिया गया ।

विवरण

अगस्त 1979 से प्रमुख शोधित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल बिक्री मूल्यों में की गई वृद्धि/कमी

उत्पाद	विक्रय एकक	17-8-79 से वृद्धि	11-9-79 से कमी
		रुपये	रुपये
1. एविएशन टर्बाइन फ्यूल	कि०ली०	740.00	
2. मोटर स्प्रिट 83 ग्राक्टेन	कि०ली०	350.00	
3. हाई स्पीड डीज़ल ग्रायल	कि०ली०	170.00	70.00
4. सुपीरियर केरोसीन ग्रायल . . .	कि०ली०	170.00	70.00
5. लाइट डीज़ल तेल	कि०ली०	320.00	
6. उर्वरक प्रयोग के लिए भट्ठी का तेल . . .	कि०ली०	शून्य	
7. गैर-उर्वरक प्रयोग के लिए भट्ठी का तेल . . .	कि०ली०	320.00	
8. बिटुमन स्ट० ग्रेड (बल्क)	मी० टन	500.00	
9. बिटुमन—पैक्ड	मी० टन	500.00	
10. गैर-उर्वरक प्रयोग के लिए नैफ्था . . .	मी० टन	1470.00	
11. उर्वरक प्रयोग के लिए नैफ्था . . .	मी० टन	शून्य	
12. तरल पेट्रोलियम गैस (एल०पी०जी०)—घरेलू . .	मी० टन	333.33	
13. तरल पेट्रोलियम गैस (एल०पी०जी०)—औद्योगिक .	मी० टन	333.33	
14. गैर उर्वरक प्रयोग के लिए लो सल्फर हैवी स्टाक (एल०एस०एच०एस०)	मी० टन	320.00	
15. उर्वरक प्रयोग के लिए लो सल्फर हैवी स्टाक (एल०एस०एच०एस०)	मी० टन	शून्य	

सार्वजनिक वितरण के लिए मध्य प्रदेश को पुराने गेहूं की सप्लाई

*12. **श्री एन० के० शेजवलकर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, ग्वालियर में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सार्वजनिक वितरण के लिए पुराने गेहूं की कितनी मात्रा सप्लाई की जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण के लिए सप्लाई किया जाने वाला गेहूं मानव द्वारा उपभोग किए जाने लायक नहीं है ; और

(ग) क्या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आरम्भ किए गए कार्यक्रमों और "काम के लिए अनाज कार्यक्रम" के लिए भी इसी किस्म का गेहूं दिया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) सार्वजनिक वितरण के लिए 5302 मीटरी टन गेहूं दिया गया था जोकि लगभग 1-2 वर्ष पुराना था । यह स्टाक अच्छी हालत में था और सरकार द्वारा निर्धारित किस्म संबंधी निर्दिष्टियों के अनुरूप था ।

(ख) जी नहीं।

(ग) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में शुरू किए गये कार्यक्रम अथवा "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" के लिए केवल मानव उपभोग के लायक गेहूं ही दिया गया था ।

शिक्षा नीति में मूल परिवर्तन

*13. **श्री राम विलास पासवान:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा नीति में मूल परिवर्तन करने का है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार रोज़गारोन्मुख शिक्षा पद्धति लागू करने का है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जो राष्ट्रीय नीति प्रारूप सभा पटल पर पहले रखा जा चुका है, उसका पुनरीक्षण करने का सरकार का इरादा है । तथापि यह सावधानीपूर्वक सोच विचार करने और समुचित परामर्शों के बाद किया जाएगा।

आवास संबंधी धन राशि का अनुचित इस्तेमाल

*14. **श्री पी०के० लकप्पा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में आवास-निर्माण के लिए आबंटित राशि का अनुचित इस्तेमाल किये जाने के संबंध में काम चलाऊ सरकार के खिलाफ एक जांच आयोग नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले की जांच के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) ऐसा कोई दुरुपयोग सरकार के ध्यान में नहीं आया है और इसलिए जांच आयोग बैठाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नवयुवकों तथा नवयुवतियों को यौन-शिक्षा

*15. **श्री जी०एम० बनातवाला :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन संख्या में हो रही वृद्धि की दर पर नियंत्रण करने के लिए तथा नवयुवकों तथा नवयुवतियों को जीवन की जटिलताओं का ज्ञान कराने के लिए विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नवयुवकों तथा नवयुवतियों को यौन-शिक्षा का ज्ञान दिए जाने पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के किशोरों को यौन-शिक्षा जैसी कोई शिक्षा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई स्कूली पाठ्यचर्या के विज्ञान पाठ्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित संकल्पनाओं को शामिल कर लिया गया है ।

हिमाचल प्रदेश के लिए पृथक डाक तार मंडल

*16. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश के लिए पृथक डाक-तार मण्डल बनाये जाने के लिए सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने मण्डल कार्यालय के लिए हिमाचल प्रदेश में (i) शिमला (ii) किसी अन्य स्थान में आवश्यक आवास की व्यवस्था करने की पेशकश की है ;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव क्या और किस प्रकार का था तथा कौन सी तिथि को दिया गया था ; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य एवं संचार मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) जी हां। हिमाचल प्रदेश में अलग से डाक तार सर्किलों के सृजन किये जाने के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप से मान लिया गया है।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) हिमाचल प्रदेश के लिए अलग से डाक तार सर्किल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश शासन से शिमला में उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार शिमला में उपयुक्त स्थान उपलब्ध न करा सकी और अक्तूबर 1978 में जोगिन्दर नगर में स्थान दिये जाने का उसने प्रस्ताव किया था। राज्य सरकार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया और यह आवश्यक समझा गया कि डाक तार सर्किल कार्यालय राज्य सरकार के मुख्यालय शिमला में ही रखे जाएं ताकि राज्य सरकार के साथ कारगर संपर्क बना रह सके।

मैसर्स कोसान गैस कम्पनी को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना

1. **श्री पीयूष तिरकी : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसान गैस कंपनी को भारत सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी दो सहायक फर्मों अर्थात् दिल्ली गैस कंपनी और नेचुरेल गैस कंपनी को भी कोसान गैस कंपनी के साथ अपने अधिकार में ले लिया है ; यदि हां, तो इन दो सहायक फर्मों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या उनके वेतन मान और ग्रेच्युटी आदि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के कर्मचारियों के समान होंगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके वेतनमान आदि क्या होंगे और यदि दोनों में असमानता रहेगी तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण एवं आवास तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। ये दो कम्पनियां पहले कोसन गैस कम्पनी के फुटकर एजेन्टों के रूप में काम कर रही थीं और अब ये हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० के फुटकर एजेन्ट के रूप में काम कर रही हैं।

(ग) और (घ) : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन कम्पनियों का सरकार अथवा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन (एच०पी०सी०एल०) द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया है, इन दो कम्पनियों के कर्मचारियों के वेतनमान, उपदान (ग्रेच्यूटी) आदि एच०पी०सी०एल० के कर्मचारियों के सामान किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण पुनर्निर्माण योजनाओं का आबंटन और निष्पादन

2. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण पुनर्निर्माण योजनाओं के सम्बन्ध में आबंटन करने, योजना बनाने, समन्वय लाने और निष्पादन करने के लिए उनका मंत्रालय केन्द्र और राज्यों में क्या भूमिका निभा रहा है;

(ख) उनके मंत्रालय के साथ कौन-कौन से विभाग सम्बद्ध हैं ;

(ग) उनके मंत्रालय ने वर्ष 1979-80 के लिए क्या-क्या कार्यक्रम तैयार किए हैं ; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें ग्रामीण विकास विभाग अब तक खोले जा चुके हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) इस मंत्रालय का पहला कर्त्तव्य निर्धन ग्रामीणों जिनमें लघु तथा सीमान्त किसान, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण कारीगर आदि शामिल हैं, की स्थिति में सुधार करना है । मंत्रालय राज्यों के सक्रिय सहयोग से समन्वित दृष्टिकोण तैयार करता है । कार्य-आबंटन नियमावली के अन्तर्गत इस मंत्रालय को आवंटित विषयों की एक सूची विवरण 1 में दी गई है ।

(ख) इस मंत्रालय का कोई अन्य विभाग नहीं है ।

(ग) इस मंत्रालय का सृजन अगस्त 1979 में किया गया था। वर्ष 1979-80 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की सूची विवरण 2 में दी गई है ।

(घ) सभी राज्यों में "ग्राम विकास" का विषय एक अथवा अधिक विभागों द्वारा देखा जाता है

विवरण 1

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय को आबंटित विषयों की सूची

1. पंचायती राज से सम्बन्धित सभी मामले।

2. भूमि सुधार, पट्टेदारी, भूमि अभिलेख, चकबंदी तथा अन्य संबंधित मामले ।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखत सभी मामले—

(क) ग्रामीण सड़कों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी ।

(ख) प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतिकरण, ग्रामीण जल-आपूर्ति (त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को छोड़कर), भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के लिए आवास तथा पोषाहार कार्यक्रम का नाडल उत्तरदायित्व ।

4. ग्रामीण बेरोजगारी को रोकने के लिए कार्यक्रम जिसमें "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम भी शमिल हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम ।

5. समन्वित ग्राम विकास जिसमें लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम आदि शामिल हैं ।

6. पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम तथा आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

7. ग्राम तथा कुटीर उद्योग ।

8. जन सहयोग जिसमें ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु स्वैच्छिक एजेंसियों से सम्बंधित सभी मामले शामिल हैं ;

9. ग्रामीण क्षेत्रों में मालगोदाम जिसमें ग्रामीण गोदाम भी शामिल हैं

10. नगर तथा ग्राम आयोजना, जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बंध है,

11. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बाजारों की स्थापना तथा कृषि उपज (श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन) अधिनियम, 1937,

12. इस सूची में दी गई मदों से सम्बद्ध सहकारी सोसायटियां,

13. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से सम्बंधित सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय तथा अन्य संगठन ।

विवरण 2

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1979-80 के दौरान कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की सूची

क्रम संख्या	योजना का नाम

1. कृषि विपणन योजनाएं

1. बाजार सर्वेक्षण तथा जांच-पड़ताल
2. एगमार्क श्रेणीकरण सुविधाओं को मजबूत बनाना
3. केन्द्रीय एगमार्क अनुसंधान तथा प्रशिक्षण
4. ग्रामीण बाजारों तथा पिछड़े क्षेत्रों में थोक बाजारों का विकास
5. चुने नियमित बाजारों का विकास
6. जम्मू तथा कश्मीर बागवानी निगम में निवेश लगाना

2. समन्वित ग्राम विकास योजनाएं

1. लघु किसान विकास एजेंसी
2. लघु सिंचाई के लिए विशेष उपदान
3. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम
4. पूर्ण रोजगार हेतु क्षेत्र आयोजना
5. कमाण्ड क्षेत्र विकास (समन्विय ग्राम विकास)
6. विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम मुर्गीपालन, सुअर पालन यथा भेड़ विकास
7. विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम, दोगली किस्म के बछड़े पालने की योजनाएं ।
8. ग्रामीण गोदामों का निर्माण
9. ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण

3. क्षेत्र विकास योजनाएं

1. मरू भूमि विकास कार्यक्रम

4. ग्रामीण विकास योजनाएं

1. राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान
2. सर्वोत्तम ग्राम सेवक तथा पंचायतों के चयन के लिए पुरस्कार प्रतियोगिता।
3. स्वच्छिक योजनाओं तथा सामाजिक कार्यवाही कार्यक्रम को बढ़ावा देना ।
4. व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम
5. लाभप्रद रोजगार के लिए खाद्यान्न

5. भूमि सुधार का योजनाएं

1. कृषि जोतों पर उच्चक सीमा को लागू करने के बारे में भूमि के नए उत्तराधिकारियों को सहायता ।

2. कृषि अध्ययनों के लिए संस्थानों आदि को सहायता-अनुदान

6. खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन की योजनाएं

1. खादी

2. ग्रामोद्योग

3. खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन के लिए सरकारी ऋणों पर ब्याज के बदले में उपदान ।

4. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ।

उड़ीसा राज्य में महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान

3. श्री गिरिधन गोमांगो :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में और विशेष रूप से राज्य के जनजातीय वाले तथा पिछड़े जिलों में स्थित उन सरकारी तथा गैर-सरकारी महाविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त हुआ है ;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये अनुदान का स्वरूप तथा राशि क्या थी ; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जन जातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों के गैर-सरकारी महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाया गया है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 101/80]

(ग) आयोग ने कालेजों को विकास अनुदान देने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किये हैं । उनके अनुसार तीन वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित करने वाले किसी कालेज में 400 छात्र तथा 20 अध्यापक होने चाहिएं जबकि दो वर्षीय पाठ्यक्रम चलाने वाले कालेजों में 270 छात्र और 15 शिक्षक होने चाहिएं । इन शर्तों में, जन-जातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालेजों के लिए ढील दे दी जाती है । ऐसे क्षेत्रों में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित करने वाले ऐसे कालेज जिनमें छात्रों की संख्या 300 तथा शिक्षकों की संख्या 15 है विकास अनुदान के पात्र होंगे और दो वर्षीय पाठ्यक्रम चलाने वाले उन कालेजों को भी, जिनमें 200 छात्र हैं तथा 10 शिक्षक हैं, ऐसे अनुदान संस्वीकृत किए जाएंगे । विकास अनुदानों के प्रयोजन के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी कालेजों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता ।

उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन

4. श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य के भूमि सुधार अधिनियम में हाल ही में संशोधन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें संशोधन के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इन संशोधनों पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करली थी, और

(घ) भारत सरकार ने उन पर किस प्रकार की स्वीकृति दी थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०बी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां । उड़ीसा राज्य विधानमण्डल द्वारा हाल ही में उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है ।

(ख) संशोधन विधेयक का उद्देश्य यह है कि :

(1) "परिवार" की अभिव्यक्ति को पुनः परिभाषित करना ताकि इसकी पहुंच से वयस्क पुत्रों और पुत्रियों को अलग किया जा सके (संशोधित परिभाषा केवल भविष्य के मामलों के लिए लागू होगी);

(2) भूमि स्वामियों को फालतू भूमि में उगाये गये वृक्षों की उपज को बेचने से वर्जित करना ;

(3) फालतू भूमि के बन्दोबस्त में खेती कर रहे काश्तकारों को प्राथमिकता देना ;

(4) उड़ीसा सर्वेक्षण और बन्दोबस्त अधिनियम, 1958 के अधीन जहां पर अधिकार अभिलेख पहली बार तैयार किए जाएं, वहां भूमि-स्वामियों को नई विवरणियां दाखिल करने के लिए अनुमति देना।

(5) मौजूदा प्रावधान को समाप्त करना जिसके अनुसार असमर्थता के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन-पत्र यदि 30 दिनों के भीतर नहीं निपटाया जाता तो उसे अस्वीकृत माना जाएगा ।

(6) कुछेक आवश्यक प्रक्रियात्मक परिवर्तन करना ।

(ग) उड़ीसा सरकार ने कुछेक संशोधनों के बारे में भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया था जब कि कुछ संशोधन नये थे ।

(घ) भारत सरकार ने कुछेक संशोधनों के बारे में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है । राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

मकानों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन

5. **श्री एन० के० शेजवलकर :**

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों द्वारा निजी मकानों के निर्माण के प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त मकानों के निर्माण के लिए धनराशि प्रदान करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है ; और

(घ) भवन-निर्माण सामग्री की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) निम्न आय वर्ग आवास योजना, मध्यम आय वर्ग आवास योजना, ग्रामीण आवास परि-योजना स्कीम तथा ग्रामीण आवास स्थल-सहित-गृह निर्माण योजना उपलब्ध हैं जिनके अन्तर्गत लोगों को अपना निजी मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है । सरकारी कर्मचारियों को भी अपना निजी

मकान बनाने के लिए गृह निर्माण अग्रिम दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, औद्योगिक कर्मचारियों तथा सामान्य जनता की सहकारी समितियों को अपने सदस्यों के लिए मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

(ग) जनता को अपने निजी मकान बनाने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से दिये जाने वाले ऋण के लिए योजना निधियां उपलब्ध हैं । गृह निर्माण के लिए जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, आवास तथा नगर विकास निगम, आवास विकास वित्त निगम तथा बैंकों द्वारा संस्थागत धन भी उपलब्ध कराया जाता है । केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिये गृह निर्माण अग्रिमों का प्रावधान किया जाता है ।

(घ) गतवर्ष के दौरान से केवल भवन निर्माण सामग्री की ही नहीं अपितु सभी जिन्सों की कीमतों में वृद्धि होती रही है सरकार ने संसद् में राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से पहले ही यह घोषित कर दिया है कि मूल्यों पर नियन्त्रण के लिए उपाय किए जायेंगे ।

सूखाग्रस्त राज्यों को दिया गया अनाज

6. **श्री एन०के० शेजवलकर** : : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1979 से दिसम्बर, 1979 तक किन-किन सूखाग्रस्त राज्यों को कुल कितना अनाज दिया गया है ;

(ख) मध्य प्रदेश को सबसे कम मात्रा में अनाज देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश को दी जाने वाली अनाज की मात्रा में कोई वृद्धि किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जून से दिसम्बर, 1979 तक सूखाग्रस्त राज्यों को सार्वजनिक वितरण पद्धति तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए खाद्यान्नों की सप्लाई की गयी मात्रा निम्न प्रकार थी :—

राज्य केन्द्रीय पूल	केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण पद्धति के लिए सप्लाई की गई मात्रा	काम के बदले अनाज तथा काम के बदले अनाज संबंधी विशेष कार्यक्रम के तहत निर्मुक्त किया गया खाद्यान्न
	(हजार मीटरी टन)	
आन्ध्र प्रदेश	120.2	200
बिहार	202.8	246
मध्य प्रदेश	269.2	230
हरियाणा	44.5	50
हिमाचल प्रदेश	22.1	17
उड़ीसा	106.9	205
उत्तर प्रदेश	517.8	429
राजस्थान	50.0	216
जम्मू तथा कश्मीर	118.4	22.5
महाराष्ट्र	560.7	116
पश्चिम बंगाल	1042.4	195
कुल	3055.0	1926.5

(ख) तथा (ग) : मध्य प्रदेश को सप्लाई की गई खाद्यान्न की मात्रा न्यूनतम नहीं है । जहां तक मध्य प्रदेश सरकार की सार्वजनिक वितरण पद्धति के लिए चावल तथा गेहूं की मांग का संबंध है उसे पूरा किया जा चुका है । मध्य प्रदेश सहित अन्य सूखाग्रस्त राज्यों की सार्वजनिक वितरण पद्धति तथा काम के वदले अनाज कार्यक्रम/काम के वदले अनाज संबंधी विशेष कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आवंटन की समुचित मांग को सार्वजनिक वितरण पद्धति से होने वाली खरीद तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपयोगिता की दर के आधार पर पूरा किया जाएगा ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों को आवास निर्माण ऋण का दिया जाना

7. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके संघटक तथा सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों को आवास निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्माचारियों की ही भांति ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दिए जाने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय कौन सी तिथि को लिया गया था ; और

(ग) उन अध्यापकों की संख्या क्या है जिन्हें अब तक ऋण स्वीकृत किया जा चुका है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय को सीधे कोई अनुदान नहीं देती है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, जो दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इसके संघटक और सम्बद्ध कालेजों को अनुरक्षण अनुदान देता है, विश्वविद्यालय तथा इसके कालेजों के कर्मचारियों को गृह-निर्माण अग्रिम के रूप में वित्तीय सहायता देने का अपना निर्णय 26-6-1979 को सूचित किया है ।

(ग) विश्वविद्यालय ने आवेदन-पत्र आमंत्रित किये हैं, परन्तु अभी तक कोई अग्रिम धन मंजूर नहीं किया है ।

नये सामुदायिक विकास खंड

8. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य/संसद सदस्य से नया सामुदायिक विकास खण्ड स्थापित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनके अनुरोधों पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है, और सामुदायिक विकास खण्डों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग-अलग कितने-कितने विकास खण्ड स्थापित किए गए हैं ;

(ग) नये विकास खण्डों की स्थापना करने सम्बन्धी मापदण्ड क्या है और आदिवासी विकास खण्ड घोषित किये गये खण्डों के नाम क्या हैं ; और

(घ) सामुदायिक विकास खण्डों तथा आदिवासी विकास खण्डों में विकास कार्यों के लिए किस प्रकार की सहायता दी जाती है ?

(कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री स्वामीनाथन) (क) भारत सरकार के पास ऐसा कोई अनुरोध लम्बित नहीं है । नवीनतम अनुरोध मेघालय सरकार से प्राप्त हुआ या जो राज्य में पहले से मौजूद 24 सामुदायिक विकास खण्डों की सीमाओं का पुनः समायोजन करते हुए 6 अतिरिक्त सामुदायिक विकास खण्डों के सृजन के बारे में है ।

(ख) भारत सरकार ने जून 1979 में राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। मेघालय में 6 सामुदायिक विकास खण्ड सृजित किए गए हैं।
ये खण्ड निम्नलिखित हैं :—

1. सोनापहार, पश्चिमी खासी हिल्स
2. माकिन्‌रयू., पूर्वी खासी हिल्स
3. नौगपाह, पूर्वी खासी हिल्स
4. अमलारेय, जयन्तिया हिल्स
5. रोंगारा, पश्चिमी गारो हिल्स ; और
6. सामन्दा, पूर्वी गारो हिल्स

(ग) सामुदायिक विकास खण्डों के सृजन के लिए कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं है। राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध पर उनको खण्डों के सृजन की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि योजना आयोग ऐसे सृजन के लिए अनुमोदन दे। जहां तक आदिवासी विकास खण्डों का सम्बन्ध है; उन्हें पुराने रूप में समाप्त कर दिया गया है। इसके बजाय, राज्य सरकारों द्वारा आदिवासी उप-योजनाएं तैयार की गई हैं और आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति को तीव्र करने के लिए समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाएं शुरु की गई हैं।

(घ) सामुदायिक विकास कार्यक्रम को 1-4-1969 से राज्य-क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास खण्डों को कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है। राज्य अपनी योजनाओं में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इन खण्डों की सहायता के लिए प्रावधान रखते हैं।

पैट्रोल और डीजल पम्पों तथा गैस एजेन्सियों का आबंटन

9. **श्री नरायण चन्द पाराशर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार किन-किन व्यक्तियों/पार्टियों/सोसायटियों को पेट्रोल पम्प/कुकिंग गैस एजेंसियां डीजल पम्प आवंटित किए गए हैं ;

(ख) इन पम्पों/एजेंसियों को प्रदान किए जाने का मापदण्ड क्या है;

(ग) स्वीकृति दिए जाने की क्या प्रणाली है;

(घ) क्या सरकार को उनके दिये जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

निर्माण एवं आवास तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) व्यक्तियों/पार्टियों, जिनको पेट्रोल/डीजल पम्प/गैस एजेंसियां दी गई थीं, की सूची सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है। इन वास्तविक और सांख्यिकीय सूचनाओं को एकत्र करना/संकलन करना खर्चीली एवं अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। संबंधित तेल कम्पनियों द्वारा रिकार्ड रखा जाता है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा जारी की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों की सभी प्रकार की एजेंसियों में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए 25 प्रतिशत, शारीरिक रूप से अपंगु व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षित हैं और शेष 73 प्रतिशत एजेंसियां वाणिज्यिक महत्व के आधार पर दी जाती हैं जिनमें वास्तविक एवं कार्य-कुशल उपभोक्ता सहकारी

समितियों और एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन्स को प्राथमिकता दी जा रही है। कोई भी ऐसे व्यक्ति, जिसका कोई संबंधी जैसे उसकी पत्नी, पिता, भाई अथवा पुत्र के पास किसी तेल कम्पनी की एजेंसी/डीलरशिप है, को एक नई एजेंसी/डीलरशिप नहीं दी जायेगी। सारी नियुक्तियां संबंधित क्षेत्र के समाचार-पत्र में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित करके की जाती हैं। अभ्यर्थियों का चयन संबंधित तेल कम्पनियों द्वारा इस उद्देश्य के लिये विधिवत गठित चयन समितियों द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। कुछ मामले प्राप्त हुए थे और सुधारक उपाय करने के लिए आवश्यक पूछताछ तुरन्त प्रारम्भ कर दी गई थी।

उड़ीसा में विसम, कटक और गुणापुर में टेलीफोन सुविधाएं

10. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वीकृत योजनाओं, विशेषतः उड़ीसा के कोरापुट जिले में विसम-कटक से गुणापुर तक टेलीफोन लाइन योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ख) टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइनों के साथ सम्बद्ध किये जाने वाले ब्लाकों तथा तहसील मुख्यालयों की संख्या कितनी है; और

(ग) उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले के लिए उड़ीसा सर्कल के पास कितने कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाने के लिए शेष हैं ?

संसदीय कार्य एवं संचार मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) विसम-कटक से गुणापुर भूमि लाइन के जरिए जोड़ने का मंजूर किया गया प्रस्ताव पावर सादृश्य के कारण तथा तकनीकी दृष्टि से असंभव होने के कारण रद्द कर दिया गया है। इस क्षेत्र की स्थलाकृति और पर्वतीय विशेषताओं के कारण भी उक्त लाइनों के लिए वैकल्पिक मार्ग संभव नहीं है।

(ख) श्रेणी जहां निम्न की व्यवस्था की जानी है

श्रेणी	टेलीफोन	तार
(i) तहसील मुख्यालय	2	2
(ii) ब्लाक मुख्यालय	10	8

(ग) वर्ष 1979 के लिए कार्यक्रम :

श्रेणी	टेलीफोन	तार
तहसील मुख्यालय	1	1
ब्लाक मुख्यालय	5	5

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धनराशि का आवंटन

11. श्री एफ०एच० मोहसिनः क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विगत तीन वर्षों में देश में विभिन्न शैक्षणिक एवं अन्य विश्वविद्यालयों को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ख) क्या यह सच है कि कुल आबंटित धन राशि का लगभग 70 प्रतिशत अंश केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों को और केवल 30 प्रतिशत अंश शेष अन्य विश्वविद्यालयों को आवंटित किया जाता है; और

(ग) क्या यह सच है कि अन्य विश्वविद्यालयों को दी गई कम धनराशि को देखते हुए शैक्षिक एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में उनके विकास की कोई संभावनाएं नहीं हैं

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटेल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित करना

12. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में सभी बस्तियों को नियमित करने का है ;

(ख) क्या तुगलकाबाद कालोनी को नियमित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) सरकार के आदेश के अनुसार, दिल्ली में 16 फरवरी, 1977 तक बसी कालोनियों, जिनमें क्रमशः 30 जून, 1977 तथा 16 फरवरी, 1977 तक बनी रिहायशी और वाणिज्यिक संरचनायें सम्मिलित हैं, को दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम द्वारा नियमित किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस कालोनी का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

प्रौढ़ शिक्षा योजना

13. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है कि प्रौढ़ शिक्षा योजना सफल नहीं रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रौढ़ शिक्षा के लिए आबंटित धनराशि का प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार करने के लिए उपयोग करने का विचार है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) प्रौढ शिक्षा की परियोजना प्रथम पंच वर्षीय योजना से ही शैक्षिक कार्यक्रमों का अंग रही है। जहां तक वर्ष 1978-79 में शुरू किए गए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इतनी जल्दी यह नहीं कहा जा सकता कि यह सफल रहा है या नहीं। डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति अक्तूबर, 1979 में नियुक्त की गई थी तथा समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार इस मामले के संबंध में विचार करेगी।

'काम के बदले अनाज' योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों के आबंटन का आधार

14. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'काम के बदले अनाज' योजना के अन्तर्गत राज्यों को खाद्यान्न आबंटित करने का कोई आधार है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का इस योजना में परिवर्तन करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) व (ख) जी हां। पहले दो वर्षों अर्थात् 1977-78 और 1978-79 के दौरान खाद्यान्न विभिन्न राज्यों को उनसे प्राप्त मांगों के आधार पर आबंटित किए गए थे। तथापि, चालू वर्ष अर्थात् 1979-80 में मांगें कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग में लाए जाने वाले उपलब्ध खाद्यान्नों की मात्रा से बहुत अधिक थीं। इसलिए आवंटन राज्यों की ग्रामीण जनसंख्या और गत वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर किए गए थे।

(ग) व (घ) फिलहाल कोई परिवर्तन विचाराधीन नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में प्राकृतिक गैस का पता लगना

15. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में प्राकृतिक गैस का पता लगा था ; और

(ख) यदि हां, तो उस स्थान का नाम क्या है जहां यह गैस पाई गई थी ?

निर्माण एवं आवास तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) और (ख) नसरपुर संरचना (पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश) में कुएं की खुदाई करते समय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को प्राकृतिक गैस का संकेत मिला था। इस कुएं की खुदाई 5000 मीटर तक करने की योजना है और अभी खुदाई जारी है। पूरी खुदाई और परीक्षण होने पर ही यह मालूम हो सकता है कि यह गैस किस प्रकार की है।

1980 ओलम्पिक खेल-कूद के स्थान में परिवर्तन

16. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटेन अथवा अमेरिका से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें 1980 के ओलम्पिक खेल-कूद को मास्को के स्थान पर कहीं और करने की बात कही गई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) 1980 के ओलम्पिक खेलों का स्थान मास्को से बदल देने का सुझाव संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ है। ओलम्पिक खेलों के स्थान के सम्बन्ध में निर्णय लेना पूर्णतः अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमेटी जो कि सरकारों के अधीन नहीं है, के अधिकार क्षेत्र में है।

पश्चिम बंगाल में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिए गेहूं और चावल]

17. **श्री चित्त बसु :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों और विशेषकर पश्चिम बंगाल में केन्द्र से गेहूं और चावल न मिल पाने के कारण 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम में हाल के महीनों में अत्यधिक बाधा उत्पन्न हुई है ;

(ख) यदि हां, तो चावल और गेहूं उपलब्ध न होने के क्या कारण थे;

(ग) गत छः महीनों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को कितना-कितना गेहूं और चावल दिया गया ;

(घ) क्या सरकार का इस कार्यक्रम को जारी रखने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) व (ख) : जी नहीं। राज्य सरकारों विशेषकर पश्चिम बंगाल को पर्याप्त खाद्यान्न बंटित किए गए थे तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम में हाल ही के महीनो में इस वजह से कोई बाधा उत्पन नहीं हुई।

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान विभिन्न राज्यों को किए गए गेहूं और चावल दोनों के आवंटनों आदि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) जी हां।

(ड) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1979-80 के दौरान सामान्य काम के बदले अनाज कार्यक्रम और विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित, बंटित तथा उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों को दर्शाने वाला विवरण।

(17-1-1980 की स्थिति)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	इनके अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न			कुल बंटित खाद्यान्न (मीटरी टन)	राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उपयोग में लाए गए कुल खाद्यान्न (मीटरी टन)
		सामान्य काम के बदले अनाज कार्यक्रम (लाख मीटरी टन)	विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम (लाख मीटरी टन)	योग (लाख मीटरी टन)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.280	0.720	2.000	2,00,000	1,16,067.00
2.	असम	0.310	—	0.310	5,000	अप्राप्त
3.	बिहार	1.960	1.000	2.960	2,46,000	1,30,346.19
4.	गुजरात	0.410	—	0.410	31,000	24,535.20
5.	हरियाणा	0.250	0.350	0.600	50,000	33,000.00
6.	हिमाचल प्रदेश	0.070	1.125	0.195	19,500	10,300.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	0.150	0.300	0.450	22,500	11,119.00
8.	कर्नाटक	0.460	—	0.460	23,000	9,562.86
9.	केरल	0.375	—	0.375	22,000	11,858.26
10.	मध्य प्रदेश	1.300	1.700	3.000	3,00,0000	1,48,821.00
11.	महाराष्ट्र	0.810	0.350	1.160	1,16,000	95,900.00
12	मणिपुर	0.020	0.020	0.040	500	500.00

1	2	3	4	5	6	7
13.	मेघालय	0.020	0.010	0.030	—	—
14.	नागालैण्ड	0.020	0.050	0.070	2,000	1,043.00
15.	उड़ीसा	1.440	0.610	2.050	2,05,000	94,511.72
16.	पंजाब	0.290	—	0.290	24,500	9,000.00
17.	राजस्थान	0.810	0.850	2.660	2,66,000	1,50,000.00
18.	सिक्किम	0.010	—	0.010	—	—
19.	तमिलनाडु	0.470	—	0.470	20,000	28,698.88
20.	त्रिपुरा	0.080	0.120	0.200	20,000	12,789.00
21.	उत्तर प्रदेश	2.040	2.750	4.790	4,29,000	2,20,000.00
22.	पश्चिम बंगाल	1.400	0.750	2.150	1,95,000	1,14,213.00
23.	अरूणाचल प्रदेश	0.0050	—	0.005	500	अप्राप्त
24.	मिजोरम	0.010	0.010	0.020	1,000	अप्राप्त
25.	पांडिचेरी	0.007	—	0.007	700	364.12
26.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	0.0006	0.005	0.0538	175	अप्राप्त
27.	चण्डीगढ़	0.005	—	0.0005	50	अप्राप्त
	योग	15.000*	9.720	24.720*	21,99,425	12,22,629.23

*इसमें छोटे राज्यों/किन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए आरक्षित 170 मीटरी टन शामिल हैं।

डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को बोनस के मांग एवं अन्य मांगें

18. **श्री चित्त बसु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी काफी समय से बोनस के लिए तथा अन्य मांगों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांगों पर इस बीच अपने विचार निर्धारित कर लिए हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के विचार क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विवाद को शीघ्र निपटाने के लिए कर्मचारियों के साथ द्विपक्षीय आधार पर बातचीत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य एवं संचार मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) तक रेल कर्मचारियों की भांति डाक-तार कर्मचारी भी बोनस की मांग करते आ रहे हैं। जब नवम्बर, 1979 में भारत सरकार ने रेल कर्मचारियों को बोनस देना मंजूर किया, तब तत्कालीन संचार मंत्री ने यह घोषणा की थी कि इसी

प्रकार की योजना डाक-तार कर्मचारियों के लिए भी सुलभ कराई जाएगी। उत्पादन से संवद्ध वोनस का उपयुक्त फार्मूला विचाराधीन है। इस संबंध में विभागीय परिषद् की संयुक्त सलाहकार तंत्र में प्रतिनिधियों से भी सलाह ली गयी है। इस योजना के संबंध में सरकार के विचारों को सूत्रवद्ध किया जा रहा है।

भूमि सुधार

19. **श्री चित्त बसु :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि सुधार के उपायों के कार्यान्वियन की गति धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) राज्य सरकारों को अब तक कुल कितनी भूमि दी गई है, राज्य-सरकारों ने कितनी भूमि बांटी है और प्रत्येक राज्य में कितनी भूमि फालतू बचने की आशा है, और

(घ) भूमि-सुधार के प्रभावशाली कार्यान्वियन के लिये सरकार का क्या विशेष कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) व (ख) भूमि सुधार के उपायों के कार्यान्वियन में हुई समग्र प्रगति को धीमी नहीं कहा जा सकता है। मध्यस्थ काश्तकारी का उन्मूलन, भूमि जोतों की उच्चक सीमाएं तथा काश्तकारों की हालत में सुधार विशेष उपलब्धियां हैं। अधिक संतोषजनक कार्यान्वियन में निम्नलिखित ये मुख्य रुकावटें रही हैं :—

(1) अदालतों में कानूनों को बार-बार चुनौतियां;

(2) सही तथा अद्यतन भूमि अभिलेखों का अभाव;

(3) सामान्यतः राजस्व मशीनरी की अपर्याप्तता के कारण प्रशासनिक विलम्ब;

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) भूमि सुधार राज्य का विषय है लेकिन भारत सरकार भूमि सुधारों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए वचनबद्ध है तथा भूमि सुधार कानूनों के कार्यान्वियन की गति में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह कर रही है। विशेषतः उच्चक सीमा से फालतू भूमि के वितरण से सबंधित कार्य में सुधार लाने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है।

विवरण

(क्षेत्र एकड़ में)

राज्य/किन्द्र शासित क्षेत्र	निहित क्षेत्र	वितरित क्षेत्र	अनुमानित फालतू क्षेत्र
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	11,19,897	2,49,479	11,19,897
2. असम	5,74,073	3,07,475	5,74,073
3. बिहार	2,35,562	1,31,397	3,00,000
4. गुजरात	49,121	शून्य	65,000
5. हरियाणा	14.647	4,508	30,380
6. हिमाचल प्रदेश	1,69,541	3,949	2,02,454
7. जम्मू तथा कश्मीर०*	—	—	—

1	2	3	4
8. कर्नाटक	1,31,429	37,597	4,00,000
9. केरल	1,16,170	47,665	1,50,000
10. मध्य प्रदेश	2,62,747	70,556	2,62,747
11. महाराष्ट्र	3,63,496	2,78,696	4,00,000
12* मणिपुर	352	शून्य	2,316
13. उड़ीसा	1,28,126	96,636	2,00,000
14. पंजाब+	30,230	4,815	30,230
15. राजस्थान	2,46,832	1,20,639	7,94,000
16. तमिल नाडु	59,851	41,810	1,68,453
17. त्रिपुरा	1,950	722	4,850
18. उत्तर प्रदेश	2,87,606	2,10,043	2,87,606
19. पश्चिम बंगाल	1,24,143	36,943	1,72,399
20. दादरा तथा नागर हवेली	8,967	3,192	9,390
21. दिल्ली	780	शून्य	1,500
22. पांडिचेरी	2,200	803	3,012
योग :	39,27,720	16,46,925	51,78,307

*भूमि सुधार अधिनियम, 1976 केवल हाल ही में बनाया तथा लागू किया गया है तथा की की गई प्रगति से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

+पंजाब राज्य के मामले में क्षेत्र को मानक एकड़ों में दर्शाया गया है।

राज्यों को डीजल तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई

20. **श्री चित्त बसु :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः महीनों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितना कितना डीजल तेल तथा मिट्टी का तेल दिया गया है ?

निर्माण एवं आवास तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : 1 जुलाई, से 31 दिसम्बर, 1979 की अवधि के दौरान राज्यवार सप्लाई की गई हाई स्पीड डीजल तेल और मिट्टी के तेल की मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

विवरण

(आंकड़े मी० टनों में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1 जुलाई और 31 दिसम्बर, के बीच सप्लाई की गई हाई स्पीड डीजल तेल की मात्रा	1 जुलाई और 31 दिसम्बर के बीच सप्लाई की गई मिट्टी के तेल की मात्रा
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	412,136	143,838
2.	असम	71,590*	51,815*

1	2	3	4
3.	बिहार	231,813	101,210
4.	गुजरात	238,623*	154,358*
5.	हरियाणा	142,020	34,511
6.	हिमाचल प्रदेश	22,080	7,407
7.	जम्मू एण्ड काश्मीर	40,094	11,953
8.	कर्नाटक	231,757	102,753
9.	केरल	156,075	60,500
10.	मध्य प्रदेश.	272,337	86,611
11.	महाराष्ट्र	591,310	387,491
12.	मणिपुर	8,360*	3,371*
13.	मेघालय	5,580*	2,637*
14.	नागालैण्ड	3,795*	1,777*
15.	उड़ीसा	27,039	33,835
16.	पंजाब	293,648	63,688
17.	राजस्थान	261,348	58,834
18.	सिक्किम	1,147*	1,452*
19.	तमिल नाडू	426,700	162,270
20.	त्रिपुरा	4,215*	4,242*
21.	उत्तर प्रदेश	535,169	178,330
22.	पश्चिम बंगाल	278,902	182,670
23.	अण्डमान	3,890*	510*
24.	अरुणाचल	4,555*	1,124*
25.	चण्डीगढ़	8,487	4,027
26.	दिल्ली	175,152	52,917
27.	गोवा, दमन और दिव	25,063*	5,582*
28.	मिजोरम	2,338*	932*
29.	पाडिचेरी	11,548	3,164

नोट :—दिसम्बर के बिक्री आंकड़े अस्थायी हैं।

*दिसम्बर, 1979 के बिक्री आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

ग्रामीण निर्धन

21. **श्री रजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ग्रामीण निर्धन दिन-प्रतिदिन अधिक निर्धन होते जा रहे हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन): (क) आयोजना की अवधि में निर्धनता के प्रभाव की प्रवृतियों को स्पष्ट रूप से स्थिर नहीं किया गया है और उपभोज्य व्यय तथा अन्य सम्बन्धित घटकों के आंकड़ों की तुलना से यह पता नहीं चलता है कि गरीब ग्रामीणों के रहन-सहन के हालात बिगड़ रहे हैं यद्यपि यह स्पष्ट है कि कृषि की पैदावार के विस्तार और गैर-कृषि क्षेत्र में उत्पादन से बढ़ती हुई ग्रामीण जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो सके। छठी योजना के प्रारूप प्रलेख में यह दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में लगाए गए निवेश जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गरीब वर्गों को विभिन्न स्तरों पर लाभ पहुंचता है, के अलावा सरकार के पास निम्नलिखित विशिष्ट कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य गरीब ग्रामीणों के रहन-सहन के हालातों में सुधार करना है :—

1. समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि राज्य द्वारा सुलभ किए गए उपदानों तथा बैंकिंग संस्थाओं द्वारा सुलभ किए गए ऋणों के संयोजन से गरीब ग्रामीणों के परिवारों को आय पैदा करने वाली परि-संपत्तियां तथा स्व-रोजगार सुलभ करके उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाए। देश के कुल 5,000 खण्डों में से 2,600 खण्डों में यह कार्यक्रम अब कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड में प्रति वर्ष 300-400 निर्धन परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता की जाती है।

2. लघु किसान तथा सीमान्त किसान विकास एजेंसी

169 एजेंसियां, जिनके अन्तर्गत 201 जिले और 1818 खण्ड आते हैं, अब काम कर रहीं हैं तथा ये एजेंसियां लघु तथा सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए उपदान सुलभ कर रही हैं और उनके लिए ऋण की व्यवस्था कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर 77.13 लाख भागीदारों को वास्तविक रूप से सहायता पहुंचाई गई है तथा सहायता सुलभ करने हेतु 165.17 लाख भागीदारों का चयन किया गया है।

3. काम के बदले अनाज कार्यक्रम

रोजगार के माध्यम से केवल निर्धन ग्रामिणों को सहायता सुलभ करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम 1977 में शुरू किया गया था। 3.803 मिलियन टन खाद्यान्न योजना के अधीन नियोजित किए गए निर्धन ग्रामीणों को वेतन के रूप में सुलभ किया गया है तथा यह अनुमान किया जाता है कि 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान इस कार्यक्रम से 428.22 मिलियन श्रम दिनों का रोजगार सृजित किया गया था। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में भी जारी किया जा रहा है।

4. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

चिरकालिक सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पर्यावरण की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए ऐसे क्षेत्रों में जनता के गरीब से गरीब वर्गों की आय में स्थिरता और सुधार लाने के उद्देश्य से 13 राज्यों के 74 जिलों में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का विस्तार देश के क्षेत्र के 1/5 भाग में तथा जनसंख्या के 12 प्रतिशत तक किया गया है। कार्यक्रम को छठी योजना में भी जारी रखा जा रहा है।

5. कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम

यह कार्यक्रम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित संभाव्यता का उपयोग करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था तथा इस कार्यक्रम के लाभ अतिरिक्त रोजगार के अवसरों तथा भूमि विकास आदि के माध्यम से निर्धन ग्रामीणों को पर्याप्त रूप से प्राप्त होते हैं। 42 कमाण्ड क्षेत्र प्राधिकरण चल रहे हैं तथा यह कार्यक्रम अभी भी चल रहा है।

6. स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना

यह योजना चालू वर्ष में शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवा पुरुषों तथा महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। स्वरोजगार हेतु योजनाओं को शुरू करने के लिए चालू वर्ष में प्रत्येक खण्ड में औसतन कम से कम 40 युवा पुरुषों तथा महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। यह योजना सम्पूर्ण देश में शुरू की गई है तथा प्रशिक्षण के पूरा होने पर लाभभोगियों को अपने उद्यम शुरू करने के लिए उपदान तथा ऋण सुलभ किए जाने हैं।

ग्वालियर (मध्य प्रदेश) से दिल्ली और भोपाल के लिए एस०टी०डी० सेवा

22. श्री एन०के० शेजवलकर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर (मध्य प्रदेश) से दिल्ली और भोपाल के लिये एस० टी० डी० सेवा कब शुरू होगी और इसकी व्यवस्था में हो रह इस अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या ग्वालियर से दिल्ली और भोपाल तक की टेलीफोन लाइनें सदैव खराब रहती हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दिसम्बर, 1979 में कुल कितने दिन और इन दिनों में कितने-कितने समय के लिए लाइनें खराब रहीं ?

संसदीय कार्य एवं संचार मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) ग्वालियर से दिल्ली और भोपाल के लिये एस० टी० डी० सेवा क्रमशः वर्ष 1980 के मध्य तथा अन्त तक आरम्भ कर दी जायगी। इन मार्गों में एस० टी० डी० सेवा चालू करने में देरी इसलिए हुई, क्योंकि संबंधित स्टेशनों को जोड़ने वाले उपर्युक्त रेडियो उपस्कर समय पर उपलब्ध न हो सके।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिसम्बर, 1979 के दौरान मार्ग में आउटलेट उपलब्ध न होने के कारण कितने दिन लाइनें बंद पड़ी रहीं उनकी संख्या :—

3 दिन — ग्वालियर — भोपाल मार्ग पर

8 दिन — ग्वालियर — नई दिल्ली मार्ग पर,

आउटलेट उपलब्ध न होने के कारण हुए अवरोध की अवधि अनुबन्ध में दर्शायी गई है।

विवरण

अनुबन्ध

(वह अवधि, जिसमें सभी सर्किटों में अवरोध उत्पन्न हुआ और मार्ग पर कोई आउटलेट उपलब्ध नहीं था)।

(क) ग्वालियर से भोपाल मार्ग पर —(कुल सर्किट — 5)

तारीख	आउटलेट उपलब्ध न होने की अवधि
	घंटा मिनट
1-12-79	02.00
20-12-79 . .	06.45
21-12-79	10.30

(ख) ग्वालियर से नई दिल्ली मार्ग पर—(कुल सर्किट —4)

तारीख	आउटलेट उपलब्ध न होने की अवधि
	घंटा मिनट
2-12-79	10.15
5-12-79	1.45
9-12-79	0.15
12-12-79	0.15
16-12-79	1.15
20-12-79	8.30
25-12-79	11.30
26-12-79	13.00

मध्य प्रदेश को डीजल और मिट्टी के तेल का आबंटन

23. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर और दिसम्बर, 1979 के दौरान मध्य प्रदेश को, विशेषकर ग्वालियर जिले को डीजल और मिट्टी के तेल का कितना प्रति व्यक्ति कोटा आबंटित किया गया और उत्तर प्रदेश को आबंटित कोटे से यह कितना कम था और मध्य प्रदेश को इन वस्तुओं का कम कोटा आबंटित करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल की सप्लाई का कोई विशेष प्रबन्ध करने का है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या मिट्टी के तेल की सप्लाई के मामले में मध्यम आय वर्ग के लोगों और गरीब श्रमिकों को ऐसी ही प्राथमिकता दी जाएगी ?

निर्माण एवं आवास तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) डीजल और मिट्टी के तेल के प्रति व्यक्ति आबंटन के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। इस विषय में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) संघ शासित प्रदेशों और राज्यों को पेट्रोलियम विभाग द्वारा डीजल का मासिक आबंटन किया जा रहा है। राज्य के भीतर उनके विभिन्न भागों में डीजल का वास्तविक वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं को सप्लाई किये जाने वाले डीजल के लिए राज्य सरकार डीजल की मात्रा निर्धारित करती है और ऐसा करते समय ऐसे राज्यों की स्थानीय स्थितियों के आधार पर किसानों के हितों का ध्यान रखा जाता है। तेल कंपनियां राज्यों द्वारा किये गये आबंटन का अनुसरण करती हैं और फुटकर बिक्री केन्द्रों को डीजल की सप्लाई करने की व्यवस्था करती हैं। तथापि राज्य सरकारों को कृषि क्षेत्र में डीजल सप्लाई करने के मामले में उच्च प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

(ग) मिट्टी के तेल का फुटकर वितरण राज्य सरकारों का दायित्व है जिन्हें इस उत्पाद के विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं में कुल उपलब्धता में से उचित एवं न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

पैट्रोलियम उत्पादकों की उपलब्धता

24. श्री राम विलास पासवान :

श्री एफ०एच० मोहसिन :

श्री के० लकप्पा : क्या पैट्रोलियन और रसायन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय उपलब्ध पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा क्या है ;

(ख) क्या वे देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में क्या उपाय कर रही है ?

निर्माण एवं आवास तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) चालू वित्तीय वर्ष (1979-80) के लिए सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मांग 30 मिलियन मी० टन के लगभग होने का अनुमान लगाया गया है । देश में चालू वर्ष के दौरान शोधनशालाओं से उत्पादन की कुल पूर्वानुमानित उपलब्धता लगभग 26 मिलियन मी० टन होगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 1979-80 के दौरान कमी को पूरा करने के लिए लगभग 5 मिलियन मी० टन पैट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं ।

पब्लिक स्कूलों को खत्म करना

25. श्री आर० पी० यादव

श्री राम विलास पासवान : क्या शिक्षा मंत्री, यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शिक्षा सम्बन्धी समानता को ध्यान रखते हुए क्या सरकार पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने के विषय में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक, और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी क्या कारण हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) देश में पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने के प्रश्न पर कुछ समय पूर्व विचार किया गया था और सरकार को दी गई कानूनी राय यह थी कि जहां तक अल्पसंख्यकों द्वारा प्रवन्धित पब्लिक स्कूलों का सम्बन्ध है, पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने की किसी भी कार्रवाई से संविधान के अनुच्छेद 30 का उल्लंघन होगा, और जहां तक गैर-अल्पसंख्यक पब्लिक स्कूलों का सम्बन्ध है, ऐसी कार्रवाई से संविधान के अनुच्छेद 19(छ) का उल्लंघन होगा ।

सरकारी आवास के आवंटन संबंधी नियमों का समान रूप से लागू किया जाना

26. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 1975 में आदेश जारी किए थे जिनमें सरकारी कर्मचारियों को यह निदेश दिया गया था कि जिन कर्मचारियों के पास दिल्ली में अपने निजी मकान हैं वे सरकारी आवास को खाली कर दें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1977 में सरकार ने उक्त आदेशों को संशोधित करके अपना निजी मकान रखने वाले कर्मचारियों को सामान्य शुल्क पर ही सरकारी आवास में रहते रहने की अनुमति दे दी थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी आवास खाली कर दिए थे उनकी आवंटन सम्बन्धी वरीयता की तारीख को बदलकर जून, 1977 कर दिया गया था, जिससे उनका अहित हुआ है ;

(घ) क्या यह भी सच कि सरकारी आवास के आवंटन के पश्चात् यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपना निजी मकान बना लेता है तो इसे सरकारी आवास में रहते रहने की अनुमति है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इन नियमों में कोई संशोधन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि ये नियम सभी मकान मालिकों पर समान रूप से लागू हों।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सितम्बर, 1975 में आदेश जारी किये गये थे कि वे सरकारी कर्मचारी जिनके पास अपने मकान हैं, 1-1-76 से सरकारी आवास के पात्र नहीं होंगे। तथापि, जो सरकारी वास के दखल में थे उन्हें यह विकल्प दिया गया था कि वे या तो सरकारी वास खाली कर दें या मार्किट दर पर लाइसेंस फीस देकर वास को रख सकते हैं ।

(ख) इन आदेशों में संशोधन किया गया जिसमें उन अधिकारियों को जिनके अपने मकान हैं 1 जून, 1977 से वास के आवंटन का पात्र इस प्रावधान के साथ बना दिया गया कि ऐसे अधिकारियों से निम्नलिखित दरों पर लाइसेंस फीस ली जाए :––

(i) यदि उनके निजी मकान से किराया की आय 1000 रुपये प्रतिमास से अधिक न हो, तो सामान्य दर ।

(ii) यदि किराये से आय 1000 रुपये प्रतिमास से अधिक हो लेकिन 2,000 पये प्रतिमास से अधिक न हो मार्किट लाइसेन्स फीस का 50 प्रतिशत ।

(iii) यदि मासिक किराये से आय 2,000 रुपये से अधिक हो तो मार्किट लाइसेन्स फीस ।

(ग) तथापि, सरकार ने यह निर्णय लिया कि निजी मकान वाले सभी अधिकारियों की अग्रता की तारीख 1 जून, 1977 या उसके बाद की, जैसी भी स्थिति हो, मानी जाएगी ।

(घ) जी, हां, लाइसेन्स फीस की अदायगी की शर्त पर, जैसा कि उत्तर के भाग (ख) में दिया गया है ।

(ङ) फिलहाल, नियमों में परिवर्तन करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि मौजूदा आदेश सभी निजी मकान वाले अधिकारियों पर समान रूप से लागू होते हैं ।

पंचायती राज संस्थाओं पर अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट

27. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में अशोक मेहता समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की है ;

(ख) कृत कार्यवाही का स्वरूप क्या था तथा प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र द्वारा स्वीकृत की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्यों के मार्गदर्शन हेतु कोई आदर्श कानून बनाने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क), (ख) व (ग) अशोक मेहता पंचायती राज संस्था समिति की मुख्य सिफारिशों पर मई, 1979 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई मुख्य मंत्रियों की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था । इन बातों पर सामान्य सहमति थी—(1)यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पंचायती राज संस्थाओं को असामान्य परिस्थितियों के अलावा अधिक्रांत न किया जाए (2) पंचायतों के लिए पर्याप्त शक्तियों तथा कर्त्तव्यों और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की आवश्यकता तथा (3) कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा हेतु प्रावधान । कुछ अन्य मुख्य सिफारिशों के बारे में जनमत उनको स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था । बाद वाली सिफारिशों तथा मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में तैयार हुआ जनमत संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

(घ) जी हां । एक आदर्श विधान जिसमें मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में हुआ जनमत शामिल है, को तैयार किया जा रहा है ।

विवरण

सिफारिशें	जनमत
1. पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा	
द्विस्तरीय पंचायती राज ढ़ांचा होना चाहिए अर्थात् जिलास्तरीय जिला परिषद् और 15,000 से 20,000 की जनसंख्या वाली मण्डल पंचायत। विद्यमान पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को क्रमशः जिला परिषदों और मण्डल पंचायतों की गैर-सांविधिक कार्यकारी समितियों में परिवर्तित किया जाना चाहिए ।	मण्डल पंचायतों की संरचना को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ । तथापि, सहमति यह हुई कि हालांकि बड़े राज्यों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली अर्थात् पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद हो सकती है, परन्तु छोटे राज्यों में द्विस्तरीय पद्धति अर्थात् ग्राम पंचायत और पंचायत समिति होनी चाहिए ।
2. चुनाव और राजनीतिक दलों का भाग लेना :	
(1) विभिन्न निकायों की अवधि 4 वर्ष होनी चाहिए । (2) सभी निकायों के प्रत्यक्ष चुनाव साथ-साथ होने चाहिए । (3) पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए ।	प्रत्यक्ष चुनाव ग्राम पंचायत स्तर पर हो सकते हैं तथा उसके बाद के स्तरों को अप्रत्यक्ष चुनावों से पूरा किया जा सकता है । जैसी कि कुछ राज्यों में प्रथा है, सरपंचों और ग्राम पंचायतों के सर्वसम्मत चुनावों के लिए प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए । समिति और जिला परिषद स्तरों पर राज्य विधान सभाओं के सदस्यों और संसद् सदस्यों को पंचायती राज संस्थाओं के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए । तथापि, राजनीतिक दलों को ग्राम पंचायतों के चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पांच वर्ष होना चाहिए ।
3. सांविधिक संशोधन	
पंचायती राज संस्था समिति ने कुछ सत्रों में दिए गए सुझाव पर विचार-विमर्श किया है कि पंचायती राज संस्थाओं की अपेक्षित स्तर एवं निरन्तर कार्य करने का आश्वासन भी सुलभ करने के उद्देश्य से संविधान में उपयुक्त प्रावधान	राज्यों को संविधान के अन्तर्गत विशेष रूप से सौंपे कार्यों में केन्द्र का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है । अतः पंचायती राज संस्थाओं के बारे में आवश्यक प्रधान राज्य के कानूनों में उपलब्ध किये जाने चाहिए ।

होना चाहिए। समिति कुछ इस प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता पर सहमत हो गई है तथा उसने इच्छा व्यक्त की है कि भारत सरकार को इस पहलू पर ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिए।

4. न्याय पंचायतें

न्याय पंचायतों को विकासात्मक पंचायतों से पृथक रखा जाना चाहिए। योग्यता प्राप्त न्यायाधीश को उनकी अध्यक्षता करनी चाहिए तथा निर्वाचित पंचों को न्याय पंचायतों की न्यायपीठ के सदस्यों के रूप में कार्य करना चाहिए किन्तु उन क्षेत्रों के मामले में जिनसे वे निर्वाचित हुए हैं ऐसा नहीं होगा।

न्याय पंचायतों से छोटे झगड़ों, साधारण चोटों के छोटे मामलों, छोटे विवादों आदि पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे मामलों पर स्वयं ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायत द्वारा उस प्रयोजन के लिए गठित समिति निर्णय दे सकती है। न्याय पंचायत का उद्देश्य समझौता करवाना और मध्यस्थता से मामलों को सुलझाना होना चाहिए।

कालपात्र को खोद कर निकालने पर व्यय

28. **श्री रामायण राय:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार ने कालपात्र को खोदकर निकालने पर कितना धन व्यय किया?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : रु० 17,497 (सत्तरह हज़ार चार सौ और सत्तानवे रुपये केवल)

पेयजल योजनाएं

28क. **श्री राजगोपाल नायडू** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है जहां पीने का ताजा पानी उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन क्षेत्रों में पेय जल की समस्या को हल करने के लिये सरकार के पास क्या प्रस्ताव है जहां भूमिगत जल में क्लोरीन, नाइट्रेट और खारापन है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) तथा (ख) पेय जल स्त्रोतों का सर्वेक्षण केवल राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। वे न केवल भूमिगत स्त्रोतों का पता लगाते हैं अपितु, झरने, नदियों, झीलों, इत्यादि जैसे सतही स्त्रोतों का भी पता लगाते हैं। केन्द्रीय सरकार के पहल पर राज्य सरकारों ने कठिन तथा जलाभाव वाले गांवों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया है ऐसे गांवों के लिए मानदण्ड निम्नलिखित थे:—

(क) ऐसे गांव जहां पर 15 मीटर की गहराई तक या 1.6 किलोमीटर की दूरी तक जल उपलब्ध नहीं था।

(ख) ऐसे गांव जो हैज़े के स्थानिकमारी से ग्रस्त थे या जिनमें नेहरुओं की समस्या थी।

(ग) ऐसे गांव जिनके पानी में लोहा, फ्लोराइड इत्यादि जैसे रसायन की बहुतता के कारण जल असुरक्षित था। विभिन्न राज्यों द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर 1972 तक लगभग 1.53 लाख ऐसे गांवों का पता लगाया गया था।

(ग) पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों की है, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के संसाधनों की पूर्ति के लिए तथा समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था की प्रगति को बढ़ाने के लिए त्वरित ग्रामीण पेय जल योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान देती है। ये योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाती हैं तथा उनके द्वारा निश्चित • गयी प्राथमिकता के अनुसार कार्यान्वित की जाती है।

देश में त्व. रत ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिये अनुदान के रूप में निम्नलिखित राशि दी गयी है तथा अनुमान लगाया गया है कि 30,000 समस्याग्रस्त ग्राम इसके अन्तर्गत आ जायेंगे :—

1977-78	37.65 करोड़ रुपये
1978-89	59.01 करोड़ रुपये

326 करोड़ रुपये का कुल योजना प्रावधान बनाया गया है।

चालू वर्ष के लिये इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गयी 60 करोड़ रुपये को राशि में से लगभग 45 करोड़ रुपये का नियतन पहले ही विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिये कर दिया गया है और आगे सहायता देने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त ऐसे ग्रामों को जलपूर्ति व्यवस्था हेतु योजना विवरणों के विस्तृत जांच पड़ताल तथा बनाने के लिये भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों में प्रबोधन एवं अन्वेषण एककों की स्थापना के लिये भी सहायता दी है। ऐसे एककों को 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान दी गई राशि निम्नलिखित हैं :—

1977-78	55.00 लाख रुपये
1978-79	97.00 लाख रुपये

इस समय उद्देश्य छठी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक केन्द्र तथा राज्य योजना निधियों के अन्तर्गत निधियों की सहायता से 1972 में पता लगाए गए सभी समयस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था करना है।

पर्यटन स्थलों पर भिखारी

28ख. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन स्थलों पर भिखारियों को रोकने के लिए कोई प्रबन्ध किए हैं, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों को किसी तरह का दण्ड दिया है ; और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भिक्षावृत्ति राज्य विषय है। भारत सरकार भिक्षा निरोधक कानून बनाने और उसे लागू करने के प्रश्न को राज्य सरकारों के साथ चला रही है। 14 राज्यों ने अब तक भिक्षा निरोधक कानून बनाए हैं।

(ख) भिक्षा निरोधक कानूनों को लागू करना क्योंकि राज्य सरकारों के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, इसलिए भारत सरकार के पास ऐसी जानकारी नहीं है।

गांवों में मिट्टी के तेल और डीजल की सप्लाई

28ग. श्री पी० ई० राजगोपाल नायडू : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी का तेल और डीजल सप्लाई किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण एवं आवास तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचनाएं, लुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1978-79; मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1978-79; इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 तथा कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड इत्यादि के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, जो दिनांक 17 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 490 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) हल्का डीजल तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1979 जो दिनांक 17 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 491 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) भट्टी तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा वितरण) संशोधन आदेश, 1979 जो दिनांक 17 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 492 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1979 जो दिनांक 11 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 535 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) पैराफिन वेक्स, (पूर्ति वितरण और मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश 1979 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 695 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 40/80]।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(क) (एक) लूब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लूब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 41/80]

(ख) (एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 42/80]

(ग) (एक) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 43/80]

(घ) (एक) कोचीन रिफाइनरीज़ लिमिटेड के वर्ष 1978–79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन रिफाइनरीज़ लिमिटेड का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 44/80]

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 45/80]

(च) (एक) हिन्दुस्तान एन्टीबाइटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पुणे के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एन्टीबाइटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पुणे का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 46/80]

(छ) (एक) हाउसिंग एण्ड अर्बन डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हाउसिंग एंड अर्बन डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 47/80]

(ज) (एक) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 52/80]।

(3) (एक) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक एक-प्रति।

(दो) उक्त प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 53/80]।

(4) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) (तीसरा संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 5 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 20 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 54/80]

(5) स्मिथ, स्टैनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1977 की धारा 32 के अन्तर्गत जारी किया गया स्मिथ, स्टैनीस्ट्रीट एंड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) कठिनाइयां दूर करना आदेश, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 15 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 809 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 55/80]

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 1978-79 साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1978, व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र कलकत्ता के वर्ष 1977-78 तथा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) मद्रास के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी०शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) संस्थान के कार्यकरण पर समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 48/80]।

(3) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखाओं का विवरण ।

(दो) अकादमी के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 49/80] ।

(4) (एक) व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) बोर्ड के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 50/80]

(5) (एक) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) बोर्ड के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(6) उपर्युक्त (4) और (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 51/80]

(7) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी* संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 57/80]

(8) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 58/80]

(9) विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता के न्यासधारियों की कार्यकारी समिति के वर्ष 1978-79 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखाओं का प्रमाणित विवरण । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 59/80]

(10) विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 60/80]

(11) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1977-78 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 61/80]

(12) बाल अधिनियम, 1960 की धारा 59 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली बाल (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 29 सितम्बर, 1978 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 43 (सी ए)/आई सी डब्ल्यू/डी एस डब्ल्यू–78 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) दिल्ली बाल (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 नवम्बर, 1979 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 43 (सी ए) आई सी डब्ल्यू/डी एस डब्ल्यू/79 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) पाण्डिचेरी बाल (संशोधन) नियम, 1978 की एक प्रति जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1978 के पाण्डिचेरी राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी ओ एम 232/78–एच ई डब्ल्यू (एस डब्ल्यू) में प्रकाशित हुए थे ।

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 17 मई, 1979 को सभा पटल पर रखा गया ।

(चार) पाण्डिचेरी वाल (संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 10 जुलाई, 1979 के पाण्डिचेरी राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी ओ एम 145/79—एच ई डब्ल्यू (एच डब्ल्यू) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) गोवा, दमन और दीव वाल (पहला संशोधन) नियम, 1978 जो दिनांक 8 फरवरी, 1979 के गोवा, दमन और दीव राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6–35–75—एल एस जी में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 62/80]

(13) (एक) नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) स्कूल के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 63/80]

(14) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(15) प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 64/80]

(16) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 65/80]

(17) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 66/80]

(18) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 67/80]

(19) (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) परिषद् के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 68/80]

(20) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) संस्थान के कार्यकरण के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 69/80]

(22) (एक) नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) संग्रहालय के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 70/80]

(23) कानपुर, बम्बई तथा कलकत्ता स्थित प्रशिक्षुता प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण के बोर्डों के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे लेखा वर्ष के समाप्त होने के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 71/80]

(24) (एक) गांधी दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा वर्ष 1978-79 के लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) समिति के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 72/80]

(25) (एक) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण (दक्षिणी क्षेत्र) बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) बोर्ड के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 73/80]

(26) (एक) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) स्कूल के कार्यकरण की समीक्षा सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 74/80]

(28) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 75/80]

(30) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 76/80]

(32) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1977-78 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 77/80]

(33) खुदा बख्श ओरिएन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 78/80]

(34) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 79/80]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी,......

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मद संख्या 3 तथा 5 में उल्लिखित पत्रों के सम्बन्ध में एक आपत्ति उठाना चाहते हैं। मैं नियम 305(5) की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नियम के अनुसार इस प्रकार के मामलों को सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों से सम्बन्धित समिति के पास भेजना चाहिये। ऐसे मामलों को सदन में नहीं उठाना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह तो पूछ लीजिये कि मेरी आपत्ति क्या है? आपने पूछा ही नहीं। मैं जानकारी चाहता हूं कि इसमें नहीं लिखा हुआ है कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्लेस किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : हम यह कर देंगे।

इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 1978-79, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड मद्रास के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा तथा प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारणों को बताने वाला विवरण

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 80/80]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण एक साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 81/80]

भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन; केन्द्रीय भण्डागारण निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, इत्यादि के अधीन अधिसूचनाएं

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1977-78* के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 82/80]।

(2) भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अधीन केन्द्रीय भांडागारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) केन्द्रीय भांडागारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 83/80]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 462 (ङ) जो दिनांक 30 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) चीनी (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 जो दिनांक 12 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में सा० सां० नि० 536 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) सा० सां नि० 562 (ङ) जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 12 सितम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 535 (ङ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(चार) चीनी (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1979 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 546 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) चीनी (मूल्य नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1979 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां नि० 660 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

---

*लेखावर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में वार्षिक प्रतिवेदन न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण 26 फरवरी, 1979 को सभा पटल पर रखा गया।

(छः) सा०सां०नि० 695 (ङ) जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चीनी (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 को रद्द किया गया है।

(सात) लेवी चीनी की सप्लाई (नियंत्रण) आदेश, 1979 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 696(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) चीनी 1978-79 के लिए (मूल्य निर्धारण) उत्पादन आदेश, 1979 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 699(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(नौ) चीनी (1979-80 के लिये मूल्य निर्धारण) उत्पादन आदेश, 1979 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 700(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दस) चीनी (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) आदेश, 1979 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 701(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(ग्यारह) चीनी (अधिकृत विक्रेताओं द्वारा माल रखना और उसकी बिक्री) आदेश, 1979 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 702(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(बारह) उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1979 जो दिनांक 19 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 33(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तेरह) सा० सां० नि० 387(ङ) जो दिनांक 21 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 19 जनवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 33(ङ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(चौदह) आसाम राज्य में निर्मित अमोनियम सल्फेट तथा यूरिया की चाय बागानों आदि को बिक्री के बारे में सा० सां० नि० 483(ङ) जो दिनांक 13 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पन्द्रह) हरियाणा और पंजाब में निर्मित यूरिया और केलशियम अमोनियम-नाइट्रेट की बिक्री के बारे में सा० सां० नि० 627 (ङ) जो दिनांक 16 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सोलह) सा० सां० नि० 511(ङ) जो दिनांक 22 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या सा० सां०नि० 218(ङ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(सत्रह) सा० सां० नि० 590(ङ) (हिन्दी संस्करण) जिसमें दिनांक 22-9-1979 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 511 (ङ) के हिन्दी संस्करण का शुद्धि पत्र दिया हुआ है। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 84/80]

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 544 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 85/80]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित, लेखे तथा उन पर नियन्त्रण—महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 86/80]

केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1979-80 में जारी किये गये बाजार ऋणों का विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1979-80 में जारी किये गये बाजार ऋणों के विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 87/80]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944, आयकर अधिनियम, 1961, वित्त अधिनियम, 1979, कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964, इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ सा०सां०नि० 429(ङ) जो 1 जुलाई, 1979 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा 17 अनुसूचित विदेशी मुद्राओं को भारतीय रुपए में बदलने और भारतीय रुपयों को 17 विदेशी मुद्राओं में बदलने के लिये संशोधित विनिमय दर के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ सा०सां०नि० 430 (ङ) जो दिनांक 2 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में बदलने और भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने के लिये संशोधित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा०सां०नि० 437(ङ) जो दिनांक 6 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा काफ़ी पर निर्यात शुल्क में वृद्धि के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा०सां०नि० 879 जो दिनांक 30 जून, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कतिपय पूर्वी अफ्रीका तथा एशिया के देशों से भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्रत्यावर्तन सम्बन्धी रियायतों के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० सां०नि० 325 (ङ) और 326 (ङ) जो दोनों दिनांक 28 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा मालेथियोन, एवेट तथा स्प्रेयरस को यथा मूल्य 15 प्रतिशत से अधिक सीमा-शुल्क से छूट सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा०सां०नि० 821 जो दिनांक 16 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा फ़ण्ड्स केमरा पर सीमा-शुल्क में कमी के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा०सां०नि० 880 और 881 जो दोनों 30 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा निकल ओक्साइड सिंटर के साथ फ़ेरो निकल पर सीमा शुल्क प्रभार बराबर करने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा०सां०नि० 407(ङ) जो दिनांक 27 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जगुआर विमानों के लिये आयात किये गये जिग्स, औजार तथा ग्राउंड हेंडलिंग उपकरणों को सीमा-शुल्क से छूट सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा०सां०नि० 408(ङ) जो दिनांक 27 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कोककारी कोयले पर शुल्क की दरों में रियायतों को 30-6-80 तक बढ़ाने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा०सां०नि० 409(ङ) और 410(ङ) जो दिनांक 27 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा वारीपिच शीव स्टेनलस स्पिडल स्पीड रेगुलेटर पुर्जों पर सीमा-शुल्क में कमी के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा०सां०नि० 416 (ङ) और 417(ङ) जो दोनों दिनांक 29 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा सोडा ऐश पर सीमा-शुल्क से वर्तमान आंशिक छूट की विधिमान्यता को 31-3-1980 तक बढ़ाने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा०सां०नि० 411(ङ), 412(ङ), और 413(ङ) जो सभी दिनांक 27 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा बादाम, किशमिश और खजूरों के टैरिफ मूल्यों तथा अन्य सूखा/ताजे फलों पर टैरिफ मूल्यों को समाप्त करने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा०सां०नि० 418 (ङ) जो दिनांक 29 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सादे अल्यूमिनियम फायल पर शुल्क की रियात दरों को 30-9-1979 तक बढ़ाने के बा में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा०सां०नि० 428 (ङ) जो दिनांक 30 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा मेलटिंग स्क्रेप पर अतिरिक्त शुल्क पर से वर्तमान पूरी छूट की विधिमान्यता को 31-3-1980 तक बढ़ाने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा०सां०नि० 438(ङ) जो दिनांक 6 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में बदलने और भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने के लिये सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ संशोधित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सीमा-शुल्क मूलयांकन के प्रयोजनार्थ पोंड स्टर्लिंग और भारतीय मुद्रा के बीच विनिमय दर के संशोधन के बारे में सा०सां०नि० 448(ङ) जो दिनांक 19 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सत्रह) सीमा-शुल्क मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ हांगकांग डालर और भारतीय मुद्रा के बीच विनिमय दर के संशोधन के बारे में सा०सां०नि० 476(ङ) जो दिनांक 9 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(अट्ठारह) सा०सां०नि० 465 (ङ) जो दिनांक 4 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा काफ़ी पर निर्यात शुल्क में कमी के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) सा०सां०नि० 372 (ङ) जो दिनांक 13 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा निर्यात के लिये उत्पादन हेतु अग्रिम लायसेंस के अनुसार माल आयात करने वाले माल की सूची में वृद्धि के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) सा०सां०नि० 466(ङ) और 467(ङ) जो दोनों दिनांक 7 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा रक्षा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये चल-चित्र फिल्म एक्सपोस्ड पर भारत में आयात करने पर सीमा-शुल्क क्षेत्र से छूट संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) सा०सां०नि० 468(ङ) और 469(ङ) जो दिनांक 7 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा मरम्मत और ओवरहाल के प्रयोजनार्थ भारत में आयात किये जाने पर विमान इंजनों के सहायक पुर्जों तथा उपकरणों को जिनकी मरम्मत या ओवरहाल के लिये जरूरत है, सीमा-शुल्क से छूट सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) सा०सां०नि० 453(ङ) और 454(ङ) जो दोनों दिनांक 20 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा तमगों और ट्राफियों को सीमा-शुल्क से छूट संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेईस) सा०सां०नि० 452(ङ) जो दिनांक 20 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 1 जुलाई, 1977 की अधिसूचना संख्या 106 सीमा-शुल्क को संशोधित करने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस) सा०सां०नि० 457(ङ) जो दिनांक 24 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पोलीथलीन फ़िल्म को परत वाले अल्युमिनियम फ़ायल पर सीमा-शुल्क में कमी संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पच्चीस) सा०सां०नि० 338 (ङ) और 339(ङ) जो दोनों दिनांक 1 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा मेले, प्रदर्शनी, प्रदर्शन, गोष्ठी, सम्मेलन के सम्बन्ध में भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं को अधिसूचना संख्या 116-सीमा-शुल्क में निहित कतिपय शर्तों के अध्यधीन सीमा-शुल्क से छूट संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) सा० सां० नि० 379 (ङ) और 380(ङ) जो दोनों 18 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा खाद्य सामग्री, दवाइयां, खराब हो जाने वाली चिकित्सा सामग्री, कपड़े और कम्बलों पर जो किसी धर्मार्थ संगठन द्वारा भारत में निःशुल्क उपहार के रूप में आयात किये जायें या किसी धर्मार्थ संगठन द्वारा विदेशी मुद्रा के दान की गई राशि से भारत में निःशुल्क वितरण के लिये खरीदे गए हों

अधिसूचना संख्या 128-सीमा शुल्क में निहित कतिपय शर्तों के अध्यधीन सीमा-शुल्क से छूट संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा० सां० नि० 419(ङ) और 420(ङ) जो दोनों दिनांक 29 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा किसी संस्थान द्वारा भारत में युद्ध में मरे व्यक्तियों की कब्रों के अनुरक्षण के लिये आयात की गई वस्तुओं को सीमा-शुल्क से छूट देने संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा० सां० नि० 421(ङ) और 422(ङ) जो दोनों दिनांक 29 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा रक्षा मंत्रालय के अधीन किसी प्राधिकारी के सामने परीक्षण, या प्रदर्शन या प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं को अधिसूचना संख्या 149-सीमा-शुल्क में निहित शर्तों के अध्यधीन सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्तीस) सा० सां० नि० 341(ङ) जो दिनांक 2 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा लैदर शेविंग मशीन के लिये ब्लेडों पर अतिरिक्त शुल्क के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा० सां० नि० 342(ङ) से 344 (ङ) जो सभी दिनांक 2 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा पी० टी० ई० एफ० इन्सूलेटिड वायर्स तथा केबल्स के निर्माण के लिये पी० टी० एफ० ई० मोल्डिंग पाउडर/ग्रेनुल पर आयात-शुल्क में कमी के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकत्तीस) सा० सां० नि० 382(ङ) जो दिनांक 18 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कॉफी पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा० सां० नि० 270(ङ) जो दिनांक 27 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा निर्यात उत्पादन के लिये अग्रिम लाइसेंस के अधीन आयात की जाने वाली शुल्क मुक्त वस्तुओं की सूची में वृद्धि करने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा० सां० नि० 532(ङ) और 533(ङ) जो दोनों दिनांक 7 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा खाद्य सामग्री, दवाईयों, खराब हो जाने वाले चिकित्सा भंडार, कपड़े और कम्बलों पर सा० सां० नि० 532(ङ) में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अध्यधीन समूचे, अतिरिक्त और सह-शुल्क से छूट संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा० सां० नि० 626(ङ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सीमा-शुल्क मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ जापानी येन और भारतीय मुद्रा के बीच विनिमय दर के संशोधन संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा० सां० नि० 630(ङ) जो दिनांक 19 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सीमा-शुल्क मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ पौण्ड स्टलिंग और भारतीय मुद्रा के बीच विनिमय दर के संशोधन संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा० सां० नि० 671(ङ) जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सीमा शुल्क मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ पौण्ड स्टलिंग और भारतीय मुद्रा के बीच विनिमय दर के संशोधन संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) सा० सां० नि० 521(ङ) जो दिनांक 30 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सीमा-शुल्क मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ हांगकांग डालर और भारतीय मुद्रा के बीच विनिमय दर के संशोधन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) सा० सां० नि० 561(ङ) जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सीमा-शुल्क मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ 17 अनुसूचित विदेशी मुद्राओं और भारतीय मुद्रा के बीच विनिमय दरों के संशोधन संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतालीस) सा० सां० नि० 549(ङ) जो दिनांक 24 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सीमा-शुल्क मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ आस्ट्रियन शिलिंग और भारतीय मुद्रा के बीच विनिमय दर के संशोधन संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चालीस) सा० सां० नि० 560(ङ) जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा रूसी रूबल और भारतीय मुद्रा के बीच विनिमय दर निर्धारित करने संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतालीस) सा० सां० नि० 648(ङ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सीमा-शुल्क मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ स्विस फ्रेंक और भारतीय मुद्रा के बीच विनिमय दर से संशोधन सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बयालीस) सा० सां० नि० 703(ङ) जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा डेनिश क्रोनर और भारतीय मुद्रा के बीच विनिमय दर के संशोधन संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेतालीस) सा० सां० नि० 1(ङ) जो दिनांक 1 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सीमा शुल्क मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए 17 अनुसूचित विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दरों के पुनरीक्षण के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौवालीस) सा० सां० नि० 606(ङ) जो दिनांक 31 अक्टूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सीमाशुल्क मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए पौंड स्टर्लिंग और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दरों के पुनरीक्षण के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतालीस) सा० सां० नि० 586(ङ) जो दिनांक 25 अक्टूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सीमा-शुल्क मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए पौंड स्टर्लिंग और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दरों के पुनरीक्षण के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छियालीस) सा० सां० नि० 540(ङ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सीमा-शुल्क मूल्यांकन के प्रयोजन के लिये पौंड स्टर्लिंग और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दरों के पुनरीक्षण के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतालीस) सा० सां० नि० 527(ङ) जो दिनांक 1 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा 1 अक्टूबर, 1979 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करने के बारे में, जिसको सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 सिक्किम राज्य में प्रवृत्त होगा, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तालीस) सा० सां० नि० 618(ङ), 619(ङ) और 620(ङ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को लागू होने वाले यात्री सामान नियमों के उपबन्ध पाकिस्तान से भारत आने वाले यात्रियों को भी लागू करने के प्रयोजन के लिये यात्री सामान नियम, 1978 के संशोधन पर्यटक यात्री सामान नियम, 1978 के संशोधन और दिनांक 19 फरवरी, 1955 की केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की अधिसूचना संख्या 30--सीमा-शुल्क के विखण्डन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनचास) सा० सां० नि० 623(ङ) जो 13 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा निर्यात उत्पादन के लिये अग्रिम अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध निःशुल्क आयात की जाने वाली अनुमित सामग्री की सूची के विस्तार के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पचास) सा० सां० नि० 576(ङ) जो 10 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा निर्यात उत्पादन के लिए अग्रिम अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध निःशुल्क आयात की जाने वाली अनुमित सामग्री की सूची के विस्तार के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्यावन) सा० सां० नि० 486(ङ) जो दिनांक 13 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पी० वी० सी० रेसिन पर लगने वाले पूर्ण मूल सीमा-शुल्क से उसे छूट देने की अवधि 31 मार्च, 1980 तक बढ़ाने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बावन) सा० सां० नि० 512(ङ) जो 22 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा स्पंज लोहे पर उत्पादन शुल्क से छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तिरपन) सा० सां० नि० 513(ङ) जो दिनांक 22 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 10 मई, 1979 की अधिसूचना संख्या 104—सीमा-शुल्क के संशोधन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौवन) सा० सां० नि० 515(ङ) जो दिनांक 24 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सात अश्व शक्ति से अधिक क्षमता की आउट-बोर्ड मोटरों पर छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पचपन) सा० सां० नि० 516(ङ) जो दिनांक 24 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 10 मई, 1979 के भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 104—सीमा-शुल्क के संशोधन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छप्पन) सा० सां० नि० 1126 जो दिनांक 8 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा घड़ियों और घड़ियों के पुर्जों के बारे में दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 की अधिसूचना संख्या 240—सीमा-शुल्क के संशोधन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्तावन) सा० सां० नि० 542(ङ) जो दिनांक 18 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट (विस्फोटक श्रेणी) को छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठावन) सा० सां० नि० 543(ङ) जो दिनांक 18 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट को छूट देने के लिए दिनांक 10 मई, 1979 की अधिसूचना संख्या 104—सीमा-शुल्क के संशोधन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनसठ) सा० सां० नि० 552(ङ) जो दिनांक 28 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा भारी वाणिज्यिक मोटरयानों के निर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों पर छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(साठ) सा० सां० नि० 553(ङ) जो दिनांक 28 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा भारी वाणिज्यिक मोटरयानों के निर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों पर छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकसठ) सा० सां० नि० 563(ङ) जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा प्लेन एल्यूमिनियम फोइल पर छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बासठ) सा० सां० नि० 564(ङ) जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पोलीथीन फाइल से लेमिनिक अल्यूमिनियम फोइल पर छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तिरसठ) सा० सां० नि० 613(ङ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 15 फरवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या 36-सीमा-शुल्क के संशोधन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंसठ) सा० सां० नि० 621(ङ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा दिनांक 27 जनवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या 24-सीमा-शुल्क के संशोधन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंसठ) सा० सां० नि० 622(ङ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा आइसोबोरनियल एस्टेट पर छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छियासठ) सा० सां० नि० 631(ङ) जो दिनांक 20 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा अधिसूचना संख्या 142—सीमा शुल्क दिनांक 27 जून, 1979 में संशोधन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सतासठ) सा० सां० नि० 680(ङ) जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा रद्दी कागज पर आयात शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठसठ) सा० सां० नि० 681(ङ) जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा अधिसूचना संख्या 104—सीमा-शुल्क दिनांक 10-5-1979 में संशोधन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनहतर) सा०सां०नि० 682(ङ) जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा अपरिष्कृत बिना तराशे बहुमूल्य पत्थरों पर आयात शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्तर) सा० सां० नि० 514(ङ) जो दिनांक 24 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा मोटी इलायची पर निर्यात शुल्क में वृद्धि के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकहत्तर) सा० सां० नि० 526( ) जो दिनांक 1 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा तुरन्त तैयार होने वाली काफी पर निर्यात शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बहत्तर) सा० सां० नि० 635(ङ) जो दिनांक 23 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा चश्मे के रफ शीशे के ब्लैकों पर अतिरिक्त शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तिहत्तर) सा० सां० नि० 636(ङ) और 637(ङ) जो दिनांक 23 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और 600 डैनियर्स और इससे अधिक के विसकोस फिलामेंट धागे पर आयात शुल्क से छूट के पुनरीक्षण के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौहत्तर) सा० सां० नि० 652(ङ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा काली मिर्च पर निर्यात शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पचहत्तर) सा० सां० नि० 676(ङ) और 677(ङ) जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा यात्रियों द्वारा निवास स्थान से भारत में तबादला होने पर यात्री समान के भागरूप आयात किए गये रेफ्रीजरेटरों, डीपफ्रीजों और वातानुकूलित यंत्रों पर सीमाशुल्क उद्ग्रहण के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छिहत्तर) सा० सां० नि० 6(ङ) जो दिनांक 9 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सीमा शुल्क मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ पौंड स्टर्लिंग और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दरों के संशोधन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सतत्तर) सा० सां० नि० संख्या 610(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2-11-79 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसमें पोलिथिन थैलियों, हाथी दांत की कढ़ाई, साधारण हाथी दांत की चूड़ियों के कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में निर्माण के दौरान प्राप्त होने वाले अवशिष्ट के सम्बन्ध में सीमा निर्धारित की गई है।

(अठहत्तर) सा० सां० नि० 657(ङ) और 658 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30-11-79 में प्रकाशित हुए थे तथा शांताक्रुज इलैक्ट्रोनिक्स निर्यात परिष्करण क्षेत्र में आयात किये गये माल को सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनासी) सा० सां० नि० 678(ङ) और 679(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5-12-79 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा कच्चे नीले चमड़े को सीमाशुल्क से छूट दी गई है ।

(अस्सी) सा० सां० नि० 687(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11-12-79 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा शांताक्रुज इलैक्ट्रोनिक्स निर्यात

परिष्करण क्षेत्र में आयातों के बारे में दिनांक 30-11-79 की अधिसूचना संख्या 227-सीमाशुल्क का विस्तार किया गया है।

(इक्यासी) सा० सां० नि० संख्या 1066 को भारत के राजपत्र, दिनांक 18-8-79 में प्रकाशित हुए थे, दिनांक 28-5-79 की अधिसूचना संख्या 113-सीमाशुल्क का शुद्धिपत्र, जिसके द्वारा मैलाथियन, अवेट, अल्टरा लो वाल्यूम हस्तचालित छिड़काव उपकरण तथा अल्टरालो वाल्यूम ट्रक छिड़काव उपकरण को सीमाशुल्क से छूट दी गई है।

(बयासी) सा० सां० नि० संख्या 1532, जो भारत के राजपत्र दिनांक 29-12-79 में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा "हू किल्ड गांधी" नामक पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(तिरासी) सांविधिक आदेश 559(ङ) और सांविधिक आदेश 560(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 1-10-79 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम, 1974 का दिनांक 1-10-79 से सिक्किम राज्य पर विस्तार को देखते हुए अधिसूचना संख्या 43 और 45, दिनांक 1-2-63 से सिक्किम शब्द का लोप किया गया है।

(चौरासी) सा० सां० नि० संख्या 1099, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1-9-79 में प्रकाशित हुए थे तथा तम्बाकू वर्गीकरण और विपणन नियम, 1937 के अन्तर्गत तम्बाकू के नमूने के पार्सलों के वर्गीकरण के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पिचासी) द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रोपेन और बूटेन सहित) पर 30 सितम्बर 1980 तक देय समस्त मूल तथा सहायक शुल्कों से उस पर छूट के बारे में सा० सां० नि० 10(ङ) और 11(ङ) जो दिनांक 19 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 88/80]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० संख्या 373 (ङ) और 374(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 जून, 1979 में प्रकाशित हुए थे तथा मच्छरदानियों के औसत काउन्ट का संगणन करने वाले सूत्र को लागू करने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०सां० नि० 391(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 जून, 1979 में प्रकाशित हुए थे तथा आयातित आर्कलिक वस्त्र पर उत्पाद शुल्क और अधिसूचना संख्या 133/77-सी०ई०, दिनांक 18 जून, 1979 के संशोधन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 392 (ङ) जो भारत के राजपत्र, 23 जून, 1979 में प्रकाशित हुए थे तथा रद्दी फ़िलामेंट धागे के अवशेष पर उत्पाद-शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 394(ङ) और 395(ङ) जो भारत के राजपत्र, 23 जून, 1979 में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 1 मार्च, 1975 की अधिसूचना संख्या 24/75

सी०ई० और 25/75-सी०ई० के संशोधन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिस के द्वारा यह स्पष्टीकरण किया गया है कि उत्पाद-शुल्क की छूट तब भी मिलेगी जब साबुन में तेलों का अधिक उपयोग दाशमिक प्रतिशत बिन्दु के आधार पर किया गया हो।

(पांच) सा० सां० नि० 823 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 जून, 1979 में प्रकाशित हुए थे और जिसके द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 1976 की अधिसूचना संख्या 14/76-सी०ई० को रद्द किया गया है, जो सरल कृत प्रक्रिया के वापस लिए जाने पर अर्थहीन हो गया था।

(छः) सा० सां० नि० 882 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 जून, 1979 में प्रकाशित हुए थे तथा इन्शुलेटिंग वार्निश पर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत की बजाय मूल्यानुसार 10 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क इस शर्त के साथ लगाने के उपबन्ध के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन कि वह ऐसे संघटकों से निर्मित किया जाये जिन पर उत्पाद-शुल्क या अतिरिक्त शुल्क, यथास्थिति, पहले ही अदा कर दिया गया हो और उसका इस्तेमाल बिजली के तारों और केबलों को इन्शूलेट करने के लिए किया गया हो।

(सात) सा० सां० नि० 352 (ङ) जो दिनांक 6 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ की मद संख्या 68 के अंतर्गत आने वाले परतदार जूट की बोरियों पर छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सां० नि० 425(ङ) जो दिनांक 30 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ की मद संख्या 11क के अन्तर्गत आने वाले धुलाई में काम आने वाले तेल पर शुल्क को प्रभावी दर निश्चित करने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० सां० नि० 426 (ङ) जो दिनांक 30 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा दिनांक 16 मई, 1958 की अधिसूचना, संख्या 54/59 सा० नि० को निरस्त करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० सां० नि० 427(ङ) जो दिनांक 30 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा हड्डियों को चूर्ण और हड्डियों से बनी चीजों पर पूरी तरह से छूट देने वाली दिनांक 1 मार्च, 1975 की अधिसूचना संख्या 55/75 के संबंध में संशोधन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० सां० नि० 432(ङ) जो दिनांक 4 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा टैरिफ मद संख्या 180 के अन्तर्गत जूट की रद्दी से बने सूत पर शुल्क से छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० सां० नि० 440(ङ) जो दिनांक 13 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो ऊन और एक्रिलिक बटे सूत पर उत्पाद-शुल्क की छूट के बारे में था।

(तेरह) सा० सां० नि० 987, जो दिनांक 28 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० सां० नि० 451(ड) जो दिनांक 20 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा शिशुओं, बच्चों, गर्भवती स्त्रियों, दूध पिलाने वाली माताओं में नि:शुल्क बांटे जाने वाले तैयार भोजन पर छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा० सां० नि० 442(ड) जो दिनांक 17 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा टैरिफ मद संख्या 68 के अंतर्गत आने वाले माल की कीमत के बारे में जिस पर पूरे उत्पाद-शुल्क की छूट दी गई है, एक व्याख्यात्मक-ज्ञापन।

(सोलह) सा० सां० नि० 446(ड) और 445(ड) जो दिनांक 18 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा कोयले पर उत्पाद-शुल्क को वापिस लेने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा० सां० नि० 460(ड) जो दिनांक 30 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसमें यह अधिसूचित किया गया है कि मोटर गाड़ियों के पुर्जों के जो उत्पादक 'मूल उपकरण निकासी' के संबंध में दूसरी रियायत प्राप्त करते हैं वे छोटे पैमाने के उत्पादकों को मिलने वाली रियायत की सामान्य योजना के अंतर्गत यह लाभ पाने के योग्य नहीं होंगे।

(अट्ठारह) सा० सां० नि० 461(ड) जो दिनांक 30 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा साइकिलों में प्रयोग किये जाने वाले ताला लगाने से संबंधित उपकरणों पर लगने वाले पांच प्रतिशत की रियायती दर के यथामूल्य शुल्क की व्यवस्था की गई है।

(उन्नीस) सा० सां० नि० 470(ड) जो दिनांक 7 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा सस्ते नसवार से बने ऊंचे मूल्य के नसवार पर उत्पाद-शुल्क के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा० सां० नि० 473(ड) से 475(ड) तक, जो दिनांक 9 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसमें 60 डेनियर और उससे अधिक के पोलीप्रोपीलीन फीते, पोलीप्रोपीलिन मोनोफिलामेंट सूत तथा पोलीप्रोपीलिन रद्दी पर उत्पाद-शुल्क की छूट की व्यवस्था है।

(इक्कीस) सा० सां० नि० 668(ड) जो दिनांक 26 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सफेद अखबारी कागज पर रियायती दर के बारे में है।

(बाईस) सा० सां० नि० 480(ड) जो दिनांक 10 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा लोहे और इस्पात के उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क की रियायत के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा० सां० नि० 960(ड) जो दिनांक 21 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा अमोनियम नाइट्रेट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा० सां० नि० 547(ड) जो दिनांक 22 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट दिये जाने वाले उस माल

के बारे में जिसकी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 13-14 के अंतर्गत निर्यात के लिये तथा बन्धक के रूप में विदेशों में प्रदर्शनी लगाए जाने के लिए निकासी की गई है और जिसे बाद में भारत में फिर से आयात किया गया है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा०सां०नि० 674(ङ) तथा 675 (ङ) जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा पोलीप्रोपीलीन के बटे सूत पर उत्पाद-शुल्क की अदायगी से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा०सां०नि० 575 (ङ) जो दिनांक 10 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा पोलीप्रोपीलीन फीतों पर उत्पाद-शुल्क की छूट की स्वीकृति के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा०सां०नि० 522(ङ) जो दिनांक 30 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा गुजरात राज्य में मोर्वीमोलिया में बाढ़-पीड़ितों को दान किये गये उत्पाद-शुल्क लगने वाले माल पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाइस) सा०सां०नि० 659 (ङ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा ऐसी सफेद ड्रिल के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो दिनांक 15 जुलाई, 1979 की अधिसूचना सं० 226/77-जी०आर०, संशोधित रूप में, के परन्तुक 1 के खंड (पांच) के अंतर्गत शुल्क लगने योग्य है।

(उनतीस) सा०सां०नि० 539 (ङ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा ऐसे सूती वस्त्र के, जिसका कारखाने में ऐसे उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता है जो अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से मुक्त है, बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा०सां०नि० 714(ङ) और 715 (ङ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसमें ट्रांसफार्मरों, जैनरेटरों और विद्युत मोटरों पर शुल्क की छूट की अवधि का विस्तार करने की व्यवस्था है।

(इकत्तीस) सा०सां०नि० 541 (ङ) जो दिनांक 18 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा पैच प्रिन्टों और शब्दों पर उत्पादन-शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा०सां०नि० 709(ङ) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा 14 एस० डब्ल्यू०जी० से अधिक अच्छी किस्म के नंगे तांबे के तारों पर उत्पाद-शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा०सां०नि० 485(ङ) जो दिनांक 13 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एल्यूनोथेरेमिक प्रक्रिया से विशिष्ट इस्पात के चूरे को गलाकर बनाये गए इस्पात की ढली वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क से आंशिक छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा०सां०नि० 484(ङ) जो दिनांक 13 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा धातु के सभी प्रकार के डिब्बों पर उत्पाद-शुल्क की छूट का विस्तार करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा०सां०नि० 1388 और 1389 जो दिनांक 17 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा ट्रांसफार्मर तेल के उत्पादन में काम आने वाला ट्रांसफार्मर तेल आधार स्टाक/ट्रांसफार्मर तेल खाद्य स्टाक पर उत्पाद-शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा०सां०नि० 578(ङ) जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा इसका शुद्धि-पत्र सा० सां० नि० 719 जो दिनांक 28-12-79 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में उत्पादित उत्पाद-शुल्क लगने वाले सभी प्रकार के माल पर छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) सा०सां०नि० 656(ङ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा चीनी पर उत्पाद-शुल्क में वृद्धि के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) सा०सां०नि० 691(ङ) से 693(ङ) जो भारत के राजपत्र में दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 में प्रकाशित हुआ था तथा चीनी के संबंध में दोहरी मूल्य नीति को पुनः लागू करने के परिणामस्वरूप चीनी पर उत्पाद-शुल्क की दरों में समायोजन के सम्बन्ध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतालीस) सा०सां०नि० 1415 जो दिनांक 24 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा परीक्षण के उद्देश्य से ली जाने वाली चीनी के निःशुल्क नमूनों की मात्रा में वृद्धि के सम्बन्ध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चालीस) सा०सां०नि० 592(ङ) से 594(ङ) तथा 612(ङ) जो क्रमशः दिनांक 29 नवम्बर, 1979 तथा 3 नवम्बर के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था खांडसारी चीनी पर शुल्क को पुनः लागू करने के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतालीस) सा०सां०नि० 708(ङ) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1979 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे नेफ्था पर छूट की अवधि बढ़ाने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बयालीस) सा०सां०नि० 1206 जो 29 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा उत्पाद-शुल्क योग्य वस्तुएं, जिन पर शुल्क गांठों के हिसाब से दिया जाता है, को दिनांक 4 जून, 1979 की अधिसूचना संख्या 201/79 सी०ई० के क्षेत्राधिकार से निकालने संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तितालीस) सा०सां०नि० 983 जो 21 जुलाई, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा चीनी के लिए स्वतः निकासी योजना लागू करने के सम्बन्ध में।

(चवालीस) सा०सां०नि० 495(ङ) तथा 496(ङ) तथा 500(ङ) तथा 501(ङ) जो 17 अगस्त, 1979 तथा 18 अगस्त, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा प्रभावित पैट्रोलियम उत्पादों के संबंध में 1 मार्च, 1979 से पहले प्रभावी उत्पाद-शुल्क तथा बराबर शुल्क निर्धारण के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतालीस) सा०सां०नि० 534 (ङ) जो 10 सितम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मिट्टी के तेल तथा हाई स्पीड डीजल के मूल्यों में कमी लाने के लिए मिट्टी के तेल में तथा हाइ स्पीड डीजल में प्रति किलो 70 रु० उत्पाद-शुल्क कम करने के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छियालीस) सा०सां०नि० 545(ङ) जो 19 सितम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयातित इस्पात की छड़ों से निर्मित होने वाली सलाखों तथा राड्स पर उत्पाद-शुल्क से छूट के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतालीस) सा०सां०नि० 565(ङ) जो 4 अक्तूबर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा छड़ों से निर्मित अल्यूमीनियम वायर राड्स पर एक निश्चित दर से शुल्क निर्धारित करने तथा सामान्य अल्यूमीनियम के संबंध में पुरानी दरें जारी रखने के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तालीस) सा०सां०नि० 566(ङ) जो 4 अक्तूबर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा अल्यूमीनियम नियंत्रण आदेश के "अंतर्गत मूल्य समकरण राशि" पर लगने वाले शुल्क के समान अल्यूमीनियम छड़ों के संबध में उत्पाद शुल्क में छूट की व्यवस्था करने के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनचास) सा०सां०नि० 567(ङ) जो 4 अक्तूबर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा वायर राड्स को छोड़कर छडों से निर्मित अल्यूमीनियम पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 56-क के अंतर्गत विशेष प्रक्रिया लागू करने के नियंत्रण के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पचास) सा०सां०नि० 568(ङ) जो 4 अक्तूबर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा अधिसूचना संख्या 268/79 में संशोधन करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्यावन) सा०सां०नि० 638(ङ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा अपरिष्कृत सूती वस्त्रों पर मूल और अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों के उदग्रहण से छूट, यदि ऐसे वस्त्रों का प्रयोग उसी कारखाने में आगे निर्माण के लिए किया जाता है, के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बावन) सा०सां०नि० 639(ङ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा उसी कारखाने में आगे निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाले परिष्कृत वस्त्रों पर मूल और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के उदग्रहण से छूट के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेपन) सा०सां०नि० 640(ङ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसमें सूती वस्त्रों पर उपलब्ध छूट में संशोधन करने के लिए सूती वस्त्रों पर मूल उत्पाद-शुल्क के उदग्रहण के संबंध में पहले जारी की गई अधिसूचना में किया गया संशोधन शामिल है।

(चव्वन) सां०सा०नि० 641(ङ) जो 24 नवम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसमें पहले दी गई छूट में संशोधन करने के लिए सूती वस्त्रों पर अतिरिक्त शुल्क के उदग्रहण के संबंध में पहले जारी की गई अधिसूचना में किया गया संशोधन शामिल है।

(पचपन) सा०सां०नि० 642(ङ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा परिष्कृत ऊनी वस्त्रो पर शुल्क से छूट, यदि ऐसे वस्त्रों को उसी कारखाने में और आगे परिष्कृत किया जाता है, के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छप्पन) सा०सां०नि० 643(ङ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा ऐसे ऊनी वस्त्रों पर मूल और अतिरिक्त शुल्क के उदग्रहण से छूट, जिन्हें सादे रोलरों से समतल किया जाना है, को जारी रखने के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्तावन) सा०सां०नि० 644(ङ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा ऐसे परिष्कृत कृत्रिम वस्त्रों पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के उदग्रहण से छूट, जिनको किसी कारखाने में आगे परिष्कृत किया गया है, के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठावन) सा० सां० नि० 645 (ङ) जो 24 नवम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कृत्रिम वस्त्रों, जिनका विशिष्ट परिष्करण हुआ है, पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट को जारी रखने के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनसठ) सा० सां० नि० 646 (ङ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा परिष्कृत ऊनी और कृत्रिम वस्त्रों के संबन्ध में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(साठ) सा० सां० नि० 663 (ङ) जो 4 दिसम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा नेफ्था पर आधारित कम सघनता वाले पोलिथिलिन, अधिक सघनता वाले पोलिथिलिन और पोलिथिलिन पर शुल्क की दर में कटौती के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकसठ) सा० सां० नि० 664 (ङ) जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पी० वी० सी० पर उत्पाद-शुल्क में कटौती, यदि यह गैर नेफ्था से बनाया जाता है, के संबन्ध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बासठ) सा०सां०नि० 665(ङ) जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा अधिसूचना संख्या 203/79 —सी० ई० को निरस्त करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(त्रेसठ) सा०सां०नि० 666(ङ) जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा टायर रस्सी उद्योग के लिए कैप्रोलैक्टम पर मूल उत्पाद-शुल्क में कटौती के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौसठ) सा० सां० नि० 667(ङ) जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कैप्रोलैक्टम के संबंध में विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंसठ) सा०सां०नि० 668 (ङ) जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा "पोलिब्यूटैडिन" रबर के संबंध में विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छियासठ) सा० सां० नि० 669(ङ) जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा "पैथौलिक एनिहिंड्राइड" पर जब नेफ्था से निर्मित किया जाता है, उत्पाद-शुल्क में छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सड़सठ) सा० सां० नि० 670 (ङ) जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा स्विचों, प्लगों और साकेटों पर, यदि इनका उत्पादन हस्त-चालित मशीनों से किया जाता है, शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़सठ) सा०सां० नि० 381 (ङ) जो दिनांक 18 जून, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा मोटे अनाज, प्लाईवुड से मिश्रित शुल्क को वापस लेने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनहत्तर) सा० सां० नि० 699 जो दिनांक 6 जून, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के भारी जल संयंत्र (नालचेर) में भारी जल के उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली अमोनिया गैस आदि पर उत्पाद-शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्तर) सा०सां० नि० 361(ङ) जो दिनांक 11 जून, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा 14 एस० डब्ल्यू० जी० से अच्छा "बेयर कापर वायर" पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकहत्तर) सा०सां०नि० 323(ङ) जो दिनांक 30 मई, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा लघु सीमेंट संयंत्र में निर्मित होने वाली सीमेंट पर उत्पाद-शुल्क से आंशिक छूट प्रदान करने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बहत्तर) सा०सां० नि० 346(ङ) जो दिनांक 4 जून, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा टैरिफ मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने वाले मदों के बारे में आदानों पर संक्षिप्त विवरण तथा निर्माताओं/निर्यातकों से पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए / देखिए संख्या एल० टी० 89/80]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 433(ङ) जो दिनांक 4 जुलाई, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा कच्ची ऊन तथा ऊनी वस्त्रों पर आयात शुल्क की दरों में ांशिक छूट के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 434(ङ) जो दिनांक 4 जुलाई, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा ऊनी चीथड़ों तथा ऊनी रद्दी पर आयात शुल्क लगाने के संबंध में छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०सां० नि० 435(ङ) जो दिनांक 4 जुलाई, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा प्रोसेस्ड ऊनी कपड़ों पर शुल्क की दरों में संशोधन के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०सां०नि० 347 (ङ) से 349 (ङ) जो दिनांक 4 जून, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा पोली वाइनिल क्लोराइड राल पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में वृद्धि तथा आयातित पोली वाइनिल क्लोराइड राल पर समान शुल्क बनाये रखने के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 333(ङ) जो दिनांक 31 मई, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा तटीय जहाजों को बंकर के रूप में सप्लाई किये गये भट्टी तेल पर लगने वाले समान शुल्क की प्रभावी दर निर्धारित करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 329(ङ) जो दिनांक 31 मई, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा सी० ई० टी० की मद संख्या 234 के अन्तर्गत अन्य शीशा तथा शीशे की वस्तुएं के निर्माण के लिए कारखाने में प्रयुक्त शीशा तथा शीशे की वस्तुओं पर पूर्ण छूट के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० सां० नि० 330(ङ) जो दिनांक 31 मई 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा उन मदों की सूची जिन पर नियम 56क के उपबन्ध लागू होते हैं के अन्तर्गत शीशे तथा शीशे की वस्तुओं के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सां० नि० 331(ङ) जो दिनांक 21 मई, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा दूरसंचार तारों तथा केबलों पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत प्रभावी दर का निर्धारण के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० सां० नि० 332 (ङ) जो दिनांक 31 मई, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मद संख्या 26 के अन्तर्गत मैल्टिंग स्क्रैप जो विद्युत स्टेपिंग के दौरान प्राप्त होते हैं तथा सी० ई० टी० की मद संख्या 28 के अन्तर्गत परतों के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० सां० नि० 318(ङ) जो दिनांक 24 मई, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा माल के निर्माण के विषय में शुल्क वापिस दिये जाने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० सां० नि० 549(ङ) तथा 550(ङ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, एक सरकारी उपक्रम की सहायता के रूप में कापर पर शुल्क की दरों में पुनर्समायोजन की वैधता में विस्तार करने के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० सां० नि० 598(ङ) जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा विस्कोज पोलीनासिक स्टैपिल फाइबर पर 31-12-1980 तक सीमा शुल्क से पूरी छूट के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०सां०नि० 599(ङ) जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा हाथ निर्मित स्टैपल फाइबर तथा सेलुलीमूल के सन पर दी गई आंशिक छूट को वापिस लेने के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० सां० नि० 600(ङ) जो दिनांक 30 अक्तूबर 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा सन से बनने वाले हाथ-निर्मित स्टेपल फाइबर जिन पर उत्पाद शुल्क अथवा समान सीमा शुल्क दिया जा चुका है पर छूट जारी रखने के संबन्ध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा० सां० नि० 705(ङ) तथा 706(ङ) जो दिनांक 19 दिसम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक सरकारी उपक्रम मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की सहायता के रूप में उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क की दरों में पुनर्समायोजन की वैधता में विस्तार के संबन्ध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 90/80)]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) भारत के राजपत्र में दिनांक 28-6-79 को प्रकाशित सा० सां० नि० संख्या 414(ङ) तथा बम्बई स्थित बम्बई और पूणे समाहर्तालय के क्षेत्राधिकार को परिभाषित करने वाला व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) भारत के राजपत्र में दिनांक 19-5-79 को प्रकाशित सा० सां० नि० संख्या 698 तथा केन्द्रीय उत्पाद नियम, 1944 के नियम 196 में संशोधन करने वाला व्याख्यात्मक टिप्पण जिसके अन्तर्गत नियम में ही प्रभार लगाने संबन्धी उपबन्ध को स्वतः पूर्ण बनाया गया है ताकि केन्द्रीय उत्पाद नियम, 1944 के नियम 9क पर निर्भर न रहना पड़े ।

(तीन) भारत के राजपत्र में दिनांक 26-5-79 को प्रकाशित सा० सां० नि० संख्या 717 जिसमें पुराने कानपुर और इलाहाबाद समाहर्तालय के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करके उत्तरी उत्तर प्रदेश के नए कलैक्टर का क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया है।

(चार) भारत के राजपत्र में दिनांक 16-6-79 को प्रकाशित सा० सा० नि० संख्या 882 जिसमें केन्द्रीय उत्पाद नियमों के अध्याय—7ख का लोप किया गया है और जिसके अन्तर्गत सरल प्रक्रिया निर्धारित की गई है ।

(पांच) भारत के राजपत्र में दिनांक 23-7-79 को प्रकाशित सा० सां० नि० संख्या —455 (ङ) जो कुछ वर्गों के निर्माताओं को पहले दी जाने वाली कुछ बड़ी प्रक्रिया संबन्धी छूटों को बनाए रखने के बारे में है ।

(छः) भारत के राजपत्र में दिनांक 19-7-79 को प्रकाशित सा० सां० नि० संख्या—447 (ङ) जिसमें यह अधिसूचित किया गया है कि केन्द्रीय उत्पाद समाहर्तालय बड़ौदा के अधीनस्थ केन्द्रीय उत्पाद के किसी अधिकारी के आदेश अथवा निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई अपीलीय कलैक्टर बम्बई द्वारा की जायेंगी ।

(सात) सा० सां० नि० संख्या 494(ङ) जो भारत के राजपत्र में 17-8-79 को प्रकाशित हुआ तथा अवयस्कों, बच्चों, गर्भवती स्त्रियों, स्तन्यदा माताओं को निःशुल्क वितरित तैयार खाद्य में छूट के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० सां० नि० संख्या 1065 जो लाइसेंस में ही फैक्टरी की क्षमता के बारे में संकेत देने के लिए भारत के राजपत्र में दिनांक 18-8-79 को प्रकाशित हुआ ।

(नौ) सा० सां० नि० संख्या 551(ङ) जो दिनांक 27-9-79 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ और जिसके अन्तर्गत तैयार करने वाले कारखाने से तैयार माल के बंधपत्र के अन्तर्गत निर्यात की अनुमति दी गई।

(दस) सा० सां० नि० संख्या 1339 जो दिनांक 10-11-79 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए।

(ग्यारह) सा० सां० नि० संख्या 1533 जो दिनांक 29-12-79 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए और जिनमें एक निर्माता को निर्माण की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिये अर्द्धनिर्मित माल को अपने अन्य परिसरों अथवा कारखाने में भेजने की अनुमति दी गई।

(बारह) सा० सां० नि० संख्या 1295 जो दिनांक 27-10-79 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए और जिनमें विजली पर शुल्क की वसूली के लिये कतिपय प्रक्रिया निर्धारित की गई।

(तेरह) सा० सां० नि० संख्या 1373 जो दिनांक 17-11-79 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए और जो बन्धपत्र प्रपत्र में संशोधन के बारे में है ताकि केन्द्रीय उत्पाद के पर्यवेक्षक द्वारा इसकी स्वीकृति की अनुमति दी जा सके।

(चौदह) सा० सां० नि० संख्या 1343 जो दिनांक 10-11-79 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए और जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन को कम करने के प्रयोजनार्थ दो सांविधिक प्रपत्र ई० बी० ई० ए० (बीडी) और ई० बी० 3 बी० (बीडी) आरम्भ करने के बारे में है। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 90क/80)

(5) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 296 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० संख्या 2003 से 2012, 2014 से 2019, 2022 से 2025 और 2029 जो दिनांक 16-6-79 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए और जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 (23ग) (चार) के अन्तर्गत छूट के बारे में है।

(दो) सां० आ० संख्या 324 (ङ) जो दिनांक 30-5-79 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए और जो नियम 6कक में संशोधन के बारे में है और जिसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35गग और 35 गगक के प्रयोजनार्थ निर्धारित प्राधिकरण की शक्तियां एक राज्यस्तरीय समिति को प्रत्यायोजित की गई हैं।

(तीन) सां० आ० संख्या 416 (ङ) जो दिनांक 21-7-79 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए और जो नियम 50 में एक नया खण्ड (2क) जोड़ने के बारे में है ताकि भारत के कम्पनी सचिव संस्थान नई दिल्ली की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति निर्धारितियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकें और नियम 54 और 55 में संशोधन किया जा सके ताकि एक व्यक्ति जो भारत में भूतपूर्व पुर्तगाली और फ्रांसीसी प्रान्तों में आयकर प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ हो एक आयकर व्यवसायी के रूप में अपना नाम पंजीकृत करवा सके।

(चार) सां०आ० संख्या 3948 और 3949 दोनों दिनांक 8-12-79 और सां० आ० संख्या 4083 से 4086 सभी दिनांक 29-12-79 जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए और जिनके

अन्तर्गत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 (23ग) (चार) के अन्तर्गत छूट दी गई है। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 91/80]

(6) वित्त अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० संख्या 354 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 8-6-79 में प्रकाशित हुए थे तथा विदेशी यात्रा कर से सम्बद्ध वित्त अधिनियम, 1979 के अध्याय पांच के उपबन्ध प्रवृत्त होने की तारीख अर्थात् 15 जून, 1969 के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० संख्या 355(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 11-6-79 में प्रकाशित हुए थे तथा विदेशी यात्रा कर के उपबन्ध को लागू करने के लिए अध्याय पांच के प्रयोजनों के लिए विदेशी यात्रा कर, 1979 संबन्धी धारा 40 के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमों के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०सां० नि० संख्या 356 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 11-6-79 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा वित्त अधिनियम 1979 की धारा 35 (दो) के अन्तर्गत अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालद्वीप को पड़ोसी देश माना गया है।

(चार) सा० सां० नि० संख्या 357 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 11-6-79 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा ऐसे जहाजों या विमानों को, जो भारत में किसी सीमा शुल्क पत्तन या किसी सीमा शुल्क हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा में व्यस्त हो, वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 35 (दो) के अन्तर्गत विदेशी यात्रा कर संग्रहण करने का अधिकार दिया गया है।

(पांच) सा० सां० नि० 358 (ङ) जो भारत के राजपत्र 11-6-79 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा रामेश्वरम से सलाईमनर की अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों को वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 35(1) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय विदेशी यात्रा करके संदाय से छूट दी गयी है।

(छः) सा० सां० नि० 359 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 11-6-79 में प्रकाशित हुए थे तथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 35 (1) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय विदेशी यात्रा कर से यात्रियों को छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० सां० नि० संख्या 360 (ङ) जो भारत के राजपत्र 11-6-79 में प्रकाशित हुए थे तथा भारत में राजनैयिक मिशनों के सदस्यों तथा उनके परिवारों, करियर कन्सूलर आफिसर तथा उनके परिवारों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ या उसके विशिष्ट अधिकरणों के पदाधिकारियों और उनके परिवारों को विहित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर विदेशी यात्रा कर की अदायगी से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सां० नि० 431 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 3-7-79 में प्रकाशित हुए थे तथा अनुमोदित तीर्थ यात्रा के लिये अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक यात्री को विदेशी मुद्रा की स्वीकृति के संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति से विहित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर विदेशी यात्रा कर की अदायगी से दी गई छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० सां० नि० 661 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 30-1-79 में प्रकाशित हुए थे तथा हज यात्रा करने वाले माता-पिता को उनके दो वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों को विदेशी तीर्थ यात्रा कर की अदायगी से छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा० सां० नि० 685 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 7-12-79 में प्रकाशित हुए थे तथा आई० ए० ई० ए० और यू० एन० आई० डी० ओ० सम्मेलनों के सम्बन्ध में भारत आने वाले आई० ए० ई० ए० और यू० एन० आई० डी० ओ० के क्रमशः 140 और 300 सचिवालयी कर्मचारियों को सम्मेलन की समाप्ति पर भारत से बाहर अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के सम्बन्ध में छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 92/80]

(7) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 की धारा 24क के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 282 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 मई, 1979 को प्रकाशित हुए थे जिसमें वाणिज्य पोत परिवहन के क्षेत्र में जर्मन गणवादी लोकतन्त्र और भारत के गणतन्त्र की सरकारों के बीच सहयोग करार दिया गया है ।

(दो) सा० सां० नि० संख्या 584 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 अक्तूबर, 1979 में प्रकाशित हुए थे जो आय के दुहरे कराधान से बचने के सम्बन्ध में भारत सरकार और फिनलैंड सरकार के बीच हुए करार के अनुच्छेद छः के पैराग्राफ (4) के लोप के बारे में है जिस पर 23 जून, 1961 को दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 93/80]

(8) स्वर्ण-नियंत्रण अधिनियम, 1968 की धारा 114 (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) स्वर्ण-नियंत्रण (प्रपत्र, फीस और प्रकीर्ण मामले) संशोधन नियम, 1979 के बारे में सांविधिक आदेश संख्या 446 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 अगस्त, 1979 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) स्वर्ण-नियंत्रण, (प्रपत्र, फीस और प्रकीर्ण मामले) संशोधन नियमं, 1979 के बारे में सांविधिक आदेश संख्या 878 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1979 में प्रकाशित हुआ था [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 94/80]

(9) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13(2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 721 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1979 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा पुराने प्रपत्रों को एक वर्ष की अवधि के लिये और बढ़ाने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण और कुल बिक्री) नियम, 1957 के नियम 12 का और संशोधन किया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 95/80]

(10) औषधीय और प्रशाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 530 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 सितम्बर, 1979 में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा भेषज नियंत्रक, मुख्य कैमिस्ट या भारतीय चिकित्सा पद्धति के सलाहकार को उनके

द्वारा लिखित रूप में दिये गये कारणों से, उपभेषज नियंत्रक, उप मुख्य कैमिस्ट या भारतीय चिकित्सा पद्धति के उपसलाहकार, यथास्थिति, को स्थायी समिति की किसी भी बैठक में उनकी ओर से भाग लेने के लिये अधिकार देने की व्यवस्था की गई है। [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 96/80]

(11) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ० 4 (28)/78-फीन (जी) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिल्ली के राजपत्र दिनांक 10 जनवरी, 1980 में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा फार्म एस टी-35 में घोषणा की व्यवस्था को तथा दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विक्रय कर की देय राशि को जमा करने की अनुमति को समाप्त किया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 97/80]

(12) संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 की धारा 5 के अन्तर्गत संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 961 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 98/80]

(13) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की धारा 6 के अन्तर्गत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वितरण) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 962 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 99/80]

(14) सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 की धारा 4 के अन्तर्गत सम्पदा शुल्क (वितरण) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1014 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 100/80]

फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मंत्री की संयुक्त घोषणा

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 27 जनवरी, 1980 को हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-100क/80]।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य-सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :

"राज्य-सभा के प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने 25 जनवरी, 1980 की अपनी बैठक में 24 जनवरी, 1980 को लोक-सभा द्वारा पास किए गये संविधान (45 वां संशोधन) विधेयक 1980 को बिना किसी संशोधन के भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार पास कर दिया है।"

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/श्री विद्याचरण शक्ल ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : किस नियमाधीन ? **(व्यवधान)** यह मेरा काम है, आपका नहीं । सभा का कार्य-संचालन करना मेरा काम है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : नियम 377 ।

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में लिया जायेगा ।

ज्योतिर्मय बसु मुझे कोई सूचना नहीं मिली है । उपाधियों को फिर से चालू करना संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है । इससे अनुच्छेद 18 का उल्लंघन होता है । इस सब की ओर ही तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं. . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : संविधान का उल्लंघन हो और इस ओर सभा का ध्यान न जाये, यह नहीं हो सकता . . . . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : : हम संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे । चिन्ता न करो, हम संविधान के अनुरूप ही कार्य करेंगे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कुछ राज्यों में सूखा और अकाल की स्थिति तथा इसका सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दिया जाना

श्री विद्याचरण शुक्ल : (महासमुंद) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर कृषि मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :

> "बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा कतिपय अन्य राज्यों के कुछ भागों में सूखा और अकाल की स्थिति तथा इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : महोदय, संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन हुआ है । सरकार ऐसा नहीं कर सकती, हमें उस पर ध्यान देना चाहिये । हमें भारतीय संविधान के अनुसार ही चलना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमन बसु, अब मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया है । इस अवस्था में इस पर विचार नहीं हो सकता । आप मुझ से आकर मिल सकते है, मैं आपका स्वागत करूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह तो बड़ा ही गम्भीर मामला है । जब संविधान. . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम नियमों के अनुसार चर्चा करेंगे । नियम तो बने हुए हैं । मैंने श्री बसु को यह बताने के लिए कहा है. . . .

श्री सी० पी० एन० सिंह (पडरौना) : नियमों के अधीन, हम समान अवसर के अधिकारी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमानुसार ही विनिर्णय देने को बाध्य हूं । श्रीमन् सी० पी० एन० सिंह जी, कृपया बैठ जाइए ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : जब कोई सदस्य बोलने के लिये खड़ा हो तो, नियम 350 के अधीन श्री बसु जी व्यवधान नहीं डाल सकते ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये, बसु जी अब आप बताएं कि आप कौन से नियम का हवाला देना चाहते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है । अनुच्छेद 18 के अधीन, खिताबों और उपाधियों का फिर से चालू करना संविधान का उल्लंघन है । संविधान को तो प्रथम अग्रता मिलनी चाहिये । कृपया अनुच्छेद 18 को देखें इसके अधीन खिताबों और उपाधियों को फिर से चालू करना संविधान के विरुद्ध है । जनता सरकार ने महाधिवक्ता की राय इस मामले में ली थी । उनका कहना था कि उपाधियां प्रदान नहीं की जा सकती हैं । यह तो अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : वे सदन के समय पर एकाधिकार नहीं जमा सकते । हमें भी अपनी बात कहने का समान अधिकार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : बसु जी, जब हम नियम 377 के अधीन मामले पर विचार करेंगे तो मैं आपको इस पर बोलने का अवसर दूंगा । अब तो इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर ही विचार चलने दो । हम इस पर भली-भांति विचार करेंगे ।

श्री आरिफ मुहम्मद खान (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग अपनी आदत के मुताबिक व्यवस्था का प्रश्न उठा कर सदन में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं । हम अपने अधिकारों का संरक्षण चाहते हैं ।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : महोदय, शैक्षणिक उपाधियों पर तो छूट है, वे तो अनज्ञेय हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी जांच करा ली है । मैं अपना विनिर्णय बाद में दूंगा । मैंने इसकी जांच कर ली है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री विरेन्द्र सिंह राव अपना वक्तव्य देंगे ।

कृषि तथा ग्राम्य पुनर्निर्माण मंत्री (श्री विरेन्द्र सिंह राव) : हाल में पड़े सूखे के कारण जो व्यापक विपत्ति पड़ी है और क्षति हुई है उसके बारे में सरकार को गंभीर चिंता है । इस तथ्य के कारण यह स्थिति और भी चिन्ताजनक हो गई है कि गत वर्षों में बाढ़ों की वजह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था ।

2 1979 के दौरान मानसून से पहले की वर्षा भी, जिस पर पूर्वी क्षेत्रों में पटसन और धान की अगेती फसल निर्भर करती है, कम हुई थी । दक्षिण-पश्चिम मानसून अनियमित रहा था और यह न केवल खरीफ फसल की बुवाई और वृद्धि के लिए कम था, अपितु चालू रबी फसल के लिए भी कम था । मानसून के आने में न केवल एक पखवाड़े का विलम्ब हुआ, अपितु अगस्त 1979 के अंत तक चार सप्ताह से लेकर नौ सप्ताह तक निरन्तर सूखा पड़ता रहा ।

3. राज्यों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार 11 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में खरीफ के दौरान 2200 लाख से भी अधिक लोग, 1230 लाख पशु और 380 लाख हैक्टार

सस्यगत क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुआ। राज्य सरकारों के अनुरोध पर सभी राज्यों में केन्द्रीय दल भेजे गये थे। उनकी सिफारिश पर और राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की स्वीकृति से केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को कुल 156.95 करोड़ रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार से स्वीकृत की गयी :

आन्ध्र प्रदेश (22.05 करोड़ रुपए), बिहार (11.82 करोड़ रुपए), हरियाणा (4.50 करोड़ रुपए), हिमाचल प्रदेश (3.70 करोड़ रुपए), मध्य प्रदेश (22.80 करोड़ रुपए), महाराष्ट्र (8.54 करोड़ रुपए), उड़ीसा (14.05 करोड़ रुपए), राजस्थान (18.75 करोड़ रुपए), जम्मू व कश्मीर (2.79 करोड़ रुपए), उत्तर प्रदेश (34.91 करोड़ रुपए) और पश्चिम बंगाल (13.04 करोड़ रुपए)।

4. राज्यों को स्वीकृत की गई व्यय की अधिकतम सीमा के अलावा, बजट सम्बन्धी व्यवस्था बढ़ाकर तथा खरीफ के ऋण के सम्बन्ध में वसूली को स्थगित करने की अनुमति दे करके सूखाग्रस्त राज्यों को 74.70 करोड़ रुपए का अल्पावधि ऋण उपलब्ध किया गया है।

5. जिन 11 सूखाग्रस्त राज्यों का पहले उल्लेख किया गया है उन्हें काम के बदले अनाज देने के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 12.51 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है। केवल सूखाग्रस्त राज्यों में रोजगार तैयार करने के लिए ही काम के बदले अनाज देने का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है और इन राज्यों को 9.5 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है।

6. भारत सरकार ने उन सब सूखाग्रस्त क्षेत्रों के, जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, छोटे तथा सीमान्त कृषकों को बीज, कृमिनाशी औषधियों और नाइट्रोजन-पूरक उर्वरकों सहित उर्वरका के लिए राज-सहायता प्रदान की है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि सामान्य तौर पर नाइट्रोजन पूरक उर्वरकों, कृमिनाशी औषधियों, बीज, आदि पर राज-सहायता नहीं दी जाती है।

7. उन छोटे तथा सीमान्त कृषकों को, जो ऋण के भारी बोझ से दब गये हैं, और अधिक राहत देने के लिए यह निर्णय किया गया है कि जिन क्षेत्रों में फसल की 50 प्रतिशत से अधिक हानि हुई है, वहां खरीफ के ऋण के व्याज के दायित्व को समाप्त किया जाए।

8. इसके अतिरिक्त, पशु आहार के निर्यात पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है और तिलहनों की खलियों और तेल रहित चावल की भूसी तथा मिश्रित पशु और कुक्कुट आहार के निर्यात को बंद कर दिया गया है।

9. हालांकि, अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर के दौरान हाई स्पीड डीज़ल की अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई थी, परन्तु यह दूर दराज के उन कृषकों को नहीं मिल रहा था, जो बिजली की त्रुटिपूर्ण सप्लाई के कारण भी परेशान थे। जब से वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला है, तभी से इस समस्या की ओर तत्काल ध्यान दिया गया है और राज्यों से कहा गया है कि वे सिंचाई कार्यों के लिए कृषकों को बिजली तथा डीज़ल की सप्लाई की स्थिति के विषय में रिपोर्ट भेजें। कृषकों को अनियमित अन्तराल और केवल रात में ही बिजली की सप्लाई करने के सम्बन्ध में सरकार को चिन्ता है। इस सम्बन्ध में राज्यों को सूचित किया गया है। रेलवे से खाद्यान्नों के अतिरिक्त, डीज़ल तथा उर्वरकों के लाने-ले-जाने के कार्य को तेज करने का भी अनुरोध किया गया था।

10. स्कूल न जाने वाले शिशुओं, गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं, बूढ़े एवं दुर्बल तथा अपंगों जैसे कमजोर वर्गों के लगभग 67 लाख लाभानुभोगियों के लिए समाज कल्याण मंत्रालय ने एक लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के आवंटन से एक खाद्य पोषण कार्यक्रम आरम्भ किया है। तथापि, यह देखा गया है कि राज्यों ने इस कार्यक्रम के प्रति कोई संतोषजनक उत्साह नहीं दिखाया है।

11. जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक कठिन परिस्थितियों के कारण पेयजल की गम्भीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उनकी ओर राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए और इसके लिए देश में

उपलब्ध सभी रिगों का उपयोग करने तथा भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है । राज्यों के सख्त चट्टानी क्षेत्रों में पेयजल कुओं के वेधन के लिए सभी उपलब्ध 'डाऊन दी होल हैमर'' रिगों का उपयोग करने के लिए प्रयास किए गए हैं । काम में लाने के लिए 33 रिगों को वितरित किया जा चुका है । सचिवों की एक समिति राज्य सरकारों के उपयोग के लिए रिगों के संचलन की प्रक्रिया पर निरन्तर निगरानी रख रही है । इस कार्यक्रम को अब उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । जनता को पेयजल की सप्लाई करने के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देना सरकार का कर्त्तव्य है और सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को गम्भीरता से लें ।

12. भारतीय खाद्य निगम से कहा गया है कि वह राज्यों को क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, जो कि पशु चारा तैयार करने हेतु पशु उपभोग के योग्य हो, कम मूल्य पर उपलब्ध करे । राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे पशु चारा तैयार करने वाले कारखानों को बिजली की कटौती करने से छूट दें ।

13. पशु चारा तैयार करने के उपयोग में लाने के लिए शोरे की अतिरिक्त मात्रा की व्यवस्था की जा रही है । इस मंत्रालय के कहने पर राज्य व्यापार निगम, सरकारों को पशु चारा तैयार करने के लिए तेल रहित खली उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है ।

14. राज्य वन विभागों और राज्य फार्म निगम से अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्ध घास को सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के पशुओं के लिए दें । मंत्रालय ने हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे कृषकों को धान की पुआल न जलाने के लिए कहें बल्कि इसे पशु चारे के लिए सूखा-ग्रस्त राज्यों को उपलब्ध करायें ।

15. सरकार सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में कृषकों की आवश्यकताओं से भली-भांति परिचित है और राहत देने के लिए इच्छुक है, जहां कि ऐसी राहत पहुंच नहीं पायी है । तथापि, यह बात माननी होगी कि पीड़ित लोगों के साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति होने के बावजूद, किसी भी सरकार के लिए प्राकृतिक विपत्तियों से हुई हानि को पूरा करना संभव नहीं है । राहत सम्बन्धी कार्यों को कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में अपना पूर्ण सहयोग देना होगा और केन्द्रीय सरकार भी इस सम्बन्ध में भरसक प्रयास करेगी, ताकि भविष्य में प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने में विलम्ब न हो । सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावकारी तंत्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है, ताकि प्राकृतिक विपदाओं की अवस्था में लोगों को तुरन्त, पर्याप्त और कारगर ढंग से सहायता उपलब्ध कराई जा सके ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस गम्भीर समस्या की ओर तत्परता से अपना ध्यान देने के लिए मन्त्री महोदय को धन्यवाद देने के साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें निम्नांकित तथ्यों की जानकारी है ।

मध्य प्रदेश में राज्य विधान सभा की ओर से भारी दबाव पड़ने पर सत्ताधारी दल को सारे राज्य को सूखा या अकालग्रस्त राज्य घोषित करने को बाध्य होना पड़ा और ऐसा करने के बाद, कलक्टरों और मंडलीय आयुक्तों को अभाव राहत संहिता को लागू न करने के मौखिक आदेश देकर वे इसे विफल बना रहे हैं । सारे राज्य को अकालग्रस्त घोषित करने की सरकारी घोषणा के बाद भी अभाव राहत संहिता के उपबंधों को लागू नहीं किया गया है । किसी जिले में अभाव राहत संहिता और अकाल-संहिता को लागू नहीं किया गया है जिससे स्थिति बहुत गंभीर हो गई है और स्थानीय सरकार की यह कार्यवाही मध्य प्रदेश के लोगों में बड़े ही आक्रोश का कारण बन रही है जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिये । मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय राज्यपाल से एक रिपोर्ट मंगाएं—सरकार से नहीं—क्योंकि राज्यपाल ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों का स्वयं दौरा किया है और उन्हें कुछ शिकायतें मिली हैं। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल से तुरन्त एक रिपोर्ट मंगाएं।

दूसरे, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में बड़े ही आरोप हैं। वस्तुतः भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं परन्तु इस काम के बदले अनाज कार्यक्रम में राजनीतिक बदले की भावना और राजनीतिक-चाल का सबसे बड़ा गम्भीर आरोप लगाया गया है। इससे मध्य प्रदेश में बड़ी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी स्थिति उन अन्य राज्यों में भी उत्पन्न कर दी गई होगी जहां इस कार्यक्रम को इसी ढंग से लागू किया गया होगा। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस मामले की तुरन्त जांच कराये और यह पता करें कि क्या ये आरोप सत्य हैं और स्थिति में सुधार लाये जिससे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई भारी सहायता का लाभ अकाल ग्रस्त लोगों को मिल सके। अभी तक तो यह भारी सहायता लोगों तक पहुंच नहीं सकी है।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह मध्यप्रदेश और मेरे चुनाव क्षेत्र में अभाव कार्यक्रम के राजनीति-प्रेरित होने के बारे में है। मैंने देखा है कि जहां कहीं लोगों ने सत्ताधारी दल के विरुद्ध मत डाले हैं उन गांवों में अभाव-राहत कार्यों को एकदम से पूरी तरह रोक दिया गया है और ऐसा न केवल मेरे ही चुनाव-क्षेत्र में किया गया है, अपितु ऐसा सारे ही मध्य प्रदेश में हो रहा है। यह बड़े ही शर्म की बात है और मैं तथ्यों की पूर्ण जानकारी से ही यह बात कह रहा हूं कि यह सब लोगों को सताने और उन्हें दण्डित करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में उन्होंने सत्ताधारी दल के विरुद्ध अपने मत दिये और इस पर केन्द्रीय सरकार को तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है जिससे कि इस स्थिति में तुरन्त सुधार किया जा सके।

पीने के पानी के बारे में भी वहां वैसी ही अराजकता फैली हुई है। जिन गांवों ने सत्ताधारी दल को मत दिये हैं वहां कुछ ध्यान दिया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधाएं कतई नहीं जुटाई जा रही हैं। जानबूझकर ऐसा भारी भेदभाव राजनीतिक आधारों पर किया जा रहा है। यह न केवल दुःखद बात है, अपितु यह केन्द्रीय सरकार से तुरन्त और कठोर कार्यवाही की मांग करती है जिसके अभाव में आगामी कुछ ही सप्ताहों में मध्य प्रदेश की स्थिति सर्वाधिक गम्भीर हो जायेगी।

अतः मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस स्थिति से निपटने के लिए जो कार्यवाही करना चाहते हैं उसकी स्पष्ट व्याख्या करें और उसका पूरा ब्यौरा दें।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : महोदय, मैंने पहले प्रश्न काल के दौरान और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में यह बताया था कि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को सूखा पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता दी है।

केन्द्रीय सरकार को अनेक माननीय सदस्यों और लोगों से भी शिकायतें मिली हैं कि जनता को लाभ पहुंचाने के विचार से कतिपय कल्याणकारी कार्यक्रमों का, जिनके लिये यह सरकार वचनबद्ध है, राजनीतिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया गया है। ऐसा मध्य प्रदेश में ही नहीं, अपितु अन्य राज्यों में हुआ है। खेद की बात है कि सामाजिक कल्याणकारी कार्यों से भी राजनीतिक लाभ उठाया जाये **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर)] : काम के बदले अनाज के बारे में पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है।

अध्यक्ष महोदय : शांत, शांत।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : काम के बदले अनाज के बारे में पश्चिम बंगाल ने भी ऐसा ही किया है। और आपको पता है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रमों का आपके राज्य में कुछ क्षेत्रों में गावों के राज-नीतिक कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिये उपयोग किया गया **(व्यवधान)**।

डॉ बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मध्य प्रदेश ने कितना अनाज और वित्तीय सहायता मांगी थी और कितना आज और राशि दी गयी ?

अध्यक्ष महोदय : आप सदा अध्यक्ष को सम्बोधित करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : जो श्री शुक्ल ने कहा है, वह बहुत ही गंभीर है। ये सभी सहायता योजनायें राज्यों के माध्यम से कार्यान्वित होती हैं। केन्द्रीय सरकार का यह पर्यवेक्षण करने का कार्य है कि किसी विशेष कार्यक्रम के लिये दी गई धनराशि का समुचित उपयोग हुआ है और जिन लोगों के लिये यह धनराशि दी जाती है उनको लाभ हुआ है।

हम कतिपय शिकायतों की पहले ही जांच कर रहे हैं और जो विशेष शिकायतें आयेंगी उनकी जांच की जायेगी। हमारा यह दृढ़ विचार है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी धनराशि का समुचित उपयोग किया जाये ।

मेरे माननीय मित्र ने यह सुझाव दिया है कि राज्यपाल से यह रिपोर्ट मांगी जाये कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस तरह के राहत उपाय किये हैं। आमतौर पर मैं कह सकता हूं कि जबसे मैंने इस पद का भार संभाला है तबसे हमने यह अनुभव किया है कि राज्य सरकारों ने सूखा प्रभावित लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिये पर्याप्त कार्य नहीं किया है। हम इस बात को देखेंगे कि इसमें जो भी रूकावटें हैं वे दूर की जायें। परन्तु यह सब राज्य सरकार के इरादों पर निर्भर करता है **(व्यवधान)**। यदि उनके इरादे अच्छे नहीं हैं तो केन्द्रीय सरकार निस्संदेह इस बात पर विचार करेगी कि जो भी कार्यक्रम बनाये गये हैं वे कार्यान्वित किये जायें और उसके लिये अर्थोपाय जुटाये जायें। हम राज्यपाल से रिपोर्ट भी मांगेंगे जिससे यह सभा उससे संतुष्ट हो। यदि विशेष कार्यक्रमों जिनके लिये वित्तीय सहायता दी गयी है, के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का राज्य सरकार ने पालन नहीं किया है, तो हम इसकी जांच करके सचाई का पता लगा सकते हैं।

यह भी खेद की बात है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल सुविधायें जुटाने के बजाय राज्य सरकार के कार्यकरण में राजनीति प्रवेश करने लगी है। यदि मेरे मित्र शुक्ल द्वारा कही गयी बात सत्य है तो वास्तव में यह बड़े दुख की बात है। जल सप्लाई व्यवस्था सही और समान रूप से शुरू की जानी चाहिये। जिन लोगों को चीजों की अत्यधिक आवश्यकता है, उनकी ओर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई के समुचे प्रश्न पर विचार कर रहा हूं और जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, निस्संदेह सूखाग्रस्त क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायगी।

महोदय, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनाज का अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। महाराष्ट्र एक ऐसा ही राज्य है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने पहले बताया था कि केन्द्रीय सरकार काम के बदले अनाज कार्यक्रम बन्द करना चाहती थी। उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया था। ऐसे भी लोग हैं जो अपने उत्तरदायीपूर्ण पदों पर विचार न करते हुए लोगों को डराने की कोशिश करते हैं हमने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सरकार काम के बदले अनाज के इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये उत्सुक है। हम इसे आगे बढ़ायेंगे और इसके लिये अधिक धनराशि निर्धारित करेंगे । जिन क्षेत्रों की अभी तक अपेक्षा हुई है, उन सभी क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिये हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न है।

अध्यक्ष महोदय, एक और लाभदायक कार्यक्रम है, अर्थात् सूखा पीड़ित लोगों के लिये पोषाहार कार्यक्रम। यह भी खेद की बात है कि कुछ राज्यों से अनुकूल जवाब नहीं आया है। हम तो यह कह सकते हैं कि राज्य सरकारों को पुनः याद दिलाया जायगा कि वे लोगों की भलाई के लिये चलाए गए ऐसे सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों को राजनीति से दूर रखें और जहां भी वे गलती करेंगे वहां हम हर तरह से स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : मैं मंत्री महोदय का शुक्रगुजार हूं कि बिहार के रिलीफ मेजर्स की गंभीरता को समझते हुए आपने 11 करोड़ रुपये की राशि बिहार सरकार को दी है लेकिन मुझे काफी दुख है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट में कन्फ्रन्टेशन चल रहा है और सारा पैसा **फूड फार वर्क**

की जगह लूट फार वर्क में बर्बाद हो रहा है। इतना ही नहीं बिहार के दक्षिण के भागों में जैसे गया, नवादा और पलामू आदि में पेय जल का संकट उत्पन्न हो गया है। . . . (व्यवधान)। मुझे कहने दीजिए मैं सारी बातें आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने जो राशि आबंटित की है क्या उस पर प्रोपर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो बिहार की 6 करोड़ जनता को आप मरने देंगे या बिहार सरकार को कोई कड़ा निदेश देंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : स्पीकर साहब, जैसा मैंने कहा कि कहतजदा इलाकों में मदद पहुंचाने की खातिर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जहां जहां पैसे का अलोकेशन किया गया है, वहां हम देखेंगे कि पैसे का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं और आगे उसका सही इस्तेमाल हो। जहां तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, इस काम के लिये काफी रकम दी गयी है। सिर्फ पैसा ही नहीं, फूडग्रेन भी दिया गया है। ड्राट अफेक्टेड इलाकों के लिए एडीशनल डीजल भी दिया गया है। लेकिन बहुत सी स्टेट्स के अन्दर उसको किसानों में पहुंचाने के बजाय, उस डीजल का गलत इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, चूंकि इम्प्लीमेन्टेशन सारा स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथों में है, इसलिये बहुत हद तक हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। (व्यवधान) आनरेबल मेम्बर ने अपनी जो परेशानी जाहिर की है, उससे हम भी सहमत हैं और सरकार की तरफ से इस बात की पूरी कोशिश की जायगी कि जिन लोगों को असिस्टेंस पहुंचनी चाहिये थी और नहीं पहुंची है, और लूट मची है, उसकी पूरी तरह से देखभाल की जाए (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि केवल उन्हीं सदस्यों को एक एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायगी जिनका नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये स्वीकृत किये गए हैं। अन्य सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं। ये ही नियम है। अन्य सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे व्यवधान न डालें। अब श्रीमती कृष्ण साही।

श्रीमती कृष्ण साही (बेगुसराय) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में गंभीर और भयानक सूखे के कारण, बिहार सरकार ने 587 प्रखण्डों में से 307 प्रखण्डों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप एवं सदन के भी माननीय सदस्य जानते हैं कि फेमिन कोड के मुताबिक जब किसी भाग या किसी क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वहां पर तत्काल वार-फुटिंग पर राहत-कार्य किये जाते हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार सरकार के पंगु प्रशासन, इनएफिशियेंसी और डेफिशेंट पालिसी के कारण वहां राहत के सारे कार्य ठप्प पड़े हैं। वहां किसानों और मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है।

अभी हमने माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य पढ़ा भी है और सुना भी है। हमें पहले से भी जानकारी है कि यहां से राहत कार्यों के लिये जितनी राशि का आवंटन किया गया उसका भी सही इस्तेमाल वहां नहीं हो रहा है। यहां से उच्चस्तरीय समिति बिहार में गयी थी और उसकी अनुशंसा के बाद राहत कार्यों के लिये यहां से राशि का आवंटन किया गया था। उसमें किसानों के लिये अल्पकालीन ऋण देने की व्यवस्था है, उस क्षेत्र में और भी काम करने के लिये यहां से आदेश एवं निदेश गये हैं, उसके बाद भी कोई राहत कार्य अभी प्रारंभ नहीं किये गये हैं। किसानों के लिये बीज और फसलों को कीड़ों से बर्बादी रोकने के लिये कीड़ा-नाशक औषधियां यहां से दी गयी लेकिन उनका उपयोग उन सारे क्षेत्रों में नहीं हुआ। ये सारे काम कागज पर ही हैं।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां किसानों और मजदूरों की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। हालत यहां तक दयनीय है कि वहां जानवरों के लिये चारा नहीं है, गल्ले की दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। डीजल की वहां सख्त कमी है, बिजली का अभाव है। इन सब चीजों की ओर मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं और साथ ही साथ अनुरोध करना चाहती हूं कि भारत सरकार हस्तक्षेप करे और ऐसी निपंगु और निष्क्रिय सरकार को अविलम्ब बरखास्त करे। बिहार में पचास प्रतिशत क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित

किया गया है। वहां पर साढ़े तीन करोड़ लोगों के सामने जीवन और मरण का प्रश्न उठ कर खड़ा हो गया है। ऐसी निपंगु और निष्क्रिय सरकार को अविलम्ब बरखास्त किया जाना चाहिये यह मेरा आप से अनुरोध है। इसमें भारत सरकार शीघ्र सख्त से सख्त कार्यवाही करे।

वहां पर उन इलाकों में जिनको अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है पीने तक के वास्ते पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसे बहुत से क्षेत्र है, जैसे सिकन्दरा है, बेगुसराय है, बरबीघा, शेखपुरा है। इन सब इलाकों में पीने के पानी का सख्त अभाव है। वहां डीजल नहीं है। साढ़े तीन करोड़ लोगों के सामने जीवन मरण का प्रश्न आकर उपस्थित हो गया है। मेरा अनुरोध है कि सरकार तुरन्त हस्तक्षेप करे और सख्त से सख्त कार्यवाई करे और ऐसी सरकार को बरखास्त करे।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : आनरेबल मेम्बर से मैं इत्तिफाक करता हूं कि किसी भी सरकार के अच्छे बुरे काम का माप-तौल इस चीज पर निर्भर होना चाहिये कि खास तौर पर मुसीबत के वक्त में वह सरकार अपने लोगों के लिये कितना अच्छा काम करके दिखाती है। जो कमियां हैं उनको हमारे बस की जो बात होगी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। पीने के पानी के अभाव की बहुत से गावों में माननीय सदस्या ने शिकायत की है बिहार में ही नहीं बल्कि इसमें कोई शक नहीं है कि हिन्दुस्तान में अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं है।

श्रीमती कृष्णा शाही : जिन इलाकों को अकालग्रस्त इलाका घोषित किया गया है, वहां पीने का पानी तक नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : इंसानों के लिये भी पानी बहुत से गावों में नहीं है। जहां अकाल पड़ा है वहां मवेशियों के लिये भी पानी नहीं है। हमारी यह कोशिश है कि अकालग्रस्त क्षेत्र में भी लोगों के लिये पीने का पानी उपलब्ध किया जाए और मवेशियों के लिए भी किसी तरीके से पानी मुहैया किया जाए, नहरों से या ट्यूबवेलों से। उनके लिये भी हम राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को और हाऊस को यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार का यह मुसम्मम इरादा है कि अगले पांच सालों में हिन्दुस्तान में कोई ऐसा गांव न रहे जहां अच्छा, साफ, मीठा पीने का पानी उपलब्ध न हो। इसके लिये हम और ज्यादा ध्यान देंगे और जहां से शिकायत आएगी, उसको देखेंगे।

श्री ए०टी० पाटिल (कोलाबा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को कुछ राहत उपायों, विशेषरूप से कृषि मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के पैरा 6 में उल्लिखित राहत उपायों की घोषणा करनी थी। यह जिक्र किया गया है कि आमतौर पर नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों, कीटनाशकों, बीजों आदि पर राज सहायता उपलब्ध नहीं है। अब महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं जहां 10% में ही सिंचाई सुविधा प्राप्त है और 90% भूमि खुश्क है। फसल साल में एक बार होती है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार का विचार कुछ राहत उपाय करने का है जिससे कृषकों को अगले मौसम से उनके व्यवसाय में लगाया जा सके। क्या वक्तव्य के पैरा 6 में की गई व्यवस्था वर्तमान मौसम के लिये लागू होती है अथवा यह अगले मौसम में भी लागू होती है? क्योंकि कृषकों के सामने समस्या पहले तो जीवित रहने की है और इसके बाद अगले मौसम में कृषि व्यावसाय में लगने की है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अगले मौसम में इन कृषकों को अपने व्यवसाय में लगाने के लिये कौन से उपाय कर रही है।

दूसरे, जहां तक कुएं खोदने का संबंध है, कतिपय क्षेत्रों का चयन करने के लिये कोई राजनीतिक निर्णय लिया जाए और तदनुसार कार्यवाही की जाये।

सरकार ने कतिपय उपायों की घोषणा की है—एक तो राज सहायता प्राप्त बीजों, कीटनाशकों, और उर्वरकों की सप्लाई है, दूसरे ऐसे क्षेत्रों में जहां फसल की हानि 50% से अधिक होगी, वहां बकाया ऋण राशि पर ब्याज की देयता समाप्त की जाएगी। क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है कि ये

दो उपाय पूरी तरह से कार्यान्वित किये जायें ? तीसरे ये मामले राजनीतिक से प्रेरित नहीं होने चाहिएं परन्तु अभी कुछ हद तक ऐसा है। इस राजनीतिक प्रेरणा के अतिरिक्त प्रभावित लोगों तक सहायता का पहुंचने में और कौन-सी अन्य कठिनाइयां हैं ? और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : सूखे के बाद सहायता का समूचा उद्देश्य किसानों की अगले आने वाले मौसम, अर्थात् वर्तमान रबी मौसम में कार्य शुरू करने में मदद करने का है। इस दृष्टि से राज सहायता मार्च, 1980 तक दी जाती थी। यदि महाराष्ट्र में कोई क्षेत्र है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, जहां रबी की फसल नहीं होती है और सूखे के बाद केवल अगले वर्ष अगली फसल खरीफ होगी, हम निस्संदेह इस बात पर विचार करेंगे कि इन क्षेत्रों को भी सहायता दी जाये। जिससे कि वे अपनी अगली फसल, जो कि उनके कथनानुसार अगले वर्ष खरीफ होगी; बो सकें और हम राज सहायता की अवधि बढ़ायेंगे।

जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि बीजों, उर्वरकों, आदि के वितरण में और कीटनाशकों के छिड़काव में भी कदाचार है। इसके संबंध में हमें कतिपय बातों की जानकारी है और हम यह सावधानी बरतेंगे कि ये सभी कदाचार रोके जायें और इस तरह हम केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अन्तर्गत ऐसे कदाचार करने वाले लोगों को पकड़ सकेंगे, क्योंकि इन स्कीमों के लिये केन्द्र से राज्यों को भी धनराशि दी जाती है, इसलिये हम निस्संदेह कठोर कार्यवाही करेंगे।

नियम ३७७ के अधीन मामले

(एक) गुजरात में कोयले की सप्लाई में कटौती

श्री आर० मोती भाई चौधरी (मेहसाणा) : अध्यक्ष महोदय, 1979 के अक्तूबर मास में एक उच्चस्तरीय समिति का निर्माण हुआ था और जिसने निर्णय किया था कि गुजरात में समुचित औद्योगिक और कृषि के लिये 2,70,000 मीटरी टन कोयला अवश्य दिया जाना चाहिये। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि गत नवम्बर मास में ही इस पूर्ति में कटौती करके 2,10,000 टन कोयला दिया गया। दिसम्बर में, 2,25,000 टन और 15 जनवरी तक 90,000 टन केवल मात्र कोयला दिया गया, जिसके फलस्वरूप विद्युत उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत तक कटौती हो गई। जहां प्रति दिन 1900 मेगावाट विद्युत की खपत है वहां आज 1480 मेगावाट प्रतिदिन उपलब्ध हो रही है जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन दोनों पर ही बुरा असर पड़ रहा है और यही विद्युत उत्पादन की गति निरंतर कुछ और दिन रही तो मेरा विश्वास है कि गत वर्षों में न केवल वही समाप्त होगी वरन प्रदेश अधोगति की ओर अग्रसर हो जायेगा।

अतः, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान गुजरात की इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि सरकार तत्काल ऐसा कदम उठाये, जिससे इस समस्या का निराकरण हो सके। आशा है सरकार की ओर से इस समस्या का अपना दृष्टिकोण रखा जायेगा।

(दो) बिरला औद्योगिक और प्रौद्योगिक संग्रहालय का बन्द होना

श्री निरेन घोष (दमदम) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

बिड़ला इन्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नालौजिकल म्युजियम, गुरुकाडे दत्त रोड, कलकत्ता, भारत सरकार की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन था। 25 वर्ष तक महान कार्य करने के बाद इसे अचानक ही भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि इस म्यूजियम को कलकत्ता से हटाने का षड़यंत्र चला रहा है। निश्चित है कि ऐसे कदम से जनता में

क्षोभ फैलेगा। इस संस्था को बिना कारण बताए दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में बन्द कर दिया गया है। अन्तिम दिन भी जिस दिन यह म्यूजियम खुला था 800 दर्शक इसे देखने गए। 250 कर्मचारी बेकार हो गए हैं। इस म्यूजियम को शीघ्र खोलने की प्रबल मांग जनता की ओर से की जा रही है।

ऐसा समाचार मिला है कि एक कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई है और छः को मुअत्तिल कर दिया गया है इसके लिये कोई कारण नहीं बताये गये हैं। अतः मेरी मांग है कि कर्मचारियों को उत्पीड़ित न किया जाए और म्यूजियम को कलकत्ता से हटाने के प्रस्ताव को रद्द किया जाए।

(तीन) बिहार में बिजली के संकट का समाचार

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय का उल्लेख करना चाहता हूं :—

बिहार अभी भीषण विद्युत संकट से गुजर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार के ऊपर भी आती है। रेल मंत्रालय तथा ऊर्जा मंत्रालय की आपसी खींचातानी के कारण कोयले की उपलब्धि में कमी एवं अनियमितता रहती है। फलतः विद्युत उत्पादन में बाधा हो रही है। साथ ही बिहार विद्युत बोर्ड एवं भेल एक दूसरे पर विफलताओं का दोषारोपण करते आ रहे हैं। इस आपसी दोषारोपण के कारण बिहार की जनता त्रस्त है। कृषि चौपट होती जा रही है। किसानों में भयंकर असंतोष है। उद्योगों, खासकर लघु उद्योगों, की हालत बदतर होती जा रही है। यहां तक कि अस्पतालों में रोगियों का इलाज तथा आपरेशन भी नहीं हो पाता है। अतः शीघ्र ही बिहार में विद्युत संकट दूर करने हेतु रेल और ऊर्जा मंत्रालय आपसी खींचातानी को समाप्त करें।

सभा को 29.1.1980 को स्थापित करने के बारे में अध्यक्ष महोदय की घोषणा

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को ज्ञात है कि कल 'बीटिंग रिट्रीट' समारोह आयोजित होगा। सदस्यों को इस समारोह को देखने का अवसर देने हेतु मेरा सभा को कल मध्याह्न पश्चात् 4 बजे स्थगित करने का प्रस्ताव है। मैंने इस प्रस्ताव पर दलों और ग्रुपों के नेताओं से विचार-विमर्श किया है और वे सभी इससे सहमत हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (जारी)

अध्यक्ष महोदय : अब हम धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे। श्री चरण सिंह बोलेंगे। पर चौधरी साहब के द्वारा अपना भाषण आरम्भ किए जाने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने दल के सदस्यों की संख्या के अनुसार समय आवंटित किया है। चौधरी साहेब कुछ समय तक बोल चुके हैं। और अब आठ मिनट शेष हैं। हम सबने फैसला किया है कि सभा की बैठक 2 फरवरी तक ही होगी। अतः हमें इसी सीमित समय में काम करना है। कृपया अपना भाषण इस बात को ध्यान में रख कर ही दें ताकि दल के जिस सदस्य को आप बोलने का अवसर देना चाहते हैं वह अपनी बात कह सके।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक निवेदन है। सभा की यह परम्परा रही है कि जब भी दलों के नेता भाषण देते हैं उन्हें निश्चित समय से थोड़ा अधिक समय दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : जितना भी समय उपलब्ध होगा दिया जाएगा। जो मेरे हाथ में नहीं है वह मैं नहीं दे सकता। मैंने सभी नेताओं की सहमति से फैसला किया है। चौधरी साहेब।

श्री चरण सिंह (बागपत) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अपना ख्याल यह था कि मुझको काफी समय मिलेगा एड्रेस में जो सवाल उठाए गए हैं उनका जवाब देने के लिये लेकिन अब आपने तय किया है दूसरे लोगों के मशविरे से, मैं शायद उसमें शामिल नहीं था, आम तौर पर लीडर आफ दि अपोजिशन और लीडर आफ दि हाउस के लिये ऐसी डिबेट में कोई समय मुकर्रर नहीं होता, लेकिन अगर मुझे 8 ही मिनट बोलना है तो फिर एक एक प्वाइंट दो-दो सेकण्ड में बतला देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : थोड़ा प्रेमाइज कर दीजिए।

श्री चरण सिंह : कल मैंने यह कहा था कि श्री एस० एम० कृष्णा के जवाब में--उन्होंने यह फर्माया कि हिन्दुस्तान आर्थिक और सैनिक दृष्टि से मजबूत हुआ, मैंने कहा नहीं। आर्थिक दृष्टि से मैंने यह कहा कि पिछले तीन साल जो कांग्रेस पार्टी के थे उसमें उन्होंने 25 अरब रुपये का 18.8 मिलियन टन गल्ला बाहर से मंगाया। प्रधान मंत्री बैठी थीं, उस वक्त उन्होंने कहा कि यह बात गलत है। मैं अब आपको यह बतलाना चाहता हूं कि फूड स्टेटिस्टिक्स की जो बुलेटिन 1978 में निकली है उसकी फिगर्स ये हैं कि 1974 में 4874 हजार टन अनाज आया जिसकी कीमत थी 463 करोड़, सन् 75 में 7407 हजार टन आया जिसकी कीमत थी 10 सौ करोड़ 57 लाख 90 हजार और 1976 में 6515 हजार टन गल्ला आया अमेरिका से जिसकी कीमत थी 982 करोड़। तीनों को मिलाकर हुआ 1 करोड़ 87 लाख 96 हजार टन जिसका मतलब है 18.8 मिलियन टन और 19-20 मिलियन टन वह छोड़ कर गई थीं। कीमत थी उसकी 25 अरब 3 करोड़ रुपये। लिहाजा जो मैंने फैक्टस् रखे थे जिनको प्राइम मिनिस्टर ने डिस्प्यूट किया था वह उनके ही अपने आफिसियल रिकार्ड से साबित है। इसलिये यह कहना कि कांग्रेस के जमाने में आर्थिक दृष्टि से और मिलिट्री की दृष्टि से देश मजबूत हुआ, गलत है। (**व्यवधान**)**. .

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए।

श्री चरण सिंह : एड्रेस में यह कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी जनता के हर सेक्शन को, देश के हर प्रदेश को, हर कोने को और हर प्रकार की राय को रेप्रेजेण्ट करती है। यह उनका क्लेम गलत है, अनफाउन्डेड है। इसके लिये कोई आधार नहीं है। आपने यह भी कहा है कि हम कम्यूनल डिफरेंसेज, सेक्शनल डिफरेंसेज और इस तरह के इन्फ्लुएंसेज पर निर्भर नहीं करते हैं, हम पीपल एज एक होल को रेप्रेजेण्ट करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब डी एम के से फैसला हुआ तो वह रीजनल पार्टी नहीं थी क्या? वह रीजनल पार्टी थी। सैयद अब्दुल्ला बुखारी साहब से फैसला किया उनकी कुछ कम्युनल डिमांड्स को माना तो वह कम्युनल डिफरेंसेज का फायदा उठाने की कोशिश की या नहीं की? दोनों चीजों से इंकार नहीं किया जा सकता।

रहा यह कि आप जनता एज ए होल को रेप्रेजेण्ट करते हैं तो बिहार और यू पी में 35 से 37 फीसदी आप के वोट आए हैं और वैसे सारे देश में साढ़े बयालीस फीसदी वोट आए हैं, तो यह क्लेम भी कल का आधार रहित है। इसके अलावा केरल और वैस्ट बंगाल का जहां तक ताल्लुक है उसकी नुमाइन्दगी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं करती है। लिहाजा यह क्लेम भी बोस्टफुल है, आधाररहित है कि आप देश को रेप्रेजेण्ट करते हैं इरेस्पेक्टिव आफ सेक्शनल डिफरेंसेज एटसेट्रा।

उन्होंने यह भी कहा कि वह अब स्टेबल गवर्नमेंट देंगे, यह भी क्लेम अनफाऊण्डेड है। आपकी बड़ी भारी मेजोरिटी थी सन् 75 में, फिर भी आप मुल्क को नहीं चला पाए और आपको इमरजेन्सी लागू करनी पड़ी। इसके अलावा सन् 1966 से 77 तक 11 साल के अन्दर अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप ने, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने 27 बार निकाला, कभी इस स्टेट मिनिस्ट्री को, कभी उस स्टेट मिनिस्ट्री को। लिहाजा स्टेबल गवर्नमेंट देने का दावा और वादा, यह भी आधार रहित है।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आपने यह भी फरमाया कि जब तक आप आफिस से बाहर रहे हैं इस बीच में कम्यूनल और डिविजिव फोर्सेज यानी साम्प्रदायिक और देश में फूट डालने वाली ताकतों को बढ़ाया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वाकया है या नहीं कि हर पांच साल बाद जब एलक्शन आया उसके ठीक छः महीने पहले हरिजन कान्फरेंसेज, माइनारिटी कान्फरेंसेज और बैकवार्ड क्लासेज कान्फरेंसेज की गई या नहीं? हर पांच साल बाद जब एलेक्शन आया तब जो ये कान्फरेंसेज की गई, ये किसलिए की गई? **(व्यवधान)**** . . . .

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए।

(श्री चरण सिंह—जारी)

जो वाकयात हैं उन पर शोर मचाने से कोई काम नहीं चलेगा। आप जरा शांति से सुनिए। **(व्यवधान)**।

जहां तक शांति और व्यवस्था में डेटेरियोरेशन, गिरावट की बात है, ठीक है लेकिन जबसे आपने चार्ज लिया तब से दिल्ली में क्या हो रहा है? **(व्यवधान)** लोक दल के जमाने में या जनता पार्टी के जमाने में अगर एक मर्डर होता था तो चारों तरफ शोर मचता था कि ला एण्ड आर्डर खत्म हो गया ला एण्ड आर्डर खत्म हो गया लेकिन अब कोई शोर मचाने वाला नहीं है।

इसके अलावा जो लोग वायलेंस पैदा करते हैं उनको इस तरह का कोई अधिकार दूसरे को टांट करने का नहीं है। अभी 4–5 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के तीन एम० पीज ने हजारों आदमियों के जुलूस के साथ एक तरह से वायलेंट डिमांस्ट्रेशन लखनऊ में किया। **(व्यवधान)**** क्या यह वाकया है या नहीं? 23 तारीख का जुलूस निकाला गया। **(व्यवधान)**** तीन एम०पीज थे जिनका नाम बता देता हूं -- बहराइच के एम० पी०, अलमोड़ा के एम० पी० और . . . **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : मि० टाइटलर आप आराम से बैठिए।

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में कोई ला एण्ड आर्डर नहीं है, यह मेरे पास अखबार है। **(व्यवधान)****

श्री चरण सिंह : मैं अपने दोस्तों से अर्ज करना चाहता हूं कि जब आपका मौका आये तब जरूर कहिएगा। अगर आप मुझको बोलने नहीं देंगे तो इधर की तादाद कम सही, आपको भी फिर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाए। कृपया बैठ जाइए। श्री टाइटलर जी यह कोई तरीका नहीं है। कृपया इस सभा के एक सम्मानित सदस्य की तरह व्यवहार करें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई व्यवधान नहीं डालता लेकिन एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: किस नियम के अधीन?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : वह मैं बाद में बताऊंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं? मैं वह नियम जानना चाहता हूं। आप व्यर्थ ही सभा का समय खराब कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मध्याह्न भोजन काल का समय है।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं । ऐसी चीज हो सकती है कि मैं कोई बात गलत कह रहा हूं या आप उस को गलत समझ रहे हो । आप को मौका मिलेगा--बोलने का और आप उस वक्त उस का जवाब दे सकते हैं । लेकिन बीच में रोकेंगे तो यह सभा नहीं चलेगी—सीधी सी बात है ।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह जलूस निकला था, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने निकाला था, तीन एम०पीज उस में शामिल थे और जो कौंसिल हाउस में जबरदस्ती घुसना चाहते थे।

अध्यक्ष महोदय : आप मध्याह्न भोजन के बाद दो बजे अपना भाषण जारी रखें।

13.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजने के लिए 2.00 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

लोकसभा भोजन के पश्चात् दो बजकर तीन मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (जारी)

श्री चरण सिंह (वागपत) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि सभा का समय कम है और मुझे वहुत बातें कहनी थीं लेकिन अब मैं केवल एक, दो बातें कह कर ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

प्रेसीडेंट एड्रेस में यह कहा गया है कि नियोजन के जरिये या प्लानिंग के जरिये सामाजिक और आर्थिक तब्दीलियां लाने की कोशिश की जायेगी । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर पुरानी नीतियों का अनुसरण किया जायेगा, तो फिर किसी प्रकार की कोई चेंज या तबदीली नहीं आयेगी और जो सोशल चेंज की बात है, सामाजिक परिवर्तन की बात है, तो उसके दो मोटे से रूप हैं एक तो यह है कि हमारे यहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और दूसरी सोशल प्राब्लम है, जो हमारा सोशल सिस्टम है, वह कास्ट्स पर बेस्ड है, जन्मगत जिसका आधार है और वह हमारे यहां एक दूसरी बड़ी समस्या है ।

जहां तक बेरोजगारों का सम्बन्ध है, हर प्लान में, गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार या प्लानिंग कमीशन के आंकड़ों के अनुसार, बेरोजगारों की तादाद बराबर बढ़ती चली गई है । पहली प्लान के बाद, प्लानिंग कमीशन का यह अंदाजा था कि 3.3 मिलियन यानी 33 लाख बेरोजगार हैं और चौथी प्लान के बाद वे आंकड़े बढ कर 13.6 मिलियन हो गये । इसका मतलब यह हुआ कि 1 करोड़ 36 लाख आदमी बेरोजगार हैं। जो इम्प्लायमेंट एक्सचेंज हैं, काम-दिलाऊ दफतर हैं, उनमें जिन नौजवानों ने अपने नाम रजिस्टर करवाये हैं, उनकी संख्या 1971 में 42 लाख 21 हजार थी। सन् 1977 में उनकी तादाद 1 करोड़ दो लाख 39 हजार हो गयी । यानी उनकी तादाद बढ़ गयी । यह तो बेरोजगारी का हाल है।

अब कास्ट सिस्टम और जातिगत आधार पर जो बुराइयां हमारे देश में हैं, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता कि रूलिंग पार्टी कहां तक जाने को तैयार है । मेरी प्रधान मंत्री जी से इस बारे में बात हुई थी और मैंने उन्हें कहा था कि हमारी सब से बड़ी कमजोरी है कास्ट सिस्टम । उसी की वजह से हमारे समाज में बहुत सी खराबियां पैदा हुई और सैकड़ों वर्षों तक हमारा मुल्क गुलाम रहा यह सब केवल जात-पात के कारण हुआ ।

एक जाति की डेफिनेशन क्या है ? यही है कि एक समूह को जो कि आपस में मैरिज, विवाह करता है वह एक कास्ट कहलाती है। हम उन लोगों को किसी दूसरी कास्ट में विवाह करने के लिये मजबूर नहीं कर सकते। हम किसी आदमी को बी०ए० पास करने के लिये मजबूर नहीं कर सकते, इस बात के लिये मजबूर नहीं कर सकते कि उसका सीना इतना हो, उसकी ऊंचाई इतनी हो, उसके हार्ट में कोई रोग न हो। लेकिन जब हम गजेटेड सर्विसिज में लड़के को लेते हैं तो उसके लिये हम क्वालिफिकेशन रखते हैं कि वह ग्रेजुएट हो, या इंजीनियरी की डिग्री उसके पास हो, हैल्थ का सर्टिफिकेट उसके पास हो। अब हमने उसकी फिजिकल पावर और ब्रेन पावर का तो इम्तिहान ले लिया लेकिन उसका हार्ट भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसका हैड। जब कोई लड़का किसी सर्विस में आयेगा या लेजिस्लेचर में आयेगा तो वहां उसका हार्ट भी काम करेगा। एक दृष्टि से उसके हार्ट में ही सिम्पेथी, एन्टीपैथी, लव और हेट पैदा होते हैं। इसी से, जिसको हम नैरो सिम्पेथी, या तंगदिली कहते हैं, पैदा होते हैं। यह हमारे समाज में और हमारी परिस्थितियों में है। यह जो परिस्थिति है वह जन्मगत जात-पात के कारण है।

हमारी जो क्लास टू और क्लास वन की गजेटेड सर्विसिज हैं वे मुश्किल से तीन या चार परसेंट होंगी। उनके लिये हम उसके हैड और ब्रेन का इम्तिहान तो लेते हैं लेकिन उसके हार्ट का नहीं। अगर उसका हार्ट इतना बुरा हो कि वह हिन्दुस्तान के सारे आदमियों के लिये एक जैसी हमदर्दी न रखता हो, तो हमारा काम चलने वाला नही हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि हम एक ऐसी कंडीशन लगायें कि जो भी इस सर्विस में आये वह इन्टर कास्ट मैरिज के लिये तैयार हो।

माननीय प्रधान मंत्री जी उस समय तैयार नहीं हुई थीं। मुमकिन है अब तैयार हो जायें। (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि वे उस समय तैयार नहीं थीं। यह वाकया है। अब अगर वे तैयार हो जायें तो मैं इसे देश की खुशकिस्मती समझूंगा। यह तो हुआ सोशल सिस्टम का हाल।

अब मैं इकोनोमिक सिस्टम पर आता हूं। इसका क्या हाल है ? हमारी माननीय प्रधान मंत्री जी पहली बार प्रधान मंत्री 1966 में बनीं थीं। उस समय, अर्थात 1964-65 में, अगर एक मिलियन या दस लाख की आबादी वाले मुल्क को एक मुल्क माना जाये तो उन 125 मुल्कों में गरीबी की दृष्टि से हमारा स्थान 85 वां था। अर्थात् 84 देश हम से मालदार थे और 40 देश हम से गरीब थे। उसके आठ साल बाद, अर्थात् इंदिरा जी के चार्ज लेने के सात साल के बाद जहां हमारा स्थान ऊपर चढ़ना चाहिये था, यानी हमारे स्थान 70 पर या 65 पर होना चाहिये था वहां हमारा स्थान 103वां हो गया। हम से जो गरीब देश थे उनमें से 18 देश हम से मालदार हो गये, हम से ऊपर चढ़ गये। यह 1973 की बात है। उसके तीन साल बाद, जबकि माननीय इंदिरा जी का शासन काल था, हमारे देश का स्थान 111वां हो गया। 110 देश हम से मालदार हो गये। यह तो गरीबी का हाल है।

1967-68 में जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग थे उनका प्रतिशत 1978 में और भी बढ़ गया। प्लानिंग कमीशन के नोट्स आप देख लें। उनके मुताबिक आज 47 परसेंट आदमी गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, 41 प्रतिशत शहरों में और 47.48 प्रतिशत गांवों में। पावर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों की तादाद समय गुजरने के साथ-साथ बढ़ती गई है बजाय घटने के। कन्सेंट्रेशन आफ इकोनोमिक पावर, आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण बजाय घटने के बढ़ता ही गया है। बिड़ला, टाटा के आंकड़े आप देख लें। मेरे पास समय नहीं है कि मैं उन आंकड़ों को आपके सामने रख सकूं। आंकड़े इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। 1951 में जितनी उनके पास दौलत थी आज उससे कहीं ज्यादा वह बढ़ गई है, बजाय कम होने के।

एग्रीकल्चरल वर्कर और नान-एग्रीकल्चरल वर्कर में पहले 100 और 178 का अनुपात था 1951 में और आज वह 100 और 366 हो गया है। आपके तीस साल के राज्य का यह नतीजा है कि

अमीर आदमी और अमीर होता गया है, गांव और शहर का फर्क बजाय कम होने के बढ़ता गया है, बेरोजगारों की तादाद बढ़ती गई है । इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री एम०एम० कृष्णन द्वारा पेश किये गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । हम पिछले 28 महीनों में जनता शासन देख चुके हैं और साथ ही पिछले छः मास का लोक-दल कांग्रेस गठबन्धन शासन का भी अनुभव कर चुके हैं ।

इस अवधि के दौरान बेरोजगारी, भुखमरी, समुद्री तूफान, सूखा जैसे दैवी विपत्तियां, परिवार नियोजन और आर्थिक विकास जैसी समस्यायें गौण हो गई थीं और हड़तालें, घेराव, मजदूर संघ द्वन्द्व, छात्र अनुशासनहीनता, जांच आयोग और बड़े-बड़े काण्डों का बोलबाला था । वस्तुतः इस अवधि में सरकार लोगों की, लोगों के लिये और लोगों की नहीं थी अपितु जनता पार्टी की और जनता पार्टी के लिये थी । विदेश यात्राओं की भरमार रही । प्रायः यह कहा जाता था कि जनता पार्टी में शामिल होइये और विदेशों की यात्रा करिये । जनता पार्टी देश को समाजवाद से पूंजीवाद की ओर ले गई । जनता पार्टी के डा० स्वामी जैसे लोगों द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये वे योजनाबद्ध विकास के सिद्धांत के विरुद्ध थे। राष्ट्रीयकरण समाप्त करने की उनकी योजना कुछ एकाधिकारियों को फायदा पहुंचाने तथा स्वार्थी लोगों को देश की अर्थ व्यवस्था सौंपने की थी ।

सरकारी उपक्रमों से जो सामाजिक क्रांति आई है उसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता । भारत जैसे देश में जहां बढ़ती हुई जनसंख्या की भारी समस्या है जहां शोषण, सामाजिक असुरक्षा बेरोजगारी के प्रति लोग संघर्ष कर रहे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती । इससे सामाजिक विषमता दूर नहीं हो सकती । केवल समाजवाद द्वारा ही लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है । दुर्भाग्य से जनता पार्टी के शासनकाल में इस व्यवस्था को तिलांजलि दे दी गई ।

इतना ही नहीं । लोग जनता पार्टी के नेताओं में अपना विश्वास खो चुके हैं । ये नेता उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने और देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में असमर्थ रहे हैं । सौभाग्य है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथ में सत्ता आई है और वह स्थिति को बदलने में समर्थ हैं । श्री चरण सिंह के शब्दों में हालांकि ये शब्द शालीन नहीं है, जनता पार्टी के नेता नपुंसक साबित हुए। मैं तो यह कहूंगा कि वे भीगी बिल्ली साबित हुए । इन के बारे में जितना थोड़ा कहा जाये उतना ही अच्छा होगा । अराजकता, नैराश्य और नैतिकह्रास का युग समाप्त हो गया है । अब श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन की बागडोर संभालने से देश की जनता यह आशा कर सकती है कि ये समस्यायें शीघ्र ही दूर हो जायेंगी । श्रीमती इन्दिरा गांधी को पुनः चुनने से लोगों ने अपने अधिकार का प्रयोग करके जनता पार्टी आदि के उन निर्वाचित प्रतिनिधियों को पराजित कर दिया है जिन्होंने उनके मतादेश का दुरुपयोग किया । उन्होने पुनः देश में लोकतांत्रिक मुल्यों के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है ।

देश की जनता ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि देश की जनता ही सर्वोच्च है न कि पार्टियों के नेता । उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को पूर्ण बहुमत दिया है क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि उनके साथ धोखा हुआ है और जनता पार्टी के नेताओं ने उनके साथ विश्वासघात किया है ।

चुनावों के बाद प्रायः यह कहा जाता है कि देश की जनता ने लोकतन्त्र के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है और अनिवार्यतः इसका अभिप्राय प्रभावी और कुशल प्रशासन नहीं हो सकता । यह एक मजबूत सरकार है ।पूर्णतः लोकतांत्रिक है और प्रभावी और कुशल है । पर जनता के शासनकाल में

बहुचर्चित स्वतन्त्रता का फायदा व्यापारियों, चोर बाजारियों, तस्करों और विदेशों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों ने ही उठाया। जनता की स्वतन्त्रता की यही परिभाषा थी जो उसने लोगों को दी। गरीब जनता का क्या बना। वस्तुतः उन्हें काफी परेशानी हुई और उन्हें उस स्वतन्त्रता का लाभ नहीं मिला।

अब जनता ने श्रीमती इन्दिरा गांधी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। क्यों? इसलिये कि श्रीमती गांधी ने स्थायी सरकार, कानूनी व्यवस्था कायम करने और प्रभावी तथा कुशल सरकार का वचन दिया है। पिछले ही दिन श्री चरण सिंह कह रहे थे कि हमारी पार्टी के सदस्य श्रीमती गांधी को चढ़ा रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। 1977 के चुनाव के बाद इस सभा में आप लोग ही बोलते रहे। हमें अवसर नहीं दिया। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक आप लोग श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री संजय गांधी की आलोचना करते रहे। उन्हें फटकारते रहे। आप देश की लोकतांत्रिक परम्परा के विरुद्ध काम करते रहे। अब ये नवयुवक अवसर के मुताबिक काम करेंगे और बूढ़ों को रास्ता दिखायेंगे तथा आप लोगों को सही दिशा देंगे। (व्यवधान) जब आप बोल रहे थे तब मैंने आप को नहीं टोका। जब आप के नेता बोल रहे थे मैंने कोई व्यवधान पैदा नहीं किया।

जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है। बहुमत बहुत ही स्पष्ट और निश्चयात्मक है। यह नकारात्मक नहीं है। यह श्रीमती इन्दिरा गांधी को वापस लाने का जनता का सुस्पष्ट जनमत संग्रह है। क्योंकि इस देश के लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायिकता, राजनैतिक घटकवाद, अवसरवाद, दलबदल और सामाजिक तथा आर्थिक अराजकता के विरुद्ध थे।

इस देश की जनता ने निश्चित रूप से विपक्ष में अब बैठे नेताओं तथा हार गये सदस्यों को नीचा दिखाया है। ऐसा जनता ने इस कारण किया है कि उन्होंने इस देश की जनता की प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। जनता बहुमत से श्रीमती गांधी को वापस लाई है क्योंकि जनता श्री चरण सिंह द्वारा खड़ी की गई जातिवाद की दीवारों को गिराना चाहती थी। जनता प्रादेशिकता और साम्प्रदायिकता का भी उन्मूलन करना चाहती थी और राजनैतिक प्रतिबद्धता की भावना पैदा करना चाहती थी और यह चाहती थी कि धन केन्द्रित न हो, आर्थिक विषमतायें दूर हों, मूल्य कम हों। जनता यह भी चाहती थी कि श्रीमती गांधी रोजगार प्रधान योजनायें चलाये और जनता को जीवनोपयोगी आवश्यक न्यूनतम वस्तुयें मुहैय्या करे।

जनता सरकार ने देश को आर्थिक संकट के किनारे खड़ा कर दिया। कोयले, बिजली, मिट्टी के तेल और डीजल की निरन्तर कमी ने देश की अर्थव्यवस्था को अस्तव्यस्त कर दिया है। इस दिशा में स्थिति सामान्य करनी होगी। विशेष रूप से मिट्टी के तेल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि और इन के उपलब्ध न होने के कारण जनता सरकार तथा लोकदल शासकों की पराजय हुई है। इतना ही नहीं, देश के उत्तरी भागों में करोड़ों लोग अन्धकार में हैं और उनके पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये आवश्यक ट्रैक्टर तथा डीजल इंजन भी नहीं हैं। इस प्रकार की चीजें, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये आवश्यक हैं, बेकार पड़ी हैं और इस देश की जनता इस आशा में है कि श्रीमती गांधी यथासंभव शीघ्र उनकी समस्यायें हल करेंगी। इसके अतिरिक्त कानून और व्यवस्था की स्थिति भी बहाल करनी होगी तथा लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करनी होगी।

अब मैं इस सभा के एक माननीय सदस्य श्री जगजीवन राम का हवाला देता हूं। इस चुनाव से पुनः यह सिद्ध हो गया है कि आज कोई यह दावा नहीं कर सकता कि वह एक विशेष समुदाय के नेता हैं। इस देश के हरिजनों अर्थात् कमजोर वर्गों ने श्रीमती गांधी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और श्री जगजीवन राम की अपेक्षा श्रीमती गांधी को तरजीह दी है यद्यपि श्री जगजीवन राम ने यह मान लिया था कि वह हरिजनों की सहायता से सत्ता पर आसीन हो जायेंगे। उनका दावा था कि हरिजन उनके प्रति वफादार हैं।

अब मैं इस सभा के एक और सदस्य श्री चरण सिंह का हवाला देता हूं। उन्होंने क्या किया है ? वह देश को विभाजित करना चाहते थे। वह देश का संकुचित विभागों में विभाजन करना चाहते थे और लोगों ने उन्हें अलग कर दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हरिजनों, कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है। यह स्वाभाविक और वैध है। कमजोर वर्ग निश्चित रूप से यह आशा करते हैं कि उन लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक लाभ पहुंचाये जायेंगे जिनको इनसे वंचित रखा गया है। महोदय, इस देश की स्थिति पिछले 23 महीनों से एक बिना पतवार के जहाज जैसी है। कोई दिशा तथा प्रतिबद्धता की भावना प्रदर्शित नहीं की गई क्योंकि कोई दिशा नहीं थी। दुर्भाग्यवश यह देश जो पहाड़ों को भी हिला सकता है एक ढेला बन कर रह गया। उसके लिये कौन उत्तरदायी है ? इसके लिये उनके नेता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई, उनके नेता श्री जगजीवन राम, उनके नेता और भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चरण सिंह उत्तरदायी हैं।

अब आज ये लोग लोकतन्त्र की बात करते हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि लोकतन्त्र क्या है और ये लोग क्या समझते हैं। परन्तु मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। इस देश में अब विश्वास, इच्छा, आकांक्षा, गतिवाद, और साहस पुनः पैदा करना होगा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यह कार्य केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी ही कर सकती हैं। यह तमाशबीनों के शब्द नहीं हैं। यह इस देश के लोगों की आशा है। लोग अपनी सार्वभौमिकता और सर्वोच्च सत्ता को समझते हैं। मैं उनको यह बता सकता हूं कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ। अब वे लोकतन्त्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। मैंने अभी श्री चरण सिंह का भाषण सुना है। उनको जनता शासित राज्यों तथा लोकदल शासित राज्यों की विधानसभाओं के भंग होने की आशंका है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस महानुभाव ने अपने शासन के दौरान क्या किया जो अब लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतन्त्र की बात कर रहे हैं। इस देश के गृह मंत्री के नाते उन्होंने जनता शासन के दौरान कांग्रेस शासित राज्यों को भंग करने की धमकी देने वाले पत्र लिखे। इतना ही नहीं उन्होंने चिकमंगलूर से निर्वाचित प्रतिनिधि श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी सभा से बहिष्कृत कर दिया। आज वे लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। उस अवधि में उन्होंने क्या किया ? कोई उपयुक्त कारण दिये बिना उन्होंने एक निर्वाचित प्रतिनिधि श्रीमती इन्दिरा गांधी को निष्कासित कर दिया।

एक माननीय सदस्य : कौन कहता है ?

श्री जनार्दन पुजारी : उस समय मैं सभा में उपस्थित था। आप लोगों ने उसका जवाब दिया है। लोगों ने यह जवाब क्यों दिया है ? क्योंकि आप असुरक्षा, अस्थिरता, अराजकता और अव्यवस्था के लिये उत्तरदायी थे। इस कारण जनता ने सही उत्तर दिया है। 1977 के चुनावों के पश्चात् तुरन्त ही मैंने अपने पहले भाषण में यह कहा था। मैंने जनता शासकों को यह कहा था यद्यपि निरन्तर व्यवधानों के कारण हमें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता था। अब हमारी नेता युवा सदस्यों को बोलने का अवसर दे रही हैं, किन्तु उन दिनों जनता सदस्य हमें अपना मुंह खोलने का अवसर नहीं देते थे। 1977 के चुनावों के पश्चात् मैंने सभा में कहा था कि इस देश के लोग एक दिन अपनी भूल को समझेंगे और वह दिन दूर नहीं है जबकि लोग पुनः श्रीमती इन्दिरा गांधी को वापस लायेंगे। क्योंकि जनता सरकार इस देश के निर्धन लोगों को अनाज, दवाई और रोजगार नहीं दे सकी। अब लोगों ने अपनी भूल महसूस कर ली है और थोड़े समय में ही अर्थात 33 महीनों के भीतर श्रीमती इन्दिरा गांधी को वापस लाई है। इसे याद रखा जाना चाहिये। मैं अधिक नहीं बोलूंगा किन्तु हमें एक बात महसूस करनी चाहिये। हम अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग हैं। हम बदला नहीं लेना चाहते। इसी कारण परसों मैंने इस प्रस्ताव का एक संशोधन पेश किया था। मुझे पता है कि उन लोगों ने श्री जार्ज फरनान्डीज के विरुद्ध लगाये गये फौजदारी मुकदमों को वापस ले लिया था। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चरण सिंह आज लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। जिस समय वह गृह

मंत्री थे, उस समय उन्होंने क्या किया ? उन्होंने श्री जार्ज फरनान्डीस के विरुद्ध लगाये गये मुकदमों को यह कारण देते हुए वापस ले लिया कि बदली हुई परिस्थितियों में वे श्री जार्ज फरनैन्डीस के विरुद्ध चल रहे मुकदमों को वापस लिया जा रहा है। और श्री जार्ज फरनेन्डीस के विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये थे। उनके विरुद्ध ऐसे आरोप लगाये गये थे जिनकी सजा मृत्यु, आजीवन कारावास हो सकती है। उन पर चलाये गये ऐसे फौजदारी मुकदमे वापस ले लिये गये। अब हम अपनी सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री संजय गांधी, श्री आर०के० धवन और अन्य लोगों के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमे वापस लिये जायें। क्यों? विशेष न्यायालय अधिनियम बदला लेने, श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उसके परिवार का राजनैतिक जीवन समाप्त करने के लिये पारित किया गया था। आज मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में मुझे सहयोग दें। हम बदला लेने के पक्ष में नहीं हैं। हम जानते हैं कि बदले की भावना से कोई लाभ नहीं होता। हम अपना उत्तर-दायित्व समझते हैं। हम विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे इन राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों को वापस लेने में सहयोग दें। अन्यथा जनता अवश्य ही अपनी शक्ति दिखायेगी और वास्तव में लोगों ने श्रीमती गांधी पर चलाये गये मुकदमों को वापस लेने के पक्ष में राय दी है क्योंकि लोग नहीं चाहते कि कोई राजनैतिक बदला लिया जाये। वे राजनैतिक बदला पसन्द नहीं करते।

अन्त में मैं सभा के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे समाजवाद का समर्थन करें क्योंकि इससे गांधीवाद और नेहरूवाद, मानवतावाद और अन्ततः इन्दिरावाद को बल मिलेगा।

धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री चन्द्राकर।

इससे पहले कि आप अपना भाषण आरम्भ करें, मैं यह बताना चाहता हूं कि समय बहुत सीमित है। प्रत्येक दल के लिये समय नियत किया गया है। निस्संदेह, सत्ताधारी कांग्रेस दल के वक्ताओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। फिर भी मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपना भाषण 10 मिनट तक सीमित रखें।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : चूंकि अब आपने समय नियत करने का प्रश्न उठाया है, मैं अनुरोध करता हूं कि घंटे नियत नहीं किये गये हैं। केवल दिन नियत किये गये हैं। आज प्रातः अध्यक्ष ने घोषणा की है कि 29 को केवल 4 बजे अपराह्न तक वाद-विवाद होगा। इसका अर्थ यह है कि समय दो घंटे कम कर दिया गया है। अतः हमारा प्रस्ताव है--मैंने अनौपचारिक रूप से अध्यक्ष के साथ इस पर चर्चा की है—कि कल मध्याह्न भोजन समाप्त कर दिया जाये ताकि हमें एक और घंटा मिल जाये और यदि सभा सहमत हो तो हम 30 तारीख को कुछ देर तक बैठ सकते हैं क्योंकि प्रायः 3—4 घंटे कम कर दिये गये हैं और इस प्रकार हम पूरा वाद विवाद कर सकते हैं।

संसदीय कार्य और संचार मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : हमें कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय अन्तिम निर्णय लेंगे।

श्री चन्द्राकर।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : अध्यक्ष, जी, मैं आज यहां राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर श्री कृष्ण जी के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए भाषण दे रहा हूं। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में यह आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार आर्थिक विकास की ओर अधिक ध्यान देगी।

राष्ट्रपति जी के भाषण को मुख्यतः पांच भागों में बांटा जा सकता है। एक——समाज का अत्यंत गरीब वर्ग, जिसे कंगाल कहते हैं, बिलो पावर्टी लाइन रहने वाला कहते हैं, उसकी दशा सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। दो——देश में अराजकता के युग को समाप्त करना। तीन——मंहगाई रोकने के लिए सख्त कदम उठाना। चार——देश की रीढ़, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और पांच——अफगानिस्तान की स्थिति पर चिन्ता।

यह सही बात है कि पिछले ढाई वर्षों में भारत सरकार ने राजनीतिक जोड़-तोड़ की ओर विशेष ध्यान दिया और प्रशासन की ओर बिल्कुल नहीं के बराबर ध्यान दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि देश का आर्थिक विकास पूर्णतः ठप्प हो गया। इसी प्रकार से देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। यह तो आज भूतपूर्व मंत्री श्री चरण सिंह के भाषण से भी जाहिर है क्योंकि जितना भी आज कहा उसमें इतना ही कहा कि इन्दिरा शासन के समय 11 वर्षों में अमुक अमुक चीजें नहीं हुई और बे-रोजगारी बढ़ी आदि लेकिन ढाई वर्षों में जनता पार्टी या लोकदल की सरकार ने क्या क्या किया, उसके एक शब्द की भी चर्चा नहीं की। इससे यह बात साफ है कि उनके सामने कहने का कुछ था ही नहीं।

आप जानते हैं ढाई तीन वर्ष पहले हमारे देश का लोहा और सीमेन्ट बाहर जाता था। लेकिन इसी काल में दूसरे देशों से इस देश में लोहा और सीमण्ट आने लगा। किसी भी देश के आर्थिक विकास की बुनियाद होती है सीमेन्ट, लोहा, कोयला, बिजली लेकिन इस देश में इन चीजों की अत्यन्त कमी हो गई। ऐसी स्थिति में कारखानों का उत्पादन बढ़े तो कैसे बढ़े जब कोयला, बिजली, डीजल और पैट्रोल न मिले। कारखानों को जब ईंधन ही नहीं मिलेगा तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि देश के मजदूरों ने देश के आर्थिक विकास में अपना पूरा सहयोग देने का प्रयत्न किया लेकिन जनता पार्टी और लोकदल सरकारों ने उनका सहयोग लेने से लगभग इन्कार ही किया। इसी तरह से पिछले ढाई वर्षों में पब्लिक सैक्टर के विकास के कामों में कुछ ऐसे कदम उठाये गये, जिन से पब्लिक सैक्टर बदनाम किया गया। आप देखिए——इस्पात के उत्पादन के लिये कोकिंग-कोल की आवश्यकता होती है। हमारे देश में कोकिंग-कोल की कमी जरूर है, लेकिन इतनी कमी नहीं है कि हम विदेशों से कोकिंग-कोल मंगाये। यदि हम अपने ही देश में "वाशिंग-प्लांट्स" या "वाशरीज" खोलें तो देश के कोयले से उस के "ऐश-कन्टेन्ट्स" को साफ कर के लोहे के उत्पादन के लिये कोयला उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन इस बात की उपेक्षा की गई और विदेशों से कोयला मंगाया जाने लगा।

जनता पार्टी की सरकार ने प्रायः देश के सभी कमजोर वर्गों की उपेक्षा की, चाहे वे खेतिहर मजदूर हों, कारखानों में काम करने वाले मजदूर हों, सब्जी बेचने वाले हों, मोची हों, रिक्शा चलाने वाले हों, उन का विश्वास जनता पार्टी और लोक-दल से बिल्कुल उठ गया था और इस बात का सबूत यह है कि मतदाताओं ने, खास तौर से इस वर्ग के लोगों ने, कांग्रेस के उम्मीदवारों का साथ दिया। इस का कारण यह था कि जनता पार्टी और लोक-दल की सरकारों के समय में उन की उपेक्षा की गई। 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो इन्दिरा-सरकार के समय में लागू किये गये थे, इन वर्गों को जो लाभ होता था, जिन के पास जमीन नहीं थी, जो गरीब थे, हरिजन थे, आदिवासी थे, उन को जमीनें दी जाती थीं, बैंकों के द्वारा कर्ज दिये जाते थे, चाहे मोची हो, रिक्शा चलाने वाला हो, उस को बैंको से ऋण की सहायता मिलती थी, ये सब सुविधायें ढाई वर्ष के समय में पूर्णतया बन्द कर दी गई, जिसके कारण गरीबों के विकास के सभी मार्ग बन्द हो गये। उस सरकार के प्रति इस वर्ग में बहुत ज्यादा रोष पैदा हो गया था और उस वर्ग ने अपना रोष पिछले चुनाव में इन पार्टियों को हरा कर दिखलाया।

इतना ही नहीं जनता पार्टी और लोकदल की सरकारों ने मंहगाई को रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाया। यदि कुछ किया तो मंहगाई को बढ़ाने के काम को प्रोत्साहन दिया——यदि ऐसा कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देखिये——पहले दुकानों में वस्तुओं के मूल्य लगाये जाने का नियम था, दुकानों मे जितनी चीजें बिकती थीं उनके मूल्य वहां लगाये जाते थे······

एक माननीय सदस्य : एमर्जेन्सी के समय में।

श्री चन्दुलाल चन्द्राकर: एमर्जेन्सी में या किसी भी समय में किया गया, लेकिन मूल्य लगाये जाने का नियम था। क्या मूल्यों का लगाया जाना कि अमुक वस्तु का मूल्य यह है—यह अन्याय है? यदि अन्याय है तो आप साफ-साफ कहिये कि अन्याय है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकेंगे ·········· (व्यवधान).... चीजों के मूल्य लिखने से या चीजों के मूल्य घोषित करने से किस को घबराहट होती है, इस नियम को रोक कर आप किस वर्ग को समर्थन देना चाहते हैं, किस को लाभ पहुंचाना चाहते हैं? चीजों के मूल्य लिखे जाने से कोई भी गरीब से गरीब आदमी जाता था और उस को अमुक मूल्य पर वस्तु खरीदने का आश्वासन मिलता था। लेकिन इन ढाई वर्षों में क्या हुआ? आप किसी भी चीज को लेने जाइये—गेहूं और चावल के दाम तो कम बढ़े, लेकिन अन्य चीजों के दाम इतने बढ़ गये जिस का कोई हिसाब नहीं। आप आज सवेरे कोई चीज खरीदने जाइये, उस के बाद कल सवेरे जा कर देखिये तो उस के दाम काफ़ी ज्यादा या कुछ न कुछ अवश्य बढ़े हुए मिलते थे। पिछले 6 महीने या साल भर में चीजों के दाम कितने बढ़े—इस की चर्चा हमारे भूतपूर्व प्रधामन्त्री ने अपने भाषण में बिलकुल नहीं की। उन्होंने यह नहीं बतालया कि उनके कार्यकाल में चीजों के दाम कितने बढ़े हैं, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि अमुक-अमुक साल में इन्दिरा कांग्रेस के समय में इतने दाम बढ़े, लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि पिछले ढाई सालों में कितनी मंहगाई बढ़ी। हमारे देश में पिछले ढाई सालों में बेरोजगारी निश्चित रूप से डेढ़ गुना या दो गुना अधिक बढ़ गई है। आप किसी भी इलाके में चले जाइये किसी भी गांव में चले जाइये, हमारे देश में 5 लाख 75 हजार गांव हैं प्रत्येक गांव में युवकों में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है और बढ़ती जा रही है। उनकी हालत को सुधारने के लिए या काम देने के लिए पिछली सरकार ने 10 वर्ष का समय दिया था कि हम 10 वर्ष में बेरोजगारी दूर करेंगे। भला कब तक ये बेरोजगार इस का इन्तजार करेंगे। इसलिए 1980 के जो अभी चुनाव हुए हैं, उन से भी जो राज्यों में जनता पार्टी या लोक दल की या मिली-जुली सरकारें हैं, उन्होंने अभी तक कोई सबक नहीं लिया है। आप इस बात को इसी से जानिये कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो और चाहे मध्य प्रदेश हो, या और भी राज्य हों, जहां भीषण अकाल है, वहां पर राहत कार्य नहीं खोले जा रहे हैं। आखिर किस लिए? राहत कार्यों के लिए गरीब लोग काम चाहते हैं मेहनत कर के पैसा कमाना चाहते हैं, वे मुफ्त में पैसा नहीं चाहते लेकिन फिर भी उन के लिए राहत कार्य नहीं खोले जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। छत्तीसगढ़ से लगभग 6, 7 लाख लोग रोजी-रोटी की तलाश में दिल्ली, शिमला और काश्मीर तक चले गये हैं। जो गर्म क्षेत्रों के रहने वाले हैं, वे भी ठंडे क्षेत्रों में काम करने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि उन को अपने यहां काम नहीं मिल रहा है और आज भी जनता पार्टी की सरकार चुनाव हारने के बाद भी किसी तरह का सबक नहीं ले रही है। अभी तक वह जनता के विरुद्ध अपना रवैया रखे हुए हैं और सबक लेने के लिए अभी भी तैयार नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि राहत कार्यों को खोलने का अधिकार राज्य सरकारों का है, उनको काम देने का अधिकार राज्य सरकारों का है और पीने के पानी की व्यवस्था करने का अधिकार भी राज्य सरकारों का है। सरकार कब तक इन गरीबों को भूखा रहने देगी और वे कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि एक बार यह प्रश्न उठे कि राज्य सरकारों को हटाया जाए या जनता को भुखा मरने दिया जाए, तो यदि आवश्यकता हो कि राज्य सरकारों को हटाया जाए, तो इस बात के लिए राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए सरकार को जरा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। लोग डेमोक्रेसी के नाम की कितनी दुहाई देते हैं लेकिन हर एक को यह मालूम है कि चिकमंगलूर से चुन कर जब श्रीमती गांधी सदस्य बनीं थीं, तब उनको हटाने के लिए किस तरह की कार्यवाही की गई, उसका मैं यहां पर विवरण नहीं देना चाहता लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप इस बात को देखिए कि आज मध्य प्रदेश की सरकार चुनाव में हार जाने के कारण इन्दिरा कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जबरदस्ती नसबन्दी कई जगहों पर करवा रही है। जबर्दस्ती इसलिए की जा रही है क्योंकि लोगों ने इन्दिरा कांग्रेस को वोट दिया है। सरकार को इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि उन के इरादे क्या हैं?

इस सम्बन्ध में मैं दो, तीन चीजों की ओर और आपका थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं एक बात तो यह है कि अफ़गानिस्तान की स्थिति के सम्बन्ध में निश्चित रूप से हमारे देश को भी चिन्ता है। अभी देश में इस बात पर संतोष है कि हमारे देश का प्रधान-मन्त्रीत्व आज श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों में आ गया है, लेकिन अगर जनता पार्टी या लोक दल के प्रधान मन्त्री ऐसे समय में यहां होते तो निश्चित रूप से हमारे देश के लोगों में उतनी चिन्ता बनी रहती जितनी पहले थी क्योंकि देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि दुनिया के तीन, चार बड़े नेता हैं, जिन में श्रीमती इन्दिरा गांधी का स्थान आता है और अफ़गानिस्तान की समस्या के साथ जो समस्या हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के और हमारे बीच में आने वाली है, हमको पूरा विश्वास है कि श्रीमती इंदिरा के नेतृत्व में इस समस्या को शान्तिपूर्वक हल कर लिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश के मतदाताओं ने दूरदर्शिता से काम लिया है और इस देश को बचाने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी को यहां चुन कर कर भेजा है।

मैं आप का और अधिक समय न ले कर केवल इतना ही और कहना चाहता हूं कि मतदाताओं का जो निर्णय है, उस को ध्यान में रखकर सरकार इस बात पर विचार करे कि केवल बदले की भावना से कांग्रेसियों पर जो मुकदमें चलाए जा रहे हैं, उन्हें तत्काल वापस लेने के लिए हमारी सरकार को भी कदम उठाने चाहिए ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : सभापति, महोदय, मेरे पास समय अधिक नहीं है।

सभापति महोदय : पूरे दल के लिये 27 मिनट हैं ।

श्री समर मुखर्जी : महोदय, हमारे दल के एक और भी वक्ता हैं। मैं न केवल सारे सदन का अपितु समूचे देश के लोगों का कुछ मामलों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक नई सरकार सत्ता में आ गई है किन्तु उसकी कुछ पृष्ठभूमि है तभी तो अतीत की बात हमेशा सामाने आती है और वह अतीत चर्चा का विषय बनता है। मैंने राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा है, मैंने सत्तारूढ़ दल का चुनाव घोषणा पत्र भी पढ़ा है । मैंने यह भी देखा है कि सभी कमियों के लिये सारा दोष जनता पार्टी की सरकार के माथे मढ़ दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : और आप पर भी है।

श्री समर मुखर्जी : आप हमें भी शामिल कर सकते हैं। मैं वास्तविकता में विश्वास करता हूं। किन्तु आत्म-निरीक्षण—आत्मविश्लेषण बिल्कुल नहीं किया गया है। इस बात का कहीं अन्वेषण नहीं किया गया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार को 1977 में सत्ताच्युत क्यों किया गया? इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा गया है कि जनता ने उन्हें क्यों अस्वीकार कर दिया था (**व्यवधान**) कृपया विघ्न मत डालिये। मैं बड़ी गम्भीरता से अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि भविष्य में इसके बड़े गम्भीर प्रभाव होंगे। 1971 में जिस सरकार को सत्ता सौंपी गई थी, 1977 में उसे निकाल फेंका गया। अतः इस बीच कुछ ऐसी बात अवश्य हुई होगी, जिससे जनता उस सरकार से नाराज हो गई (**व्यवधान**).... हमारे मित्र कहते हैं कि मार्क्सवादी प्रचार के कारण, ठीक है, जब हजारों व्यक्तियों को जेलों में ठूंस दिया जाये तो क्या इसे प्रचार कहेंगे? जब हमारे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु को हिसार जेल में भेजा गया था तो क्या वह प्रचार था? यदि आप अब भी नहीं सीखते तो आपको पुनः उन्हीं परिणामों को भोगना पड़ेगा। एक दिन आपको वहीं जनता सत्ता से हटा देगी। आप इस बात को मत भूलिये। आप लोकतन्त्र की बात करते हैं। आपको मात्र 43 प्रतिशत मत प्राप्त हुये हैं। 57 प्रतिशत जनता ने आपके विरुद्ध मतदान किया है। या आप यह समझते हैं कि जिन लोगों ने आपको मत दिये हैं वही लोग हैं और जिन्होंने नहीं दिये, वह लोग नहीं हैं। कृपया आप समझने का प्रयास करें कि वास्तविकता क्या है? जिन 57 प्रतिशत व्यक्तियों ने आपको अपना मत नहीं दिया वे किस से उनको प्रतिनिधि करने की आशा कर सकते हैं स्पष्ट है कि विपक्षी दल ही उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारी संख्या कम हो सकती है किन्तु

जनता का बहुमत हमारे साथ है यह बात मतदान के तरीके से स्पष्ट हो जाती है। आपको 1977 में 36 से 37 प्रतिशत मत प्राप्त हुये थे। अब उनमें 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह भी इसलिये है कि चुनाव नियम दोषपूर्ण हैं। इसलिये आपको सीटों में बहुमत मिला है। इसका कारण यह भी है कि विपक्षी दलों में फूट है, जिस समय विपक्ष में एकता स्थापित हो जाएगी, आपको सत्ता से उठा कर फेंक दिया जायेगा। (व्यवधान) . . . . महोदय, शोर मचाने से वास्तविकता छिप नहीं जायेगी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया माननीय सदस्य को अपना भाषण जारी रखने दें। आपको उनकी बातों का उत्तर देने के लिए काफी समय मिलेगा।

श्री समर मुखर्जी : अतः 8 प्रतिशत मतों की वृद्धि हुई है। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक और बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं। 1971 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जनता को 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था। गरीबी हट गया'। दुर्भाग्य से यही धारण बनी है क्योंकि विपक्ष को ही हटा दिया गया है। कटु सत्य यह है कि गरीबी में वृद्धि हो रही है। निर्वाह लागत बढ़ रही है इस सम्बन्ध में मेरे पास तमाम आंकड़े हैं। 1971 के चुनावों के पश्चात् कृषि मजदूरों की आय में कमी आई हैं। श्रमिक की वास्तविक आय कम हो गई है और दूसरी ओर बड़े एकाधिकार गृहों के लाभ में वृद्धि हुई है। मेरे पास 20 परिवारों की सूची है। 1966 में बिरला की परिसम्पत्तियों का मूल्य 475.86 करोड़ रुपये था। मार्च, 1977 में यह बढ़ कर 1070.20 करोड़ हो गया। 1966 में टाटा की परिसम्पत्तियों का मूल्य 505 करोड़ रुपये था, 1977 में यह 1069.28 करोड़ रुपये था। 1966 में मफतलाल की परिसम्पत्तियों का मूल्य 92.70 करोड़ रुपये था। 1977 में यह बढ़ कर 285.63 करोड़ रुपये हो गया। सभी बातें हैं (व्यवधान)। मैं जनता पार्टी को दोष से मुक्त नहीं कर रहा हूं। हमने जनता पार्टी का विरोध किया है (व्यवधान) आप जानते हैं।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : बिल्कुल नहीं। आपने उनके उम्मीदवारों का समर्थन किया है। आपने उनका विरोध कहां किया है, यह मैं जानना चाहती हूं (व्यवधान)।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने केरल में जनता पार्टी का समर्थन किया है। आपने केरल में 27 स्थानों के लिये जनता पार्टी का अभी अभी समर्थन किया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमने कुछ कांग्रेसी लोगों का समर्थन किया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि आपने जिन लोगों का समर्थन किया है वे क्या कभी साम्यवादी थे किन्तु हमने जिन्हें समर्थन दिया है वे कांग्रेसी रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी : सभापति महोदय, जनता पार्टी के विरुद्ध हमारी एक यह शिकायत है कि जनता पार्टी ने भी आर्थिक मामलों में उन्हीं नीतियों का अनुसरण किया जिन पर श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार चल रही थी। हमने जनता पार्टी का जनतन्त्र की रक्षा के सम्बन्ध में समर्थन किया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : बिल्कुल नहीं ।

श्री समर मुखर्जी : हमने बार बार इस बात को स्पष्ट किया और आपने 1975 में लोकतन्त्र का पूरा विनाश कर दिया था। इन्हीं लोगों ने आपको सत्ता से बाहर कर लोकतन्त्र की रक्षा की थी, इसलिये ही आज संसदीय लोकतन्त्र अस्तित्व में है। (व्यवधान) सभापति महोदय, हमारी प्रमुख आलोचना कांग्रेस सरकार के विरुद्ध है। न केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी के 11 वर्षों की शासन अवधि में अपितु कांग्रेस पार्टी की समूची शासन अवधि में भारत में पूंजीवादी नीतियों का अनुसरण किया जाता रहा है। इसलिए एकाधिकार गृह बड़े गृह बनते जा रहे हैं। धन कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा होता जा रहा है और गरीबी और बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और आर्थिक ध्रुवीकरण का विकास हो रहा

है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा श्रमिक, किसान, गरीब लोग और कर्मचारी वर्ग विरोध का रास्ता अपना रहे हैं। मूल्यों पर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता। यह जनता पार्टी का ही पाप नहीं है बल्कि उन्होंने वही पाप पुनः किया है जो पहले आपकी पार्टी ने किया था..... (व्यवधान) आप पश्चिम बंगाल का जिक्र न करें।

प्रो० मधु दंडवते : पहले दो वर्षों में कीमतें नियन्त्रण में थी। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अब तो चीन का साम्यवादी दल भी पूर्णतया पश्चिम यूरोप पर निर्भर रहने लगा है।......

श्री समर मुखर्जी: मैं आधारभूत नीतियों के बारे में बोल रहा हूं, कृपया मेरी बातों को ध्यान से सुनिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं बड़े ध्यान से सुन रही हूं।

श्री समर मुखर्जी : चूंकि आप पूंजीवाद का विकास कर रही हैं, आपकी निर्भरता पश्चिमी पूंजीवादी देशों पर दिनोंदिन बढ़ रही है। अब एक अलग विश्व है—समाजवादी विश्व है जो आपको अपना समर्थन देने के लिये तैयार है किन्तु आप चूंकि बड़े गुटों से जुड़ी हैं, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय धनकोष से जुड़ी है, आप स्वयं को इनसे मुक्त नहीं कर सकती। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपकी पूंजीवादी देशों पर अधिकाधिक निर्भरता से भारत को अधिकाधिक आर्थिक संकट का समाना करना पड़ेगा। वह अपने ही देशों को आर्थिक संकट और मंदी से बचाने में सक्षम नहीं हैं, वह सारा बोझ आप पर डाल देंगे। यहां पर बहु-राष्ट्रीय निगमों को हमारे देश को लूटने की पूरी आजादी है, वे हमारे देश से करोड़ों रुपये हर वर्ष ले जाते हैं और वह यहां से भारी और असीमित लाभ कमा रहे हैं। यही लोग आपको चुनाव के लिए धन देते हैं, इन्हीं व्यापारियों और मुनाफाखोरों ने (व्यवधान) और वे उसकी कीमत चाहते हैं। जब आप सत्ता में हैं तो वे जानते हैं कि उनको उनकी कीमत मिल जायेगी। अतः पूरी व्यवस्था में परिवर्तन की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिये ही राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बात कही गई है कि यदि आप कुछ मूलभूत परिवर्तन लाना चाहती हैं तो आपको पूरी व्यवस्था को परिवर्तित करना होगा। किन्तु जिस दिशा में आप जा रही हैं, उससे पता चलता है कि आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर पायेंगी। पूरा प्रशासन तथा पूरी व्यवस्था इस प्रकार की है कि आप कोई और दिशा नहीं अपना सकतीं। हमें यह डर है कि इससे संकट अधिक गम्भीर हो जायेगा।

यह स्थिति जनता के 2½ वर्ष के शासन के कारण नहीं हुई है बल्कि 1947 से ही पूंजीवादी नीतियों का पालन करने के कारण ऐसा हुआ है। आपने यह कहा है कि आप समाजवादी व्यवस्था लाना चाहती हैं किन्तु आप जिन नीतियों का अनुसरण कर रही हैं वे तो पूंजीवादी व्यवस्था को ही मजबूत करने वाली हैं। समाजवाद क्या है? विश्व में ऐसे अनेक देश हैं जहां समाजवाद स्थापित किया गया है और उन्होंने जनता की मूल समस्याओं का समाधान कर लिया है। अब वहां न तो बेरोजगारी है और न ही गरीबी अथवा मूल्य वृद्धि। आप चीन की अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन करें (व्यवधान)।

सभापति महोदय : कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य को अपना भाषण जारी रखने दें।

श्री समर मुखर्जी : सभापति महोदय, मैंने पिछले सदन में सभी समाजवादी देश के आंकड़े दिये थे, उनकी प्रचार सामग्री से उद्धरण पेश किये थे। वहां संविधान द्वारा काम का मूलभूत अधिकार मिला हुआ है। (व्यवधान) आपने सम्पत्ति का मौलिक अधिकार दिया हुआ है। आप संविधान में संशोधन करके, उसमें काम करने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करें (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : क्या हम चीनी लोकतन्त्र को भी स्वीकार करेंगे ।

श्री समर मुखर्जी : मैं आप पर चीनी लोकतन्त्र के बारे में बहस नहीं करना चाहता और न ही मैं आपके लोकतन्त्र के बारे में विवाद में पड़ना चाहता हूं ।

अब स्थायित्व के प्रश्न को ही लें । आपने लिखा है कि एक स्थायी सरकार बन गई है । 1971 में भी तो स्थायित्व था । तब इस बात की क्या गारंटी है कि बहुमत का अर्थ स्थायित्व होता है । बहुमत किसी दिन भी दल बदल कर सकता है क्योंकि राजनैतिक नैतिकता बिल्कुल बह चुकी है । हर आदमी बिकाऊ हो गया है । इससे यह पता चलता है कि किसी भी राजनैतिक दल के स्थायित्व की कोई गारंटी नहीं है (व्यवधान) । क्या आप इस बात को झुठला सकते हैं कि आर्थिक संकट और स्थायित्व के प्रश्न का आपस में गहरा सम्बन्ध है ? यदि आप बेरोजगारी, आर्थिक संकट और गरीबी की समस्याओं का समाधान कर लेते हैं तो स्थायित्व रहेगा । यदि आप पूंजीवादी व्यवस्था का विकास करेंगे तो संकट और गहरा होगा और जनता के पास विरोध का रास्ता अपनाने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा । फिर कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी और आप दमन करना शुरू करेंगे और कुछ समय के बाद आन्तरिक आपात स्थिति आएगी ।

यहां एकदलवाद की बात आती है । एकदलवाद का आर्थिक आधार पूंजीवादी ताकतों---राष्ट्री और अंतराष्ट्रीय--नया सामन्तशाहों द्वारा अर्थव्यवस्था का शोषण है । जब तक उन्हें नहीं हटाया जाएगा, तब तक आप लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकेंगे । लोकतंत्र का अर्थ है बहुमत का शासन । हमारे देश में अधिकांश लोग गरीब और बेरोजगार हैं । जब तक ये मौलिक समस्यायें हल नहीं होंगी तब तक कोई भी लोकतंत्र स्थायी नहीं रह सकता । .

इस सरकार के अतीत के रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि जब 50% मतदाताओं ने आपके विरुद्ध मतदान किया है और 43% मतदाताओं ने आपके पक्ष में मतदान किया है तो आपको विनम्र होना चाहिए । जब आप सरकार में पुनः आए हैं तो उस समय आपको समूची प्रणाली और अपने समूचे अतीत के बारे में पुनर्विचार करना होगा । इसके लिए आत्मालोचन की आवश्यकता है । आपने हमारा सहयोग मांगा है । एक ओर आप सहयोग मांग रहे हैं परन्तु दूसरी ओर आप सभी राज्य सरकारों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं (**व्यवधान**) । यह तो पुरानी नीति है जिसकी हमें जानकारी है । 1959 में विमोचन संघर्ष का आयोजन करके केरल में सरकार गिराई गयी थी । मोयिनीहान की पुस्तक में यह लिखा हुआ है कि सरकार को गिराने के लिए अमरीकी धन दिया गया था (व्यवधान) ।

प्रधानमंत्री (श्रीमति इंदिरा गांधी) : सभापति महोदय, मैं एक शब्द कहना चाहती हूं । मोयिनीहान ने इसका स्वयं खंडन किया है जबकि प्रेस सम्मेलन में उनसे प्रश्न पूछा गया था । उन्होंने कहा था कि उनका मतलब यह नहीं था कि मैंने यह लिया । उन्होंने कहा था, "उन्होंने सोचा था" ।

श्री समर मुखर्जी : मैंने आपका नाम नहीं लिया ।

श्रीमति इंदिरा गांधी : परन्तु उन्होंने कहा कि दल ने धन लिया ।

श्री समर मुखर्जी : उन्होंने कहा था, "आपके दल द्वारा धन लिया गया था ।"

श्रीमति इन्दिरा गांधी : परन्तु वह इसे किसी तरह साबित नहीं कर सकते हैं ।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : अब वह इस देश में अमरीकी हस्तक्षेप का जोर से विरोध कर रही हैं।

श्री समर मुखर्जी : 1971 में पश्चिम बंगाल में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की सरकार को बनने से रोकने के लिए एक बार और धन लिया गया था जिससे वे चुने न जा सके। अतः हमें पृष्ठभूमि का पता है। श्री मोयिनीहान ने आपकी कांग्रेस को धन दिया था।

एक भारतीय सदस्य : आपको धन कहां से मिला ?

श्री समर मुखर्जी : हमने धन लोगों से इकट्ठा किया था। सभी को इसकी जानकारी है। अतः हम जानते हैं कि सरकार गिराने का मतलब क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूं यह पृष्ठभूमि है। आप पुराने तरीके, अपनायेंगे, चालें चलेंगे, गड़बड़ी पैदा करेंगे और राज्यपाल से यह रिपोर्ट देने के लिए कहेंगे कि कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है और राष्ट्रपति के आदेश से सरकार गिरायेंगे। हमें इन तरीकों की जानकारी है **(व्यवधान)**। इस तरह से लोकतंत्र माजबूत नहीं होगा। यदि आप सभी सरकारों को अस्थिर बनायेंगे तो आपकी स्थिरता प्रभावित होगी। अस्थिरता और आपकी स्थिरता के बीच यही सम्बन्ध है। मैं आपको बताता हूं कि ये कठोर शब्द हैं। मैं समझता हूं कि आप इन बातों पर विचार करेंगे। अब आप एक नयी सरकार में हैं। जब कभी आप कोई अच्छा काम करेंगे, तब आपको हमारा सहयोग मिलेगा। परन्तु आप जिस तरह के तरीके अपना रहे हैं उससे पता चलता है है कि आप पुरानी चालें ही चल रहे हैं और इसका परिणाम भी वही होगा जो पहले हुआ था। इसीलिए मैं इस सरकार को इन बातों से चौकस रहने के लिए चेतावनी देता हूं। केवल 43 प्रतिशत वोट प्राप्त कर के 68-69 प्रतिशत सीटें हासिल करके आप गर्व अनुभव कर रहे हैं। यह लोगों की इच्छा सच्चा प्रतिरूप नहीं है। हमने बार बार मांग की है कि निर्वाचन नियमों में संशोधन होना चाहिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए यही सच्चा लोकतंत्र है। परन्तु इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। इसीलिए आपको मौका मिल रहा है। परन्तु जब 57 प्रतिशत मतदाता एक हो जायेंगे तो यह आपके विरुद्ध हो जाएगा।

श्रीमति शीला कौल (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहती हूं। अभी कुछ बातें समर मुकर्जी साहब ने कही हैं। उन्होंने यह कहा कि अभिभाषण में यह जिक्र नहीं है कि कांग्रेस पार्टी क्यों हारी ? मैं तो यह सवाल पूछना चाहती हूं ढाई साल में इनकी पार्टी क्यों हार गई ? हम ने तो काफी दिन तक काम भी किया। इन्होंने यह कहा कि जेल में लोगों को डाला गया इसलिए लोग नाराज थे। लेकिन इन के लोगों ने क्या किया कि जिन्दा लोगों को हड्डी का पिंजर बनाया, भूखा मारा। तो उन को क्या उम्मीद थी कि वह कैसे वापस आ सकते थे **(व्यवधान)**।

इस तरह शोर मचाने, अलफाज के हेर फेर से समस्या का समाधान नहीं होता, आप को चाहिये कि सरकार के साथ बैठ कर अपनी राय दें और उस पर काम करें। यह कहना कि कानून-व्यवस्था खराब होती जायगी––मैं अपने उन दोस्तों से कहना चाहूंगी––अगर वे ईमानदारी से हमें सहयोग देंगे तो फिर कानून-व्यवस्था क्यों खराब होगी ? ये कुछ समस्यायें हैं, जिन में हमारे जो अपोजीशन के साथी है, उन की मदद बहुत जरूरी है और अगर वे इस पर ध्यान देंगे, सहयोग देंगे तो हमारे सामने जो भी समस्यायें हैं उन को हम को आसानी से दूर कर सकेंगे।

हमें मालूम है––आज बहुत सारी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हमारी सीमा पर इस समय सक्रिय हो गई हैं। ऐसे समय में हमारे देश की अखण्डता और एकता का होना बहुत जरूरी है। मैं आप को याद दिलाना चाहती हूं––हमारे पड़ोस का जो हिन्दुस्तान का सब से बड़ा प्रान्त है––उत्तर प्रदेश––वहां जनता की आज क्या हालत है ? वहां दिन-दहाड़े डकैती, चोरी, राहजनी, बहनों और बहुओं की इज्जत को खतरा बना रहता है। हमारी बहुयें जो कम दहेज ले कर आती हैं उन को किसी न किसी बहाने से जला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था दिनप्रति-दिन खराब होती जा रही है। मंहगाई

का जो इण्डेक्स है, वह इतना ज्यादा बढ़ गया है कि गरीब और मामूली हैसियत का आदमी भी कायदे से खाना नहीं खा सकता है । हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, जो हम ने विरासत में ली हैं, आधी बन्द ने और आधी लंगड़ा कर चल रही हैं । कुछ ऐसी हैं जिन में बहुत कम उत्पादन हो रहा है । बहुत सारी फैक्ट्रीज से हमारे वर्कर्स को निकाला गया है । इस से पहले कि हम बेरोजगारों के लिये कुछ करें, उन को नौकरी देने की व्यवस्था करें, जो पहले से नौकरी में हैं, उन को भी नौकरी से निकाला जा रहा है ।

यदि आप किसानों की समस्या को लें, तो वहां सीमेन्ट नहीं है, डीजल नहीं है, मिट्टी का तेल नहीं है । हमारे यहां जो सूखा पड़ा है, उस ने तो हमारी हालत को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है । जब भी कोई सूखे की स्थिति पैदा होती है–उस समय ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जो नहरें खोदी जाती हैं, उन नहरों के जरिये पानी दिया जाता है । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि नहरों के जरियों किसानों को पानी दिया जाय । मैं आप के सामने एक उदाहरण देना चाहती हूं––लखनऊ क्षेत्र में एक स्थान है––चिनहट, जहां "बसतौली" की माइनर इरिगेशन कनाल है, डेढ़ साल से उस नहर में पानी नहीं दिया गया । ये लोग कहते हैं कि हम किसानों के दोस्त हैं, किसानों की भलाई के लिये काम करना चाहते हैं–यह उन के काम का नमूना है । अलफाज से दुनिया नहीं चलती है, जब खुद काम करेंगे तब दुनिया चलेगी । इस वक्त तक वहां किसानों को पानी नहीं दिया गया है सब तरफ सूखा पड़ा हुआ है ।

बेरोजगारी की हालत को भी देखिये––मुझे याद आता है, डेढ़ साल पहले, इन्हीं के ला-मिनिस्टर ने कलकत्ते में कहा था कि चार करोड़ लोग और बेरोजगारों में आ गये हैं । ये इन के अपने फेक्ट्स एण्ड फिगर्स हैं, हमारे नहीं हैं । जब कानून और व्यवस्था का जिक्र आता है तो मैं आप को बतलाना चाहती हूं––हमारे यहां जो युवक हैं, छात्र हैं, वे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें न मिट्टी का का तेल मिलता है और न बिजली मिलती है । बिजली की कटौती इतनी सख्त है कि बच्चे न सुबह पढ़ सकते हैं और न रात को पढ़ सकते हैं । जब बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे––हमारा और आप का लड़का नहीं पढ़ सकेगा––तब फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं ? यही होगा कि वह ला-एण्ड आर्डर को अपने हाथ में लेगा । इसी मांग को लेकर लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां के छात्रों ने असेम्बली के समाने धरना दिया, वहां उन को पीटा गया । यह 23 जनवरी की बात है, वहा इन लड़कों को, महिलाओं को पीटा गया । इसलिये मैं आप से कहना चाहती हूं––और कहीं की सरकार जाय या न जाय, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तो अवश्य जानी ही चाहिये । वहां के हालात इतने खराब हो गये हैं कि वहां की सरकार अब अपने आप को चला नहीं पा रही है ।

यही नहीं, गोंडा के कुछ छात्रों ने जब संस्कृत के लिए मांग की कि हमारे यहां संस्कृत होनी चाहिए तो उन छात्रों को भी पीटा गया । तो हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो छात्र हैं, वे उत्तर प्रदेश सरकार के खास टार्गेट बने हुए हैं । क्या वजह है, यह नहीं मालूम लेकिन छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, वह इनह्यमेन किस्म का हो रहा है ।

मैं तो यह चाहूंगी कि सब से पहले जो मैंने बेरोजगारी का जिक्र किया है, उस की तरफ़ ध्यान दिया जाए और हमारे जो नौजवान हैं, उन्हें कोई न कोई काम दिया जाए और पढ़ाई का जो इन्तजाम है, उस को ठीक किया जाए । हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में इसी बात पर ध्यान दिया है और इस के लिए मैं उन की बहुत आभारी हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले दिनों में हमारे लोगों की हालत बेहतर होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूं ।

श्री जगजीवन राम (सासाराम) : सभापति जी, राष्ट्रपति जी का भाषण और उस पर बहस एक ऐसा मौका है जब उन मुद्दों को ले कर सदन में राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए । राष्ट्रपति का शासन बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति के भाषण को हम को उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए और

उसी दृष्टिकोण से उस पर बहस करनी चाहिए । राजनीतिक दांव-पेंच करने के तो बहुत मौके होते हैं और इस सदन में भी बहुत मौके आया करेंगे । मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के भाषण को उस तरह से इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा । राष्ट्रपति को तो दिशा-निर्देश देने का अवसर होता है ।

जब नई सरकार आई—मैं इस बात को मानता हूं कि देश से एक नया आदेश ले कर आई, एक नया मेनडेट ले कर आई । मैं उस चीज में जाना नहीं चाहता कि आप को कितने प्रतिशत वोट मिले । वे आंकड़े तो उछाले जाते रहेंगे, मैं उन को उछालना नहीं चाहता क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि जब तक हमारे निर्वाचन की पद्धति वैसी है जैसी कि आज है, तब तक जनता की ख्वाहिश प्रतिबिम्बित होती है कि जनता ने आप के कितने प्रतिनिधियों को लोक सभा में भेजा है । मैं जनता के उस निर्णय के समाने सिर झुकाना ही पसन्द करता हूं राष्ट्रपति जी से जो आप ने कहलवाया, उसमें से अगर कुछ अंश न कहलवाए जाते, तो राष्ट्रपति जी की गरिमा अक्षुण्ण रखी जाती। मैं फिर भी उसमें जाना नहीं चाहता और मैं उस गरिमा को कमजोर भी करना नहीं चाहता हूं लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा कि आप ने जितने कार्यक्रम राष्ट्रपति जी से कहलवाए हैं, भारत का कोई भी राजनीतिक दल होता, वह इन कार्यक्रमों को कहलवाता कि गरीबी से लड़ना है, बेकारी को दूर करना है, असमानता को मिटाना है, पदावार को बढ़ाना है। कौन सा राजनीतिक दल होगा, जो इन बातों से मतभेद रखेगा या राष्ट्रपति से ऐसा नहीं कहलवायेगा लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि आप ने जो यह दिशा-निर्देश दिलवाया है, उसको आप कैसे पूरा करने जा रहे हैं ? क्या जो सामाजिक परम्परा आज है, उसको ही रख कर ऐसा किया जा सकता है । उस तरफ़ आप का कोई ध्यान नहीं गया । क्या आज जो आर्थिक व्यवस्था चल रही है, उसको कायम रख कर गरीबी मिटा सकते हैं ? उस तरफ़ कोई भी निर्देश नहीं दिया गया। क्या विषमता मिटाने के लिए पैदावार बढ़ा करके ही उसको मिटा सकते हैं ? पैदावार तो बढ़ती गई है लेकिन साथ साथ ही गरीबी भी बढ़ती गई है । इसलिए कहीं न कहीं कुछ कुण्ठा है, कहीं न कहीं कोई अवरोध है । उसकी तरफ़ कोई प्रकाश राष्ट्रपति के भाषण में नहीं डाला गया है । आशा थी कि नयी सरकार कुछ नयी रोशनी लेकर आयेगी । लेकिन वही गलियारे, वैसा ही अन्धियारा जैसा कि पहले था (व्यवधान) । यह तो आंखों पर निर्भर करता है कि यह कम हुआ या नहीं हुआ। जैसा मैंने प्रारंभ में ही कह दिया है कि राजनीतिक दांव-पेंच और पार्लियामेंटरी स्किल के ढंग से तो बहुत-सी बातें कही जा सकती हैं और कहना मुझको भी आता है लेकिन मैं इस मौके पर उसको कहना नहीं चाहता।

मैं इस से सहमत नहीं होता कि कांग्रेस ने तीस वर्षों में कुछ नहीं किया । लेकिन अगर देखने की इच्छा न हो या देखने का हुनर न हो तो कुछ दिखायी नहीं पड़ता है । ठीक उसी तरह से यह कह देना कि जनता पार्टी द्वारा ढ़ाई वर्ष में कुछ नहीं किया गया, वह ऐसी ही बात है । (व्यवधान) यह तो इस पर निर्भर करता है कि बर्बादी किस तरह से की जाती है और बर्बादी क्या होती है। इसके लिए भी आंखों की परख होती है । कौन इस बात से इंकार करेगा कि इन दो-ढाई वर्षों में पर-कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा । मैं इनमें विस्तार में नहीं जाना चाहता । इसके आंकड़े हैं, आप आंकड़े देख लीजिए । अगर आपको लगे कि इन ढाई वर्षों में कुछ नहीं हुआ तो मैं भी आपके साथ सहमत हो जाऊंगा । अगर आंकड़े कहें कि तरक्की हुई है तो यह ईमानदारी का तकाजा है कि आप उनसे सहमत हो जाएं ।

मैं यह कहने के लिए भी खड़ा नहीं हुआ हूं कि उस दौरान सब कुछ हो गया । खामियां रही हैं लेकिन खामियां सभी सरकारों में रहेंगी क्योंकि हमारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था इस तरह की है कि जब तक उसमें आमूल परिवर्तन हम नहीं कर लेते तब तक अपनी समस्याओं को हम सुलझा नहीं सकते । इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है ।

मैं आप से इस बात को भी कह रहा हूं कि आप एक बड़े कदम के साथ, बहादुरी के साथ आगे आयें और कहें कि हम परम्पराओं को तोड़ने जा रहे हैं और आप कहें कि हमारी जो वर्तमान आर्थिक व्यवस्था है उसको लेकर हम गरीबी को नहीं मिटा सकते । अगर आप यह सही माने में कहें तो आपके

साथ हमारा सहयोग होगा। क्योंकि यह समस्या केवल शासन करने वालों की ही नहीं है। यह समस्या देश की समस्या है। इस समस्या को सुलझाने का काम हम सिर्फ आप पर छोड़ कर आपको उलाहना देते रहें तो इस पर भी मैं विश्वास नहीं करता। काम इतना महान् है, इतना जटिल है लोग गरीबी के नीचे कराह रहे हैं। उनको देख कर सिर शर्म से झुक जाता है। यह सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है जब दूसरे यह कहते हैं कि हमारे देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी आमदनी आठ आने रोज भी नहीं है। इसलिए इसके लिए सरकार को उलाहना देने से काम नहीं हो पाएगा। इस काम में हम सभी को कंधा लगाना है।

जनता पार्टी ने एक परम्परा कायम की है विरोध पक्ष को आदर देने की। मैं नहीं कहता कि आप हमें आदर दें लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि आप सहयोग की कामना करें। अगर सही भावनों में सहयोग की कामना होगी तो इस तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सहयोग देने में कोई कोताही नहीं की जाएगी। (व्यवधान) परम्परा को परखने की भी आदत होनी चाहिये। इसलिए मैं आपसे यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। बातें तो देश की और बाहर की बहुत कहनी हैं लेकिन मैं अपने साथियों के लिए भी समय छोड़ना चाहता हूं।

अफगानिस्तान में जो हो रहा है, वह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। वहां ज्वालामुखी भभक सकता है। अगर वह भभकेगा तो उसकी लपटों से भारत बच नहीं सकता। असम में जो कुछ हो रहा है, वह किसी भी देश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। (व्यवधान) जिम्मेदारियां बांट देने से तो काम नहीं हो जाता कि जनता पार्टी ने कसूर कर लिया और वहां आग भड़क गयी। यह कहने से तो मामला खत्म नहीं हो जाता। यह तो हमारे और आपके दोनों का मामला है। असम भारत का अंग है। सारा पूर्वोत्तर भारत आज ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है। उसको सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी कह कर नहीं टाला जा सकता। अगर आपकी गलतियों से सारे देश का यह हिस्सा अलग होता है तो वह आपका ही हिस्सा अलग नहीं होता है, सारे भारत का हिस्सा अलग होता है। इसलिए इसमें हमारी और आपकी दोनों की शिरकत होनी चाहिए। जो परिस्थितियां वहां पैदा हो गयी हैं वे बहुत जटिल हैं, आसान नहीं हैं। यह कह देने से काम नहीं चल सकता कि जो नाजायज तरीके से असम में आ गये हैं उनको हम कहीं भारत में बसा देंगे। भारत का हर प्रांत परेशान है। आप कहां बसायेंगे? खैर, इसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के भीतर और बाहर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जो किसी भी देश के लिए कठिन समय पैदा कर सकती हैं। अफगानिस्तान के मामले में हमें बहुत फूंक फूंक कर बोलना पड़ेगा, समझ कर बोलना पड़ेगा, तोल कर बोलना पड़ेगा, एक एक शब्द को तौल कर बोलना पड़ेगा, इसलिए कि अफगानिस्तान जो आज दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों का अखाड़ा बन रहा है, उन शक्तियों के अखाड़े का असर हमारे ऊपर न पड़ जाए, हम उन से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इसके लिए बहुत सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होगी। चाहे मणिपुर का प्रश्न हो, नागालैंड का हो, मिजोरम का हो, एक एक प्रश्न देश को परेशान करने वाला प्रश्न बन चुका है। वहां के लोगों की कैसे भारत के साथ एकरूपता कायम की जा सकती है, कैसे हम उनको परख सकते हैं और वे हम को परख सकते हैं, इन चीजों को सोचने की जरूरत है। इस सब के बारे में आपको ही नहीं, हम को और आपको, दोनों को मिल कर सोचने की जरूरत है क्योंकि इससे राष्ट्र को खतरा पैदा हो सकता है। इन चीजों को तरफ मैं आपका ध्यान दिलाने के लिए खड़ा हुआ था, आलोचना करने के लिए नहीं। मैं भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के एक एक अनुच्छेद को ले कर उस पर टिप्पणी कर सकता हूं लेकिन आज करना नहीं चाहता। मैं भी बता सकता हूं कि क्या क्या खामियां हैं उसमें लेकिन वह करना नहीं चाहता: मैं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो वाद विवाद हो रहा है उसको ऊंची सतह पर रखना चाहता हूं, उसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहता। मेरा निवेदन है कि आप देखें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कुछ आपने कहा है क्या वह परम्पराओं से कुछ अलग है? अगर उन्हीं परम्पराओं पर चलना है तो मैं यही

कहूंगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कुछ आपने कहा है वह एक पायस विश (अच्छी कल्पना मात्र) है, और कुछ नहीं ।

श्री ए नीललोहितदासन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । हमारी सरकार ने राजनीतिक स्थिरता लाने का, कानून और व्यवस्था को कायम करने का, दामों पर नियंत्रण लाने का, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सजीव सहयोग की जो बातें कही थीं, उनकी वजह से जनता ने इसको वोट दिया और इसको सत्तारूढ़ किया । श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस ने जब चुनाव के क्षेत्र में कूदने का फैसला किया तो जनता के सामने एक चुनाव घोषणा पत्र रखा था । इस चनाव घोषणा पत्र में जो बातें कही गई थीं । और जो कार्यक्रम बताए गए थे उन्हीं के आधार पर, उन पर विश्वास करके जनता ने हमें वोट दिया और हमें सत्तारूढ़ किया । इसलिए हर क्षण हमें इस बात का सर्वेक्षण करते रहना चाहिये कि उस चुनाव घोषणा पत्र में जो कार्यक्रम बताए गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको लागू करने के लिए हम कौन से पग उठा रहे हैं और उन लक्ष्यों को जो उस में बताए गए हैं, प्राप्त करने में हम कहां तक सफल हुए हैं । मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को भी हमें चुनाव घोषणा पत्र के संदर्भ में, उसकी पृष्ठभूमि में देखना चाहिये और उसकी जांच करनी चाहिए।

हमारे चुनाव घोषणापत्र में जो जो कार्यक्रम बताए गए हैं उनमें से बहुत से कार्यक्रमों का जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी किया गया है । इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नही कहना चाहता । चुनाव घोषणापत्र और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की तुलना करने पर जो कमियां मैं पाता हूं उनको दृष्टि में रखते हुए मैं कुछ बातें आप की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं ।

चुनाव घोषणापत्र के दसवें पैरा में जनता पार्टी के शासन के दोषों की ओर ध्यान दिलाया गया है । इस में कहा गया है कि धर्म निरपेक्ष पुस्तकों को वापिस ले कर उनके स्थान पर साम्प्रदायिकता भरी पुस्तकों को लाया गया और ऐसा उसने एक एग्जैक्टिव आर्डर के जरिए किया। लेकिन हमारी सरकार ने 14 दिन के बाद भी एक ऐग्ज़ीक्यूटिव आर्डर के जरिये साम्प्रदायिकतावादी पुस्तकों की जगह धर्मनिरपेक्ष पुस्तकों को लाने का अभी कोई प्रयास नहीं किया है । ऐसी मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस काम को जितनी जल्दी कर सके वह करे ।

> हमारे चुनाव घोषणापत्र के 13 वें पृष्ठ में कहा गया है : "सभी क्षेत्रों में लाइसेंस शुदा क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग कार्यकुशलता उपायों पर जोर देकर किया जाएगा"

लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया है :

> "औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि पर जोर दिया जाएगा ।"।

मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लाइसेंस्ड कैपेसिटी में और ऐग्जिस्टिंग कैपेसिटी में काफ़ी अन्तर है । लाइसेंस्ड कैपेसिटी हम अपनायें तो लाइसेंस जब सरकार देती है उसी समय सरकार जो कितना उत्पादन करने की अनुमति देती है इस अनुमति के अनुसार ही उद्योगपति (इंडस्ट्रियालिस्ट) उत्पादन कर सकता है । लेकिन ऐग्जस्टिंग कैपेसिटी में तो उद्योगपति अपनी इच्छानुसार उत्पादन कर सकते हैं और अधिक लाभ उठा सकते हैं । इसलिये ऐग्जिस्टिंग कैपेसिटी वाले शब्द अगर रहे तो मल्टी नेशनल्स और मोनोपोलीस पीछे के दरवाजे से आगे कूद पड़ते हैं और राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में अपना प्रभाव डाल सकते हैं । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि ऐग्जिस्टिंग शब्द बदल कर लाइसेंस्ड कैपेसिटी शब्द जोड़ दे । अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम प्रधान मंत्री जी को इसका क्लेरिफिकेशन देना चाहिये ।

बच्चों और नौजवानों के लिये कोई कार्यक्रम का जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं किया गया है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि भूमि सुधार वाले कार्यक्रम राज्य सरकारों के जरिये कैसे लागू करायें जायेंगे। मेरा मत है कि भूमिहीन लोगों की कमेटी ताल्लुका और ब्लाक लेविल पर बना कर भूमि सुधार कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार को जल्दी निर्देश देना चाहिये।

दामों को नियन्त्रण करने या महंगाई को रोकने की समस्या हमारे लिये बहुत कठिन बन गई है। सारे देश में एक वितरण पद्धति लागू करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त जो तस्करी और कालाबाजारी करने वाले लोग हैं ऐसे समाज विरोधी तत्वों पर मुकदमे चलाने के लिये विशेष अदालतों (स्पेशल कोर्ट्स) का गठन करना चाहिये।

किसानों के लिये क्रोप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में कहा गया है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। मेरा निवेदन है कि सरकार का क्रोप इंश्योरेंस स्कीम को लागू करना चाहिये।

हमारे मछुओं की समस्याओं को गम्भीरतापूर्वक देखना चाहिये। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे मछुओं के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। मध्यवर्ती, मिडिलमैन के शोषण से मछुओं को बचाना चाहिये। डीप सी फ़िशिंग के लिये मल्टी-नेशनल्स को जो अनुमति दी गई है उसको वापस लेना चाहिये। मल्टी नेशनलस को डीप सी फ़िशिंग से दूर रखना चाहिये। मछुओं के बच्चों के लिये, और उनके परिवार के लिये एक फ्रेश प्रोग्राम को अपनाना चाहिये जिसके जरिये उनके बच्चे फ़िशरीज और उससे संबंधित उद्योगों को अपने आप लागू कर सकें। और उसका आरक्षण उनको दें।

हैंडलूम वीवर्स, आर्टिज़ान्स और अन्य हैंडीक्राफ्ट्स मजदूरों की समस्याओं पर भी काफ़ी ध्यान देना चाहिये और उनको भी मध्यवर्ती लोगों के शोषण से बचना चाहिये।

हमारे चुनाव घोषणा-पत्र के 19 वे पृष्ठ में कहा गया है:

> "कांग्रेस का प्रस्ताव है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य को सामाजिक दृष्टि से स्वीकार्य वेतन स्तर पर रोजगार प्रदान किया जाये। इस योजना में सांविधानिक रुकावटें, यदि कोई हों, दूर की जायेंगी।"

लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मेरी प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में इस बारे में सरकार की नीति को स्पष्ट करें।

केरल एक छोटा सा राज्य है जो अधिक राजनैतिक प्रभाव नहीं डाल सकता है। चाहे जनता पार्टी का शासन हो, चाहे लोक दल का शासन हो और चाहे कांग्रेस का शासन हो, केरल की समस्याओं की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए अब यह आवश्यक है कि केरल की समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर उसके आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिए कदम उठाये जायें।

हमारी जनता सब कुछ जानती है। वह इधर या उधर बैठे हुए सदस्यों से अधिक जानती है। वह जानती है कि कब क्या करना है। जनता ने 1977 में जो कुछ किया, और अब जो कुछ किया, उससे पता लगता है कि वह सब कुछ जानने वाली है। आज हमारी जनता के लिए प्रजातंत्र एक जीवन-शैली बन गई है। जनता को प्रजातंत्र का पहला पाठ हमारे महान नेता पंडित जी ने दिया था। पंडित जी ने जनता को यह सिखाया था कि प्रजातंत्र एक राजनैतिक स्ट्रैटेजी ही नहीं है, वह एक जीवनशैली है। इसीलिए प्रजातंत्र हमारी जनता के लिए एक जीवन-शैली बन गई है। हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में जो बातें कही गई हैं, उन बातों का क्रियान्वयन हमारा ध्येय और कर्त्तव्य होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारे चुनाव घोषणा-पत्र की जो अच्छी बातें कही गई हैं, उनके लिए मैं राष्ट्रपति को, और सरकार को, धन्यवाद देता हूं और जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री अमृत पटेल (गांधी नगर) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। विरोधी दलों के सदस्यों ने इस दस्तावेज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का हमें स्मरण कराया है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण को अत्यधिक महत्व देते हैं। मैं इस मौके पर जनता पार्टी और लोक दल की सरकारों के गलत कारनामों का विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा। पर अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करते समय अगर उनके कुछ बुरे कारनामों का जिक्र करना पड़े तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि चुनाव परिणामों के कारण केन्द्र में एक स्थायी सरकार बनाना संभव होगा। स्थायी सरकार के बारे में ही राष्ट्रपति ने अधिक चिन्ता व्यक्त की है क्योंकि पिछले ढाई वर्षों में पूर्णतः अस्थाई और गैर-जिम्मेदार सरकार काम करती रही है। अतः उनका अभिभाषण मुख्यतः स्थायित्व पर ही केन्द्रीत रहा।

जब भी हम स्थाई सरकार बनाना चाहते हैं उसके लिए किसी स्थाई नेतृत्व की जरूरत होती है। स्थाई नेतृत्व के लिए कतिपय गुणों की आवश्यकता होती है। अगर नेता गुणवान नहीं है तो सरकार के लिए काम करना संभव नहीं होता।

महान नेता विंस्टन चर्चिल के शब्दों में नेता साहसी और दृढ़संकल्प होना चाहिए। हमारी पार्टी की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी का सबसे अधिक साहसिक व्यक्तित्व है। वह इस सरकार की विचारधारा को कार्यरूप देने के लिए कृतसंकल्प हैं। मैं आपके माध्यम से विपक्ष को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम देश की समस्याओं का बिना पक्षपात के उदार भावना से समाधान करेंगे। हम उनका सम्मान करेंगे जब विपक्षी सदस्य, बाबूजी ने हमारी जिम्मेदारियों की ओर संकेत किया तो हमने उनकी प्रशंसा की। पर मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हम यह अपनी योग्यता से करेंगे।

स्थायित्व के अलावा भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में कई अन्य मुद्दे उठाए गए हैं। राष्ट्रपति ने स्वयं पिछली सरकारों के गलत कारनामों पर चिन्ता व्यक्त की है। मैं उस वाक्य का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को जो आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है......। विरासत शब्द कम महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे विपक्ष को यह बताने की जरूरत नहीं है कि हमें विरासत में क्या मिला। वे कहेंगे कि हमें अनाज के भंडार, विदेशी मुद्रा के भण्डार या डीजल और पेट्रोल के भण्डार विरासत में मिले हैं। जी नहीं। वस्तुतः हमें वह आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है जो सड़ी-गली है जो काफी चिन्ताजनक हालत में है। अतः मैं विपक्ष को याद दिलाना चाहता हूं और उन्हें चेतावनी भी देना चाहता हूं कि देश की समस्याओं का समाधान करने में विपक्ष को भी हमें सहयोग देना होगा। साथ ही उन्हें जनता की सर्वोच्च इच्छा की भी उपेक्षा नहीं करनी होगी। विपक्ष के कई सदस्य अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं। वस्तुतः श्रेष्ठता पूर्णतः इस देश की जनता में निहित है।

मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जहां भी मैं गया वहां के छोटे-छोटे गांवों के लोगों और छोटे-छोटे कामगारों ने कहीं अधिक जिम्मेदाराना का परिचय दिया। वे देश की समस्याओं के बारे में चिन्तित हैं और एक स्थायी सरकार के बारे में चिन्तित हैं। अतः उनका यह सन्देश मैं इस महान सभा तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे लिए एक स्थायी सरकार होना नितान्त जरूरी है।

हमें व्यापक बहुमत मिलने से सभा के इस ओर के सदस्य खुश हैं पर विपक्ष में बैठे सदस्यों को दुख हुआ है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वस्तुतः हमें व्यापक बहुमत की बात न करके

व्यापक उत्तरदायित्व की बात सोचनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमें जिस प्रयोजन के लिए चुन कर यहां भेजा गया है हम उस उत्तरदायित्व को बखूबी निभाने में पूर्णतः सफल होंगे।

अब मैं काम की बात पर आता हूं। 1977 में जनता पार्टी को व्यापक जनादेश प्राप्त हुआ। पर उन्होंने किया क्या ? देश की जनता को उन्होंने क्या दिया। इस अवधि में लोगों की जो दुर्गति हुई भारत का इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब मैं उस 'न्यूडील' शब्दावली का उल्लेख करना चाहता हूं जिसका 1930 के आसपास उद्भव हुआ जब अमेरिका की आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही थी। उसी समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट जैसे महान नेता का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने अपना ध्यान केवल देश की आर्थिक हालत पर केन्द्रित किया। उनको महान मानते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी न केवल देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान करना होगा जोकि जनता पार्टी और लोक दल शासन की देन है, अपितु राजनीतिक स्थिरता की समस्या भी हल करनी होगी। हमारी पार्टी और हमारी नेता के लिए यह एक गुरुत्तर कार्य हैं, एक भारी जिम्मेदारी है। मैं अपनी पार्टी की ओर से सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल हैं।

मैं एक बार फिर विपक्ष को याद दिलाना चाहता हूं कि वह जनता की, मतदाता की श्रेष्टता की उपेक्षा न करें। आप सब लोग जानते हैं श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमारी पार्टी किस प्रकार शासन करेगी और क्या परिणाम रहेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोलाची) : महोदय, राष्ट्रपति जी ने पिछली सरकारों के गलत कारनामों, वर्तमान सरकार की इच्छा तथा भविष्य में कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। जनता ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को एक मत होकर, एक आवाज में तथा दृढ़संकल्प होकर मत दिया है। वे एक नेता चाहते थे। वह नेता है श्रीमती इन्दिरा गांधी।

यहां कहा गया कि पिछले 33 महीनों के जनता और लोक दल राज में देश को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है--आर्थिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में। आम उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाया गया है। विकास दर आंकड़ों से पता चलता है कि उत्पादन में काफी गिरावट आई है। 1977-78 में 7.2 प्रतिशत की, 1978-79 में 4.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। 5 प्रतिशत की वृद्धि दर भी हासिल नही हो पाई। इसमें भी 3.4 प्रतिशत की गिरावट आई। आम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन भी गिरा है। सूती कपड़ा 7 प्रतिशत कम बना। चीनी में 30 प्रतिशत, चाय के उत्पादन में 9 प्रतिशत और बनस्पति के उत्पादन में 7 प्रतिशत की कमी आई। जैसा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि उचित प्रबन्ध के अभाव के कारण अन्य वस्तुओं के उत्पादन में भी गिरावट आई। 1979 में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद ही थोक मूल्य सूचकांक में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। केवल जुलाई में ही इसमें 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रत्येक मास 1.5 प्रतिशत की वृद्धि होती गई। विश्व के किसी भी भाग में इतनी तेजी से कीमतें नहीं बढ़ी हैं। प्रत्येक सप्ताह 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मजदूरों और किसानों की आमदनी भी काफी घटी। जनता की क्रय शक्ति में बहुत अधिक ह्रास हुआ। गरीब और मध्य वर्ग के लोग आवश्यक वस्तुएं खरीदने में असमर्थ रहे।

मैं राष्ट्रपति की इस टिप्पणी के लिए उनका धन्यवाद करता हूं कि वर्तमान सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करेगी। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहे है। उन्होंने एक एसोशिएशन बनाई है और राज्य सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी है। उन्होंने एक नौ-सूत्री मांग राज्य सरकार के सामने रखी है। उनकी मांगों पर विचार करने की बजाय राज्य सरकार

उनके आन्दोलन को दबाने की चेष्टा कर रही है । आप किसानों की हालत जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि उनको उनकी उपज की सही कीमत नहीं मिलती । सरकार ने उन्हें जो ऋण दिया है वे उसे भी वापस नहीं कर पा रहे हैं। दैवी विपत्ति के कारण और उपज का उचित मूल्य न मिलने के कारण वह इसे वापस करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है । उसकी मांग है कि इसे बट्टे खाते डाल दिया जाए । आप जानते ही हैं राज्य सरकार ने क्या किया। उनके आन्दोलन को दबाया गया । उन्होंने अनेक लोगों को मृत्यु के घाट उतारा और अनेक लोगों के विरुद्ध अनेक मामले बनाये । धारा 307 के अन्तर्गत अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया । उनके नेता, श्री एम० नारायणस्वामी नायडु को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध एक झूठा मामला बनाया गया । उन पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि वह किसी भी मंच से अपने विचार व्यक्त न करें। यह प्रतिबन्ध अब भी लगा हुआ है । क्या आल इंडिया अन्ना डी० एम० के० के किसी राजनीतिक सहयोगी दल ने इस अन्यायपूर्ण प्रतिबन्ध के विरुद्ध उंगली उठाई है ? श्री नारायणस्वामी नायडु अब केन्द्रीय सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय किया जा सके।

मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बारे में यहां यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी डी० एम० के० पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गठबन्धन का उल्लेख किया है । मैं इन भूतपूर्व प्रधान-मंत्री के प्रति कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वह एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं वह एक राजनीतिज्ञ हैं। उनका ज्ञान बड़ा व्यापक है और उनका लम्बा राजनीतिक जीवन रहा है । वह अनेक राजनीतिक दलों के नेता रहे हैं । 1967 में उन्होंने एक राजनीतिक दल की स्थापना की, बाद में उन्होंने संयुक्त विधायक दल की स्थापना की । उसके पश्चात उन्होंने भारतीय क्रान्ति दल की स्थापना की, फिर भारतीय लोक दल बनाया, जो अब केवल लोक दल है। उन्होंने अनेक दलों का नेतृत्व किया है और अब उन्होंने कांग्रेस और डी० एम० के० में गठबंधन का उल्लेख किया है । हमें केवल स्थायी सरकार की आवश्यकता थी। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री के जीवन की एक ही आकांक्षा थी कि वह जीवन में प्रधानमंत्री बने। वह प्रधानमंत्री बने और उनके जीवन की इच्छा पूरी हो गई । बाद में वह इस पद से सेवा निवृत्त हो गये । मैं आशा करता हूं कि वह अब देश के कल्याण के लिये राजनीति से भी सन्यास ले लेंगे ।

जनता दल के शासन काल में भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने अनेक नये विचारों को अभिव्यक्ति दी, उनमें से एक रोलिंग योजना के बारे में था कि योजना ही समाप्त हो गई । उन दिनों श्री रामचन्द्रन ने कहा था कि उन्हें एक रोलिंग प्रधानमंत्री ही चाहिये । मुझे यह नहीं मालूम कि उनकी बात को पूरा किया गया अथवा नहीं । अपने भाषण के दौरान उन्होंने फरमाया है कि इस सरकार द्वारा अगर कोई अच्छे कदम उठाये गये तो वह उनका समर्थन करेंगे । किन्तु उसी दिन जब संसद में कालाबाजारी निवारक तथा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई संबन्धी विधेयक प्रस्तुत किया गया तो इनके लोक दल तथा अन्य राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया । वास्तव में इस संबन्ध में अध्यादेश चरण सिंह सरकार द्वारा जारी किया गया था। वही इस विधेयक के जनक थे । यह विधेयक उन्हीं का था, किन्तु अब वह इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस विधेयक को, जो उनकी अपनी सन्तान है, स्वीकार करने से इंकार कर दिया है । उनका यह कलयुगी विश्वामित्र-सा आचरण है । उन्होंने सरकारिया आयोग का भी उल्लेख किया है कि दोनों दलों में चुनाव सम्बन्धी समझौता कैसे हो सकता है ? हमने प्रधानमंत्री से पूछा है क्योंकि इसका सम्बन्ध मेरे दल डी० एम० के० और हमारे नेता श्री के० करुणानिधि से है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उसी सदन में दो दलों ने, जिनमें एक आल इंडिया अन्ना डी० एम० के० और दूसरा भाकपा था, यह मांग की थी कि डी० एम० के० सरकार को बरखास्त किया जाये और हमारे नेता के विरुद्ध एक जांच आयोग का गठन किया जाये । भाकपा के नेता श्री एम० कल्याण सुन्दरम ने इस सरकार को बरखास्त करने के लिये राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था । अब वह दल श्री चरण सिंह के साथ है । श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध भी एक जांच आयोग, शाह आयोग, संजय गांधी के विरुद्ध गुप्त आयोग, रेड्डी आयोग आदि का गठन किया गया था । भूतपूर्व सरकार आयोग सरकार बन कर

रह गई थी। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि सरकार ने कालाबाजारियों से कमीशन लिया, किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अनेक आयोगों का गठन किया। किन्तु जब जनता पार्टी का विभाजन हो गया तो उन्हीं श्री चरण सिंह ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की सहायता ली। क्या यह उचित था? आज जब वह तलिमनाडु में डी०एम०के० और इंका के अपवित्र गठबन्धन का उल्लेख करते हैं तो क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि उन्होंने जब सरकार बनाने के लिये इन्दिरा कांग्रेस की सहायता ली थी तो क्या वह उचित था?

महोदय, उन्होंने कहा है कि जो कार्यवाही उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध आरम्भ की थी वह विधि सम्मत थी। मैं उनसे तथा अन्य सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि जब डायनामाइट मामला चल रहा था तो उन्होंने श्री जार्ज फर्नाण्डीस और तमिलनाडु के राज्यपाल श्री प्रभु दास पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की, जिनका इस मामले में हाथ था। उन्होने अपने दामाद के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं की हालांकि कुछ सदस्यों ने उनके विरुद्ध आरोप लगाये थे। मैं भूतपूर्व प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आज वह इमानदारी की बात कर रहे हैं उनकी ईमानदारी तब कहां थी जब उनके एक सहयोगी श्री बीजू पटनायक को एच० आर० खन्ना आयोग तथा दास आयोग का सामना करना पड़ा था, अब वह उनके दल में उपाध्यक्ष है. जब श्री ए० टी० सारंगी ने श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध 15 करोड़ रुपए काण्ड संबन्धी आरोप लगाये थे, तो उस पर क्यों कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मेरे राज्य के संबन्ध में वहां के मुख्य मंत्री को श्री चरण सिंह द्वारा संरक्षण दिया गया था। श्री चरण सिंह ने हमेशा श्री एम० जी० रामचन्द्रन को संरक्षण दिया है। उन्होंने उद्योगपतियों से पैसा इकट्ठा किया था एक बार उन्होंने मोटरवाहन रास्तों को विनियमित करने के लिये बस मालिकों से 75 लाख रुपए इकट्ठे किये थे। दल ने गिरवीदारों तथा चीनी व्यापारियों से 25 लाख रुपए इकट्ठे किये थे। उन्होंने अवैध शराब निर्माताओं और फिल्म थियेटरों के मालिकों से भी कमीशन इकट्ठा किया था। वह कुछ उद्योगों से भी धन इकट्ठा किया करते थे। इस संबन्ध में सभी तथ्य तत्कालीन गृह मंत्री श्री चरण सिंह के ध्यान में लाये गये थे। भूतपूर्व प्रधान मंत्री जो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे. ने उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के स्थान पर अपनी केबीनेट में उनके दो भृष्ठ मंत्रियों को ले लिया। अब वे कह रहे हैं कि "मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं और मेरी सरकार ईमानदार थी।" उनके अतिरिक्त शेष सब ईमानदार थे।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री के ध्यान में बुलगेरिया नौवहन सौदा भी लाया गया था। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री को इस संबन्ध में चार करोड़ रुपये प्राप्त हुये। इन सब बातों की ओर भूतपूर्व प्रधाद मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया था किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

एक माननीय सदस्य: एम०जी० आर० स्वयं अपने विरुद्ध एक आयोग स्थापित करने के लिये सहमत थे।

श्री सी०टी० (दण्डपाणि): उन्होंने उच्चतम न्यायालय से एक न्यायाधीश मांगा था जो उस आयोग का अध्यक्ष होता। उच्चतम न्यायालय ने बताया कि वह किसी न्यायाधीश की सेवाएं स्पेयर नहीं कर सकता। एम०जी०आर० ने स्वयं अपने लिये एक आयोग का गठन कर लिया होता, राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। वह अब भी आयोग के सामने जा सकते हैं। वह अब वर्तमान केन्द्रीय सरकार को आयोग गठन करने के लिये कह सकते हैं, किन्तु अब वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अब उन्हें पता है कि उनके कहते ही उनके विरुद्ध आयोग का गठन कर दिया जायेगा।

महोदय, तमिलनाडु में विधि और व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है। अनेक भागों में हत्याएं हो रही हैं। दो वर्ष पहले बसंत नगर में प्रेमा नाम की एक महिला की हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच की गई थी किन्तु अपराधी को अभी तक दण्डित नहीं किया जा सका है। चेतपुर में एक वृद्ध महिला राजलक्ष्मी का घर दिन दहाड़े लूट लिया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में भी अभी तक कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई हैं। अभी हाल में ही एक सरकारी बस्ती में बहुमंजिले क्वार्टर में एक चोरी और हत्या हुई है। सरकारी कर्मचारी की पत्नी की हत्या कर दी गई थी। उस मामले में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अनेक स्थानों पर बलात्कार के मामले भी प्रकाश में आये हैं। श्री रामचन्द्रन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के स्थान पर अपराधियों और समाज विरोधी तत्वों को उकसा रहे है।

सभापति महोदय, हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। हमारे साम्यवादी मित्र श्री रामचन्द्रन के समर्थक हैं। अब कोई भी श्रमिक अपनी उचित मांगों के लिये हड़ताल नहीं कर सकता। जब भी श्रमिकों, बुनकरों, किसानों, अध्यापकों, प्रोफेसरों, विद्यार्थियों तथा इंजीनियरों ने अपनी उचित मांगे रखी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्त में तो पुलिस ने भी हड़ताल कर दी। पुलिस को संघ बनाने की अनुमति दी गई थी, उन्होंने संघ बनाया और अपने नेता और कार्य अधिकारी चुन लिये। एक दिन श्री रामचन्द्रन ने कुछ पुलिस अधिकारियों को बुलाया और उन्हें एक अन्य संघ अल्पसंख्यक संघ बनाने के लिये कहा। यह संघ भी बन गया और एक दिन श्री रामचन्द्रन ने घोषणा की कि वह अल्पसंख्यक संघ को मान्यता प्रदान कर रहे हैं। 40,000 सदस्यी बहुसंख्यक संघ ने हड़ताल कर दी जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी पिटाई की गई और उनपर लाठियां बरसाई गई। एक हजार से अधिक पुलिस कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया गया है। स्थिति यह है। तमिल नाडू में विधि और व्यवस्था न के बराबर है।

महोदय, तमिलनाडु में एम० जी० रामचन्द्रन जनता पार्टी, भाकपा तथा माकपा ने मिल कर डी० एम० के० कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के गठबन्धन के विरुद्ध चुनाव लड़ा। श्री रामचन्द्रन ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बात कही थीं :

> 'चुनाव घोषणा-पत्र मे भी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम ने केन्द्र में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिये जो सच्चे अर्थों में देश में राज्यों का प्रतिनिधित्व करे, कार्य करने का दृढ़ निश्चय प्रकट किया है।'

आगे प्रतिवेदन में कहा गया है :

> 'मुख्य मंत्री श्री एम०जी० रामचन्द्रन और राज्यमंत्री श्री के० मनोहरन जिन्होंने एक विशाल जन-सभा में चुनाव घोषणा-पत्र को जारी किया, ने यही स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय सरकार के अधीन केन्द्रीय मंत्रीमंडल में राज्यों की सत्ताधारी पार्टियों के प्रतिनिधि होने चाहियें।
>
> उनका कहना था कि एक दलीय शासन, एक नेता द्वारा शासन और वंशानुगत शासन लोकतंत्र के लिए खतरा बनेगा और उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। हाल के चुनावों में यह एक मुख्य मुद्दा था।'

श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा क्षेत्रीय दलों पर की गई कथित टिप्पणी के बारे में उनका कहना है :

> "इसमें एकाधिपत्य और तानाशाही की गंध आती है, और इसका मुकाबला किया जाना चाहिये।"

यही तो उन्होंने सम्मेलन में कहा था। अन्य राजनैतिक दलों के नेता भी वहां थे अर्थात् श्री पी० मनीक्म (सी०पी०आई०), श्री ए० बाला सुब्रामण्यम (सी० पी० आई-एम) जनता सरकार में भूत पूर्व मंत्री श्री पी० रामचन्द्रन आदि आदि। वे उस बैठक में उपस्थित थे। उस बैठक में वे यही कहते रहे कि अन्ना द्रविड़ मुनित्र कषगम् ने स्वयं यह संकल्प किया है कि अभी से और चुनावों के बाद भी वे इन्दिरा गांधी की तानाशाही का डट कर मुकाबला करेंगे। महोदय, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा संकल्प उन्होंने सभी नेताओं के समक्ष लिया था। मैं अपने सभी मित्रों को बता देना चाहता हूं कि

वह किस तरह से हमें नीचा दिखाना चाहता है। इसीलिए तो मैं यह सब आप लोगों को बता रहा हूं। उन्होंने कहा था : "अभी से और चुनावों के बाद भी श्रीमती इन्दिरा गांधी की तानाशाही का मुकबला करो।"

अब श्री एम०जी०आर० दिल्ली आते हैं और श्रीमती इन्दिरा गांधी के सामने दण्डवत प्रणाम करते हैं। महोदय, ऐसी स्थिति है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी का समर्थन हम इस सीधी सी बात के कारण करते हैं। समुद्रतट पर हुई विशाल सार्वजनिक सभा में हमारे नेता डा० कालिंगनर करुणानिधि ने यह बात कही थी और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी उस सभा को संबोधित किया था। जो कुछ उन्होंने कहा था उसे मैं यहां उद्धृत करता हूं :

> 'हम दिल्ली में कोई तमाशा नहीं करना चाहते। हमें तो एक अच्छी सरकार और टिकाऊ सरकार चाहिए। हमारा विश्वास है कि केवल इन्दिरा गांधी ही टिकाऊ सरकार बना सकती हैं।'

महोदय, यही तो उन्होंने कहा था। इसीलिए हम इस टिकाऊ सरकार का समर्थन करते हैं।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 14 जनवरी, 1980 को किये गये हमारे आह्वान को दोहराना चाहता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा था उसे मैं उद्धृत करता हूं:

> "हमारा एक ही विरोधी है—सामाजिक और आर्थिक अन्याय। हमारा एक ही लक्ष्य है राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का भारत को आत्मविश्वासी आत्मनिर्भर और स्वाधीन रखने का। आओ अब हम सब मिलकर इसके लिए काम करें।"

महोदय, इतना कहकर, मैं श्री एस० एम० कृष्णन द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री नगीना राय (गोपालगंज) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इकोनामिक पौलिसी का बहुत स्पष्ट जिक्र किया गया है और यह भी कहा गया कि पुनः 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। जो भी काम विकास के हुए थे उसे जनता पार्टी की सरकार ने विकास से संबन्धित कार्य ढाई वर्ष में पीछे ढकेल दिया था उसे पुनः चालू किया जायगा और किसानों को उचित मूल्य मिलेगा।

सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस देश में किसान खुशहाल नहीं है। जो इस देश की हालत है उसमें आज भी सिंचाई के पूरे साधन किसान को उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। आज भी यहां की कृषि मौसम पर निर्भर करती है, और खास कर बिहार में उत्तरी बिहार बाढ़ का शिकार और दक्षिणी बिहार सूखे का शिकार होता है। नेपाल से जितनी नदियां निकलती हैं तमाम बिहार के उत्तरी हिस्से से ही हो कर आती हैं और किसानों की तमाम फसल को जो काट कर घर ले जाने के लिये होती है उसे बहा कर साफ कर देती है।

आज हमारे देश में जो भी ऋण की व्यवस्था किसानों के लिये की गई है वह इतनी मंहगी है कि जिसका ठिकाना नहीं। आज हिन्दुस्तान के रिजर्व बैंक से जो पैसा ऋण के रूप में दिया जाता है उस पर 15 फीसदी सूद पड़ जाता है। यदि हम दुनिया के अन्य देशों को देखें, तो थाईलैंड का रिजर्व बैंक 1 परसेंट सूद लेकर कोआपरेटिव बैंक को पैसा देता है, जो कि किसानों तक पहुंच कर 4 परसेंट पड़ता है। लेकिन हिन्दुस्तान का रिजर्व बैंक जो पैसा देता है, उसका सूद किसानों पर 15 परसेंट पड़ता है। आज हिन्दुस्तान के

खेतिहरों की हालत बहुत खराब है। वास्तव में दुनियां भर में खेतिहर तबाह है और खेती के काम को छोड़ना चाहते हैं। अमरीका में 1890 में 93 परसेंट लोग खेती करते थे, जबकि आज सिर्फ 7 परसेंट लोग खेती के काम में लगे हुए हैं। जापान में सिर्फ 8 परसेंट लोग खेती करते हैं, मगर वे दूसरी इंडस्ट्रीज में भी लगे हुए हैं। अगर हिन्दुस्तान के गृहस्थ को उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तो वह खुशहाल नहीं हो सकेगा और हमारी इकानोमी बिगड़ती चली जायेगी। यह खुशी की बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जायेगा।

जो चुनाव हुए, उनके परिणाम देश के सामने हैं। जनता पुनः श्रीमती गांधी को पावर में लाई है। हमारे विरोधी दल के मित्र बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर में श्री जार्ज फर्नान्डीस चुनाव लड़ रहे थे। वह कोई बहुत बड़े कैपिटेलिस्ट नहीं है, कोई पूंजी का भंडार उनके पास नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपये उन्होंने वहां बहाये। किस नीति से बहाये ? वहां लोगों में 500 साइकिलें बांटी गईं, घड़ियां बांटी गई। बूथ-कैपचरिंग के लिए पांच पांच हजार रुपए का ठेका दिया गया। तीन-तीन हजार रुपये पहले दिये गये और बूथ कैपचर करने के बाद बाकी दो-दो हजार रुपये दिये गये। इसके अलावा उन्होंने कास्ट रायट्स कराने की कोशिश की। श्री जार्ज फर्नान्डीस ने पैसे का जाल बिछा दिया, करोड़ों रुपया खर्च किया। वह अपने आपको सोशलिस्ट कहते हैं। क्या वह पूंजीपतियों के एजेंट हैं, क्या उनके कल-कारखाने हैं ? उनके पास पैसा कहां से आया ?

बंगाल में क्या हुआ है ? वहां वोटरों को टेररराइज़ किया गया, गरीब वोटरों को वोट देने से रोका गया। अगर आज वहां पर एसेम्बली के इलेक्शन्स हों, तो बंगाल के लोग सत्तारूढ़ पार्टी को बाहर धकेल देंगे। आज बंगाल में कोई लॉ एंड आर्डर नहीं है। इस देश में एक द्रोपती के चीर-हरण पर महाभारत हुआ था। लेकिन आज बंगाल में शील-हरण की घटनायें रोज घट रही हैं और सरकार सो रही है। आज बंगाल की हालत दयनीय है।

आज देश में अराजकता फैली हुई है, मगर यह खुशकिस्मती की बात है कि जनता ने यह विश्वास प्रकट किया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी देश में फिर शान्ति और व्यवस्था कायम कर सकेंगी। आवश्यकता इस बात की है कि लॉ एंड आर्डर की पोजीशन को तुरन्त संभाला जाये।

जिन राज्यों की सरकारें नाकाबिल और निकम्मी साबित हो रही हैं, जहां की जनता ने कांग्रेस को बहुत भारी बहुमत से जिताया है, उन्हें तुरन्त बर्खास्त करना चाहिए और वहां पर लॉ एंड आर्डर रेस्टोर करना चाहिए। आज उन सरकारों के बने रहने का क्या औचित्य है ? इसी आधार पर इन लोगों ने 1977 में राज्य सरकारों को तोड़ दिया था। लेकिन आज चौधरी साहब को यह बात खटकती है, इससे उनको बेचैनी हो रही है। लेकिन उनकी सरकार तो वैसे ही टूट रही है और उनकी पार्टी समाप्त हो रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह स्पष्ट निर्देश होना चाहिए था कि जनता द्वारा दिये गये मैंडेट के आधार पर उन सरकारों को तुरन्त बर्खास्त किया जायेगा और उन राज्यों में नये चुनाव कराये जायेंगे।

मैं बहुत ठंडे शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये राज चलाने के नाकाबिल हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। मुसलमान भाइयों के मज़ार होते हैं। सूट-बूट लगा कर बड़े बड़े ब्लैक मार्केटियर, स्मगलर, दुकानदार और रहनुमा लोग मज़ार के पास पहुंचे और वहां पर खड़े हुए। उनकी गाड़ियां सड़क पर खड़ी थीं। जो किसान खेत जोतते थे, कोडते थे, सोहते थे और हल चलाते थे, उन्होंने देखा कि यहां की तस्वीर ही बदल गई है, ये लोग मज़ार पर आ गये हैं। उन लोगों की आशा जागी। वे लोग इकट्ठे हो कर मज़ार पर गये और रूह से पूछा कि ये लोग क्या करने आये थे।

क्या कहा, क्या किए ? तो रूह ने कहा—

आए थे मेरी कब्र पर सिगरेट धराकर चल दिए।

दिए में जो तेल था सर पर लगा कर चल दिए।

इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री कृष्ण दत्त (शिमला) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो भाषण दिया उस का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जहां तक हमारे देश की स्थिति का ताल्लुक है उस का इसमें जिक्र किया गया। देश के अन्दर पीछे जो हमले हुए, देश का मान घटा और देश के अंदर जो एनार्की फैली, हमारी सरकार पूरी तरह उससे खबरदार है। पिछली सरकार ऐसी सरकार थी जो लॉ एंड आर्डर मुल्क के अंदर कायम नहीं रख सकी। हिन्दुस्तान के लोगों ने देखा कि वह सरकार जब बनी तो महात्मा गांधी की समाधि पर उन्होंने कसम खाई थी कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे लेकिन अपनी उस लड़ाई के नतीजे में सारा देश उन्होंने बरबाद कर दिया। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने हमारे सामने पेश किया।

मैं अपने क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की बात कहना चाहता हूं। जिस प्रकार से वहां नेकरधारियों की सरकार बनी, उस के बाद उन्होंने वहां रिज पर कसम खाई कि बापू, हम बड़ी कोठियों में नहीं रहेंगे, साधरण बंगलों में रहेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे लेकिन उन्होंने क्या किया? जो यहां केन्द्र में उन के स्वास्थ्य मंत्री थे राजनारायण जी, वह वहां पर पहुंचे। वह इत्र साथ रखते थे, उन्होंने इत्र उनकी तरफ फेंका और कह दिया कि आपकी शुद्धि मैं कर रहा हूं। उसके बाद उनको मंत्री पद से निकाल दिया गया। वह सरकार जो थी जो कहती थी कि हम महात्मा गांधी के पुजारी हैं, उस ने यहां इस देश में ही नहीं, बाहर भी हमारे मान को घटाया। हमारे भाइयों ने जो यह कहा है कि पिछली जो इन्दिरा गांधी की सरकार थी वह तानाशाह थी, तो तानाशाह तो आप थे जिन्होंने जब चिकमंगलूर से हमारी नेता चुनकर आई तो अपनी मेजोरिटी के बल बूते पर उनको निकाल दिया। तो तानाशाह तो आप हैं न कि हम तानाशाह हैं। हम ने चुनाव कराया है, इस देश की आर्थिक स्थिति को हमने मजबूत किया है, हमारे समय में देश के अन्दर परमाणु विस्फोट हुआ, हमारे देश के लोगों ने बंगला देश के लोगों का यहां पालन पोषण किया। लेकिन वह सरकार तो अपने घर के लोगों का पालन-पोषण करने में लगी रही। जो भी उन्होंने किया सब अपने आदमियों का किया चाहे वह पूंजीपति थे चाहे कुछ भी थे, उन्हीं की इन लोगों ने मदद की। जहां तक अपोजीशन के दूसरे लोगों का ताल्लुक है, अगर वे देश के हित की बात करते हैं, तो हमारा कोआपरेशन बराबर अपोजीशन के साथ रहता है। मगर वे इस तरह की बातें करते रहे कि दस साल के अन्दर देश की गरीबी को हटा देंगे, गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, इस तरह का आश्वासन नौजवानों को दिया और यहां पर सर्विसिज के लोगों को यह कह दिया कि यह तो कांग्रेस वालों के टाइम के भरती किये हुए हैं, इन के ऊपर हमारा ऐतबार नहीं है, इन के केन्द्र के मंत्री इस तरह की बातें कहते रहे हैं, इस का परिणाम क्या निकला? इस देश के नौजवानों ने देख लिया कि उनको बहुत झूठे तरीके से फुसलाया गया। आज वे फुसलाये नहीं जा सकते। आज सारे लोग जाग्रत हैं और वे यह समझते हैं कि हम ने स्थायी सरकार देश को दी है, उसी से हमारा भला होगा। आप कहते हैं कि हमें तो कम वोट मिले हैं, लेकिन आप ने जो चार-पांच पार्टियों का टोला बनाया, उसके बाद भी आप इतने मत प्राप्त नहीं कर पाये कि अपनी सरकार कायम रखते। देश की जनता ने जहां आप को बहुमत दिया था, वहां आप अपने-आप ही खत्म हो गये, अपनी खुदकुशी कर ली।

जहां तक हिमाचल प्रदेश का ताल्लुक है, वहां जो सरकार बनी, उस सरकार ने बहुत बड़ी धांधली मचाई हुई है। वहां पर वाइस चांसलर इस तरह के लोग रख दिये गये जो निकरधारी थे। उन्होंने बच्चों के ऊपर गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई, लॉ एण्ड आर्डर को खराब कर दिया। आज डोंगल की बात आती है—हिमाचल प्रदेश में जो आलू या सेब की फसल पैदा होती है, उस को उन्होंने बिल्कुल बरबाद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है? वहां जनता पार्टी के विधायक आलू के सवाल पर विधान सभा के बाहर हड़ताल पर बैठे हैं। जिस दल के विधायक हड़ताल पर बैठें और जहां की सरकार 50 रुपया बोरी का भाव मुकर्रिर करे—यह सब क्या हो रहा है? वहां की सरकार बिल्कुल कानून-शिकनी कर रही है, उस सरकार को फौरन डिसमिस किया जाय, हटा दिया जाय, ताकि वहां के लोग सुख की सांस ले सकें।

हमारे यहां डीजल की कमी है। इस का क्या कारण है? इन्होंने ऐसे लोगों को पैट्रोल के पम्प दिए हैं, जो निकरधारी हैं। इन्होंने जनता का भला करने के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने लोगों को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश की है।

हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने एड्रैस में 20 सूत्री प्रोग्राम का जिक्र किया है, यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इस में फैमिली प्लानिंग का जिक्र किया गया है। मैं आप को बतलाऊं जहां जहां जनता पार्टी की सरकारें हैं, जब हम अब इलैक्शन को जीत कर आये तो उन्होंने अपने आर०एस०एस० के वर्करों के जरिए जनता में यह प्रचार करना शुरू किया कि अब इंदिरा गांधी की सरकार आ गई है, फैमिली प्लानिंग करायेंगी। इस तरह की गुमराह करने वाली बातें जनता में फैलाई जा रही है हमें इन सब बातों से सतर्क रहना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं—जहां आप लोगों ने गलती की है और जहां अपोजीशन वालों ने गलती की है, हमें उन सब से सबक लेना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ आयें, जिस से लोगों को सुख मिले।

यहां पर मजदूरों के कल्याण की बातें कही जाती हैं, लेकिन ये इस बात को नहीं देखते कि अपने टाइम में बेरोजगारी बढ़ाते गये हैं, ला-एण्ड आर्डर खराब करते गये हैं अपने टाइम में जय प्रकाश जी के बारे में, जिन का ये लोक नायक के रूप में नाम लेते हैं इन्हीं लोगों ने इसी माननीय सदन में उन को मृत घोषित करके प्रस्ताव पास किया था। इनके रेडियो को भी उसका पता न था। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने इस मुल्क के अन्दर कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन जहां तक हमारी सरकार के कामों का ताल्लुक है—हमारी सरकार की कुछ नीतियां हैं, कुछ पालिसीज हैं। इन्दिरा जी की इन नीतियों के साथ हम सबका पूरी तरह से जोरदार समर्थन है और देश ने भी उन नीतियों के आधार पर इन्दिरा जी को पूरा समर्थन दिया है, संजय गांधी को समर्थन दिया है, जो लाखों वोटों से जीत कर आये हैं। आप कहते हैं कि ये तानाशाह हैं। ये तानाशाह नहीं हैं, अगर ये तानाशाह होते तो देश के अन्दर चुनाव न होते। आप लोगों ने देश का बेड़ा गरक कर दिया है, इतना नुकसान किया है, इतनी तबाही की है जिस का कोई हिसाब नहीं है। लेकिन हमारे लोगों में एक-से-एक आला दर्जे के लोग हैं, आला दर्जे के मंत्री हैं, मैम्बर पालियामेंट हैं, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है और बहुत ज्यादा वोटों से चुन कर भेजा है। आप लोगों ने हर तरह से हमारे रास्तों में रुकावटें डालीं, लेकिन हमारे वोटरों ने कुरबानी दे कर हमें इस संसद में चुन कर भेजा है।

मैं आप का बड़ा आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे राष्ट्रपति जी ने एक बहुत अच्छा भाषण दिया है, जिसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। धन्यवाद।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही हम नूतन दशाब्दी में प्रवेश कर रहे हैं राष्ट्र के समक्ष गंभीर और बहु-आयामी संकट छाया हुआ है जिस पर काबू पाने के लिए राष्ट्र के नैतिक और आध्यात्मिक साधनों को जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी। इस संकट के अनेक आयाम हैं। परन्तु मुख्य रूप से हम उन्हें तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं—आर्थिक, राजनैतिक और अंतर्राष्ट्रीय। जिस राष्ट्र में लाखों लोग अभी भी आम तौर से स्वीकृत मानव जीवन स्तर से कहीं नीचे जीवन यापन कर रहे हों वहां आर्थिक समस्याओं को अनिवार्य रूप से अग्रता मिलनी चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आर्थिक तन्त्र को फिर से गति प्रदान करने के महत्व पर बल दिया गया है।

हमारी लम्बे समय से चली आ रही गरीबी के अतिरिक्त, दो और कारणों से भी हमारे लोगों का भार और भी बढ़ गया है। पहला तो आया हुआ अभूतपूर्व सूखा है जो कि सर्वाधिक भयंकर रूप लिये हैं जिसने राष्ट्र के विशाल क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया है और हमारे समाज के आर्थिक रूप में पहले से ही पिछड़े हुए वर्ग पर लगभग असहनीय भार डाल दिया है; और दूसरे तेल की निरन्तर बढ़ती हुई कीमतें हैं, जिससे प्रतिवर्ष हमारे राजकोष पर करोड़ों रुपये का भार बढ़ता है और उस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते जिससे हमारे संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है।

इसलिए सर्वोच्च अग्रता के रूप में हमें अर्थ-व्यवस्था को फिर से अधिक महत्व प्रदान करना चाहिए। उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए, और अपने प्रबन्धकों और श्रमिकों में कर्म की नैतिकता और कर्म के दर्शन का सूत्रपात करना चाहिए। जिसका कि यहां जिक्र किया गया है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर बल देने का मैं स्वागत करता हूं। जब तक हम अपने लोगों की पांच जीवनोपयोगी जरूरतों को पूरा नहीं करते, जैसे—खाना, घर, कपड़ा, स्वास्थ्य और शिक्षा और एक अन्य आवश्यकता जिसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र नहीं किया गया है जो कि रोजगार है, यदि आप जीवन की आवश्यकताएं भी उपलब्ध कराते जाएं और रोजगार न दे सकें तो आप युवा पीढ़ी में बढ़ती हुई भारी निराशा पायेंगे। मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी की समस्या के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। उस नैराश्य का भी कोई जिक्र नहीं हुआ है जो इस देश की युवा पीढ़ी में बेरोजगारी के कारण व्याप्त है। जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ रोजगार का होना बहुत जरूरी है जिसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

ऊर्जा का तो जिक्र किया गया है। आवश्यकता तो एक वृहत ऊर्जा नीति की ही नहीं है बल्कि एक ऐसे अभिकरण की भी है जो ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों में समन्वय स्थापित करे, चाहे वे पैट्रोलियम उत्पादनों, या ताप विद्युत या जल-विद्युत शक्ति या नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा अथवा और किसी प्रकार की ऊर्जा हो, जिसे हम इस देश में विकसित कर सकें। जब तक ऐसा वृहत अभिकरण नहीं बन जाता जो इन विभिन्न चीजों को एक जगह बांध सके तब तक आने वाले वर्षों और दशकों में हम अपने आपको बड़ी कठिनाई में पायेंगे। इसलिए मैं यह आशा करता हूं कि इस प्रकार का एक अभिकरण अति शीघ्र विकसित किया जायेगा।

राष्ट्रपति महोदय ने वातावरण का प्रश्न उठाया है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने जिक्र तो किया क्योंकि हमें उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए जो पश्चिमी देश करते आ रहे हैं जहां बनो समाज शीघ्रता से पतन की ओर जा रहे हैं। प्रदूषण इतना फैल रहा है कि हम वस्तुतः खुलकर सांस नहीं ले सकते। टोकियों में तो लोग गैस अवरोधक लगाकर ही बाहर निकलते हैं। हालत बहुत ही खराब है। अतः अब चूंकि हमारे पास पश्चिम से सीखने का अवसर है तो हमें यह देखना होगा कि हमारा आर्थिक विकास हमारे वातावरण को प्रदूषित न करे और इसीलिए वातावरण आयोजना और समन्वय की राष्ट्रीय समिति में फिर से प्राण फूंकने की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण विधेयक के लिए प्रवर समिति थी जिसका अध्यक्ष होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त था तथा हमने सारे देश का दौरा किया और छठी लोक सभा के अन्तिम दिन, 18 मई को हमने अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया। उस प्रतिवेदन में हमने न केवल वायु प्रदूषण विधेयक सम्बन्धी सिफारिशें की हैं, अपितु कुछ सामान्य प्रकार की सिफारिशें भी की हैं, जिनमें ताजमहल को प्रदूषण और टूटने से बचाने के लिए उपायों की सिफारिश भी की गई है। मथुरा तेल शोधक कारखाने के बारे में हमने कुछ ठोस सुझाव भी दिये थे। कुछ ऐसे उपाय भी सुझाए जिनको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार अगले सत्र में शीघ्रता से वायु-प्रदूषण, निवारण और नियंत्रण विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेगी। आर्थिक नीति के बारे में भी कुछ बातें हैं, जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

राजनैतिक दृश्य को देखें तो लगता है कि केन्द्र में स्थिरता है। लेकिन हमारी संवैधानिक प्रणाली के अनुसार केन्द्र में स्थिरता ही पर्याप्त नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार केन्द्र और राज्यों के बीच अच्छे सम्बन्ध होने चाहिएं और यदि हम 1977 में जनता पार्टी द्वारा की गयी गलती को न दोहरायें और उनकी तरह विधान सभायें भंग न करें तो यह अच्छा ही होगा। अतः हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि लोग संसद के बारे में कुछ सोचते हैं और विधान सभा के बारे में कुछ और सोचते हैं क्योंकि लोगों की समस्याएं भिन्न भिन्न हैं। अतः यह तर्क बहुत ही खतरनाक है कि चूंकि केन्द्र में कोई विशेष दल सत्ता में आया है, इसलिए विधान सभायें भी भंग होनी चाहिएं। मैं आशा करता हूं कि

सत्तारूढ़ दल 1977 की गलती को नहीं दोहरायेंगी क्योंकि यह संविधान में परिकल्पित संघर्ष शासनतंत्र के लिए घातक है ।

देश के उत्तर-पूर्वी भाग में आज उपद्रव हो रहे हैं। इसके कारण 12 सदस्यों का चुनाव ही नहीं हो पाया है । आसाम में सचमुच विद्रोह हो रहा है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि इसके लिए हमें दलीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह बात ठीक है। मेरे दो ठोस सुझाव हैं। पहला सुझाव यह है कि संसद अधिवेशन समाप्त होने के बाद प्रधान मंत्री को आसाम का दौरा करना चाहिए क्योंकि वैयक्तिक दूत चाहे वह कितना ही ख्याति प्राप्त क्यों न हो, स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं कर सकता। मेरे विचार में वहां प्रधान मंत्री की उपस्थिति जरूरी है।

दूसरे, विदेशियों का प्रश्न ही इस विवाद की मूल जड़ है। पिछले तीस वर्षों के दौरान, नेहरू-लियाकतअली, इंदिरा-मुजीब और मोरारजी-जिया पैक्ट जैसी कई संधियां हुई हैं । इसके अतिरिक्त कुछ संवैधानिक प्रावधान भी हैं, विदेशी अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, 1955 जैसे कानून भी हैं। सरकार के विचारार्थ मेरा सुझाव है कि भारत के सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस मामले की छानबीन करने और विदेशियों के प्रश्न सम्बन्धी तथ्यों का पता लगाने के लिए यथाशीघ्र एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : शाह आयोग ।

डा० कर्ण सिंह : आप चाहें तो इसके लिए शाह को भी ले सकते हैं । जब तक इस पर गंभीरता-पूर्वक विचार नहीं किया जायेगा उस समय तक आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते । हमने जम्मू तथा कश्मीर राज्य के लिए इसी प्रकार की नीति अपनायी है। वहां क्षेत्रीय असंतुलन सम्बन्धी अनेकों समस्यायें हैं। सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री सीकरी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। जो इस समस्या पर विचार कर रहा है। मैं शीघ्र ही इस आयोग के सामने जाऊंगा। यह आयोग इस समस्या का हल ढूंढने में प्रयत्नशील है। इस प्रकार की स्थिति में जब लोग भावावेश में आते हैं तो ऐसे मामलों पर तटस्थ होकर विचार करना चाहिए। मेरे विचार में जो लोग इस समस्या से सम्बद्ध हैं वे इससे तटस्थ नहीं रह सकते। असम की समस्या किसी दल की समस्या नहीं है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। हम सब इससे चिन्तित हैं। मेरे राज्य में इस प्रकार की समस्यायें पिछले 30 सालों से चलती ही आ रही हैं । इसलिए मुझे इसकी पूरी जानकारी है। इसलिए हमें इन समस्याओं पर सहानुभूति से विचार करना चाहिए ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में मेरा प्रधान मंत्री से एक ही मतभेद है। उन्होंने कहा है कि शीतयुद्ध का केन्द्र अब हमारी सीमा के निकट ही है। मैं तो समझता हूं कि युद्ध का केन्द्र अब हमारी सीमा के निकट ही है क्योंकि एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिसमें दो महान शक्तियां और चीन के युद्ध में जुट जाने की संभावना है जिससे मेरे विचार में हमारे राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। मेरे इस बारे में अधिक बोलते हुए केवल इतना ही कहूंगा कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और जम्मू-कश्मीर के लोग इस बारे में बहुत समझते हैं क्योंकि इस प्रकार की स्थिति के हम चार बार शिकार बन चुके हैं। 1947 में पाकिस्तान का पहला हमला हुआ जब जम्मू-कश्मीर के लाखों लोग बेघर हुए और 30,000 वर्गमील जमीन अभी तक भी पाकिस्तान के कब्जे में है। 1962 में भी हमारे लोग बेघर हुए। 1965 के आक्रमण में भी हम 10,000 वर्गमील भूमि से हाथ धो बैठे। 1971 के युद्ध में भी, जब हमें एक भारी विजय का गौरव मिला था, हमारे जम्मू के छम्ब क्षेत्र से 25,000 लोग बेघर हुए । कुछ विस्थापितों का तो अभी तक भी पुनर्वास नहीं हुआ है । पिछले 30 वर्षों के अंदर हमें इस समस्या का अनुभव हुआ है । अतः सारे राष्ट्र की समस्या होते हुए भी हम इस युद्ध के ज्वालामुखी के बहुत निकट हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपनी सुरक्षा को बनाये रखने के लिए सभी कार्यवाही करनी है ताकि इस क्षेत्र में अस्थिरता और न बढ़े तथा इस मामले में भारत द्वारा कुछ प्राथमिकता बरती जाये। हमारे लिए मान्य देशों के साथ बंधना संभव नहीं। हमारे राष्ट्रीय हितों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र में भारत बड़ी शक्ति है। इससे हमारे राष्ट्रीय हितों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है इसलिए मैं सरकार से प्रधान मंत्री से आग्रह करता हूं कि कुछ कार्यवाही करें। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति वेल्लेरी गिसकार्ड और प्रधान मंत्री ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया है। महत्वपूर्ण क्या बात है हमारी नीति पक्षपात की नहीं होनी चाहिए। आवश्यक रूप से यह राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। इन विविध समस्याओं के समाधान के लिए अंततः विपक्ष के सम्बद्ध किए जाने की संभावना है। मैंने संकट का उल्लेख किया है। उस पर काबू पाने के लिए दो बातों की आवश्यकता है। एक है प्रभावशाली सरकार। प्रभावशाली सरकार से मेरा अभिप्राय सत्तावादी सरकार से अथवा निरंकुश तथा अत्याचारी सरकार से नहीं है परन्तु उस सरकार से है जो वास्तविक रूप से जनता की समस्याओं के समाधान की चेष्टा करती है, ऐसी सरकार से है जो राष्ट्रीय राजनीति एवं अर्थनीति के पुनर्गठन करने के लिए वचनबद्ध है, ऐसी सरकार से जो अच्छे परिणाम प्राप्त करती है तथा समस्याओं का समाधान करती है।

भूतकाल में भी भारी बहुमत से जनादेश मिल चुके हैं। 1971 में तथा 1977 में भी ऐसे जनादेश हुए थे। परन्तु क्या बना? अंततः हमने उन हालात से वास्तविक रूप से देश की समस्याओं के समाधान की चेष्टा नहीं की। देश के लोग चिरकाल से कष्ट उठा रहे हैं। उनमें बहुत सहनशीलता है। परन्तु लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि किसी को भी उनका सदा समर्थन नहीं मिलता रहेगा। वे सरकारों को उखाड़ सकते हैं और एक बार निकाली गई सरकार फिर सत्ता में आ सकती है। इसलिए मेरा कहना है कि बहुमत के बावजूद यह सरकार अभी भी परीक्षण अधीन है। लोग ध्यानपूर्वक इस बात का अध्ययन करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करती है और इसलिए जैसा कि मैंने बताया कि पहली आवश्यकता प्रभावी सरकार सम्बन्धी है। दूसरी आवश्यकता है.... (व्यवधान)

श्री एन० जी० रंगा: देश में प्रभावशाली सरकार है।

डा० कर्ण सिंह: हम नहीं जानते। प्रो० रंगा तब भी अभी यह बात कहना संभव नहीं। यह सरकार अभी 15 दिन की है।

दूसरी आवश्यकता है विपक्ष का दायित्व। विपक्ष का कर्त्तव्य सरकार के कर्त्तव्य के समान है। यह सच है कि हम भारी बहुमत के जनादेश की चर्चा करते हैं। और यह एक बड़ी उबलब्धि है। मैं स्वीकार करता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऊधमपुर से कन्या कुमारी तक की अकेले यात्रा की और बहुत से लोग निर्वाचित हुए। मैं समझता हूं। कि यह बात सच है कि भारी बहुमत 43 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि 57 प्रतिशत..............

श्री एन०जी० रंगा: यह एक पुरानी कहानी है।

डा० कर्ण सिंह: यह पुरानी कहानी नहीं है। यह आपकी सदा युवा कहानी है। यह सच है।

श्री पी०सी० सेठी: शेष 57 प्रतिशत विभाजित है। एक नहीं है।

डा० कर्ण सिंह: मुझे अपनी बात पूरी करने दें। मेरा कहना है कि समस्या के समाधान के लिए दो बातों की आवश्यकता है। एक है प्रभावी सरकार तथा दूसरे सतर्क विपक्ष है जोकि अपना दायित्व पूरा करता है। हमारी संख्या कम हो सकती है, बेशक हम बटे हुए हैं, फिर भी हम 57 प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने हमें मत दिये। इसलिए हमारा एक दायित्व है। इस दायित्व के बारे में, मैं विपक्ष की ओर से आश्वासन दे सकता हूं कि जहां राष्ट्रीय हित अपेक्षित होगा हम सरकार का

समर्थन करेंगे और जहां जनहित चाहेगा हम सरकार का विरोध करेंगे। हम निर्भयता से तथा बिना पक्षपात के अपना कर्तव्य निभायेंगे। हम अपना दायित्व निभायेंगे ताकि महात्मा गांधी और श्री जवाहर लाल नेहरू के स्वप्न साकार हों तथा हम इस खतरनाक दशक से बच सकते हैं। हम विपक्ष के सदस्यों को सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि हमारी निरन्तर सतर्कता से ही सरकार उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्य कर सकती है। हम अपना दायित्व इस आशा के साथ निभायेंगे कि राजनीति के नियमों का पालन किया जायेगा और हम सब मिलकर भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसके लिए हमारे से पहले आने वाले तथा बाद में आने वाले सदस्य श्रम करते रहे हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल (लातुर) : श्रीमन्, लोक सभा चुनाव के बाद जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पक्ष ने इतनी बड़ी मैजारिटी में चुन कर आने के बाद खुशी मनाने के बजाय अपनी जिम्मेदारी क्या है यह समझने की कोशिश की है। हमारे देश के सामने प्रश्न क्या हैं यह ढूंढ कर निकालने की कोशिश की है और वह प्रश्न किस प्रकार से हल किये जा सकते हैं यह बताने की इसमें कोशिश की गई है और मैं समझता हूं कि जब कि लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवारों को यहां भेजा है तो यह कहना गलत होगा कि 42 प्रतिशत लोगों का ही हम प्रतिनिधित्व करते हैं और बाकी लोगों का प्रतिनिधित्व जो लोग विरोधी बैंचों पर बैठे हुए हैं वह करते हैं, यह कहना गलत होगा।

डा० कर्ण सिंह : यह तथ्य है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यहां पर जो चुन कर नहीं आये हैं उनके भी मतों का ख्याल किया जाना चाहिये। मैं इन बातों के लिये कुछ नहीं कहना चाहता। मगर मैं यह कहना चाहूंगा कि लेजिस्लेटिव मैंबर्स के सम्बन्ध में राष्ट्रपति जी ने जो अपने अभिभाषण में कहा था वह कदम पहले हमने यहां आकर उठाया। घटना दुरुस्ती के सम्बन्ध में जो उन्होंने बताया, इसके परिच्छेद 32 में बताया गया है कि हम संविधान को दुरुस्त करेंगे और जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भाई हैं उनको लेजिस्लेचर में बैठने के लिये और 10 साल का मौका देंगे। वह पहला कदम अभिभाषण होते ही, दो तीन दिन के भीतर ही उठाया गया है, और यह खुशी की बात है कि इस सदन के सारे सदस्यों ने उस संविधान की दुरुस्ती का समर्थन किया है। यह हम सब के लिये बड़ी अच्छी बात है।

यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में कहा कि इसमें नई चीज कौन सी है? यह तो सारी पुरानी चीजें हैं। मैं यह मानता हूं कि इसमें बहुत सारी नई चीजें नहीं हैं। मगर जो दो, तीन साल बीते हैं उसमें जो चीजें हो रही थीं, उससे अलग और नई चीजें जरूर इसके अन्दर हैं। यह हो सकता है कि इसके पहले जो 28, 30 साल में हो रहा था उससे नई चीज नहीं हैं, मगर जो दो, तीन साल में हो रहा था उससे अलग चीज इसमें जरूर हैं।

मैं सदन का ध्यान अभिभाषण के परिच्छेद 9 की ओर खींचना चाहता हूं। क्या कहा गया है उसमें? उसमें कहा गया है कि हम नियोजन की पद्धति से अपनी अर्थ व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि यहां गये तीन साल में क्या इस सदन में बैठकर जो नियोजन की कल्पना थी उसको तोड़-मरोड़ कर हमारे देश के सामने रखा गया था कि नहीं? इस सदन के सारे सदस्यों को याद है कि इस देश में नियोजन की कल्पना पंडित जवाहर लाल नेहरू सबसे पहले लाये, और उस समय भी उसका विरोध किया गया था। लोगों ने कहा था कि यह कल्पना है, प्रदेश की कल्पना है और यह यहां पर नहीं चल सकेगी, यह कल्पना काम नहीं कर सकेगी। परन्तु पंडित जवहार लाल नेहरू का वह नेतृत्व था, उनका जो व्यक्तित्व था उसके आधार पर वह कल्पना यहां आयी और देश में चलती रही। परन्तु ज्यों ही पंडित जवाहर लाल नेहरू हमारे बीच से चले गये, हम सब को याद होगा,

इस नियोजन की कल्पना को छुट्टी दे दी एक साल की । नियोजन की कल्पना छोड़ दी गई और प्लान हालिडे की कल्पना आई। उसके बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी के आने पर नियोजन की कल्पना फिर आई। ज्यों ही इन्दिरा जी के हाथ से राज्य की बागडोर चली गई, तो फिर नियोजन की कल्पना को तोड़-मरोड़ कर जनता के सामने रखा गया । कहा गया कि अब हम रोलिंग प्लान रखना चाहते हैं। रोलिंग प्लान क्या है, यह हमारी समझ में नहीं आता है । रोलिंग प्लान और बजट में कितना अन्तर है, यह भी नहीं कहा जा सकता है । हम समाज को बदलना चाहते थे, उसकी आर्थिक व्यवस्था को बदलना चाहते थे, और नियोजन की पद्धति से बलदना चाहते थे, मगर नियोजन को छोड़ दिया गया । मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि अगर नये शासन के आने के बाद कोई नई चीज आई है, तो वह यह है कि नियोजन की कल्पना एक नया रूप धारण कर के आई है और हम उसके द्वारा समाज और उसकी आर्थिक व्यवस्था को बदलना चाहते हैं।

यह बड़े आनन्द की बात है कि अभिभाषण के परिच्छेद 17 में साइंस और टेक्नालोजी का उल्लेख किया गया है । हम जानते हैं कि संसार की जो प्रगति हुई है, वह विज्ञान और टेक्नालोजी के द्वारा हुई है । हम संसार का 1700, 1800 वर्ष का इतिहास जानते हैं कि जब आदमी अपने हाथ-पैर से काम करता था, तो उसकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन जब उसके हाथ में विज्ञान और टेक्नालोजी की शक्ति आई, तो उसकी प्रगति होने लगी ।

इस जानकारी के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश में रिसर्च या अनुसंधान का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया । रिसर्च पर बहुत पैसा खर्च होता है और कभी-कभी कहा जाता है कि यह फ़िज़ूलख़र्ची है, क्योंकि इससे हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है । लेकिन रिसर्च कोई ऐसी मशीन नहीं है कि उसमें कोई सामान डालने से कोई तैयार माल हमारे हाथ में आ जाये । रिसर्च तो हमेशा जारी रहती है और कभी एक ऐसा समय आता है कि कोई इनवेन्शन या डिसकवरी हमारे सामने आती है, जिसकी सहायता से हम पूरे समाज के स्वरूप को, उसके आर्थिक स्वरूप को बदल सकते हैं । साइंस और टेक्नालोजी को इस दृष्टि से देखना जरूरी है ।

लेकिन जब जनता पार्टी का शासन आया--जनता पार्टी के विरोध में बोलने में मुझे कोई खशी नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ है, वह संसद् और देश के सामने आना चाहिए--, तो हम ने आगे देखना छोड़ दिया और पीछे देखना शुरू किया,--हमने भविष्य की ओर देखना छोड़ दिया और भूतकाल की ओर देखना शुरू किया, हमने विज्ञान की ओर देखना छोड़ दिया और आदमी के हाथ-पैर की ओर देखना शुरू किया । आदमी के हाथ-पैर और शरीर की ओर देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विज्ञान की जो महान् शक्ति है, संसार में एक जर्रे-जर्रे में जो शक्ति है, उस पर अधिकार कर के हाथ-पैर, शरीर और मस्तिष्क की मदद करना बहुत आवश्यक है ।

लेकिन साइंस और टेक्नालोजी की ओर देखने का दृष्टिकोण बदल गया, ग़लत हो गया । लेकिन उसका परिणाम आज हमको देखने को नहीं मिलता है । अगर साइंस और टेक्नालोजी के प्रति हमारे दृष्टिकोण में कोई ग़लती होती है, तो आज हम नहीं कह सकते कि उससे क्या बुराई या कमी हुई है । दस साल के बाद हम को उसके फल भुगतने पड़ेंगे, दस साल के बाद हम महसूस करेंगे कि अगर हम इस मार्ग पर चले होते, तो अमुक चीज हमारे हाथ में आ जाती और उसके द्वारा हम अपने देश की प्रगति कर सकते थे । यह खुशी की बात है कि पिछले ढाई-तीन साल का दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और नया दृष्टिकोण अपनाया गया है ।

हम कहते हैं कि गरीबी हटानी है, बेकारी खत्म करनी है, देश को समृद्ध बनाना है, शक्तिशाली बनाना है । लेकिन केवल नारों से यह काम नहीं होने वाला है । नियोजन के द्वारा समाज का स्वरूप बदलने से, विश्व में जो शक्ति है, उसको अपने हाकथ में ले र उसका उपयोग करने से ही हम यह काम

कर सकते हैं । अगर हमने इस दिशा में कदम नहीं उठाया, प्रयास नहीं किया, तो ये सब काम नहीं हो सकते हैं । यही दृष्टिकोण आज नई सरकार का है और इसी दृष्टि से यहां पर काम किया जा रहा है ।

तीसरा प्वाइंट मैं परदेश नीति के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं । परदेश नीति के सम्बन्ध में सम्माननीय सदस्य बाबू जगजीवन राम ने यह दुरुस्त कहा कि हमें बड़े एहतियात से काम लेना जरूरी है । एक-एक लफ्ज हमें सोच समझकर बोलना है। चीजें इतने नजदीक, हमारी बाउंड्री के पास आ गईं कि अगर हम कुछ गलत कदम उठाएं या गलत बोलें तो इस का असर हमारे ऊपर हो सकता है । यह समझ कर हमें बोलना होगा और यह समझ कर हमें काम करना होगा। मगर क्या करना है, क्या बोलना है यह सब तय करते समय एक इतिहास है हमारे देश का, उस को भी याद रखना जरूरी है। 1962 की घटना हम याद करें । 1962 की घटना कैसे हुई थी ? उस समय इस देश के अंदर और इस के बाहर कुछ लोगों के ऐसे भाषण हुए थे जिस की वजह से कहा जा सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हुईं जिस के कारण हमें कुछ दिन के लिए तकलीफ उठानी पड़ी। कुछ दिन के लिए कुछ नादुरुस्ती यहां पर हो गई । आज भी हमें यह याद रखना पड़ेगा कि यह किसी एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, किसी एक सरकार का प्रश्न नहीं है, यह सारी पार्टीज का, सारे समाज का और सारे देश का प्रश्न है और इस सम्बन्ध में हम जो कुछ भी बोलना चाहें, बहुत ही सोच समझ कर हमें बोलना होगा। शीत युद्ध या कोल्ड वार और हाट वार, यह भी ऐसा लग रहा है कि हमारी बाउंड्री के नजदीक आ गया है और अगर हमें उस में पेट्रोल नहीं डालना है, तेल नहीं डालना है तो यह सोच-समझ कर हमें बोलना होगा कि कहां तक हमें जाना होगा और कहां पर रुकना होगा ।

हमारे इस देश की परदेश नीति क्या हो सकती है ? यह तय करते समय सब से पहले हमारा काम यह देखना होगा कि हम जो अपने इंटेरेस्ट हैं उनको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और हम अपने देश का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं । यह हमें ध्यान में रखना होगा । इसके बाद इस संसार के अंदर शांति कैसे स्थापित होगी यह हमें देखना होगा । इस के बाद हमें देखना पड़ेगा कि जो तत्व हम आगे रखते हैं, उन तत्वों को हम छोड़ न दें । मगर जब हम उन तत्वों को इस्तेमाल में लाएं तो उस समय कोई ऐसी भाषा न निकालें, कोई ऐसा वाक्य अपने वक्तव्य में न निकालें जिस की वजह से हम ऐसी कुछ परिस्थिति संसार के अंदर पैदा कर दें कि हमारे दोस्त, दोस्त न रहें और जो दोस्त नहीं हैं वह भी दोस्त न रहें । ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए । यह सारी चीजें सोच कर हमें अपना वक्तव्य देना होगा। हम इस रेस्पांसिबिलिटी से और इस प्रकार से यहां पर वक्तव्य नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि परदेश नीति की दृष्टि से बहुत ही कठिन परिस्थिति होगी ।

अगर हम राष्ट्रपति महोदय का भाषण पढ़ें तो उस में दो चीजें अहम नजर आती हैं । एक तो यह है कि देश के अंदर क्या प्रश्न हैं, उसका उन्होंने उल्लेख किया है और उस के बाद परदेश नीति के बारे में उन्होंने बहुत कुछ उसके अंदर कहा है । यह एक अच्छी और दुरुस्त बात है कि केन्द्रीय सरकार परदेश नीति के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है । यह बहुत अच्छी बात है और यह समझ कर ही उन्होंने इसमें ऐसा कहा है, ऐसा मैं समझता हूं और उसी दृष्टि से हमें यहां बोलना होगा ।

बहुत सारी चीजें हैं यहां पर जिन के ऊपर वक्तव्य दिया जा सकता है । बाबू जगजीवन राम ने बहुत ही दुरुस्त कहा है कि यह वक्त जो है यह सोचने का है। उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया यह कहने का वक्त नहीं है । भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चरण सिंह ने कहा कि हम ने परसीक्यूशन नहीं किया, हमने कानून की दृष्टि से सब कुछ किया । मैं यह पूछना चाहता हूं, एक लाइयर के नाते हर आदमी जानता है कि किसी आदमी के खिलाफ अगर बहुत सारे केसेज चला दिए गए और फिर उस से कहा जाए कि तुम्हें छूटना है तो कोर्ट के जरिए से छूटो, मगर केस हम तुम्हारे ऊपर चलाएंगे और इस पर यह कहा जाए कि हम ने आप का परसीक्यूशन नहीं किया तो क्या वह परसीक्यूशन नहीं होगा । मेरा

कहना यह है कि इस दृष्टिकोण से हमें इस अभिभाषण की ओर नहीं देखना है, हमें इस अभिभाषण की ओर इस दृष्टिकोण से देखना है कि हमारे प्रश्न क्या हैं और कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है ? कौन सा मार्ग हमें छोड़ना है कौन सा पकड़ना है, इस दृष्टि से हमें देखना होगा ।

मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का और अपने विचार रखने का मौका दिया ।

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री एस० एम० कृष्ण ने जो प्रस्ताव रखा है तथा जिस का अनुमोदन श्रीमती मोहसीना किदवई जी ने किया है, उस प्रस्ताव पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया है, उस के लिये आभारी हूं ।

सभापति महोदय, मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को ध्यानपूर्वक पढ़ा और इस माननीय सदन के सदस्यों द्वारा जो अनुमोदन या समर्थन किया गया, उस को भी ध्यान से सुना । मैंने इस अभिभाषण को तीन हिस्सों में देखने का प्रयास किया । जब मैं इस परिप्रेक्ष्य में गया तो पहला हिस्सा 24 मार्च, 1977 के पहले का था, उसके पहले जो सरकार थी, उसके कार्यक्रम को देखा । उसके बाद मैंने 24 मार्च, 1977 के बाद तथा 14 जनवरी, 1980 के बीच के परिप्रेक्ष्य को देखा और तीसरे भाग में 14 जनवरी, 1980 के बाद के परिप्रेक्ष्य को देखा । मान्यवर, मैंने यह देखा, कोई भी देश हो, भारतवर्ष हो या कोई अन्य देश हो, जब उस की आर्थिक अवस्था, आर्थिक विपन्नता पर हम ध्यान देते हैं, उसके निर्यात और आयात पर ध्यान देते हैं तो 1970-71 में भारत में मुद्रास्फीति की जो स्थिति थी, यदि 100 को आधार मान कर चलें, तो मूल्य सूचकांक 188 था । उस के बाद जब 1977-78 में जाते हैं तो मूल्य सूचकांक 181 पर था, लेकिन जब 1978-79 के बीच में आते हैं तो यह मूल्य सूचकांक बढ़ कर 201.3 प्रतिशत हो गया था, अर्थात् भारत की अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति 20.3 प्रतिशत बढ़ गई थी । इससे साबित हुआ कि तीन वर्षों में या 28-30 महीनों के अन्दर देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ी । ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह लक्ष्य किया गया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वह इस अर्थ-व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेगी । मुझे पूरी आशा है कि हमारी सरकार इस मुद्रास्फति को घटायेगी और उस के आधार पर आयात कम होगा तथा निर्यात बढ़ेगा । किसी भी देश की प्रगति का यह सिद्धांत है कि जब आयात कम होता है और निर्यात बढ़ता है, तो उस देश में समाजवाद आता है । इसलिये हमको आशा है कि इस वक्त जो भारत की सरकार है, जो नई सरकार बनी है, राष्ट्रपति जी के अभि-भाषण में जिन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, उनके आधार पर भविष्य में देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करेगी ।

मैंने अभिभाषण में देखा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आरक्षण के सम्बन्ध में उल्लेख था । उसी के आधार पर हमने यहां 45वां संविधान संशोधन पास किया । संविधान संशोधन पर चर्चा के समय कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इसका सारा श्रेय इन्दिरा जी को क्यों दिया जा रहा है, इसका श्रेय तो सबको दिया जाना चाहिये । मैं आपके माध्यम से उन माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं--उन ढाई-तीन वर्षों में हमारे माननीय बाबू जगजीवन राम जी जैसे वरिष्ठ नेता कहां थे, जब बेलछी का काण्ड हुआ, जब मोरवी का काण्ड हुआ, जब आन्ध्र प्रदेश का काण्ड हुआ, जब कानपुर का काण्ड हुआ ? मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता--हमारे आजमगढ़ जिला में एक गांव है--गूजरपार--वहां हरिजनों के साथ जो अन्याय हुआ, उस समय हमारे श्री मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी और बाबू जी जैसे नेता कहां थे, वे वहां पर क्यों नहीं गये ? लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी, जैसा आप सभी जानते हैं, उस समय भी जब बेलछी का काण्ड हुआ, 14 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया, वहां पर पानी भरा होने के बावजूद भी हाथी पर चढ़ कर वहां गई । उस समय ये लोग कहां थे ? इसलिए सभापति जी मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहता हूं, माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि अहमियत इस बात की है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के हृदय में

हरिजनों, गिरिजनों, परिजनों, अल्पसंख्यकों और दलित लोगों के प्रति प्रेम है। इसलिए जो 45वां संविधान (संशोधन) विधेयक पेश किया गया है, इसका श्रेय श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाता है। उनकी हालत सुधारने के लिए उनमें विश्वास है।

इसके बाद मैं आर्थिक कार्यक्रम की तरफ आता हूं। आर्थिक कार्यक्रम के लिए बीस-सूत्री कार्यक्रम 1974 में लाया गया था लेकिन 24 मार्च, 1977 के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय बीस-सूत्री कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में चालू था। उस समय गरीबों, भूमिहीनों, हरिजनों और अनुसूचित और अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों के लिए एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चालू था मगर खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस समय, जब जनता पार्टी का जन्म हुआ और उसकी सरकार केन्द्र में बनी तथा दूसरे प्रान्तों में बनी, तो हमारे उस न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को, जिसको हम बीस-सूत्री कार्यक्रम कहते हैं, ठप्प कर दिया गया। उस समय मैं एक विधायक था और मैं जानता हूं कि हरिजनों तथा पिछड़ी हुई जातियों के लोगों को कुछ जमीन दी गई थी। दस्तकारों को, हथकरघा वालों को, हरिजनों और अल्पसंख्यक लोगों तथा पिछड़ी हुई जातियों के दूसरे लोगों को बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ सुविधाएं दी गई थीं लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसने उस सारे काम को ठप्प कर दिया।

मैंने राष्ट्रपति जी के भाषण को पढ़ा और उनमें यह देखा कि उसमें लिखा है कि बीस-सूत्री कार्यक्रम में जान डाल कर उसे लागू करने का पुनः प्रयत्न किया जाएगा। जब मैंने यह देखा कि बीस-सूत्री कार्यक्रम को पुनः लागू किया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि हरिजनों, गिरिजनों, परिजनों, अल्पसंख्यकों, दस्तकारों, हथकरघा वालों और अन्य पिछड़ी जातियों, तथा अन्य वर्गों के लोगों के लिए आर्थिक कार्यक्रम बनने से उनकी आर्थिक उन्नति होगी और वे आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

औद्योगिक क्षेत्र का जहां तक सम्बन्ध है, मान्यवर, मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ा है और इसको मैंने देखा है। मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं तीन पक्षों में इसका अध्ययन करना चाहता हूं। एक तो 24 मार्च, 1977 से पहले हमारी औद्योगिक नीति क्या थी। उसके बाद 24 मार्च, 1977 और 14 जनवरी, 1980 के बीच में औद्योगिक सम्बन्ध क्या थे और उसके बाद औद्योगिक सम्बन्ध क्या होंगे। ये तीन पक्ष हमारे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, इन्दिरा गांधी जी की सरकार थी, तब हम विशेष कर सरकारी पक्ष अर्थात् सार्वजनिक मंच को मजबूत करते थे लेकिन बीच में हमने देखा कि इन 28 और 30 महीनों के अर्से में, इस मुद्दत में, प्राइवेट सेक्टर जिसको हम निजी सेक्टर कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है। उस समय चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो और चाहे लोकदल की सरकार रही हो, हमें यह शंका हुई कि जब भारतीय संविधान में हमने समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की उदघोषणा की है, समाजवाद के नाम पर प्राइवेट सेक्टर और निजी व्यवस्था को तूल देने से समाजवाद का जो स्वप्न है, वह दूर हटता चला गया। इसलिए राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक सेक्टर यानी निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक सम्बन्धों की उदघोषणा की है। राष्ट्रपति के भाषण में इस सम्बन्ध में जो है, उसकी मैं ताईद करता हूं और जानता हूं कि भविष्य में ये सम्बन्ध और अच्छे होंगे जिनके कारण भारत में समाजवाद आ जाएगा।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मैंने क्षेत्रीय असन्तुलन के बारे में भी पढ़ा। मान्यवर 24 मार्च, 1977 और 24 जनवरी, 1980 के बीच यह क्षेत्रीय असन्तुलन काफी बढ़ा है जिसके कारण भारत की आर्थिक व्यवस्था खराब हुई है। इस बीच देश के हर भाग—पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, और उत्तरी-क्षेत्रों में क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि जो भी उपाय इस क्षेत्रीय असन्तुलन को ठीक करने के लिए बताये गये हैं—जैसे कि वनरोपण, भूमि संरक्षण, उद्योग धंधों की स्थापना—इन उपायों को अपनाकर इस क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर किया जाए। मैं, मान्यवर, यह भी चाहता हूं कि ऐसे स्थानों का सर्वेक्षण किया जाए कि कहां-कहां पर इन उपायों को अपनाना है।

आपके माध्यम से, मान्यवर मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं गोरखपुर जिले की बहुत ही पिछड़ी तहसील बांसगांव से आता हूं। जहां पर आज तक कोई उद्योग धंधा नहीं लगा, जहां पर उद्योग धंधों के लिए रेलवे लाइन की कोई सुविधा नहीं है। वहां पर 1976-77 में रेलवे लाइन का सर्वेक्षण हुआ था। मैं सरकारी पक्ष से निवेदन करता हूं कि वहां पर उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए रेलवे लाइन के काम को आगे बढ़ाया जाए।

मान्यवर, शिक्षकों और शिक्षार्थियों के विषय में भी मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस सरकार ने शिक्षा के विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखने का प्रावधान किया था लेकिन जब जनता सरकार आयी तो उसने शिक्षा को समवर्ती सूची से निकाल देने का प्रावधान किया। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह शिक्षा को पुनः समवर्ती सूची में रखने की व्यवस्था करे।

माध्यमिक शिक्षकों को तथा प्रायमिक शिक्षकों को समान कार्य के आधार पर समान वेतन मिलना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री जी शिक्षकों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करें।

इसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन काल में दो सौ करोड़ रुपये का प्रावधान एडल्ट एजूकेशन के नाम पर किया गया। उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब माध्यमिक स्कूलों तक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए। मान्यवर, यह मेरा सरकार से निवेदन है।

इसके साथ ही साथ, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र भारतीय संविधान में दिया हुआ है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी उसकी घोषणा की गयी है। विरोधी पक्ष के हमारे माननीय चौधरी साहब ने भी लोकतंत्र की बात कही। मैं जब उत्तर प्रदेश का विधायक था तो उस समय चौधरी साहब वहां विरोधी दल के नेता थे। उस समय भी वे लोकतंत्र की बात करते थे। मान्यवर मैं जानना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्र यही है कि एक नागरिक को अपना मत देने का भी अधिकार न हो? क्या यही महात्मा गांधी के सपनों का और भारतीय संविधान का लोकतंत्र है जिसे डा० भीमराव अम्बेदकर ने इस देश को दिया? मेरे पास मेरठ, बागपत और किराना से लोग आये थे जिनके सिर फूटे हुए थे। उनके सिर फूटे हुए थे, बाहें टूटी हुई थीं, पैर टूटे हुए थे। आज तक वे लोग अपने वोट का प्रयोग नहीं कर पाए हैं। देश को आजाद हुए 30 वर्ष हो गए हैं। क्या उसको लोकतंत्र कहा जा सकता है और लोकतंत्र के जो पुजारी अपने आपको कहते हैं चौधरी साहब क्या यह उनको शोभा देता है। लोकतंत्र के नाम पर, हरिजनों, कमजोर वर्ग के लोगों और अल्पसंख्यकों को आज के इस वैज्ञानिक युग में जब दुनिया कहीं से कहीं चली गई है, आगे बढ़ चकी है, जो वोट डालने नहीं दिया जाता है क्या इसके औचित्य को किसी भी आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? द्वापर में मैथिली शरण गुप्त ने एक स्थान पर लिखा है:

पीछे पितर पृष्ठ पोपक हैं

पर भविष्य तो आगे

यदि अपना परिणाम न देखें

तो हम अंध अभागे।

आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मेरा सरकार से यह अंतिम निवेदन है कि जनता पार्टी की सरकार के तीस महीनों के शासनकाल में जो देश इतना पीछे गया है, उसको हम देखें और भारत को आगे बढ़ाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर चलते हुए आगे बढ़ें।

उन्ही शब्दों के साथ जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बंबई-उत्तर पूर्व) : आज हम 1977 की लोक सभा की तुलना में पूर्णतः भिन्न परिवेश में बैठे हुए हैं। एक प्रकार से भारतीय लोकतंत्र के लिए यह गौरव की बात है जिन नेताओं को जनता ने 1977 में पूरी तरह अस्वीकृत कर दिया था उन्हें 1980 में बहुमत मिला है। परन्तु शासक दल को संतुलित ढंग से सोचना चाहिए कि यह केवल लोकतंत्री प्रणाली में ही संभव है कि इस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। दूसरी किसी भी प्रणाली में जब कोई व्यक्ति सत्ता से हट जाता है तब वह पुनः कभी सत्ता में नहीं आ सकता। यह केवल लोकतंत्रीय प्रणाली ही है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति सत्ता से हट कर भी पुनः सत्ता में आ सकते हैं इसलिए हम सबको सबसे पहले मर्यादित विचार करना चाहिए कि लोकतंत्रीय प्रणाली हर हालत में अनुरक्षणीय है। इसलिए हमें मिलकर इस प्रणाली को सुदृढ़ बनाना चाहिए और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लोकतंत्र की परिभाषा वही है जो कि हम यहां पर समझते हैं और वे वहां पर समझते हैं क्योंकि आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी यही कहती रही कि देश में लोकतंत्र है बेशक देश में तथा देश के बाहर भी यह समझा जाता था कि लोकतंत्र नहीं रहा और वास्तव में लोकतंत्र नहीं था। (व्यवधान) शायद यह सीमित लोकतंत्र था। परन्तु वास्तव में देश में लोकतंत्र नहीं था। इसलिए हमें मिल कर यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है तथा उसका संरक्षण करना चाहिए।

सत्तारूढ़ दल ने अपने सभी भाषणों में विपक्ष से सहयोग का रवैया अपनाने पर बल दिया है। प्रधान मंत्री ने भी कहा है 'मुझे उम्मीद है विपक्ष कार्यों में बाधा नहीं पैदा करेगा' राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण के अंत में कहा है कि लोकतंत्र के सही रूप से कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार तथा विपक्ष एक दूसरे का आदर करते हुए मिलकर लोकतंत्र को चलायें। यह बड़ी-बड़ी आशाएं है। प्रश्न यह है हम इसे किस प्रकार बदल सकते हैं। हमारे मनों में यह बात साफ है कि 1980 का चुनाव हारने के लिए कटुता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सत्तारूढ़ दल इसे स्वीकार करेगा। हम वहां पर कटुता की भावना लेकर नहीं आये कि हमें छल लिया गया है तथा हमें किसी न किसी रूप में वापस आना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि उन्हें समझना चाहिये कि यह सब चुनाव के खेल का भाग है। सत्तारूढ़ दल के बहुत से सदस्यों द्वारा चौधरी चरण सिंह की भर्त्सना की गई है। मुझे विशेष आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा है कि चौधरी चरण सिंह को लक्ष्य बनाया गया। मुझे हैरानी इसलिए हुई क्योंकि इस ओर कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसने उस पार्टी के लिए जुलाई की घटनाओं द्वारा, जिसमें जनता पार्टी विभाजित हो गई और वह इस पार्टी को छोड़ कर चले गये तथा उनकी मदद से सरकार बनायी जो जल्दी ही गिर गई। यह सदस्य $2\frac{1}{2}$ वर्ष तक सभा में न होते यदि चौधरी सिंह ने उक्त कार्यवाही न की होती।

इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने भाषणों में चौधरी चरण सिंह की सराहना करें। यदि सहयोग का वातावरण रखा जाये तो कटुता नहीं रहेगी। निश्चय ही सत्तारूढ़ दल, द्वारा की जाने वाली अच्छी कार्यवाहियों का विपक्ष समर्थन कर सकता है। परन्तु प्रारम्भ शासक दल द्वारा ही किया जाना चाहिए। अपने भाषणों में उन्होंने कहा है कि जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, जनता पार्टी ने अर्थ-व्यवस्था को नष्ट कर देश का विनाश किया, इत्यादि। यह प्रायः चुनाव भाषण की तरह भाषण थे। परन्तु आज हम संसद में हैं हमारे पास आंकड़े है। यह हमारे ग्रंथालय में उपलब्ध हैं। हमारा ग्रंथालय देश के महान ग्रंथालयों में से है। और यह आशा की जाती है कि सदस्यों द्वारा इसका उपयोग किया जाये। आंकड़ों से यह पता चलता है कि जनता पार्टी के 2 वर्ष के शासनकाल के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष थी जबकि गत 30 वर्षों के दौरान यह दर $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रति वर्ष थी। जनता शासन के दौरान वृद्धि की दर काफी अधिक रही।

इसलिए इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिये। परन्तु फिर भी यदि आप अपने भाषण में इसको व्याख्या करना चाहते हैं, तो भी आपको इतना तो स्वीकार करना ही चाहिये कि 'हां वृद्धि दर अधिक रही है'। इसके कारण यही है। आज भी प्रातः प्रो० मधु दण्डवते ने खाद्यान्न उत्पादन के बारे में सदन में प्रश्न उठाया था। प्रश्न के उत्तर में इस बात को स्वीकार किया गया था कि खाद्यान्न उत्पादन प्रथम वर्ष में 15 मिलियन टन था जो कि पिछले वर्षों अर्थात् 1975 तथा 1976 या आपात स्थिति के वर्ष तथा उससे बाद के वर्ष से अधिक था। वर्ष 1978–79 में यह 20 मिलियन टन पहले से अधिक था। मैंने इसके बारे में प्रश्न भी पूछा परन्तु मंत्री महोदय ने जानबूझ कर उसके बारे उत्तर नहीं दिया। परन्तु खाद्यान्न के इतने अधिक उत्पादन के बाद खाद्यान्न का स्टाक क्या था? यदि उन्होंने इसका उत्तर दिया होता, तो वह 1973 तथा 1975 के उत्पादन से अधिक ही होता।

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा करके उन्होंने बुद्धिमत्तता के प्रति अपनी अनभिज्ञता प्रदर्शित की है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस प्रकार के तथ्यों को प्रकाश में लाना ठीक ही होता है। अपने 2½ वर्ष के शासनकाल के दौरान जनता सरकार ने अपनी पेय जल सुविधा योजना के अन्तर्गत और अधिक गांवों को पीने का जल उपलब्ध करवाया। 46,000 गांवों को पेय जल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई जबकि पिछले 30 वर्षों में केवल 40,000 गांवों को ही पेय जल उपलब्ध करवाया गया। जनता सरकार के शासनकाल के दौरान 46,000 गांवों को पेय जल उपलब्ध करवाया गया। इसलिए यह आंकड़े है ही। कोई चाहे कुछ भी कहे यह तो सही हैं कि जनता सरकार ने अपने शासनकाल में मूल्यों को स्थिर कर दिया था। आपको मार्च 1977 के मूल्यों को दृष्टिगत रखना होगा **(व्यवधान)** उस समय विशेष रूप से चावल का मूल्य 6 रुपये प्रति किलो था। हम इसे 2 रुपये किलो तक ले आए। चीनी का मूल्य उस समय रु० 5–50 पैसे किलो था। जिसे हम घटाकर रु० 2–50 पैसे किलो तक ले आये और वास्तव में यह इससे भी कम था **(व्यवधान)** यही समस्या है। प्रो० मधु दण्डवते का कहना है कि वह इस प्रकार से बुद्धिमत्ता के प्रति अवहेलना व्यक्त करने के अपने अधिकार को प्रदर्शित कर रहे हैं। तथ्य यह हैं कि यह आंकड़े उपलब्ध हैं। फरवरी 1979 में दुर्भाग्यवश श्री चरण सिंह को वित्त मंत्रालय सौंपा गया। उस समय चीनी का मूल्य रु० 2.20 पैसे प्रति किलो था। वास्तव में यही बात थी **(व्यवधान)** हमने गलती की। इसीलिए आज हम यहां बैठे हुये हैं। आप भी गलती मत कीजिये अन्यथा आप भी बहुत शीघ्र यहीं आ बैठेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जनता सरकार के शासन के दौरान लगभग सभी उन वस्तुओं के मूल्यों में कमी हुई जिनका उपयोग जनसाधारण द्वारा किया जाता है। हमने गलतियां कीं और इसीलिए आज हम यहां बैठे हैं। मैं समझता हूं कि मेरे दल को विरोध पक्ष में रहने का यह जो समय मिला है वह इसका उपयोग दल को शक्तिशाली बनाने के लिए करेगी जिससे कि दल आगामी आम चुनाव लड़ सके। मेरा यह विश्वास है कि शासक दल यदि लोगों की समस्याओं को सुलझाने की अपेक्षा अन्य बातों की ओर ध्यान देता रहा तो उसकी दशा भी वैसी ही होगी, जैसी कि आज हमारी हुई है।

श्रीमान जी, मैं आपके माध्यम से शासक दल से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्हें अपने शासनकाल में कोई उद्धरण स्थापित नहीं करने चाहिए जिनका उपयोग बाद में उन्हीं के खिलाफ किया जा सके। प्रत्येक सदस्य द्वारा इस सदन से श्रीमती गांधी को निष्कासित किये जाने की घटना का उल्लेख किया गया है। उनके क्रोध का कारण यही था कि हमने अपने प्रचन्ड बहुमत का उपयोग एक ऐसे व्यक्ति को सदन से निष्कासित करने के लिए किया जो कानूनी तौर से सदन के लिए चुना गया था। हमें ऐसा उद्धरण कहां से मिला। ऐसा उद्धरण था। मैं राज्यसभा का सदस्य था। मैं भी कानूनी तौर से निर्वाचित सदस्य था परन्तु उन्होंने अपने प्रचन्ड बहुमत का उपयोग मुझे निष्कासित करने के लिए किया। हमारे पास भी उद्धरण था। मेरी यह मान्यता है कि यदि हमारे समक्ष इस प्रकार का उद्धरण न होता तो श्रीमती गांधी को निष्कासित करना हमारे लिए बहुत ही कठिन होता। अतः मैं माननीय सदस्यों से यह

निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिये जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़े या जिसका उपयोग बाद में उन्हीं के खिलाफ किया जा सके । आज विधानसभाओं को भंग करने का खतरा बना हुआ है। मैं अपने साथियों से यह कहना चाहता हूं कि यदि वह यह बहाना बनाते है कि चूंकि उनके बीच के सभी संसद सदस्य कांग्रेस के टिकट से निर्वाचित हुये हैं और उनके पास पूर्व उद्धरण है जिसके आधार पर वह विधानसभाओं को भंग कर सकते हैं, तो भी मैं समझता हूं कि शासक दल को इसके साथ साथ अपनी सत्ता सीमाओं को भी समझना चाहिये। लोगों की धारणा को निश्चित नहीं मान लेना चाहिये। 5 वर्ष बाद या सम्भवतः उससे पहले यदि अन्त-दलीय समस्यायों के कारण जो कि आपके दल में भी काफी अधिक दृष्टिगोचर हो रही हैं, तो आगामी चुनाव में आपके समक्ष भी इसी प्रकार की समस्या आ सकती है।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख अन्तिम तौर पर करना चाहूंगा। मुझे बहुत दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि नगरों की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों तथा भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं का अभिभाषण में उल्लेख न किया गया है। उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है । गन्दी बस्तियों के बारे में मेरे मित्र श्री रामजेठ मलानी ने संशोधन किया है। सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय सरकार के पास बहुत अधिक भूमि पड़ी है और उस भूमि पर वर्षों से गन्दी बस्तियां बस गई हैं। बम्बई में झोंपर-पट्टियों का बोलबाला है। चूंकि वह केन्द्रीय सरकार की भूमि पर है, इसलिए उनके लिए पेय जल आदि सम्बन्धी सुविधाएं नहीं दी जाती है। यदि वह राज्य सरकार की भूमि पर हों तो उन्हें शौचालय, नगर-पालिका स्कूल, पेयजल पाईप आदि की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। चूंकि यह झोंपरपट्टियां केन्द्रीय सरकार की भूमि पर हैं, इसलिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा नगरपालिकाओं से यह सुविधायें देने के लिए पिछले 30 वर्षों से निरन्तर इंकार करती चली आ रही है। अपने शासनकाल के दौरान हम इसी दिशा में कार्य कर रहे थे। हम इसके बारे में नीति घोषित करने ही वाले थे। इसीलिए मैंने मंत्री महोदय से पहला अनुरोध यही किया था कि वह गन्दी बस्तियों सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के बारे में चर्चा करें ताकि लाखों लोगों को आधारभूत नागरिक सुविधायें उपलब्ध करवाई जा सकें।

दूसरे, हमारे देश में अमूलचूक भूमि सुधारों की आवश्यकता है। भूमि सुधारों से मेरा तात्पर्य सार्थक विधान से है परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

श्रीमान जी, राष्ट्रति के अभिभाषण में चीन-भारत सम्बन्धों को सामान्य बनाने की जो बात कही गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। उसके बारे में जो भावना व्यक्त की गई है, मैं उसका पूर्णतया स्वागत करता हूं। मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> भारत-चीन संबंधों का सामान्य रहना स्थायित्व के लिए बड़ा जरूरी है। जाहिर है कि इस दिशा में की गई कोशिशें चीन-वियतनाम युद्ध के परिणामस्वरूप प्रभावित हुईं। चीन के साथ सीमा-विवाद सहित अन्य सभी मामलों पर विचार करने के लिए भारत अब भी इच्छुक है ताकि समानता पर आधारित कोई शान्तिपूर्ण हल निकाला जा सके। हम आशा करते हैं कि द्विपक्षीय आदान-प्रदान के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे।

मैं इन भावनाओं का पूर्णतया समर्थन करता हूं। हमें चीन के साथ नये सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में पहल करनी चाहिये और इससे स्थायित्व की भावना बढ़ेगी।

श्रीमान जी, अब मैं अपना वक्तव्य एक अन्तिम तर्क के साथ समाप्त करता हूं। आज हम एक नये कार्य का आरम्भ करने जा रहे हैं। आज विरोधी दल तथा शासक दल को पुरानी बातें छोड़कर अपने में नये सम्बन्ध स्थापित करने चाहियें ताकि हम लोकतांत्रिक ढांचे के अन्तर्गत ठीक उसी तरह कार्य कर सकें जैसे कि दुनिया इस ढांचे को समझती है और ऐसा करके हम देश के भीतर ही मानवीय अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

श्री विरधी चन्द जैन (बाडमेर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। सब से पहले मैं भारत की जनता का अभिनन्दन करता हूं, जिन्होंने केन्द्र में स्थिर शासन दिया, कांग्रेस (आई) को बहुमत में शासन दिया और केन्द्र में श्रीमती इन्दिरा गांधी को नेतृत्व प्रदान किया। देश में आज जो स्थिति है, वह बहुत ही नाजुक है। देश बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। कानून और व्यवस्था की स्थिति प्रान्तों में बहुत ही दयनीय है और मंहगाई चरम सीमा तक पहुंच गई है। इन समस्याओं को हल करने के लिये केन्द्र को और जो अपोजीशन पार्टीज हैं उनको सब को मिल कर काम करना होगा। केन्द्र कितना भी प्रयास करे, जब तक प्रान्तों की सरकारों का सहयोग नहीं होगा, तब तक मंहगाई पर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता, तब तक कानून और व्यवस्था पर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता। इसलिये यह आवश्यक है कि केन्द्र और प्रान्तों की सरकारों का सहयोग हो।

जनता ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि हिन्दुस्तान की जनता कांग्रेस (आई) का शासन चाहती है, केन्द्र में भी चाहती है और प्रान्तों में भी चाहती है। परन्तु प्रश्न यह है कि जनता को अवसर मिले, तभी वह प्रान्तों में शासन दे सकती है और यह भी एक जटिल समस्या है कि किस प्रकार प्रान्तों को ......

एक माननीय सदस्य : केरल में दिया है।

श्री विरधी चन्द जैन : केरल की स्थिति अलग है, परन्तु दूसरे प्रान्तों में और तरह की स्थिति है। इसलिये केरल और दूसरे प्रान्तों के बारे में अलग-अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। हिन्दुस्तान की जनता ने हमारे पार्लियामेंट के मेम्बर्स के पक्ष में मत नहीं दिया है, बल्कि कांग्रेस (आई) पार्टी के पक्ष में मत दिया है। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इस के लिये मजबूत कदम उठाने चाहियें कि जहां कुशासन चल रहा है, वहां उस को कैसे दूर किया जाय। मैं अपने राजस्थान प्रान्त की बात कह रहा हूं, वहां भंयकर अकाल की स्थिति है। 33 हजार गांवों से 26 हजार गांव अकाल से पीड़ित हैं। वहां "फूड-फार-वर्क" के नाम पर कुछ काम चल रहा है, जो ग्राम पंचायतों द्वारा चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायत और उन के सरपंच इतने योग्य नहीं हैं और जहां कोई सरपंच योग्य हैं भी, वे भी 100 से अधिक मजदूरों को काम नहीं दे पाते, क्योंकि उन के पास स्टाफ नहीं है, केवल एक ग्राम-क्लर्क (ग्राम सेवक) उन के पास होता है, जो इस का काम करता है। वह इतना काम कर नहीं सकता और अकाल की समस्या बहुत ही भंयकर है। हमारे राजस्थान प्रान्त में ढाई करोड़ की जनसंख्या में से पौने दो करोड़ की जनसंख्या अकाल से प्रभावित है और सिर्फ दो लाख मजदूर कार्य में लगे हुए हैं। मजदूरों को मजदूरी न मिलने से कुछ लोग हरियाणा की तरफ, कुछ पंजाब की तरफ़ और कुछ गुजरात की तरफ़ चले गये हैं। राजस्थान की सरकार उनको मजदूरी नहीं दे पा रही है। केन्द्रीय सरकार को इस गम्भीर प्रश्न को देखना चाहिये। आगे के प्रश्न और भी गम्भीर होंगे, क्योंकि अकाल की स्थिति गर्मी के दिनों में और भी तीव्र होगी। हमारे क्षेत्र बाड़मेर और जसलमेर जिलों में सिर्फ खरीफ की फसल होती है और वह फसल भी बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। उन क्षेत्रों में यदि केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार की मदद नहीं करेगी तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार की खुद की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह इस भंयकर अकाल का सामना कर सके। 1967-68 में भी भंयकर अकाल पड़ा था, उस समय केन्द्रीय सरकार ने 150 करोड़ रुपये की मदद दी थी, इसी तरह की मदद इस समय भी देने से वहां के लोगों को भुखमरी से बचाया जा सकता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री जी और वहां के गवर्नर को बुला कर वहां की स्थिति की पूरी तरह से जांच करे और स्थिति को समझ कर पूरी तरह से मदद करें।

पानी की समस्या की यह हालत है कि बहुत से गांवों में पानी बिल्कुल नहीं है और यदि कहीं है भी, तो खारा पानी है। उन गांवों में पानी ट्रक्स और टैम्पोज के द्वारा पहुंचाया जाता है, परन्तु कितना

पानी मिलता है? एक व्यक्ति को केवल आधा-गैलन मिलता है। जब कि शहरों में एक व्यक्ति पर 20-25 गैलन पानी खर्च किया जाता है, उन गांवों में पीने के लिये आधा गैलन या एक गैलन से अधिक पानी नहीं मिल रहा है। जब मनुष्यों की यह हालत है तो पशुओं की हालत का अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं, पशुओं की भी वहां बहुत बुरी हालत है। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप राजस्थान के अकाल के प्रश्न को गम्भीरता से लें और राजस्थान सरकार की अधिक से अधिक मदद करें।

दूसरी बात, मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर राजस्थान में आर० एस०एस० का प्रचार करहो रहा है, वे हर प्रकार से एटमासफिअर को प्वायज़न करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां की जनता के दिमागों को विकृत कर रहे हैं जो हमारे देश के लिये बहुत हानिकारक है। प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं 'कि मेरा 30 वर्षों का अनुभव है— प्रौढ़ शिक्षा पर अब तक जो राशि व्यय की गई उस का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। हमारे कांग्रेस के राज्य में भी और जनता पार्टी के राज्य में भी जो पैसा खर्च हुआ उसका सही उपयोग नहीं हुआ। प्रौढ़ लोगों की पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे लोग लगातार दिन भर काम करते हैं, रात को उन्हें पढ़ाने की कोशिश की जाती है। यह ठीक है कि कोई बहुत डैडिकेटेड टीचर हों या वर्कर हों, वे उनको जो कुछ थोड़ा-बहुत पढ़ा लें, लेकिन वैसे यह कार्यक्रम बिल्कुल असफल रहा है। मेरा सुझाव है कि प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम पर जो 200 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है, उस का डायवर्शन कर के उस धन-राशि को प्राइमरी एजूकेशन पर खर्च किया जाना चाहिए और उस पर ही सब से ज्यादा जोर दिया जाना चाहिये। प्राइमरी एजूकेशन पर ज्यादा जोर देंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारी समस्या हल हो सकेगी।

ड्रिंकिंग-वाटर के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार ने जो पालिसी एडाप्ट की है, उस के अनुसार जो """प्राब्लेमेटिक विलेजेज" हैं, समस्या-प्रद गांव हैं उन के लिये 60 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार प्रान्तों को दे रही है। दूसरे राज्यों के मुकाबले हमारे राज्य में गांवों की स्थिति कुछ भिन्न है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 15 गांवों को पाइपलाइन द्वारा जोड़ने पर जो खर्चा आता है, हमारे यहां उतना खर्चा एक गांव पर आता है। हमारे कृषि मंत्री जी ने अभी हाल में स्टेटमेंट दिया था कि हम 5 वर्षों में पीने के पानी की समस्या को हल कर देंगे। आप पानी की समस्या को हल करने के लिए पांच वर्ष की बात कह रहे हैं। पांच वर्ष में अगर आप इस समस्या को हल कर देते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी। हम 30 वर्षों में पानी की समस्या हल नहीं कर पाए। हमारे राज्य में 33 हजार गांवों में से 24 हजार गांवों में पानी की समस्या है और वहां पर हम लोगों को शुद्ध पानी नहीं दे सके हैं। बहुत सी जगहों पर तो पानी है ही नहीं और उन गांवों में हमें पानी पहुंचाना है। इसलिए पानी की समस्या को प्राथमिकता देनी है और इसमें यह देखना है कि उन सभी गांवों को हमें मिलाना है जहां पर पानी नहीं है। हमारे गांव 50 वर्ग मील और 100 वर्ग मील में बाड़मेर और जैसलमेर जसे क्षेत्रों में फैले हुए हैं और उन गांवों को मिलाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस के लिए हमें पापूलेशन बेसिस को अख्तियार नहीं करना चाहिए बल्कि क्षेत्रफल को इस काम को करने के लिए देखना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि क्षेत्र बड़े विस्तृत हैं और उन में अगर आप सब गांवों को पानी देंगे, तो आप को बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसलिए इस समस्या के बारे में केन्द्र सरकार जो पापूलेशन बेसिस की नीति अपना रही है, उस से राजस्थान को कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि राजस्थान का जो क्षेत्र है, वह बड़ा विस्तृत है और क्षेत्रफल का बेसिस आप को बनाना चाहिए और पापूलेशन का बेसिस नहीं होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से इस समस्या का बारे में व्यवस्था की जानी चाहिए।

अब मैं कुछ मुद्दे और हैं, जिन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम 30 साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम गरीबों को कानूनी सहायता नहीं दे सके। स्थिति यह है कि अभी तक वे अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते। खेतों के बारे में अगर

बेदखली हो जाए, खेतों से उन ग़रीबों को निकाल दिया गया और जनता पार्टी के राज्य में निकाला गया है, तो वे कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के अन्दर भूमि-सुधार के नाम पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जो जमीन एलोट की थी, तो उन को वहां से निकाल दिया गया, वहां के जमींदारों ने, जागीरदारों ने और राजाओं ने उन को एलोट की गई जमीनों से निकाल दिया उन को जमीन रेस्टोर करने के लिए हमें उन को कानूनी सहायता देनी चाहिए।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कानूनी सहायता के लिए, मैंने यह देखा है, जो वकील मुकर्रर किये जाते हैं, वे सब से इन्फीरियर वकील, सब से अयोग्य वकील होते हैं, और उन्हीं की नियुक्ति की जाती है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हम कानूनी सहायता देना चाहते हैं, लीगल एड देना चाहते हैं, तो अच्छे से अच्छे वकील मुकर्रर किये जाएं, जो दूसरे वकीलों को अच्छी तरह से मुकाबला कर सकें। ऐसी हमें व्यवस्था करनी चाहिए और अगर आप यह नहीं कर सकते, तो एक बात मैं सुझाव के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनके लिए यह कम्पलसरी कर दिया जाए, कि उनको ऐसे गरीब लोगों के लिए दो, तीन केस लड़ने पड़ेंगे। इस तरह की कन्डीशन, एक प्रिसीडेंट बना दिया जाए, ताकि उन को उन के केस लड़ने पड़ें। अभी जो लीगल एड दी जाती है, उन गरीब लोगों को, तो उस में ऐसे वकीलों को रख दिया जाता है, जो केस फाइट नहीं कर सकते और इस का नतीजा यह होता है कि उनकी डिफीट होती है और फिर उन में अनइजीनेस पैदा हो जाती है। तो लीगल एड के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी दिलचस्पी ले कर केन्द्रीय सरकार को एक योजना बनानी चाहिए और प्रान्तीय सरकारों को इस सम्बन्ध में सचेत करना चाहिए ताकि ग़रीब आदमी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। इस प्रकार की स्थिति बनाने की जरूरत है।

एक बात मैं विशेष तौर पर बोंडेड लेबर के बारे में कहना चाहता हूं। यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही बुरी चीज है और हमारे राजस्थान में बोंडेड लेबर अभी तक चल रही है। एक दफ़ा उन को कर्ज दे दिया, तो पांच साल के लिए, दस साल के लिए और यहां तक कि जिन्दगी भर के लिए बोंडेड लेबर के रूप में उनको काम करना पड़ता है। कानून इस सम्बन्ध में बनाए गए हैं। केन्द्रीय सरकार ने बनाए हैं और राज्य सरकारों ने भी बनाए हैं परन्तु उन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, उनका कार्यान्वयन नहीं होता है, क्योंकि बोंडेड लेबर रखने वाले ऐसे आदमी हैं जो प्रभावशाली होते हैं। वे पार्टी का प्रोटेक्शन पा लेते हैं और उस प्रोटेक्शन की वजह से उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो व्यक्ति बोंडेड लेबर रखता है, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए और यह कार्यक्रम सभी पार्टियों को मिल कर करना चाहिए। यह किसी एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, यह सभी पार्टियों का प्रश्न है और मेरा निवेदन यह है कि इस बोंडेड लेबर के प्रश्न को गंभीरता से लेना चाहिए

मैंने कुछ समस्याएं आप के सामने रखी हैं और वे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं और इनको हल किया जाना चाहिए। अगर इन समस्याओं को हमें हल करना है तो हमें कुछ रद्दो-बदल करनी पड़ेगी। हमें अपने आर्थिक, सामाजिक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें ऐसे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जिनसे कि गरीबी मिटे। हमें इसके लिए विशेष योजनाएं बनानी पड़ेंगी। इसके लिए न केवल सरकार को ही बल्कि इस सदन के प्रत्येक सदस्य को और प्रत्येक जन-प्रतिनिधि को भी प्रयास करना पड़ेगा। यह प्रयास करके ही हम अपने देश का कल्याण कर सकते हैं।

हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) आदरणीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आये धन्यवाद के प्रस्ताव पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया।

श्रीमन् आप जानते हैं और यह सदन जानता है कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों का परिचायक होता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह राष्ट्रपति का अपना भाषण नहीं होता, बल्कि यह सेक्रेटेरियेट में लिखा जाता है। क्योंकि उन नीतियों का संचालन करने की जिम्मेदारी

सरकार की हुआ करती है। सरकार जो काम करना चाहती है, जिन नीतियों पर चलना चाहती है उनका ब्यौरा वह अभिभाषण में देती है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसको पूरा करने के लिये सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रहती है और उसको रहना भी चाहिए।

श्रीमन्, मैंने इसको आद्योपान्त पढ़ा है। इस छोटे से अभिभाषण में 33 पैराग्राफ हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे गागर में सागर भर दिया गया हो। इसमें कोई ऐसा कोण नहीं है कि जिसमें भारत में जो समस्याएं हैं, उनका निदान न हो। अभी विरोधी दल के माननीय सदस्य ने बेरोजगारी की बात कही। आपने सेल्स टैक्स खत्म करने की बात कही थी लेकिन आप उसे खत्म नहीं कर पाये। हमने जो इसमें लिखा है उसमें बेरोजगारी को दूर करना भी आ जाता है। जब आर्थिक समस्या का निदान होगा, खेतीबाड़ी ठीक होगी और उत्पादन बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी अपने आप दूर होगी। बेरोजगारी तो आप स्वयं जानते हैं कि इतनी बड़ी समस्या है कि इसको एकदम दूर नहीं किया जा सकता है। न इसे पिछली सरकार की तरह झूठे वायदे करके टाला जा सकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो समस्याएं पैदा हो गयी हैं, किसानों की अगर समस्याएं हैं तो वह किसान के बेटे ने पैदा की हैं। जिसको किसान का बेटा कहा जाता है, उसके राज में डीजल, मिट्टी का तेल, बिजली सभी गायब। इनकी बात तो हम यों भी कह सकते हैं कि शायद इन चीजों का सम्बन्ध बाहर की सप्लाई से ताल्लुक रखता था। पर चीनी कहां चली गयी। आपके राज में चीनी कहीं देखने को नहीं मिल रही है।

उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। 65 प्रतिशत चीनी जो लेवी की थी, वह चीनी कारखाने वालों ने राशन की दुकानों को देना बन्द कर दिया। नतीजा यह है कि शक्कर ब्लैक मार्केट में पांच-छः रुपये किलो बिक रही है। एक गरीब आदमी को राशन की दुकान से छटांक भर चीनी नहीं मिलती है। (व्यवधान) आप यह भी नहीं कह सकते कि वहां लोकदल की सरकार है या जनता पार्टी की सरकार है। हम दोनों की ही सरकार मान लें तो दोष आप दोनों का ही है। बुद्धि एक ऐसा विषय है कि न तो इसको मैं विरोधी दल के भाइयों को कहीं से उधार लाकर दे सकता हूं और न किसी दुकान से इसकी कोई पुड़ियां बिकती है जो मैं आठ आने या एक रुपया में वहां से लाकर इनको खिला दूं। बजाय बीच में टोका टाकी करने के हमारे विरोधी दल के भाई अगर अपनी बुद्धि को स्वयं ही तीव्र करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

सभापति महोदय, ये सभी समस्याओं के जन्मदाता ढाई तीन साल के शासन में हो गए हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी का शासन काल समाप्त हुआ उसके पहले पहले उनकी एमरजेंसी का जो समय था जिसको आप बुरा कहते हैं मैं समझता हूं वह एक ऐसा समय था जब उत्पादन सबसे ज्यादा बढ़ा था, बेरोजगारी सबसे ज्यादा दूर की गई है, मंहगाई अधिकतम कम की गई है, कोई ऐसा काम नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो जनता की भलाई के लिए हो और उस पर काम न किया गया हो।

आप और हम दोनों को जनता को धन्यवाद देना चाहिये। 1977 में जनता ने आपको बिठाया और तीन साल के बाद 1980 में जिनको गद्दी से उतारा था उन्हें शासन में दुबारा लाकर बिठा दिया।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

जनता बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है। वह अपने अधिकारों को समझती है। कौन उसे फायदा देता है, किससे उसे लाभ हो सकता है, कौन इस देश में सरकार को चला सकता है, कौन इस देश को स्थिर सरकार दे सकता है, कौन इस देश का भविष्य उज्जवल कर सकता है, कौन इस देश में बातें बनाने के बजाय काम ज्यादा कर सकता है, इस बात को वह अच्छे तरीके से जान गई है। इसलिये पौने

तीन साल में उसने उस सरकार को जिसको उसने बहुत प्रचन्ड बहुमत से चुना था, हटा दिया। मुझे यह कहने में भी कोई हिचक नहीं है कि यह सरकार भी अगर काम अच्छा नहीं करेगी तो जनता इतनी जागरूक है कि आपको कहने की जरूरत नही पड़ेगी और जनता इसे भी अपने आप उतार कर फेंक देगी। यह समय ही बताएगा कि किस ने कितना अच्छा काम किया है। जो जज है वह जानता है। वह देख रही है आपने क्या किया। आपने सिवाय इस ढाई तीन साल के अन्दर श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री संजय गांधी को जेल में डालने के योजनाएं बनाने के अलावा क्या किया, यह आप हमें बताएं।

माननीय सदस्य : आप तो माफी मांग कर आ गए थे।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अगर हिन्दुस्तान भर में कही किसी भी जगह से कोई दस्तावेज लाकर आप मुझे यह दिखा दें कि मैंने माफी मांगी थी तो मैं यहां से इस्तीफा दे दूंगा (इंटरप्शंज)। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जन संघ का एक एम एल ए था लेकिन जनसंघ वालों ने जब अपना सब घोषणा पत्र समाप्त कर दिया तो मैं क्या कर सकता था। श्री सुब्रमण्यम स्वामी बैठे हुए हैं। वह जानते हैं कि जब हम मैम्बर बनाने जाया करते थे तो उसमें लिखा होता था कि अखंड भारत होगा, किसानों का लगान आधा होगा, गौवध बन्द होगा, हिन्दी हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा होगी, अणु बम बनेगा आदि। जब आप जनता पार्टी में मिले तो मैं जानना चहता हूं कि कौन सा आपका सिद्धांत इस जनता पार्टी के असूलों में शामिल किया गया? कोई भी जनसंघ वाला उठ कर बता दे। जनसंघ वालों ने पूरे का पूरा अपना दल बदल किया है और जनता पार्टी के सामने अपने घुटने टेके हैं। एक भी सिद्धांत उसमें शामिल नहीं है जो जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र है उसमें। मैंने यह मुनासिब समझा कि पांच लंगड़े मिल जाएं तो एक साबुत आदमी नहीं बन जाता है, उसी तरह से ऐसे लोग जिनकी नीतियां खाली कुर्सी के लिये बनी हैं, समाजवाद को खाली जो धोखा देना चाहते हैं, उनके साथ न रहकर असली समाजवाद जिसके साथ है, उसके साथ जाया जाना चाहिये, उसके साथ समझौता किया जाना चाहिये। ऐसा करके मैंने आपना कर्तव्य पूरा किया है।

मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि आपने क्या यह सच नहीं है कि आपने चोर बाजारी को रोकने के लिये कानून बनाया, आर्डिनेंस जारी करवाया? हिन्दुस्तान भर में यह बता दीजिए कि कितने आपने चोर बाजारियां को पकड़ा? एक भी नहीं। हां इस काम में जरूर उस अध्यादेश का उपयोग किया कि उससे रुपया वसूल कर ले और चुनाव लड़े। पर एक भी आदमी, ब्लैक मार्केट के आरोप में उस तरह से नहीं पकड़ा गया जिस तरह से पकड़ा जाना चाहिये था और ब्लैक मारकेटिंग बराबर होती रही।

हरिजनों पर अत्याचार किये गये, हरिजनों के आप मसीहा बन कर बैठे थे लेकिन जगह जगह पर उन पर जो अत्याचार हुए उनके बारे में अन्य सदस्यों ने कहा है, मैं फिर उनका जिक्र नहीं करना चाहता। आप क्या करना चाहते थे वह आप सुन लीजिए। राजनारायण जी, कार्यकारी अध्यक्ष लोकदल ने स्पीच दी, उस समय जनता "एस" थी, लोक दल बाद में बना, उन्होंने कहा कि फरवरी के बाद चुनाव होने चाहियें। 15 दिन तक अखबारों में खबर आती रही कि लोगों की मांग आयी है कि चुनाव के लिये अभी समय ठीक नहीं है, सूखा है और फरवरी के बाद चुनाव होना चाहिये। इसमें आपकी मंशा क्या थी? आप चाहते थे कि हरिजनों का आरक्षण समाप्त हो जाए। इसलिये चुनाव नहीं कराना चाहते थे। और हमने देखिए कि सीट पर आते ही सबसे पहला काम यही किया और हरिजनों के हितों की रक्षा की। इसी से जाहिर होता है कि आप क्या चाहते थे, और हम क्या कर रहे हैं। पूत के पांव पालने में मालूम हो जाते हैं। हमने अच्छे काम से शुरुवात की है, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप इसी तरह से थोड़ा हमको जोश दिलायें, बीच-बीच में कुछ चुटकियां लेते रहे तो हमारा जोश और भी बढ़ेगा और हम अच्छे काम करने में लगेंगे।

एक बात की ओर और मैं सदन का तथा राष्ट्र का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में चौधरी चरण सिंह के रहते निष्पक्ष नहीं हो सकते। मैं उम्मीद करूंगा और आवाज उठाता हूं कि

निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये । उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के और बीच के जिलों के कम से कम 50 क्षेत्र ऐसे होंगे जहां की पोलिंग बूथों का घेराव किया गया ।

एक माननीय सदस्य : पाकिस्तान से बुलायेंगे चुनाव कराने को ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : दूसरे को वोट डालने नहीं दिये गये और एक ही आदमी मोहर लगाकर सारे बैलट पेपर डाल गया और इसीलिये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लोकदल की जीत हुई है अगर समीक्षा करें तो आधे से ज्यादा सीटें ऐसी निकलेंगी जहां पोलिंग बूथ का घेराव करके जबरदस्ती वोट डलवा लिये गये । मैं चुनाव जीता, जीतने के बाद लोकदल के लोगों ने मेरे चुनाव कार्यालय पर पिस्तौल और बन्दूकों से हमला किया। दूसरे आपके यहां श्री रामचन्द्र विकल को बुरी तरह से घायल किया गया। यह इस बात का सूचक है कि आप शांतपूर्ण चुनाव में विश्वास नहीं रखते हैं, निष्पक्ष चुनाव में विश्वास नहीं रखते हैं। धांधलेबाजी और तानाशाही करना चाहते हैं। तानाशाह आप श्रीमती इन्दिराजी को बताते हैं। यह तानाशाह कौन है ? आप यहां हाउस में कभी बैठे नहीं और प्रधान मंत्री देश के बने रहे। आपको राष्ट्रपति ने बुला लिया, उनको हक है मैजारिटी हो माइनारिटी हो, किसी भी आदमी को बुला सकते हैं। आज भी संविधान हमारा इसमें मौन है कि किसको बुलायें। जिसे चाहे राष्ट्रपति बुला सकते हैं प्रधान मंत्री पद देने के लिये। आपको प्रधान मंत्री बना दिया । आपका यह काम था कि आप अपना बहुमत सिद्ध करते क्योंकि उन्होंने विश्वास का मत प्राप्त करने को आपको समय दिया। जिस दिन विश्वास का मत प्राप्त करना था, उस दिन सीधे जाकर इस्तीफा दे आये, लोक सभा को भंग करा दिया और चुनाव की घोषणा कर दी गई। उसके बाद चार चार, पांच पाच मिनिस्टरों ने इस्तीफे दे दिये, पार्टी की पार्टी सरकार छोड़कर चली गई, चौधरी चरण सिंह अल्पमत में हो गये, लेकिन उनकी कुर्सी उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं कैसे कहूं कि वह प्रधान मंत्री का पद को नहीं छोड़ पा रहे थे।

यह अच्छा नहीं होगा। प्रधान मंत्री को कुर्सी उनको छोड़ नहीं पा रही थी। वह कुर्सी ऐसे चिपक गई कि जब जनता ने वोट के द्वारा बाहर निकाल दिया, तब मजबूर होकर वह बाहर गए। वह तो चुनाव कराना नहीं चाहते थे। उनकी मंशा देखकर राष्ट्रपति को स्वयं घोषणा करनी पड़ी कि देश में चुनाव कराये जायेंगे। चौधरी साहब ने घोषणा नहीं की।

वह कहते हैं कि इंदिरा गांधी निरंकुश शासक थीं। अगर वह 1977 में चाहती, तो एक साल और हुकुमत करती—संविधान के अनुसार, क्योंकि एक साल अभी बाकी था। लेकिन वह प्रजातंत्र में विश्वास रखती थीं, इसलिये उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। अगर एक साल और चुनाव न कराये होते, तो बहुत से विरोधी दल के लोग जो जेल में पड़े हुए थे, माफी मांग-मांग कर कांग्रेस में शामिल होकर इधर ही आ गए होते। हमारे मित्र इन्दिरा गांधी को प्रजातंत्र-विरोधी और निरंकुश बताते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वे कौन सी राजनीति पढ़ते हैं। वे अपनी राजनीति को फिर सुधारें। वे अच्छी किस्म की किताबें पढ़ा करें। इधर उधर की किताबों से काम नहीं बनेगा।

मेरे साथी, श्री सुब्रमण्यम स्वामी, ने कहा है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में नियोजन का जिक्र करना भूल गये। मेरा ख्याल है कि चौधरी चरण सिंह और श्री राजनारायण भूल गये। वे लोक परिवार नियोजन के कारण कांग्रेस सरकार को हटा पाये थे। इसलिये जहां जहां नियोजन शब्द लगा था, चौधरी चरण सिंह और श्री राजनारायण उसको भूल गये कि कहीं हमारी सरकार भी इस नियोजन से न चली जाये। योजना बनाने की बात तो दूर, उन्होंने नियोजन शब्द ही नहीं रखा।

मैं जहां से चुन कर आता हूं, वहां बीस हजार बंगाली शरणार्थी बसे हुए हैं। वे शहर से कम से कम चालीस मील दूर, शारदा नदी के पार और दस पन्द्रह मील दूर बसे हुए हैं। उनकी फूस की झोपड़ियां हैं, बांस के टट्टर बंधे हुए हैं। न उनके पक्के मकान हैं, न पाठशाला या स्कूल हैं, न डाकखाने खुले हुए

हैं न कोई सड़कें ही हैं। केन्द्र से जो सहायता मिलती थी, जनता पार्टी की सरकार ने ढाई साल से उसको बन्द कर रखा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन शरणार्थियों की, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, समस्याओं का हल तुरन्त करे। उनको ग्रान्ट दे और जो पुवायां में रेलवे लाइन अंग्रेजों के जमाने में पड़ी हुई थी, वह बाद में उठा ली गई थी, उससे जनता को बड़ी परेशानी है। यह क्षेत्र शाहजहांपुर जिले में पड़ता है। उसका सर्वे हो चुका है। उस रेलवे लाइन को फिर से डाला जाना चाहिये।

अन्त में, मैं एक शेर पढ़ देना चाहता हूं—

जो हो तारीफ़ कम है इन्दिरा तेरी सियासत की,

यह देसाई की अर्थी जा चुकी है या कि तिजारत की।

मैं आपका और माननीय विरोधी दल के सदस्यों का भी बहुत आभारी हूं कि मुझे बोलने का भरपूर मौका दिया (धन्यवाद)।

मध्यान्ह भोजन अवकाश का समाप्त किया जाना

अध्यक्ष महोदय : आज मुझे यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिये अधिक समय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मध्यान्ह भोजन काल अवकाश कल 29 जनवरी, 1980 के लियें समाप्त कर दिया जाये। यदि सदन की सहमति हो तो हम यह सुझाव स्वीकार कर लें।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अतः मध्याह्न भोजन अवकाश नहीं होगा।

मैं चहाता हूं कि सदस्यगण धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में अपने वक्तव्य 29 जनवरी तक समाप्त कर लें और उसके बाद 30 जनवरी, 1980 को प्रधानमंत्री द्वारा उनका उत्तर दिया जायगा।

यदि माननीय सदस्य चाहे तो हम अब भी आधा घंटा अधिक बैठ सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है।

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 29 जनवरी, 1980/9 माघ, 1901 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

MGIPRRND—17 LSS/79—Sec. III-N.S.—1-4-80—210